राजभाषा भारती

1990

राजभाषा भारती

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह

मंचासीन (बाएं से) भारत सरकार के हिंदी सलाहकार एवं सचिव श्री रमेशचन्द्र जैन, आशीर्वचन देते हुए महामहिम उपराष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा, मुख्य अतिथि गुजराती साहित्यकार श्री गुलाबदास ब्रोकर तथा संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री निशिकान्त महाजन (पृष्ठ 54)

महामहिम उपराष्ट्रपति से हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए एअर वाइस मार्शल श्री विश्वमोहन तिवारी (पृ. 55)

एको धर्मः परं श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा ।
विद्यैका परमा तृप्तिरहिंसैका सुखावहा ॥57॥—विदुर नीति

भावार्थ—केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शान्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाला है।

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 13
अंक : 49

चैत्र–ज्येष्ठ 1912 शक
अप्रैल—जून 1990

संपादक
डॉ० महेशचन्द्र गुप्त
निदेशक (अनुसंधान)
फोन : 617807

☐

उप-संपादक
डॉ० गुरुदयाल बजाज
फोन : 698054

☐

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभ्युक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

☐

निःशुल्क वितरण के लिए

☐

पत्र-व्यवहार का पता :

संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (11वां तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

अनुक्रम

संपादकीय
पाठकों के पत्र

☐ चिन्तन

1. हिंदी भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप — डॉ. त्रिभुवन नाथ शुक्ल 1
2. प्रयुक्ति — डॉ. कैलाशचन्द्र भाटिया 4
3. शब्द और अर्थ के आयाम — डॉ. नरेश कुमार 7
4. अनुवादक का प्रशिक्षण : शिक्षा संरचना का एक अहम सवाल — डॉ. सोहन शर्मा 9
5. हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन — डॉ. जी पदमजा देवी 13

☐ साहित्यिकी

6. बंगला : भाषा, साहित्य और राजभाषा — अवधेश मोहन गुप्त 15

☐ पुरानी यादें : नए परिप्रेक्ष्य में

7. मराठों के राजकाज में हिंदी — डॉ. रामबाबू शर्मा 21

☐ विश्व हिंदी दर्शन

8. पड़ोस में हिंदी की गूंज — डॉ. सुरेंद्र प्रसाद साह 23

☐ समिति समाचार

(क) विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 24
1. खान विभाग 2. सम्पदा निदेशालय

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 28
1. सिल्चर 2. दीमापुर 3, कलकत्ता (बैंक) 4. मंगलूर 5. बेलगांव 6. विजयवाड़ा 7. गोवा 8. बम्बई (बैंक) 9. उदयपुर 10. भोपाल (बैंक) 11. कानपुर 12. कानपुर (बैंक) 13. मेरठ 14. मथुरा 15. आगरा

(ग) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 44

1. रक्षा लेखा नियंत्रक, (दक्षिण) बेंगलूर
2. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, वडोदरा
3. भारतीय जीवन बीमा निगम, वाराणसी
4. भारत एल्यूमिनियम कं. प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली
5. इफको , नई दिल्ली

☐ राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां 54

1. इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह
2. केंद्रीय हिंदी निदेशालय : पुरस्कार वितरण समारोह
3. अखिल भारतीय प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह
4. कारपोरेशन बैंक : राजभाषा अधिकारी सम्मेलन
5. जयशंकर प्रसाद जन्म शताब्दी समारोह
6. माखनलाल चतुर्वेदी जन्म शताब्दी संगोष्ठी

☐ **हिंदी के बढ़ते चरण : मद्रास बैंक विशेषांक** 63

1. मद्रास स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी का प्रयोग
2. भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि. मद्रास में हिंदी के बढ़ते चरण

☐ हिंदी दिवस/सप्ताह समारोह 77

☐ हिन्दी कार्यशालाएं 91

☐ विविधा 97

* देवनागरी में नवीनतम तकनीकी सुविधाएं
* जीवन विद्या ट्रस्ट, बम्बई 98
* समाचार दर्शन 99
* राजभाषा प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना 102
* प्रेरणा-पुंज 104
* पुस्तक समीक्षा 105

☐ आदेश-अनुदेश 106

संपादकीय

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह* में महामहिम उप राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने हिंदी भाषा और संस्कृति के पारस्परिक सम्बन्धों पर बल देते हुए कहा कि— "हर राष्ट्र के पास अपना चिंतन होता है, अपनी भावनाएं होती हैं, जिसे वह अपनी भाषा में व्यक्त करता है। मैं यह मानता हूं कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, बल्कि उससे बोलने वालों की संस्कृति और संस्कार भी जुड़े हुए होते हैं। भाषा जहां अपनी सांस्कृतिक विरासत से उपजी हुई होती है, वहीं वह इस विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाती भी है। इसलिए भाषा का प्रश्न केवल एक अभिव्यक्ति के माध्यम का प्रश्न नहीं है बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारे देश के लोगों के संस्कार से भी जुड़ा हुआ है। फिर लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति में तो भाषा का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि "जनता तभी राजकाज में सक्रिय रूप से भाग ले सकती है, जबकि राजकाज ऐसी भाषा में हो, जिसे वहां की जनता अच्छी तरह से समझ सकें।"

उप राष्ट्रपति जी की सूक्तियों के विवेचन की आवश्यकता नहीं है। यह सूक्तियां सभी को स्वतः ही समझ में आ जानी चाहिएं। उत्तरदायी शासन के लिए जनता की भाषा में ही काम होना चाहिए। ऐसा न होने से सांस्कृतिक विरासत भी आगे न बढ़ सकेगी। संस्कृति की धारा रुक सकती है। इसलिए चिंतनशील सरकारी अधिकारियों से यह अपेक्षा करना सर्वथा उचित है कि केन्द्र सरकार में सेवा करते हुए विधिसम्मत राजभाषा में ही काम करें।

भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से संघ की राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले चालीस वर्षों में किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप आज सरकारी कामकाज में हिंदी प्रयोग की स्थिति काफी सुदृढ़ हुई है।

कुछ समय पूर्व मध्यप्रदेश के न्यायमूर्ति श्री गुलाब चन्द गुप्ता ने प्रतिदिन एक निर्णय हिंदी में लिखवाने की शुरुआत करते हुए तकनीकी एवं वैज्ञानिक कार्य से जुड़े हुए अधिकारियों कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरणा दी है। उन्होंने अपने इस अनूठे प्रयास से इस भ्रांति का निवारण भी किया है कि हिंदी में तकनीकी प्रकार का कामकाज करना कठिन है। उन्होंने अब तक लगभग पांच सौ से अधिक मामलों के फैसले हिंदी में देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री प्रेमशंकर गुप्त भी हिंदी में निर्णय लिख रहे हैं।

न्यायमूर्ति श्री गुलाब चन्द गुप्त और श्री प्रेमशंकर गुप्त के स्तुत्य प्रयास महामहिम उपराष्ट्रपति जी की आकांक्षाओं की पूर्ति में एक अत्यन्त उल्लेखनीय उपलब्धि है। शासन से मिलने वाला न्याय जनता की भाषा में उपलब्ध कराने में उक्त न्यायविदों को सरकारी

*विस्तृत जानकारी के लिए कृपया देखिए पृ० 54

दायित्व के निर्वाह तथा उनकी कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचायक है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यदि हम दृढ़ संकल्प से सरकारी कामकाज हिंदी में करने लगें तो समस्त बाधाएं स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी।

राजभाषा भारती के प्रस्तुत अंक में "चिन्तन" स्तम्भ के अन्तर्गत डॉ. त्रिभुवननाथ शुक्ल का 'हिंदी भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप' विषयक लेख दिया गया है। इस लेख में विद्वान लेखक ने हिंदी भाषा की वर्तनी, व्याकरण, शब्दावली आदि की वैज्ञानिकता प्रमाणित करने का श्लाघनीय कार्य किया है और भाषा की 'प्रयुक्ति' के बारे में डॉ. कैलाश चन्द्र भाटिया का लेख सम्मिलित किया गया है। डॉ. नरेश कुमार ने अपने लेख में हिंदी के शब्द और अर्थ के आयाम बताने का प्रयास किया है। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में अनुवाद का महत्त्व अक्षुण है। स्तरीय अनुवाद के लिए अनुवादक का प्रशिक्षण एक महत्त्वपूर्ण कार्य है और डॉ. सोहन शर्मा ने "अनुवादक का प्रशिक्षण : शिक्षा संरचना का एक अहम सवाल" को सांगोपांग विवेचित किया है। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में 'राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धी समस्याओं के समाधान' डॉ. जी. पद्मजादेवी ने सुझाए हैं।

"साहित्यिकी" स्तम्भ के अन्तर्गत श्री अवधेश मोहन गुप्त का लेख "बंगला : भाषा साहित्य और राजभाषा" विषयक लेख दिया जा रहा है। "पुरानी यादें : नए परिप्रेक्ष्य में" स्तंभ में "मराठों के राजकाज में हिन्दी" के प्रयोग को डॉ. रामबाबू शर्मा ने वर्णित किया है।

देश में जहां राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है वहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी अध्ययन-अध्यापन कार्यक्रम द्रुतगति से आगे बढ़ रहा है। "पड़ौसी राज्य नेपाल में हिन्दी की गूंज" की जानकारी आप "विश्व हिन्दी दर्शन" स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित लेख से प्राप्त कर सकते हैं। "समिति समाचार" में पूर्ववत राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के विवरण तथा निर्णय दिए गए हैं। विश्वास है कि निर्णयों के पालन की समीक्षा निरंतर की जा रही होगी और हिंदी में कामकाज की मात्रा बढ़ाने के लिए सुनिश्चित प्रयत्न किए जाएंगे।

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का विस्तृत विवरण तथा महामहिम उपराष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा तथा मुख्य अतिथि गुजराती के महान् साहित्यकार श्री गुलाबदास ब्रोकर के राजभाषा हिन्दी के बारे में उद्गार "राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां" स्तम्भ के अन्तर्गत संकलित हैं।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अहिन्दी भाषी लेखकों के पुरस्कार वितरण समारोह, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के पुरस्कार वितरण समारोह, जय शंकर प्रसाद जन्म शताब्दी समारोह, माखन लाल चतुर्वेदी जन्म शताब्दी संगोष्ठी के विस्तृत आलेख भी सम्मिलित किए गए हैं।

राजभाषा विभाग के प्रयास से राजभाषा हिंदी का प्रयोग निरन्तर बढ़ रहा है। कई बार कहा जाता है कि क्या दक्षिण में भी राजभाषा नीति लागू हो पाएगी ? इसके बारे में हमारा विनम्र निवेदन है कि तमिलनाडु की राजधानी मद्रास स्थित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी का प्रयोग (ग क्षेत्र के लिए) न्यूनतम लक्ष्य से अधिक हो रहा है। मद्रास में प्रत्येक छः माही में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की प्रथम तीन परीक्षाओं में करीब 50 हजार लोग तथा उच्च परीक्षाओं में करीब 20 हजार लोग बैठते हैं। हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाओं में बैठने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा दक्षिण अंचल में अधिक है। मद्रास में लोग हिंदी बड़े चाव से सीख रहे हैं। इन सब तथ्यों को दर्शाने वाले आलेख "हिंदी के बढ़ते चरण" स्तम्भ के अन्तर्गत सम्पादित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 'भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मद्रास में हिंदी प्रयोग' का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया गया है।

"हिंदी दिवस/सप्ताह समारोह" तथा "हिन्दी कार्यशालाएं" स्तम्भ के अन्तर्गत पूर्ववत सामग्री दी गई है। कार्यशालाओं में हिंदी लिखने का अभ्यास करने वाले कर्मचारीगण हिंदी में काम करें, यह सुनिश्चित कराना आवश्यक है।

"विविधा" के अन्तर्गत समाचार दर्शन, राजभाषा पुरस्कार प्रोत्साहन योजना, 'प्रेरणा पुंज' और 'पुस्तक समीक्षा' सम्बन्धी विभिन्न आलेख दिए गए हैं। **संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत द्वितीय प्रतिवेदन से संबंधित स्वीकृत सिफारिशें दिनांक 29 मार्च, 1990 के संकल्प के अन्तर्गत प्रकाशित की गई थीं। विस्तृत जानकारी के लिए संकल्प मूल रूप में "आदेश-अनुदेश स्तम्भ" के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है।** इसके अतिरिक्त संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के तीसरे खण्ड की सिफारिशें भी इसी स्तम्भ के अन्तर्गत जोड़ दी गई हैं।

अन्त में, 'राजभाषा भारती' के सुधी पाठकों से निवेदन है कि वे पत्रिका के बारे में मीठी-कड़वी, तीखी-फीकी अपनी अनुभूति से हमें अवश्य अवगत कराएं। 'राजभाषा भारती' का प्रस्तुत अंक आपको कैसा लगा है ? लिखना मत भूलिएगा।

अनुरोध है कि पत्रिका को अधिक से अधिक सहकर्मियों को पढ़ने के लिए अवश्य प्रेरित करें।

पाठकों के पत्र

राजभाषा भारती का अंक-47 मिला। पत्रिका में संपादकीय व कई लेख विचारोत्तेजकता से परिपूर्ण हैं।

—रमानाथ नायक, मंडल प्रबन्धक, केनरा बैंक, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली

□

राजभाषा भारती का अक्तूबर-दिसम्बर, 1989 (अंक 47) देखा। इस अंक का कलेवर आकर्षक, सामग्री प्रेरणादायी और सम्पादन सुरुचिपूर्ण लगा। पत्रिका को राजभाषा के बहुआयामी स्वरूप के अनुरूप बनाने की दशा में अग्रसर होने का स्तुत्य प्रयास इस अंक में बहुत स्पष्ट परिलक्षित हुआ।

अन्यथा न लें तो कहना चाहूंगा कि इस अंक के पृष्ठ 58 पर बैंक आफ बड़ौदा के श्री खन्ना की हस्तलिपि में छपा पत्र देखा-पढ़ा। दो विरोधाभास इसमें हैं। एक तो श्री खन्ना को एस. एन. के बजाय हिंदी के संक्षिप्ताक्षर या पूरा नाम लिखना चाहिए। दूसरा उनके हस्ताक्षर रोमन लिपि में संभवतः हैं। करनी और कथनी में अन्तर ही राजभाषा की विडम्बना रही है, खैर!

अंक बहुत अच्छा है, धन्यवाद।

—डॉ. सिद्धनाथ शर्मा, संचालक,
भाषा, ललित कला एवं संगीत शिक्षा संचालनालय,
पुराना सचिवालय, भोपाल (म. प्र.)

(डा0 सिद्धनाथ शर्मा की टिप्पणी के संदर्भ में श्री नारायण सिंह का निम्नलिखित उत्तर द्रष्टव्य है। —संपादक)

यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि "राजभाषा भारती" में प्रकाशित हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी मेरे साक्षात्कार की विद्वानों ने सराहना की है। जहां तक उपर्युक्त लेख में मेरे हस्ताक्षरों की ओर डॉ. सिद्धनाथ शर्मा द्वारा संकेत किया गया है, मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना चाहूंगा कि हस्ताक्षर किसी व्यक्ति विशेष की पहचान का संकेत चिह्न मात्र होते हैं। जो सिद्धांततः और व्यावहारतः एक ही होने चाहिए। बैंकों का मुख्य कार्य रुपए-पैसे का लेन देन करना है, जिसमें संकेत-चिह्न (हस्ताक्षर) एक संवेदनशील भूमिका अदा करते हैं। इनके इसी महत्त्व को ध्यान में रखकर प्रायः सभी बैंकों द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने हस्ताक्षर केवल एक ही रखें, जिन्हें तदनुरूप बैंक के अभिलेखों में भी दर्ज कर लिया जाता है। बैंक की कार्य पद्धति की उपर्युक्त सीमाओं को ध्यान में रखकर ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी हिंदी अंग्रेजी के सभी पत्रों पर समान हस्ताक्षर ही किए जाते हैं।

—नारायण सिंह, खन्ना उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
उत्तरी अंचल, 13वां तल, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली-1

□

त्रैमासिकी "राजभाषा भारती" का अक्तूबर-दिसम्बर, 89 का अंक (47) यहां के एक अन्य कार्यालय में देखने को मिला। प्रचुर एवं उपयोगी सामग्रियों से परिपूर्ण यह अंक उत्कृष्ठ कोटि का है, एतदर्थ हमारी बधाई स्वीकार करने की कृपा करें।

—जनार्दन पाण्डेय,
वेस्टर्न कोल फील्डस लि., नागपुर—440001

□

"राजभाषा भारती (अंक-47) में राजभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान लेख में श्री विश्वंभर प्रसाद गुप्त "बन्धु" ने राजभाषा के विकास के लिए सामयिक सम्प्रेरण किया है।

मानव की मूल भाषा संस्कृत के सुभाषितों का अनुवाद प्रकाशन पत्रिका की उपयोगिता को बढ़ाता है।

सम्पूर्ण भारत में हिन्दी प्रयोग की प्रगति की जानकारी का माध्यम "राजभाषा भारती" अभिनन्दनीय है।

डॉ. कृ. ना. पाण्डेय,
आकाशवाणी, पणजी

□

"राजभाषा भारती" का अक्तूबर-दिसंबर, 1989 अंक पढ़ने को मिला। यह अंक पिछले अंक की ही तरह कुछ नवीनता लिए हुआ था। एक तरह से यह सम्पादक की सम्पादन कला का ही परिचायक है। संजयकुमार सुर्खीजा का "अनुवाद में मौलिकता" तथा डॉ. आर. के. मान

का "अनुवाद की समस्याएं" काफी अन्तराल के बाद पढ़ने को मिले, क्योंकि इससे पूर्व अनुवाद पर जितने लेख पढ़ने को मिले, उनमें पिष्टपेषण ही मिलता था। परन्तु ये दोनों लेख निस्संदेह मूल चिन्तन के संस्पर्श से युक्त हैं।

प्रदीप कुमार बख्शी द्वारा लिखित "उड़िया: साहित्य, भाषा और राजभाषा" सर्वाधिक अच्छा लगा। प्रत्येक अगले अंक में भारत की 15 भाषाओं से एक-एक भाषा के बारे में इसी प्रकार का परिचय दिया जाता रहे, तो यह पत्रिका पाठकों की प्रेरणा स्रोत बन सकेगी।

—डॉ. राकेश कुमार पाराशर,
45, अनंत नगर, नागपुर (महाराष्ट्र)

□

"राजभाषा भारती" का अक्तूबर-दिसम्बर, 1989 का अंक मिला। पूरा अंक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सामग्री से भरपूर है। सभी लेख उच्चस्तरीय हैं। आप निश्चय ही हिंदी भाषा की महती सेवा कर रहे हैं। आपका प्रयास नितान्त स्तुत्य और अभिनन्दनीय है। ऐसे विरल अंक की प्रस्तुति के लिए मेरी हार्दिक शुभ कामनाएं और बधाइयां स्वीकार कीजिए।।

'कविता' के नाम पर आपने एक ही रचना दी है जिसमें न छन्द है और न लय। छन्द और लय ही गद्य और कविता का मूल भेदक तत्व है। छपी हुई तथा-कथित कविता में और गद्य में क्या अन्तर हैं? वैचारिक सपाट अभिव्यक्ति को ही गद्य कहा जाता है। कविता संदर्भ के माध्यम से अनुभूति का लयात्मक सम्मूर्तन है।

—डॉ. हरिशचन्द्र वर्मा, प्रोफैसर हिंदी विभाग,
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक—124001

□

"मैं राजभाषा भारती की नियमित पाठिका हूं। इसमें प्रकाशित सभी लेख प्रेरणास्पद होने के साथ-साथ राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने में भी बहुत सहायक हैं। अक्तूबर—दिसंबर, 1989 अंक में प्रकाशित डॉ. आर. के. मान द्वारा लिखित "अनुवाद की समस्याएं" लेख बहुत अच्छा लगा। आज कार्यालयों में अनुवाद व अनुवाद की जो स्थिति है, लेख में उसका बिल्कुल सही चित्रण किया गया है। यदि आज का युग "अनुवाद युग" है तो हिंदी को सरल व बोधगम्य बनाना भी अनुवादक का कर्त्तव्य है और यह कर्त्तव्य डॉ. आर. के. मान के शब्दों में तभी पूरा कर सकता है जब उसमें ये तीन गुण हैं —"स्रोत भाषा का गहनज्ञान, लक्ष्य भाषा की सही पकड़ और विषय की पर्याप्त जानकारी"।

—वीणा श्रीवास्तव,
आई. डी. पी. एल. मुख्यालय, डुण्डाहेड़ा,
गुड़गांव—122016

□

"राजभाषा भारती" का प्रत्येक अंक एक से बढ़कर एक निकल रहा है।

"राजभाषा भारती" का अंक-47 पढ़ा। "चिंतन" के अन्तर्गत "राजभाषा हिंदी : समस्याएं और समाधान" पर श्री विश्वंभर प्रसाद गुप्त बंधु का निबन्ध बहुत अच्छा लगा। निबन्ध का पांचवां और छठा पैरा सच्चाई बताते हैं। वास्तव में यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही हिन्दी को अनिवार्य कर दिया जाता तो आज यह स्थिति न होती और हमें कुछ लोगों की नीयत में संदेह भी न दिखाई देता।

—मंगतराम धस्माना, सहायक निदेशक
राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली—66

□

"राजभाषा भारती" अंक 47 में 'चिन्तन, स्तम्भ के अन्तर्गत श्री विश्वंभर प्रसाद गुप्त 'बंधु' का लेख "राज-भाषा हिन्दी : समस्याएं और समाधान" राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में एक खुला दस्तावेज है। इस लेख में लेखक ने गागर में सागर भर कर जहां उन कारणों की विवेचना की है जो हिंदी के मार्ग में बाधक बने हुए हैं, वहीं उन्होंने कुछ ऐसे ठोस सूत्र भी दिए हैं जिन पर चल कर हम राजभाषा के रूप में हिन्दी को निकट भविष्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर सकते हैं। अनुवाद के विषय में भी इस अंक में अच्छे लेख प्रकाशित हुए हैं। पत्रिका में प्रकाशित चित्र यदि श्याम-श्वेत होने की बजाए रंगीन हों तो उससे पत्रिका का रूप और अधिक निखर जाएगा।

—सुभाष चन्द्र लखेड़ा, महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय
हिन्दी परिषद्, सरोजनी नगर, नई दिल्ली—23

□

"राजभाषा भारती" दिन-प्रतिदिन निखर रही है। इसकी सामग्री प्रेरणाप्रद, उपयोगी और संग्रहणीय होती है। राष्ट्रभाषा की सेवा करने के साथ-साथ यह हिन्दी साहित्य में भी मूल्यवान योग देगी, इसमें संदेह नहीं।

एक सुझाव है, राष्ट्रभाषा नागरी लिपि का स्वरूप मानक हो, इसमें दो मत नहीं हो सकते। भाषा के सम्बन्ध में लेख समय-समय पर आते रहते हैं। लिपि के लिए भारत सरकार, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने दो-तीन दशक पहले विचार-विमर्श करके मानक नागरी लिपि का स्वरूप निश्चित किया था। उसका समुचित प्रचार-प्रसार अभी तक नहीं हो पाया। भारत सरकार के प्रेसों में तो विशेषकर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मानक नागरी ही इस्तेमाल की जाए, दूसरी नहीं।

—विश्वंभर प्रसाद "गुप्त बंधु",
बी-154, लोक विहार, रानीबाग, नई दिल्ली—34

□

"राजभाषा भारती का अंक-47 प्राप्त हुआ। प्रथम दृष्टि में ही पुस्तिका की छवि आंखों में बस गई।

"पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य में" स्तम्भ में "अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी और राष्ट्रभाषा हिन्दी" शीर्षक में विद्यार्थी जी के अध्यक्षीय भाषण के शब्दों में आजादी की लड़ाई में हमारे वीरों के ओजस्वी राष्ट्रभाषा प्रेम ने हृदय को रोमांचित कर दिया। खोजपरक इस प्रयास के लिए साधुवाद के पात्र हैं।

—ओ. प्र. मल्होत्रा
आकाशवाणी- बीकानेर—338001

□

"राजभाषा विभाग का यह (राजभाषा भारती) प्रकाशन अपने आप में बेजोड़ है।"

—सुनीत कुमार, उपनिदेशक (राजभाषा)
लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर—302001

□

"राजभाषा भारती का 47 वां अंक पढ़ा। इसमें बहुत ही लाभप्रद लेख पढ़ने को मिले। "पुरानी यादें-नए परिप्रक्ष्य" 'हिन्दी के बढ़ते चरण' में श्री नारायण सिंह खन्ना से बातचीत तथा "बैंकों में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण"—एक अच्छी शुरुआत हैं। श्री वी. एस. वासन से साक्षात्कार बहुत ही प्रेरणाप्रद लगे।

—मोती सिंह, हिन्दी अधिकारी,
आकाशवाणी, जयपुर

□

चिंतन

हिंदी भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप

☐ डा० त्रिभुवननाथ शुक्ल*

1.0 भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप का अर्थ है—विकल्पों का अभाव। इस दृष्टि से हिंदी भाषा के स्वरूप के संदर्भ में विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा का स्वरूप न तो पूर्ण वैज्ञानिक है और न अवैज्ञानिक अपितु विज्ञानोन्मुखी है। कारण कि प्रत्येक स्तर पर बहुविधि एतिहासिक प्रयास करने के बावजूद हिंदी अभी भी विकल्प रहित नहीं हो पाई है। यह हिंदी का संक्रमण काल है। जब कोई भाषा संक्रमण की प्रक्रिया में रहती है तो उसका स्वरूप पूर्णतः मानक अथवा वैज्ञानिक हो पाना संभव नहीं हो पाता क्योंकि उसके नित्य अधुनातन प्रयोगों से विकल्प की एकाधिक स्थितियां स्वतः निर्मित होती रहती हैं।

मैं हिंदी के वैज्ञानिक स्वरूप का मूल्यांकन तीन स्तरों पर करना चाहूंगा। वर्तनी के स्तर पर, व्याकरणिक स्तर पर, सरलीकरण और वैज्ञानिकीकरण के व्यावहारिक स्तर पर।

1.1. वर्तनी के स्तर पर

हिंदी में अब वर्तनी की समस्या नहीं रही। यह पक्ष अब हल हो चुका है। संप्रति तद्विषयक निर्धारित निर्देशों, नियमों अथवा सिद्धांतों के अनुपालन की आवश्यकता है। हिंदी लेखकों और प्रयोक्ताओं को चाहिए कि वे इस विषय में हुए अभी तक के निर्णयात्मक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अथवा उन्हें अपनी आदत में उतार कर लेखन करें। किन्तु ऐसा होता नहीं। हिंदी के अधिकांश लेखकों एवं प्राध्यापकों ने अभी तक हुए सुधारों को न तो देखा है, और न ही देखने की कोशिश करते हैं, यही कारण है कि वे प्रायः अमानक, अशुद्ध एवं भ्रमपूर्ण वर्तनी का प्रयोग कर स्वयं को तो नहीं, किंतु हिंदी को लज्जित करते हैं। यह उसके पूर्ण वैज्ञानिक बनने की सबसे बड़ी बाधा है।

1.1.1. वर्तनी के मानक स्वरूप अथवा शुद्धता की मुख्यतः दो कसौटियां हैं—एक तो तत्कालीन शिष्ट अथवा मानक उच्चारण और दूसरा पारंपरिक रूप। इन दोनों में वर्तनी के लिए परंपरागत रूप को स्वीकार करना अधिक समीचीन होगा, मगर कहां? केवल वैकल्पिक स्थिति में। कुछ लोगों में अभी भी जो यह धारणा बनी हुई है कि वर्तनी की शुद्धता मुख्यतः शुद्ध उच्चारण पर निर्भर होती है—यह असंगत और अवैज्ञानिक है कारण कि उच्चारण के अनुरूप लेखन न तो संभव है और न ही दोनों का ऐसा कोई संबंध हो। लिखना और बोलना भाषा के दो अलग-अलग कौशल हैं। अतः हमें इन्हें एक मानकर भ्रम की स्थिति का निर्माण नहीं करना चाहिए। हां, इन दोनों में यदि कहीं संबंध जोड़ा जाना चाहिए तो वह व्याकरणिक स्तर पर। जैसे 'तत्त्व' शब्द को लें। कुछ लोग इसे 'तत्व' लिखते हैं। इसके लिए उनके अपने अव्याकरणिक कुतर्क भी हैं। किंतु व्याकरणिक दृष्टि तत्-त्व—'तत्त्व' होगा न कि 'तत्व'। क्योंकि 'त्व' भाव वाची प्रत्यय है। अन्य समाधान भी हैं जैसे हम उच्चारण करते हैं—रिशि' और लिखते हैं—'ऋषि'। अगर कोई कहे कि मैं तो रिशि ही लिखूंगा, क्योंकि वह उच्चारणानुरूप है, तो यह उसका उपर्युक्त कोटि का अज्ञान ही कहा जाएगा। किसी भी लिपि के लिए, यह संभव नहीं है कि जैसा उच्चारण किया जाए ठीक वैसा ही लिखा भी जाए। अतः हमें दुराग्रहों से बचना चाहिए।

1.1.2. हिंदी वर्तनी में एकरूपता लाने की दृष्टि से संस्थागत, शासन द्वारा और व्यक्ति स्तर पर कई प्रयास हुए हैं। इनमें अखिल भारतीय प्रकाशक संघ का प्रारूप (1960), भारतीय हिंदी परिषद् का प्रारूप (फरवरी 1961), केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्णीत प्रारूप (अप्रैल 1961) और स्वर्गीय आचार्य किशोरी दास बाजपेई का हिंदी वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण (मार्च 1968) उल्लेखनीय प्रयास कहे जा सकते हैं।

*रीडर, हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म० प्र०)

1.1.3. कुल मिलाकर हिंदी वर्तनी को काफी हद तक मानक बनाया जा चुका है। यह बात और है कि उसका मानक रूप अभी तक पूरी तरह प्रचारित नहीं हो पाया है अतः सभी लोग उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप कुछ विकल्पों तथा उनमें से मानक (स्टैंडर्ड) माने गए रूपों को देखा जा सकता है :—

'हुआ' का एक अन्य विकल्प 'हुवा' भी मिलता है किंतु मानक है—'हुआ'। जाएगा के विकल्प हैं—जावेगा, जायेगा (य पर ए की मात्रा) और जायगा किंतु इनमें से जाएगा (स्वर ए वाला) ही मानक है। इसी प्रकार गए, गये, गई, गयी, लिए लिये को देखा जा सकता है। 'ए' स्वर रूप को संस्कृत गम धातु विधि लिंग गच्छेद्, गच्छेताम् गच्छेयुः के आधार पर मानक माना गया है।

1.1.4. कुछ ऐसे भी विकल्प हैं जिनका आज तक मानकीकरण नहीं किया जा सका है जैसे—गरदन : गर्दन, गरमी : गर्मी, बरफ : बर्फ, सरदी : सर्दी, फुरसत : फुर्सत आदि।

विद्वत्समाज में दोनों रूपों की एक सी मान्यता है। मेरी दृष्टि में रेफ युक्त रूपों का प्रयोग ही अधिक उपयुक्त होगा। कारण कि इन प्रचलित शब्द के मूल में एक व्याकरण अथवा अनुशासन कार्य करता है। भले ही उसका सहज में हमें ज्ञान न हो। जैसे—'र' के प्रयोग के विषय में शिक्षा ग्रंथ में एक श्लोक मिलता है।

स्वरं दृष्टवा ह्यधोयाति व्यंजनोपरि गच्छति।
अवसाने विसर्गः स्यात् त्रयो रेफस्य वै गतिः।

तात्पर्य यह है कि स्वर के आने पर 'र' अर्थात् रेफ नीचे (्र) प्रयुक्त होगा जैसे राष्ट्र में, व्यंजन आने पर ऊपर (र्) जैसे 'गर्दन' में और अंत में विसर्ग (:) हो जाता है जैसे—अन्तरकरण का अन्तःकरण आदि में।

अतः स्पष्ट है कि गर्दन, गर्मी, बर्फ आदि रेफ युक्त रूपों को ही मानक माना जाना चाहिए न कि गरदन, गरमी, बरफ आदि।

1.1.5. स्पष्ट है कि हिंदी वर्तनी में एकरूपता लाने की दृष्टि से लगभग दो दशक पूर्व निर्णीत उपर्युक्त प्रारूपों नियमों के अनुपालन में प्रमाद दिखाने के कारण हम आज तक कई त्रुटियां करते हुए अपनी वर्तनी को बोझिल और दुरूह बना रहे हैं इन नियमों को ध्यान में न रखने के कारण अनर्थकारी भूलें कर जाते हैं। कुछ उदाहरण ले सकते हैं—हंसी-हंसी। पहले का अर्थ है—मादा हंस और दूसरे का अर्थ है—हंसी आना। अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर न करने पर हंसी आती है की जगह पर हंसी आती है जैसे अनर्थकारी प्रयोग संभव हैं। अतः हमें सचेष्ट होकर नियमानुसार लिखने की आदत बनानी होगी। एक बार आदत में आ जाने पर फिर इस प्रकार की भूलें नहीं होंगी।

1.2. व्याकरण के स्तर पर वैज्ञानिकता

व्याकरण के क्षेत्र में हिंदी मानकता का प्रयास 19वीं शताब्दी से उत्तरोत्तर होता रहा। 20वीं सदी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से सक्रिय प्रयास किया बाद में आचार्य कामता प्रसाद गुरू, आचार्य किशोरीदास बाजपेयी और श्री रामचन्द्र वर्मा ने इसे पुरस्सर किया। कुल मिलाकर इसका काफी मानकीकरण हो चुका है। व्यापक क्षेत्र की भाषा होने के कारण विकासशील भाषाओं की तरह हिंदी में भी अमानक रूप प्रयोग में आते जा रहे हैं। वस्तुतः जीवित भाषा के मानकीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः यदि उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा हो तो, कभी समाप्त नहीं होती। वही स्थिति हिंदी की है। उसका मानकीकरण हुआ है और आगे होता रहेगा।

व्याकरण में इधर मानकीकरण की दृष्टि से अनेक विकल्पों में एक का चयन और मानक हिंदी के लिए उसका स्वीकरण एक सीमा तक हुआ है। उदाहरण के लिए : —

संज्ञा के रूप में—

धोबिन व धोबन में से 'धोबिन' को मानक माना गया है। मुझे, मुझको, मेरे को में से मुझे और मुझको को मानक माना गया है क्रिया रूप में—किया और करा में से किया को मानक माना गया है। क्रिया विशेषण के अंतर्गत खाकर, खाके, खाकरके में से 'खाकर' को मानक माना गया है।

हिंदी के कुछ सामान्य शिक्षित व्यक्ति यह जानते हैं कि कहाँ 'ण' का प्रयोग किया जाए और कहाँ न का अथवा कहाँ 'श' का प्रयोग और कहाँ 'स' का। लेखन में वे इस अंतर को सही ढंग से व्यक्त करते हैं पर उच्चारण के धरातल पर वे इन्हें एक जैसा ही बोलते पाए जाते हैं। अन्विति का नियम न जानने के कारण कुछ लोग ऐसा वाक्य बोलते —मोहन ने सोहन से किताब को खरीद ली। 'ने' प्रयोग के नियम को न जानने के कारण कुछ विद्यार्थी ऐसा बोलते हैं—उसने रोया, उसने बोला, वह कहा।

अशुद्धियों से बचने के लिए यह जरूरी है कि उसके प्रयोक्ता यह जानें कि कौन से भाषा प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से सुगठित और लोक व्यवहार की दृष्टि से स्वीकार्य है।

1.3.1. सरलीकरण और वैज्ञानिकीकरण

हमारे विचार का तीसरा स्तर है—सरलीकरण और वैज्ञानिकीकरण का। जबसे संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है उसकी सरलता

की समस्या अनेक प्रकार से अनेक क्षेत्रों से हमारे सामने आ रही है बात तर्कसंगत भी है क्योंकि राज जनता का है और राजभाषा के गौरव की अधिकारिणी वही हो सकती है जो जनता की भाषा हो। जनता की भाषा निश्चय ही सरल होनी चाहिए। क्योंकि जनता का निर्माण जिस विराट जन समूह से होता है वह न विदग्ध होता है और न पंडित। हिंदी से जो सरलता की मांग की जाती है वह अकारण नहीं है। सरलता उसका दायित्व है और इसे उसका सहज गुण बन जाना चाहिए। सरलता का क्या अर्थ है, वे कौन से तत्त्व हैं जिससे सरलता का निर्माण होता है, यह निर्णय करना सरल नहीं है। फिर भी हम सरल भाषा उसे कहेंगे जो स्वाभाविक हो, जिसकी वाक्य रचना सीधी और सुलझी हुई हो—जिसमें किसी प्रकार की जटिलता और उलझन न हो अर्थात् वाक्य छोटे और सीधे हों। जिनमें किसी प्रकार का घुमाव या पेच न हो। जिसमें किसी प्रकार का आडंबर अलंकरण और वक्र प्रयोग न हो। जो अभीष्ट अर्थ को—मन की बात को ठीक-ठीक और बिना छल-छद्म के व्यक्त कर सके।

इसके अलावा भाषा की सरलता तो सिर्फ शब्दों, मुहावरों परिभाषाओं आदि से ही नहीं हो जाती वह तो सामाजिक शब्दों के कम प्रयोग, छोटे-छोटे वाक्यों के अधिकाधिक इस्तेमाल, प्रचलित रूपों के समुचित व्यवहार आदि से भी होती है। उसमें उम्र, क्षेत्र, पृष्ठ भूमि, अनुभवों की व्यापकता आदि का भी हाथ होता है—दोनों ओर बोलने-लिखने और सुनने-पढ़ने वाले सभी में पीढ़ियों का अंतर भी अपना असर रखता है। इस दिशा में बहुत कुछ सोचा जाना चाहिए और काफी कुछ किया जाना बाकी है। सिनेमा, रेडियो टी.वी., सरकारी और बैंकों के कामकाजी फार्म, विज्ञापन आदि सभी अगर इसका ध्यान रखेंगे, तो साहित्यकार, पत्रकार पूरी कोशिश करेंगे, तो धीरे-धीरे अपने सारे रूप भेदों और प्रयोग भदों के बावजूद सामंजस्य की प्रक्रिया में हिंदी का सरलीकरण भी होता जाएगा। किंतु हमें इसमें ध्यान देना होगा कि इस सरलता के पीछे हमारी वैज्ञानिकता नष्ट न होने पाए। सरलता के कारण यदि दरिद्रता के आने का खतरा हो तो वह हमें स्वीकार नहीं! सरलता और समृद्धि दोनों चाहिए।

1.3.2. शब्दावली के स्तर पर वैज्ञानिकता

हिंदी के माध्यम से संक्षिप्तीकरण की पूर्ति अंग्रेजी भाषा से भी अधिक सहज ढंग से की जा सकती है। यहाँ उदाहरणार्थ भारतीय रेल के कुछ पदनामों के संक्षिप्त रूपों को दिया जा रहा है—

General Manager	GM
महाप्रबंधक—	—महाप्र
Chief Mechanical Engineer	CME
मुख्य यांत्रिक इंजीनियर	—मुयांजी
Chief Engineer	CE
मुख्य इंजीनियर—	—मुइंजी
Chief Commercial Superintendent	CCS
मुख्य वाणिज्य अधीक्षक—	—मुवाधी
Chief Signal & Tele. Communication Engineer	CSTE
मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजी—	—मुसिदूइंजी
Financial Advisor & Chief Accounts Officer	FA&CAO
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधि—	—विस मुलेधि
Chief Operating Superintendent	COPS.
मुख्य परिचालन अधीक्षक—	—मुपवाधी
Chief Medical Officer	CMO
मुख्य चिकित्सा अधिकारी—	—मुचिधि
Controller of Stores	COS
भंडार नियंत्रक	—भंडानिक
Chief Electrical Engineer	CEE
मुख्य विद्युत इंजीनियर—	—मुविजी
Chief Claims Officer	CCO
मुख्य दावा अधिकारी—	—मुदाधि
Chief Personnel Officer	CPO
मुख्य कार्मिक अधिकारी	—मुकाधि
Welfare Officer	WO
कल्याण अधिकारी—	—कल्याधि
Dy. Chief Personnel Officer	Dy CPO
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी	—उमुकाधि
Superintendent Printing & Stationary	SPS
अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री	—मुद्रलेसाधी
Chief Administrative Officer	CAO
मुख्य प्रशासन अधिकारी	—मुप्रधि
Chief Public Relation Officer	CPRO
मुख्य जन संपर्क अधिकारी	—मु ज. संधि
Chief Language Officer	CLO
मुख्य राजभाषा अधिकारी	—मुराधि

मंडल

Divl. Rail Manager	DRM
मंडल रेल प्रबंधक	—मंरेप्र
Divl. Mechanical Engineer	DME
मंडल यांत्रिक इंजीनियर	—मयांजी
Divl. Engineer	DEN
मंडल इंजीनियर	—मइंजी
Divl. Commercial Supdt.	DCS
मंडल वाणिज्य अधीक्षक	—मवाधी

(जारी पृ० 8)

प्रयुक्ति

☐ डा. कैलाशचन्द्र भाटिया डी. लिट्.

वास्तव में भाषा ही मानव जीवन की प्रत्येक अभिव्यक्ति की पूर्ति हेतु काम में लाई जाती है। आज अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का कामकाजी स्वरूप उभर सके इसकी महती आवश्यकता है। भाषा का कामकाजी रूप ही हिंदी के वास्तविक प्रयोजन को सिद्ध कर सकेगा। कामकाजी रूप भाषा में तब प्रकट होता है जब प्रत्येक क्षेत्र में उसका व्यवहार किया जाए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भाषा के माध्यम से संप्रेषण किया जाए भाषा पहले से व्यापक क्षेत्र में विद्यमान रहती है, उसमें साहित्य-शिष्ट तथा लोक दोनों प्रकार की रचना होती रहती है फिर भी व्यावहारिक क्षेत्र में जिस भाषा का प्रचलन हो जाता है उसके प्रयोग में सुविधा रहती है जिसके फलस्वरूप जनभाषा को वह रूप नहीं मिल पाता। संभ्रांत समाज में जनभाषा का प्रयोग करने की हिचक व झिझक बनी रहती है।

"भाषा" समाज के मनोभावों को प्रतिबिम्बित करती है। इस तथ्य की ओर पं. जवाहर लाल नेहरू ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा :

> "मेरा विश्वास है कि लगभग हर चीज की बनस्बित भाषा किसी राष्ट्र के चरित्र की ज्यादा बड़ी कसौटी है। अगर भाषा शक्तिशाली और जोरदार होती है तो उसका इस्तेमाल करने वाले लोग भी वैसे ही होते हैं, अगर वह छिछली, लच्छेदार और पेचीदा है तो उसे बोलने वाली प्रजा में वही लक्षण देखने को मिलेंगे, बेशक, ज्यादा सच्चे ढंग से यह कहना चाहिए कि प्रजा के लक्षण भाषा में देखने को मिलते हैं क्योंकि भाषा को बनाने वाले लोग ही होते हैं लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि भाषा लोगों को बनाती है। जो भाषा ठीक-ठीक या यथार्थ होती है वह लोगों को ठीक-ठीक विचार करने वाली बनाती है। शब्दों या वाक्यों में अर्थ की यथार्थता और निश्चितता न होने से विचारों की गड़बड़ पैदा होती है और उसके परिणामस्वरूप काम भी वैसा ही होता है।"

यह विचार कोई बहुत नए नहीं हैं, कुछ शताब्दी पूर्व डी. येनिश ने भी कहा था कि "भाषा मात्र वस्तु नहीं, मानव जाति की बौद्धिक एवं नैतिक जीवन की अभिव्यक्ति है। मनुष्य की अभिलाषाओं, भावनाओं और सांस्कृतिक प्रगति के साथ उसमें तदनुरूप परिवर्तन होते रहे। माधुर्य, सूक्ष्मता, शक्ति, स्पष्टता एवं ओज से सम्पन्न होना जीवित भाषा का अनिवार्य लक्षण है। यही लक्षण निरन्तर विकसनशील एवं प्रबुद्ध जनजाति का भी होता है। सफल भाषा ही पूर्ण भाषा हो सकती है और पूर्ण भाषा ही सफल भाषा बन सकती है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार तथा विचारक अज्ञेय की मान्यता है कि "भाषा कल्पवृक्ष है। जो उससे आस्थापूर्वक मांगा जाता है, भाषा वही देती है। उससे कुछ मांगा ही न जाए तो क्योंकि वह पेड़ से लटका हुआ नहीं दीख रहा है तो कल्पवृक्ष भी कुछ नहीं देता।"

इस प्रकार भाषा का विकास सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है और भाषा सेवा-माध्यमों से जुड़ जाती है। भाषा व्यक्ति से हटकर समाज सापेक्ष हो जाती है। भाषा के विकास से तात्पर्य "आधुनिकता" से भी है और "भाषा" की "आधुनिकता" के अन्तर्गत मुख्यतः समाहित है :

1. शब्दावली में वृद्धि
2. नई शैली तथा अभिव्यक्तियों का विकास।

सामान्य स्तर पर भाषा का स्वरूप एक है पर कामकाजी रूप में भाषा का व्यावहारिक पक्ष उभर कर आता है और प्रयोग के प्रत्येक क्षेत्र में उसका व्याकरण भी कुछ भिन्न हो सकता है, शब्दावली तथा अभिव्यक्तियां तो भिन्न होती ही हैं। प्रयोग/विषय के अनुकूल भाषा रूपों को ही "प्रयुक्ति" (रजिस्टर) की संज्ञा दी गई है। कामकाजी भाषा के जितने विविध क्षेत्र होंगे "प्रयुक्ति" के भी उतने ही विविध रूप होंगे। प्रयुक्तियों में भेद विषयगत तथा प्रयोगगत होता है। "बैंक" की भाषा न्यायालय में प्रयुक्त विधि की भाषा से भिन्न होगी पर "अर्थशास्त्र" आर्थिक कार्य विभाग" की प्रयुक्ति अधिक व्यापक होगी जिसमें बैंकों में प्रयोग आने वाली शब्दावली/अभिव्यक्तियां भी सम्मिलित होंगी। किसी विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होने के कारण सामान्य भाषा-मानक भाषा-विशिष्ट भाषा बन जाती है। विशिष्ट भाषा के रूप में

* नन्दन, भारती नगर, मौरस रोड, अलीगढ़-202001

विकसित होने की प्रक्रिया "विशिष्टीकरण" कहलाती है ।

"भाषा प्रयुक्ति" भी कामकाजी हिंदी में प्रयोग स्तर पर दो प्रकार के स्वरूप ले लेती है—भाषा प्रयुक्ति शैली तथा भाषा प्रयुक्ति । शैलीगत भेद भी महत्वपूर्ण होता है । एक ही शब्द के स्थान पर अनेक प्रचलित पर्यायों में से उपयुक्त शब्द का चुनाव करना पड़ता है जिसे शैलीविज्ञान में "चयन" की संज्ञा दी गई है । उदाहरणार्थ अंग्रेजी शब्द आउटस्टैंडिंग के लिए अनेक शब्द मिलते हैं—असाधारण, अनुपम, अनूठा, बेजोड़, बेमिसाल, अपूर्व । अंग्रेजी के एक ही शब्द के लिए भिन्न संदर्भों में सर्वथा भिन्न शब्द प्रयोग में लाया जाएगा जैसे "आर्डर" के लिए "क्रम" कहीं "आदेश"। इसी प्रकार "पोजीशन" के लिए कहीं "पद" "ओहदा" और कहीं "स्थिति-अवस्थिति" ।

संदर्भ के अतिरिक्त भाषा का शैलीगत रूप भी चयन में सहायक सिद्ध होता है ।

'प्रयुक्ति' वही अच्छी समझी जाती है जिसमें प्रयुक्त शब्दावली/अभिव्यक्ति, संदर्भानुसार सर्वाधिक उपयुक्त हो । जितनी जीवन्त भाषा होगी, शैली-भेद उतने ही अधिक होंगे। इस दृष्टि से भाषा की प्रकृति और संरचनागत विशेषताओं को भी ध्यान में रखना होगा ।

"व्यावहारिक व्याकरण" में भाषा के उन प्रयोग-क्षेत्रों को समाहित किया जाता है जो सर्वाधिक जनोपयोगी हैं क्योंकि उससे सीधे सम्प्रेषण की समस्या जुड़ी हुई है। अगर "प्रयुक्ति, के द्वारा सम्प्रेषण बोधगम्य नहीं होगा तो ऐसी प्रयुक्तियां चाहे सरकार कितने ही बलपूर्वक चलाए जन सामान्य में प्रचलित नहीं हो सकेंगी । आज "राजभाषा" के रूप में कार्यालयों में जिस प्रकार की "अनुवाद पर आधारित भाषा" को चलाया जा रहा है वह चाहते हुए भी कम ही प्रचलित हो पा रही है ।

> "ओश विक्रयार्थ जिन यानों का प्रस्तुवन किया गया है, वे परम्परागत प्रकार चार गुणा दो और पांचवीं श्रेणी की संसूचित की गई हैं ।"

विशेष प्रयोजन के लिए भाषा का स्वरूप भिन्न होता है और होता जाता है जैसे विधि, राजनीति, अध्यापन, शासन में प्रयुक्त भाषा से पत्रकारिता की भाषा सर्वथा भिन्न होगी और पत्रकारिता में भी "विज्ञापन" की भाषा सरलतम, सहज तथा सटीक होगी अन्यथा बोधगम्य न होने पर प्रभावशून्य हो जाएगी ।

"रजिस्टर" के अधिकारी विद्वान सुप्रसिद्ध भाषाविद् डा. शिवेन्द्र किशोर वर्मा के अनुसार—

> "विषय क्षेत्र से संबंधित प्रयुक्ति उस भाषा भेद को देखती है जिसमें भाषा का प्रयोग जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है । इस प्रकार के भाषा-रूप का प्रयोग क्योंकि किसी विशेष प्रयोजन से किया जाता है इसलिए इसे 'विशिष्ट प्रयोजन की भाषा' भी कहा गया है ।"

वास्तव में विषय (विधि, कानून प्रशासन, कार्यालय, व्यापार, पत्रकारिता) के आधार पर "प्रयुक्तियां" बनती हैं। उन की पारिभाषिक शब्दावली तथा भाषा संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। इस विशेष प्रयोजन की भाषा का प्रयोग जितने विषयों में होता है उतनी ही प्रयुक्तियां बनती हैं । यही कारण है कि रजिस्टर की संकल्पना के प्रारंभकर्ता श्री हैलिडे ने स्पष्ट शब्दों में इसे "विषय क्षेत्र" (वार्ता क्षेत्र) (Field of Discourses) कहा है।

विषय के अनुसार भाषा प्रयुक्ति से यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि वह सामान्य जनता से अलग-थलग हो जाए । विशेषज्ञों के माध्यम से मात्र अनुवाद पर आधारित 'भाषा का रूप' जन सामान्य से कटकर यदि चलेगा तो वह वस्तुतः बहुत अधिक सीमित क्षेत्र की भाषा ही रहेगी, जैसे 'अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधोलिखित कार्यों के निष्पादनार्थ, विक्रयार्थ' जैसे रूप उचित नहीं हैं । अतः साधारण जनता में यह भाषा नहीं चल सकेगी । यह बात पहले भी कही जा चुकी है ।

प्रयुक्तियां कामकाजी भाषा के अंतर्गत आती हैं या कहें कामकाजी भाषा विभिन्न क्षेत्रों की प्रयुक्तियों का ही सामूहिक रूप है। कामकाजी हिंदी के कई क्षेत्र हो सकते हैं जो साहित्यिक हिंदी से भिन्न होंगे, जैसे तकनीकी, जिसमें विज्ञान के सभी विषय भी सम्मिलित होंगे, विधि तथा प्रशासन (कार्यालय) व्यावसायिक (वाणिज्य) तथा जनसंचार के माध्यम के रूप में जिसमें पत्रकारिता विज्ञापन, रेडियो-दूरदर्शन, फिल्म, पोस्टर आदि सम्मिलित हैं ।

यहां उदाहरणार्थ 'गुणावस्था-गुणवत्ता (क्वालिटी) से संबंधित कुछ "प्रयुक्ति" दी जा रही हैं जिनमें से कुछ शब्दावली और कुछ अभिव्यतियां हैं :—

Natural tolerances	—प्राकृतिक सहन सीमाएं
Nature of quality protection	—गुणावस्था बचाव के प्रकार
Nested Sampling	—समावेशी प्रतिचयन
Nominal value	—सांकेतिक मान
Normal deviates	—प्रसामान्य विचल
Sampling plans	—प्रतिचयन योजनाएं
One Sided Confidence	—एकतरफ़ा विश्वास
One stage sampling	—एक अवस्था प्रतिचयन
Out of Control Points	—नियंत्रण के बाहर के बिन्दु
Overall Variability	—व्यापक चरता
Overhead	—ऊपरी
Overhead cost	—बंधी लागत

Patrol inspection —गश्ती निरीक्षण
Periodic selection —आवर्ती चयन
Permissible cost —अनुमेय लागत
Permissible limit of error —त्रुटियों की अनुमेय सीमाएं
Out side control limits —नियंत्रण सीमाओं के बाहर
Precision of experiment —प्रयोग की सूक्ष्मता
Pre-requisite —पूर्व-अपेक्षित
Previous data available —प्राप्य पूर्व आंकड़े
Probability level —सम्भावित स्तर
Procedure —क्रियाविधि
Process —प्रक्रिया
Prominently —प्रमुख रूप से
Proportion of lots —ढेर (लाट) का अनुपात
Quality attainable —उपलब्धि योग्य गुणावस्था
Quality desired —वांछित गुणावस्था
Quality deterioration —गुणावस्था में कमी
Quality standard —गुणावस्था मानक
Random cluster sampling —यादृच्छिक गुच्छ प्रतिचयन
Range method —सीमांतर विधि
Rare —विरल
Record of Quality of Product —पदार्थ की गुणावस्था का अभिलेख
Region of acceptance —स्वीकार्यता का क्षेत्र
Refinements —परिष्कार
Relative importance —सापेक्ष महत्त्व
Repeated sampling —पुनरावृत्त प्रतिचयन
Sample quality —प्रतिदर्श गुणावस्था
Sampling efficiency —प्रतिचयन क्षमता
Screening inspection —छांटनेवाला निरीक्षण
Sequential analysis —अनुक्रमिक विश्लेषण
Standard deviation —मानक विचलन
Testing of mean —औसत का परीक्षण
Typical curve —प्रतिरूपी वक्र
Unavoidable —अपरिहार्य
Univariate distribution —एकचर बंटन
Variable Control limits —चर नियंत्रण सीमाएं
Visual comparison —दृष्टिक (दृश्य) तुलना
Weightage —भार

इस प्रकार सहस्रों शब्दों/अभिव्यक्तियों की यह प्रयुक्ति मात्र "गुणावस्था" की होगी।

"गुणावस्था"—गुणवत्ता से संबंधित कोई गद्यखंड इस प्रकार लिखा जाएगा :—

गुणवत्ता नियंत्रण—अच्छी तथा टिकाऊ कांक्रीट के लिए बहुत आवश्यक है। यह कार्य शुरू होने से लेकर अंत तक बराबर चलता रहना चाहिए। जबसे कार्य स्थल पर सामग्री आनी प्रारंभ होती है, यह प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। अच्छी सामग्री, सुनिश्चित कर लेने पर भी यदि उसे ठीक प्रकार से भण्डारित नहीं किया जाता तो उसकी गुणता पर प्रभाव पड़ता है।

गुणवत्ता पर अपर्याप्त नियंत्रण :—सामग्री का सुचारू रूप से ग्रेडिंग न किया जाना, असावधानीपूर्वक की गई अपर्याप्त कुटाई या तराई आदि।

स्पष्ट है, उपर्युक्त उदाहरण में गुणवत्ता की शब्दावली के साथ-साथ सिविल इंनिजीयरिंग की भी शब्दावली अभिव्यक्तियां हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस क्षेत्र विशेष के साथ गुणवत्ता जुड़ी होगी, दोनों की मिली-जुली "प्रयुक्तियां" होंगी। □

शब्द और अर्थ के आयाम

□डॉ. नरेश कुमार*

पतंजलि ने शब्द के लिए चार बातों का होना आवश्यक माना है—शब्द का उच्चरित, श्रव्य, बुद्धिग्राह्य और अर्थ-बोधक होना। वस्तुतः भाषा की जिस स्वतंत्र इकाई के बोलने से किसी अर्थ का आभास होता हो, उसे शब्द कहा जा सकता है। शब्द, ज्ञान के संप्रेषण का साधन है। शब्द किसी संकल्पना का प्रतीक होता है और वह सत्य का ज्ञान कराता है। शब्द में शक्ति (Force) होती है और वह आक्रोश को व्यक्त करता है। पहले मन में कोई विचार आता है और उस संकल्पना को हम शब्द का रूप देते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थ ही शब्द का उत्पादक है। दूसरी ओर अर्थ की अभिव्यक्ति भी शब्द से होती है। इस प्रकार शब्द, अर्थ का व्यंजक है और अर्थ, व्यंग्य है। शब्द आभूषणों के समान हैं और अर्थ अपने सहज सौंदर्य के कारण मोहक एवं आकर्षक होता है। अर्थ अग्नि की उष्मा के समान गतिशील, पुष्प की तरह हल्का, सुगंध के समान सूक्ष्म, वृक्ष के फल के समान प्रयोजनयुक्त एवं पक्षी के समान आकाशचारी है।

शब्द और अर्थ का संबंध एक समझौता है। इन दोनों के बीच का संबंध समाज द्वारा निश्चित किया जाता है। भौतिक पदार्थों और मनुष्य के मन के बीच एक संकल्पना होती है। पतंजलि ने शब्द को अर्थ से अपृथक् कहा है। 'वाक्यपदीय' में शब्द और अर्थ का संबंध नित्य माना गया है, किंतु यह संबंध सामाजिक परंपराओं के अनुरूप समाज सापेक्ष और सामयिक होता है उदाहरणार्थ, अंग्रेजी 'You' शब्द 'आप' का पर्याय है किंतु 'आप' अभिधार्थ के साथ-साथ सामाजिक अर्थ (आदर प्रदर्शित करना) को भी द्योतित करता है और वक्ता तथा श्रोता के संबंध को निश्चित करने में सहायक होता है।

प्राचीन ऋषियों ने शब्द को ब्रह्म कहा है। शब्द सजीव हैं, वे घिसते रहते हैं और अपने परिवर्तित रूप में अपने विकास की कहानी संजोए रखते हैं। शब्द ब्रह्म के मर्म तक वही विद्यानुरागी पहुंच सकता है जिसने शब्दार्थ की साधना का कठिन व्रत लिया हो। प्रयोग एवं प्रसंग से शब्द का अर्थ पुष्ट होता है और प्रसंगानुसार अर्थ की छटा बदलती रहती है। शब्द में सामान्य अर्थ तो सदैव एक सा रहता है, किंतु विशेष अर्थ संदर्भगत होने के कारण अनेकार्थता को प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, 'मधुर' का सामान्य अर्थ 'मीठा' है किंतु तुलसीदास ने नेत्रों को सुंदर लगने[1] और 'हल्के' के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया है। कालिदास ने भी सुंदर वस्तु के अर्थ में 'मधुर' का प्रयोग किया है[2]।

संदर्भात्मक अर्थ अभिधा शक्ति द्वारा बोधगम्य होने के कारण निश्चित-सा रहता है क्योंकि टीकाकार उसे प्रयोग, व्युत्पति आदि विभिन्न स्रोतों से पुष्ट करता है। इसमें इतिहास, कला, पुरातत्त्व और भाषाविज्ञान का समन्वय रहता है किंतु भावात्मक (Emotive) अर्थ लक्षणा एवं व्यंजना पर निर्भर होने तथा संदर्भ की सापेक्षता में व्यंजित होने और अर्थ-संभावनाओं की व्यापकता के कारण अनिश्चित होता है, इसमें टीकाकार की मौलिक सूझबूझ का अधिक योगदान होता है तथा यह सांकेतिक और प्रतीकात्मक होता है। विशिष्ट योग्यतायुक्त प्रतिभाशाली साहित्यकार ही भावात्मक अर्थ के उद्घाटन में सफलता प्राप्त कर सकता है।

शब्दार्थ का अपना इतिहास होता है। कहीं शब्द के अर्थ में व्यापकता के स्थान पर अर्थ का संकोच होता है तो कहीं अर्थांतरण की प्रक्रिया प्रभावी होती है। संस्कृत का 'चक्र' शब्द गोलाकार वस्तु के अर्थ में व्यापक है, यथा-रथचक्र, सुदर्शनचक्र आदि; किंतु इससे विकसित 'चकक' (रथ का चक्का), कुम्हार का 'चाक', पीसने की चक्की (सं. चक्रिका), 'चरखी' (पहिए की तरह घूमने वाली वस्तु, सं. चक्री) आदि शब्द अर्थ-संकोच के प्रमाण हैं। संस्कृत 'जङ्गल' 'निर्जन स्थान' के व्यापक अर्थ को अपने में समेटे हुए है, किंतु अपभ्रंश साहित्य में वन में शिकार से प्राप्त

*जे-235, पटेल नगर, प्रथम, गाजियाबाद

[1]सोइ जानकीपति मधुर मूरित मोदमय मंगलमई।
मधुर मधुर गरजत घन घोरा।

[2]किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्,
अभिज्ञान शाकुन्तल, अंक, 1, श्लोक 19

मांस को भी जंगल कहा गया है—"जंगलु असंतु वणु रक्खसु मारिउ णरण पत्तु" अर्थात् मांस का भोजन करने वाला वन राक्षस मारा गया और नरक को प्राप्त हुआ। [1]हिंदी शब्द सागर में भी 'जंगल' शब्द का अर्थ **'मांस' दिया गया है।**

सं. चतुष्कम् शब्द 'चार के समूह' का वाचक है किंतु इससे हिंदी में विकसित शब्द 'चौका' (रसोई का स्थान पत्थर का चौकोर टुकड़ा), चौकी (काठ या पत्थर का चौकोर आसन, सं. चतुष्किका) आदि विभिन्न संकुचित अर्थ रखते हैं। संस्कृत 'हरितालो' शब्द 'ह' रंग की वस्तुओं की पंक्ति' का द्योतक है किंतु 'देशी नाम माला' में 'हरिआली' का अर्थ 'दूब' तक सीमित है। हिंदी के मुहावरे 'हरियाली सूझना' (चारों और आनंद ही आनंद दिखाई पड़ना) में प्रयुक्त 'हरियाली' शब्द लाक्षणीक अर्थ प्रदान करता है।

विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त शब्द कभी-कभी सामान्य अर्थ के वाचक हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, 'कमल से युक्त सरोवर को 'पुष्करिणी' कहा गया किंतु अपभ्रंश, साहित्य, यथा—पउमचरिउ' में प्रयुक्त 'पोकखरिणी' और 'उक्ति व्यक्ति प्रकरण में प्रयुक्त 'पोखरि' समस्त तालाबों के वाचक बन गए चाहे वे कमल से युक्त हो या न हो। 'गांडीव' का अर्थ अर्जुन के धनुष के अर्थ तक सीमित था, किंतु हेमचंद्र की 'देशी नाम माला' में धनुष का वाचक हो गया।

शब्द और अर्थ का संबंध सामयिक होता है। वैदिक संस्कृत में मृग' का अर्थ 'सिंह' था। लौकिक भाषा में यह सभी पशुओं के लिए प्रयुक्त होने लगा। यथा—'मृगाणां च मृगेन्द्रोऽह्म" (गीता) अपभ्रंश में 'मिग' का अर्थ—'हिरण'[2] संकुचित हुआ और साथ ही 'जानवर'[3] के अर्थ में अर्थ विस्तार भी।

अर्थांतरण में अर्थ कहीं का कहीं जा सकता है, उदाहरणार्थ—संस्कृत धातु ग्रह का अर्थ 'ग्रहण करना पकड़ना; अधिकार जमाना' है, किंतु अर्थातरण के कारण 'ग्रहण' पिशाच और अवांछित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ। उल्लेखनीय है कि अपभ्रंश साहित्य में 'गह'—पिशाच' (महापुराण) एवं 'दुष्ट प्रेत की पकड़' (पउमचरिउ) के अर्थ में प्रयुक्त है।

व्युत्पत्ति प्रकरण सापेक्ष होती है। अतः व्युत्पत्ति देते हुए भी अर्थ पर सतत दृष्टि रखनी होती है। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं और तदनुसार उनकी व्युत्पत्ति भी भिन्न-भिन्न होगी। उदाहरणार्थ, प्राणियों में संकल्प-विकल्प करने वाली शक्ति 'मन' का विकास सं. मनस से हुआ है जबकि चालीस सेर के वजन के अर्थ में 'मन' शब्द फारसी से गृहीत है। जो व्यक्ति अर्थ को दृष्टि में रखे बिना केवल रूप साम्य के आधार पर शब्दों की व्युत्पत्ति बताते हैं, उनका प्रयास सदैव भ्रामक ही होगा।

सारांश यह है कि शब्द और अर्थ में संबंध का नियामक लोक है। समाज द्वारा स्वीकृत शब्द और अर्थ के संबंध का आधार बनाकर लोकव्यवहार चलता है। यह संबंध नैसर्गिक नहीं है अपितु देशविशेष तथा समय विशेष से नियमित होता है। प्रारंभ में व्यक्ति-विशेष या वर्ग-विशेष द्वारा किसी वस्तु का नाम रख दिया जाता है और बाद में उस संबंध के प्रचलित हो जाने पर वह संबंध किसी व्यक्ति-विशेष की इच्छा या संकल्पना पर निर्भर न होकर समाज पर आधारित हो जाता है। □

[1]सुदंसणचरिउ 2 10, 11

[2]जंबूसामि चरिउ 3 3, 10।

[3]जसहर चरिउ।

पृष्ठ 3 का शेष

Divl. Signal & Tele. Communication Engineer	DSTE
मंडल सिगनल एवं दूर संचार इंजी.	—मंसिदूइंजी
Divl. Accounts Officer	DAO
मंडल लेखा अधिकारी	—मंलेधि
Divl. operating Supdt.	DOS
मंडल परिचालन अधी	—मंपचाधी
Medical Supdt.	MS
चिकित्सा अधी	—चिधी
Divl. Medical Officer	DMO
मंडल चिकित्सा अधि	—मंचिधि
Divl. Electrical Engineer	DEE
मंडल विद्युत इंजीनिजी	—मंबिजी
Divl. Personnel Officer	DPO
मंडल कार्मिक अधिकारी	—मंकाधि
Asstt. Security Officer	ASO
सहायक सुरक्षा अधिकारी	—ससुधि
Divl. Safety Officer	DSO
मंडल संरक्षा अधिकार	—मंसंधि

इसी तरह सहायक अधिकारियों के लिए 'स' जोड़कर संक्षिप्त पदनाम बनाये गये हैं जैसे सहायक इंजीनियर—सइंजी सहायक कार्मिक अधिकारी—सकाधि आदि

वरिष्ठ अधिकारियों के संक्षिप्त पद नाम के पूर्व 'व' जोड़कर जैसे—

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी—वमंकाधि

वरिष्ठ मंडल इंजीनियर—वमइंजी आदि

अतः अंत में मुझे यही कहना है कि आज हिंदी सभी प्रकार की अभिव्यक्ति को वाणी देने में सक्षम है। चाहे वह क्षेत्र मानविकी का हो अथवा तकनीकी एवं विज्ञान का। हिंदी की भूमिका आज बहुत बड़ी हो गई है। उसे आज वही काम करना है जो कभी संस्कृत करती थी। उसे संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का वाहन बनना है। उसके अंदर वैसी आंतरिक ऋद्धि सिद्धि लानी है जो भारत जैसे महान और विशाल देश की राष्ट्रभाषा के लिए अपेक्षित है। □

अनुवादक का प्रशिक्षण : शिक्षा-संरचना का एक अहम सवाल

☐ डॉ. सोहन शर्मा*

अनुवादक के प्रशिक्षण के बारे में विचार करते समय पृष्ठभूमि के तौर पर अनुवाद कार्य से जुड़े हुए व्यक्तियों, विशेषकर राजभाषा अधिकारियों, के बारे में कुछ मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है।

पहली बात तो यह है कि देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के तहत साहित्य और भाषा-विज्ञान से स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री लेने वालों के लिए हमारे कालेजों/विश्वविद्यालयों में अनुवाद कार्य के विधिवत् प्रशिक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से कुछ विश्वविद्यालयों में इस तरह के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, पर वे अभी शुरुआती अवस्था में हैं। इस व्यवस्था के चलते साहित्य और भाषा–विज्ञान के माध्यम से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले हमारे प्रतिभाशाली मित्र बैंकिंग जैसे व्यावहारिक क्षेत्र में जब अनुवाद कार्य करने लगते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है। इसी से जुड़ी हुई एक निर्मम सच्चाई यह है कि साहित्य और भाषा के पठन-पाठन से जुड़े हुए लोग आमतौर पर जिंदगी के व्यावहारिक पक्षों से उदासीन होते हैं। राज्य-व्यवस्था, वाणिज्य, व्यवसाय तकनीकी क्षेत्र, विधि, प्रशासन आदि के बारे में अपने विद्यार्थी जीवन में और उसके बाद भी वे जानकारी प्राप्त नहीं करते। या यों कह लीजिए कि ऐसा करना वे जरूरी नहीं समझते, साहित्य की छोटी सी दुनिया में वे संतोष से रमे रहते हैं। यह सही है कि साहित्य के पठन-पाठन से जुड़े हुए व्यक्तियों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे व्यावहारिक क्षेत्रों में निष्णात हों, पर एक जागरूक नागरिक के नाते यह अपेक्षाएं जरूर होती हैं कि समाज के कार्य-व्यवहार से जुड़े हुए दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी मोटी-मोटी जानकारी वे रखें। इसी संदर्भ में एक दुखद तथ्य यह है कि समाज-व्यवहार के व्यावहारिक क्षेत्रों में अभी भी काफ़ी कामकाज अंग्रेजी में हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी अंग्रेजी का वर्चस्व है। महानगरों या बड़े शहरों में शिक्षा प्राप्त करने वालों को तो फिर भी अंग्रेजी का ठीक-ठीक ज्ञान होता है, लेकिन कस्बों और छोटे शहरों से आने वालों की गति अंग्रेजी में उतनी नहीं होती। इसमें उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि अंग्रेजी में प्रवीणता हासिल करने के लिए जो वातावरण बड़े शहरों में होता है, वह उन्हें वहां उपलब्ध नहीं हो पाता।

इसके बाद हिन्दी के व्यावहारिक क्षेत्र की परंपरा पर अगर नजर डालें तो यह स्पष्ट है कि हिन्दी का उपयोग अब तक मुख्य रूप से साहित्य, पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्रों में ही होता रहा है। बहुत पहले सामंती युग में वाणिज्य-व्यवसाय के लिए हिन्दी का प्रयोग होता था और उसकी पारंपरिक विरासत के रूप में वाणिज्य-व्यवसाय से संबंधित शब्दावली का एक बड़ा हिस्सा हमारे पास है। पर यह ऐतिहासिक विकास का एक दौर भर रहा है। कानून, प्रशासन, बैंकिंग आदि में हिन्दी के प्रयोग की कोई बहुत विकसित परंपरा नहीं रही। इसलिए साहित्यिक हिन्दी में निष्णात लोगों को आज विधि, प्रशासन, रक्षा, तकनीक, एवं वाणिज्य व्यवसाय जैसे सामाजिक जीवन के व्यावहारिक क्षेत्रों से सम्बद्ध सामग्री के अनुवाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

भाषा प्रयोग की पारम्परिक विरासत

इस दिक्कत का एक कारण और भी है, वह यह कि हिन्दुस्तान में एक अरसे से बैंकिंग वाणिज्य, व्यवसाय और विधि आदि के क्षेत्र में अंग्रेजी में काम होता रहा है। इन क्षेत्रों के कामों से संबंधित भाषा का एक बना-बनाया स्वरूप हमें विरासत में मिला है, और हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कोई कठिनाई नहीं होती। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग इन क्षेत्रों में शुरू हुए अभी कोई बहुत दिन नहीं हुए हैं। इसलिए इनके उपयुक्त भाषा का एक निश्चत मुहावरा नहीं बन पाया है। भाषा-विज्ञान में जिसे हम "लैंग्वेज रजिस्टर" कहते हैं, वह हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसके अलावा, व्यावहारिक क्षेत्रों में अंग्रेजी जानने वाली एक ऐसी वरिष्ठ पीढ़ी मौजूद है जो नये लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की त्रुटियों को सुधारती रहती है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण है। व्यावहारिक क्षेत्रों में हिन्दी की जानकारी ऐसी कोई वरिष्ठ पीढ़ी भी नहीं है। कुछेक जगह अपवाद के रूप में कुछ

* वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), बैंक आफ बड़ौदा, केन्द्रीय कार्यालय, न्यू स्टाक एक्सचेंज टावर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई-23

व्यक्त हो सकते हैं। पारम्परिक विरासत की इन दोनों पक्षों की गैर-मौजूदगी में अनुवाद के काम में और भी कठिनाईयां महसूस होती हैं।

अनुवाद कार्य से जुड़े व्यक्तियों को सीमाओं के रूप में पृष्ठभूमि के तौर पर इस वस्तुनिष्ठ विश्लेषण का मकसद यह है कि आज की जरूरतों के अनुरूप, विशेषकर हमारे बैंकिंग उद्योग में, अनुवाद कार्य से जुड़े हुए लोगों को अपनी सीमाओं की सापेक्षता में अपने कार्यक्षेत्र की विशेषताओं को समझने का मौका मिले। साथ ही संस्थागत स्तर पर अनुवादक के प्रशिक्षण के प्रति एक व्यावहारिक रवैया अपनाया जा सके।

अनुवादक के कार्य की पृष्ठभूमि के तौर पर ऊपर जिन मुद्दों की चर्चा की गयी है उन्हें ध्यान में रखते हुए तथा भारतीय समाज के व्यावहारिक क्षेत्रों के स्वरूप के अनुरूप व्यावहारिक क्षेत्रों में अनुवादकार्य से जुड़े लोगों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वरूप विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखितानुसार तय किया जा सकता है।

शिक्षा पद्धति में अनुवाद-प्रशिक्षण का समावेश

वर्तमान शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत साहित्य तथा भाषा-विज्ञान की शिक्षा के पाठ्यक्रम में अनुवाद से संबंधित विशेष प्रशिक्षण की कोई विधिवत् व्यवस्था नहीं है। कुछेक विश्वविद्यालयों में पिछले कुछ अरसे से "कामकाजी हिन्दी" तथा "अनुवाद" के प्रश्नपत्र रखे गये हैं पर वे अभी प्रारम्भिक स्वरूप में ही हैं। दूसरे इन प्रश्न-पत्रों से संबंधित पाठ्य-सामग्री चूंकि आमतौर पर साहित्य के पठन-पाठन से जुड़े विश्वविद्यालयों के व्याख्याताओं द्वारा तैयार की जाती है, अतः व्यावहारिक क्षेत्रों के अनुवाद कार्य के समुचित प्रशिक्षण में वह सामग्री उतनी उपयोगी व सहायक नहीं बन पायी है। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के साहित्य-मर्मज्ञ व्याख्याताओं द्वारा ही दिया जाता है। उन्हें व्यावहारिक स्तर पर अनुवाद कार्य का कोई अनुभव नहीं होता है। कुछेक विद्वानों को साहित्य की विधाओं कविता, कहानी उपन्यास या समीक्षा के अनुवाद का कुछ अनुभव जरूर होता है। साहित्य तथा भाषा-विज्ञान व व्याकरण आदि के अपने ज्ञान तथा अनुवाद सिद्धान्त पर एकाध पुस्तकें पढ़ कर इस प्रश्नपत्र की "तैयारी" करा देते हैं। परिणामस्वरूप अनुवाद में "डिप्लोमा" लेकर या विश्वविद्यालयीन स्तर पर शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी भी बैंक, रक्षा सेवा, खदान या प्रशासन-विधि से सम्बद्ध सामग्री का अनुवाद समय करते लडखड़ाने लगता है।

विश्वविद्यालयीन स्तर पर शिक्षा-व्यवस्था में अनुवाद-प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित बातें उपयोगी हो सकती हैं।

1. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कामकाजी या व्यवहारिक हिन्दी के सभी पक्षों से सम्बद्ध सामग्री जैसे राज-भाषा नीति, अनुवाद, पत्राचार, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, पारिभाषिक व तकनीकी शब्दावली, विधि शब्दावली, प्रचार-विज्ञापन साहित्य, प्रशासनिक रिपोर्टिंग और बैठक-कार्यवृत्त-कार्यसूची आदि से सम्बद्ध सन्तुलित व मानक सामग्री का समावेश करते हुए इनके समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकलापों की वर्तमान द्विभाषिक स्थिति (हिन्दी व अंग्रेजी) को दृष्टिगत रखते हुए इन पक्षों से सम्बद्ध सामग्री के सिद्धान्त स्वरूप का प्रशिक्षण देते हुए अभ्यास पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। अभ्यास हिन्दी से अंग्रजी में व अंग्रेजी से हिन्दी में हो, पाठ्यक्रम में अभ्यास का अधिक से अधिक समावेश करने से विद्यार्थियों में दक्षता व आत्मविश्वास बढ़ेगा।

अनुवाद कार्य के क्षेत्र-विस्तार को देखते हुए यह प्रशिक्षण व्यवस्थित व विस्तृत रूप में डिग्री स्तर का हो सके तो सारे सम्भावित पक्षों का समावेश इसमें हो सकेगा। डिग्री स्तर के अन्य पाठ्यक्रमों की तरह विशेषज्ञता के विविध प्रश्नपत्र जैसे विधि शब्दावली, तकनीकी शब्दावली शब्द निर्माण कला और विज्ञापन-प्रचार साहित्य जैसे विषय "ऐच्छिक" प्रश्नपत्र के रूप में भी रखे जा सकते हैं।

2. अनुवाद प्रशिक्षण के एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम की धारणा के अन्तर्गत गहन प्रशिक्षण के अतिविशिष्ट पाठयक्रम बनाए जा सकते हैं। जैसे "मैनेजमैंट" एक विधा विशेष से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण है, पर इसके अन्तर्गत "बिजनेस मैनेजमेंट" "मैटीरियल मैनेजमेंट" तथा "फाइनान्स मैनेजमेंट" जैसे अतिविशिष्ट पाठ्यक्रमों को स्वरूप दिया गया है,। इसी तरह व्यावहारिक हिन्दी व अनुवाद प्रशिक्षण को लेकर विभिन्न संस्थाओं और क्षेत्रों के अनुवाद कार्य तथा उनमें इस्तेमाल की जाने वाली विशेष "शब्दावली" के पाठयक्रम प्रारम्भ किए जा सकते हैं, भाषा के प्रयोग एवं व्यवहार मूलक पक्ष के अनुरूप प्रयोजनमूलक हिन्दी के व्यापक क्षेत्र को विशिष्ट उपक्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, बैंकिंग, रेल-प्रशासन, वाणिज्य व्यवसाय आदि इन संस्थाओं के कार्यक्षेत्र के आवश्यक पाठ्यक्रम आई.ए.एस. या आई.पी.एस. के ढांचे पर बनाये जा सकते हैं।

साथ ही, बैंकिंग और रेलवे जैसे आर्थिक दृष्टि से सक्षम संस्थान अनुवाद-प्रशिक्षण के लिए सुयोग्य प्रशिक्षक तैयार करने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पद (चेअर) प्रवर्तित करें तो काफी उपयोगी काम हो सकता है, अपने एकेडेमिक रूप में ये विभाग (चेअर) भाषा विज्ञान, अनुवाद तथा शब्दावली निर्माण जैसे कार्यों के विशेषज्ञ तैयार कर सकते हैं। डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग का सहयोग भी लिया जा सकता है।

3. पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने में व्यावहारिक क्षेत्र में अनुवाद कार्य से जुड़े व्यक्तियों से सहायता लेना उपयोगी होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा विभिन्न उपक्रमों के राजभाषा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श के बाद एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकता है जो व्यावहारिक क्षेत्र के संस्थानों में अनुवाद-कार्य के लिए दक्ष अनुवादक तैयार करने का बुनियादी काम कर सके।

4. इस प्रकार के पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए ऐसे प्रशिक्षक चुने जाए जो महज साहित्य मर्मज्ञ, सिद्धांतकार या "एकेडेमिसियन" ही न हों, अनुवाद-कार्य तथा व्यावहारिक हिन्दी के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को प्रशिक्षक के तौर पर ऐसे पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की नियमगत औपचारिकताओं के तहत यदि ऐसे व्यक्तियों का उपयोग पूर्णकालिक प्रशिक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता हो तो अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में इनकी सेवाएं ली जा सकती हैं।

5. एक "फंक्शन लैब फैकल्टी" (व्यावहारिक भाषिक प्रयोगशाला) इन पाठ्यक्रमों का महत्त्वपूर्ण अंग हो, यह प्रयोगशाला लिंग्वा रिकार्ड, लैंग्वेज-डिस्क, इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटर, द्विभाषिक कम्प्यूटर, लैंगवेज स्लाइडस तथा वर्ड प्रोसेसर जैसे आधुनिकतम यंत्रों/उपकरणों से लैस हो। इसके लिए दो या तीन तरह के संकाय (फैकल्टी) हो सकते हैं। एक सिद्धांत संकाय अर्थात् "एकेडमिक फैकल्टी" हो जो संदर्भ सामग्री और शोधपत्र तैयार करवाए। दूसरी, व्यावहारिक या फंक्शनल फैकल्टी हो जो व्यवहारपरक प्रशिक्षण के अभ्यास पर केन्द्रित हो, तीसरी, 'तकनीकी फैकल्टी" जो कार्यक्रम निष्पादक एवं तकनीकी विशेषज्ञ तैयार करने का काम करे।

6. अनुवाद कार्य के व्यावहारिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की सहायता से एक ऐसा विशेष प्रशिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्रैनर्स-ट्रेनिंग प्रोग्राम) तैयार किया जाए जो भाषा-विज्ञान, व्याकरण, साहित्य और तुलनात्मक-भाषा विज्ञान के व्याख्याताओं को अनुवाद-प्रशिक्षण में प्रशिक्षित करके इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रशिक्षक तैयार कर सके। ये प्रशिक्षक विश्वविद्यालयों के वर्तमान व्याख्याता वर्ग में से ही तैयार किए जा सकते हैं।

संस्थागत प्रशिक्षण पद्धति में अनुवादक-प्रशिक्षण का समावेश

समाज में विभिन्न कार्यव्यवहारों का निर्वाह करने वाले संस्थान व उपक्रम अपने कार्यक्षेत्र की प्रकृति के अनुरूप अपने कर्मचारियों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षित करते हैं, यह प्रशिक्षण व्यावहारिक व सैद्धान्तिक दोनों ही तरह का होता है।

अर्थशास्त्र, वाणिज्य विज्ञान तथा कला-संकाय के विभिन्न विषयों से स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब व्यक्ति बैंकिंग उद्योग में क्लर्क या अधिकारी के रूप में प्रवेश करता है तो बैंकिंग संस्थानों की अपनी आंतरिक प्रशिक्षण पद्धति के तहत उसे बैंकिंग से जुड़े विभिन्न विषयों और पक्षों का प्रारम्भिक और गहन––दोनों ही तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में व्यावहारिक और सैद्धान्तिक दोनों ही रूपों का समावेश होता है। वहीं आंतरिक प्रशिक्षण-पद्धति कालान्तर में कुशल बैंकर व प्रशासक तथा विशेषज्ञ तैयार करती है।

अभी इस आंतरिक प्रशिक्षण पद्धति में प्रारंभिक पाठ्यक्रम (इंडक्शन) स्टाफ प्रशासन, शाखा परिचालन, प्रबंधन, वित्तीय प्रबन्धन, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, मर्चेन्ट-बैंकिंग तथा ग्राहक-सेवा जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों का समावेश है। बैंकों की अपनी आवश्यकतानुसार समय-समय पर आधुनिक बैंक के विषय इसमें जोड़े जाते हैं। इस आंतरिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों में नवीनतम कड़ी के रूप में कम्प्यूटर प्रशिक्षण जोड़ा गया है।

बैंकिंग जगत की संस्थागत आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली के विद्यमान स्वरूप के अनुसार बैंकों में राजभाषा व्यवहार से जुड़े राजभाषा अधिकारियों तथा अनुवादकों के प्रशिक्षण का स्वरूप निम्नलिखितानुसार हो सकता है।

सैद्धान्तिक प्रशिक्षण

1. नियुक्ति के साथ ही बैंक के अन्य कर्मचारियों की तरह ही अनुवादकार्य से जुड़े स्टाफ का भी बैंकिंग का प्रारंभिक (इंडक्शन) सैद्धांतिक ज्ञान कराने वाले पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

2. सेवा-काल के दौरान समुचित अंतरालों के बाद बैंकिंग के विभिन्न विषयों का गहन प्रशिक्षण भी इन्हें दिया जाता रहे तो यह इनके लिए विशेष उपयोगी होगा। आमतौर पर प्रबन्धन के स्तर पर यह धारणा होती है कि भाषा विशेषज्ञों को बैंकिंग के विशिष्ट या गहन प्रशिक्षण देने की कोई खास उपयोगिता नहीं है। लेकिन इस प्रसंग में यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अनुवादक को विभिन्न स्तरों पर संपूर्ण बैंकिंग से सम्बद्ध रखने वाले दस्तावेजों/परिपत्रों तथा प्रकाशन आदि का अनुवाद करना होता है। इसलिए आवश्यक है कि धीरे-धीरे सम्पूर्ण बैंकिंग का ज्ञान हो जाए इससे उसके द्वारा किया गया अनुवाद प्रामाणिक व विश्वसनीय बनेगा तथा अनुवादक में पूरे आत्मविश्वास का संचार होगा।

व्यावहारिक प्रशिक्षण

1. राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े राजभाषा अधिकारियों व अनुवाद-कार्य करने वालों का अन्य कर्मचारियों की तरह ही शाखा कार्य का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना विशेष

उपयोगी होगा। कम से कम तीन महीने किसी ऐसी शाखा में इन्हें कार्य करने का अवसर दिया जाए जहां बैंकिंग कारोबार के अधिकतम कार्य होते हों, तो सैद्धान्तिक ज्ञान के व्यावहारिक पक्षों की समुचित जानकारी इन्हें हो सकेगी। इन तीन महीनों में इन्हें विभिन्न प्रमुख विभागों—बचत, करंट, ऋण-व्यवहार और साख आदि में कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

इस तरह बड़े प्रशासनिक कार्यालयों के प्रमुख विभागों जैसे कार्मिक, प्रशासन तथा विधि आदि में भी इन्हें थोड़े समय कार्य करने का अवसर दिया जाए तो एक निश्चित अवधि के बाद बैंकिंग परिचालन तथा प्रशासन से सम्बद्ध कार्य व्यवहारों का इन्हें समुचित व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा तथा वे अपना कार्य अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे।

आमतौर पर अनुवाद संबंधी भूलें विषय का समुचित व्यावहारिक ज्ञान न होने के कारण होती है। "मूवमेंट आंफ फूड-ग्रेन्स" को "खाद्यान्नों का आंदोलन", "प्रोडक्शन आंफ सर्टिफिकेट" को "प्रमाणपत्रों का उत्पादन" या "वर्कलोड" को "भरा-काम" लिखने जैसी भूलें कार्यक्षेत्र व विषय की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण होती है। कार्यक्षेत्र का व्यावहारिक ज्ञान होने पर इस तरह की भूलों की संभावनाएं नहीं रहतीं।

2. राजभाषा अधिकारियों और अनुवादकों द्वारा किए गए अनुवाद कार्य पर हिन्दी का ज्ञान रखने वाले वरिष्ठ बैंकों व प्रशासकों की राय समय-समय पर ली जाती रहे तो यह एक विशेष प्रशिक्षण के तौर पर उपयोगी कार्य होगा।

यह विशेष प्रशिक्षण एक "कार्यशाला" या परिसंवाद के रूप में हो सकता है। मसलन बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, विधि और कार्मिक क्षेत्र के कुछ चुने हुए प्रकाशनों के हिन्दी संस्करण एक दो सप्ताह पहले हिन्दी जानने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिए जाएं और उन्हें यह समझाया जाए कि इस सामग्री के भाषिक स्वरूप, अभिव्यक्ति शैली तथा शब्दावली पर आप अपने सुझाव दें। दूसरी ओर राजभाषा अधिकारी व अनुवादक भी उस सामग्री को दुबारा देख लें तथा अपने द्वारा किए गए अनुवाद के पीछे क्या दृष्टि और रवैया रहा है, इसकी स्पष्ट रूपरेखा बना लें। कार्यशाला या परिसंवाद के दौरान दोनों पक्षों के विचार-विमर्श तथा सुझावों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया निश्चित रूप से अनुवाद की गुणवत्ता को निखारने में सहायक होंगी।

विशिष्ट प्रशिक्षण की यह प्रक्रिया आत्मीयता अनौपचारिकता का माहौल बनाने में भी उपयोगी होगी और संबंधित पक्षों के पूर्वाग्रहों को दूर करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

मनोवैज्ञानिक तौर पर कभी-कभी किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुवाद में सुधार के लिए दिए गए सुझावों की अनुवादकों द्वारा इसलिए भी अवहेलना की जाती है कि अनुवादक वरिष्ठ अधिकारी में स्वयं को हिन्दी में अधिक शिक्षित मानता है। निश्चित रूप से वह आम बैंकर से हिन्दी में अधिक "क्वालिफाइड" होता है पर बैंकिंग का विशेषज्ञ तो नहीं होता। स्वयं को हिन्दी का अधिक ज्ञानी मानने के अहं के तहत वह विषय के विशेषज्ञों के सुझाव पर ध्यान देना जरूरी नहीं मानता। इस तरह कभी-कभी वरिष्ठ अधिकारी अपनी पसन्द-नापसन्द के आधार पर हिन्दी संस्करण में सुधार के सुझाव दे देता है। उसके मन में यह धारणा होती है कि यह तो हिन्दी विशेषज्ञ है इसे बैंकिंग की जानकारी तो है नहीं। अपनी इस धारणा के तहत वह विशेष शब्द—प्रयोग के पीछे ही मानसिकता व तर्क समझने को तैयार नहीं होता। इन स्थितियों में तो पूर्वाग्रह बन जाते हैं उन्हें दूर करने में इस तरह के आत्मीय "परिसंवाद" कारगर हो सकते हैं।

भारतीय समाज की बहुभाषिक संरचना में जनतांत्रिक पद्धति के अनुरूप राजभाषा-प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रथम सोपान अनुवाद है। राजभाषा अधिनियम व नियमों के प्रावधानों ने द्विभाषिकता की जो संकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं उनसे अनुवाद कार्य की महत्ता काफी बढ़ गयी है। इसलिए बैंकिंग तथा अन्य विभिन्न संस्थानों में अनुवाद कार्य की मात्रा व प्रकृति को देखते हुए यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों तथा संस्थागत कार्य पद्धति में अनुवादक के प्रशिक्षण को समुचित महत्त्व दिया जाए।

अनुवादक के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण नीति तथा कार्यक्रम बनाकर उन्हें व्यावहारिक रूप दिया जाए। राजभाषा के रूप में हिन्दी की सफलता के लिए भी यह जरूरी है। □

हिंदीतर भाषा भाषी क्षेत्रों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

□डॉ० जी० पदमजा देवी*

"हिंदीतर भाषा भाषी क्षेत्र" से उन क्षेत्रों का संकेत मिलता है जहां हिंदी भाषा भाषी नहीं हैं और हिंदी नहीं बोली जाती है। लेकिन भारत में किसी भी क्षेत्र को अहिंदी भाषा क्षेत्र तो नहीं कहना चाहिए। वास्तव में भारत में अहिंदी भाषा क्षेत्र कहीं भी नहीं मिलता है। चाहे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का देन हो या सिनेमाओं का प्रभाव या दूर-दर्शन का, हिंदी तो भारत के कोने-कोने में फैली हुई है। सारे भारत में हिंदी का प्रयोग सामाजिक स्तर पर तो बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं सभी भारतीय भाषाओं में संस्कृत भाषा के शब्द सम्मिलित होने के कारण हिंदी से निकटता भी ज्यादा दिखाई देती है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब अंग्रेजी का स्थान हिंदी ले लेगी। अब तो यह संक्रांतिकाल है। हिंदी को अपना स्थान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि हिंदीतर भाषाएं बोली जाने वाले क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग कम होना स्वाभाविक तो है लेकिन हिंदी के प्रति विरोध तो नहीं है। हिंदी के प्रयोग के लिए मुख्य रुकावट केवल अंग्रेजी प्रति मोह तथा राजभाषा होते हुए भी हिंदी को अपनी भाषा के रूप में न अपनाना ही दिखाई देता है।

सरकारी उपक्रमों में राजभाषा नियम को लागू करने का आदेश तथा निर्णय संविधान के लागू होते ही किए जाने पर भी उपक्रमों में हिंदी का प्रयोग देर से किया गया है। कर्मचारियों में पहले इस दिशा में जागृति ज्यादा नहीं थी। अभी सार्वजनिक क्षेत्रों में भी हिंदी भाषा के प्रयोग में तेजी बढ़ रही है।

प्रथम स्थान उत्पादकता को

कंपनियों में ज्यादातर उत्पादकता को ही महत्व दिया जाता है। बाकी विषयों को गौण। उत्पादकता ही कंपनी की अभिवृद्धि द्वारा राष्ट्रीयाभिवृद्धि के लिए आधारशिला है। उत्पादकता के आधार पर ही कंपनी का अस्तित्व तथा इसमें काम करने वाले कर्मचारियों की भलाई होती है।

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे "ग" क्षेत्र के राज्यों में उन प्रांतों की क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला होता है। इन क्षेत्रों में स्थित सरकारी उपक्रमों में भी ज्यादातर कर्मचारी वहीं के होते हैं। अन्य भाषा भाषी होने पर भी व्यावहारिक रूप से इन उपक्रमों में उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी ज्यादा प्रयोग में होती है। इन कारखानों में उच्चस्तरीय पदों को छोड़कर मध्यमस्तरीय तथा निम्नस्तरीय कर्मचारी ज्यादातर संबंधित क्षेत्रीय भाषा भाषी ही होते हैं। यहां काम करने वाले इतर भाषा भाषी को उस क्षेत्र की भाषा को व्यावहारिक तौर पर सीखना आवश्यक होता है। ऐसे वातावरण में केन्द्र सरकारी उपक्रमों में राजभाषा कार्यान्वयन एककों को राजभाषा अधिनियम को अमल में लाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है।

कर्मचारियों में हिन्दी लादी जाने की भावना

गैर हिंदी भाषा भाषियों में ज्यादातर यह भी भावना दिखाई देती है कि हिंदी उन पर बल पूर्वक लादी जा रही है। जबकि प. जवाहरलाल नेहरूजी ने आश्वासन दिया था कि जब तक अहिंदी भाषा भाषी भी पूर्ण रूप से हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे तबतक उनपर हिंदी नहीं लादी जाएगी। अगर हिंदी अधिकारी हिंदी भाषी हो तो उन्हें यहां और विरोधपूर्ण वातावरण में कार्य करना पड़ता है। यह गलत फहमी तभी उत्पन्न होती है जब राजभाषा नियम को बताकर उन्हें जबर्दस्ती हिंदी में काम करने के लिए मजबूर करने का प्रयत्न किया जाता है।

वास्तविक स्थिति

"ग" क्षेत्र में सामाजिक तौर पर हिंदी कहीं नहीं दिखाई देती है तो यह इस लिए कि यहां रहने वाले मुसलमान ज्यादातर दक्षिणी बोलते हैं और उत्तर भारत के नौकरी बिजिनेस आदि कारणों से यहां आकर बस गए लोगों के कारण शैक्षणिक स्तर पर तो यहां की शिक्षानीति के अंतर्गत (मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में) हिंदी को अंग्रेजी की तुलना में दूसरा स्थान ही दिया गया है। फलस्वरूप यहां के छात्र हिंदी में सक्षम ज्ञान प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। जो कुछ भी

*राजभाषा अधिकारी, बी. एच. पी. विशाखापत्तनम्-10

स्वयं प्रयास से सीखते हैं उसे इस अहिंदी वातावरण में अन्य भाषा की तरह ही सीखना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी अंग्रेजी की तुलना में सीखने के लिए बहुत सरल भाषा है। फिर भी यहां अन्य विषयों के समान स्थान न दिए जाने के कारण इस पर छात्रों में श्रद्धा कम होना स्वभाविक ही है। फलस्वरूप मैट्रिकुलेशन पास होने पर भी हिंदी के संबंध में उन्हें कार्यसाधक ज्ञान लुप्त सा दिखाई देता है। अहिंदी भाषी क्षेत्र के कर्मचारियों की हिंदी से संबंधित शैक्षणिक पृष्ठभूमि साधारणतः यही होती है। ऐसे कर्मचारियों को मैट्रिक या इससे समतुल्य परीक्षा में हिंदी एक विषय के रूप में होने पर भी उनमें कार्यसाधक ज्ञान होना भी कठिन होता है। इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त किए कर्मचारियों की बोलबाला होने वाले कार्यालयों में राजभाषा नीति का सक्षम कार्यान्वियन के लिए हिंदी अधिकारी या कर्मचारियों को बहुत संघर्ष पूर्ण प्रयास करना पड़ता है।

हिंदी भाषा के प्रति अपना-पन की भावना

जब व्यक्ति किसी भी चीज को अपना समझता है तो उसके मन में इसके प्रति श्रद्धा की भावना बढ़ जाती है। अहिंदी भाषियों के मन में हिंदी के प्रति अपनापन को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। अपनापन के बिना उनके मन में हिंदी को सीखने के लिए हिंदी में काम करने के लिए उनके मन में विरोधी भावना पैदा हो जाने की संभावना ज्यादा होती है। चाहे कितने भी प्रशिक्षण या कार्यशालाएं चलाई जाएं या हिंदी कार्यान्वियन के लिए कितना भी खर्च करें वह ऐसा ही होगा कि घोड़े को पानी तक ले जाना और बलपूर्वक पानी नहीं पिला सकना। इससे पानी भी पिला सकते हैं जब उसे पानी-पीने के लिए मन मन जाए।

हिंदी को अपनाना कैसे

कर्मचारियों में हिंदी के प्रति इस प्रकार का अपनापन तथा श्रद्धा बढ़ाने के लिए पहले उनकी मातृभाषा से हिंदी को निकटतम या समरूपता का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उनके लिए चलाने वाले प्रशिक्षण या कार्यशालाएं हिंदी और उनकी मातृभाषाओं का समन्वय करते हुए, दोनों भाषाओं को निकट लाने वाले तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर हो सके तो ये प्रशिक्षण या कार्यशालाएं अत्यन्त सफल हो सकती हैं, जब कर्मचारी यह समझ लेगा कि अंग्रेजी से हिंदी अपनी मातृभाषा से निकट भाषा है और अपनी भाषा की संस्कृत से निकटतम तथा प्रभावित भाषा है, उसके मन में इसके प्रति अपनापन की भावना पैदा होगी।

द्विभाषा प्रक्रिया

द्विभाषा रूप में परिपत्र जारी करना, रिपोर्ट, फार्म, नामपट्ट, सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरे, भेंट पत्र, लेखन सामग्री आदि को द्विभाषा रूप में बनाने से हिंदी में प्रयोग की प्रगति अवश्य होती है। इस प्रक्रिया के कारण कर्मचारी धीरे धीरे हिंदी से सुपरिचित हो जाते हैं लेकिन हिंदी में मौलिक रूप से काम करने के लिए तो समय लगेगा। □

श्रद्धांजलि

कथा सम्राट श्री अमृतलाल नागर

"संविधान में राजभाषा हिन्दी के महत्व को हमें समझना चाहिए। हम अंग्रेजी भाषा का विरोध तो भले न करें, लेकिन अपनी भाषाओं को छोड़कर विदेशी भाषा की ओर कदापि न भागें। हमें अपनी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाना है। आज रेल में, रेडियों में और दूरदर्शन में भी राजभाषा हिन्दी का प्रयोग होता है। धीमे धीमे हिन्दी का कार्य बढ़ रहा है और धीरे-धीरे बढ़ता ही रहेगा।

विश्वास है कि अगले 25 वर्षों में अपने देश में सम्पूर्ण कार्य पूरे ढंग से हिन्दी में होने लगेगा।"

उक्त उद्गार दिनांक 21-12-1989 को लखनऊ में भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित उत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्य अतिथि श्री अमृत लाल नागर ने व्यक्त किए।

हिन्दी के कालजयी साहित्यकार श्री नागर प्रेमचन्द पीढ़ी की साहित्यिक परम्परा के सशक्त उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कविता के अतिरिक्त सभी विधाओं—उपन्यास, कहानी, व्यंग्य बाल साहित्य, यात्रा वृतान्त, संस्मरण, रेखाचित्र, नाटक साक्षात्कार, विदेशी साहित्य की अनुदित कृतियों से साहित्य की अभिवृद्धि की है। इनके "बूंद और समुद्र", "अमृत और विष", "मानस का हंस", "एकता नेमिषरण्ये" आदि उपन्यास हिन्दी साहित्य की अनुपम धरोहर हैं।

दिनांक 23 फरवरी, 1990 को नागर जी के देहावसान से हिन्दी साहित्य का एक अध्याय समाप्त हो गया है।

भारतीय भाषाओं के पक्षधर तथा राजभाषा हिन्दी के प्रबल समर्थक श्री अमृत लाल नागर की पावन स्मृति को "राजभाषा परिवार" का-शत शत नमन। —गुरु

साहित्यिकी

बँगला : भाषा, साहित्य और समाज

□अवधेश मोहन गुप्त*

बंगला भाषा पूर्वी भारत की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध भाषा है। इसे बंगाली या बांग्ला/बाङ्ला नामों से भी अभिहित किया जाता है। भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में भी बोलने वालों की संख्या, साहित्यिक परंपरा तथा प्राचीनता की दृष्टि से बंगला का विशेष स्थान है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से भारत में इस समय हिन्दी और तेलुगु के बाद बंगला का ही स्थान है। सन् 1971 की जनगणना के समय भारत में 4,45,21,533 बंगला भाषी थे। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से बंगला विश्व की दसवें स्थान की भाषा है : अतः इसका अंतरराष्ट्रीय महत्त्व भी है। भारत में बंगला पश्चिम बंगाल, असम के दक्षिणी जिलों तथा त्रिपुरा में प्रयुक्त होती है। भारत के पड़ोसी देश बंगला देश की भाषा भी बंगला ही है।

'बंगालियों' या 'बंगाल क्षेत्र' की भाषा होने के कारण इसका नाम 'बंगला'/'बांग्ला'/'बाङ्ला' पड़ा। 'बंगाल' का पूर्वज शब्द 'बंग' था। 'बंग' शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में विद्वानों में कुछ मतभेद है। एक मत यह है कि आस्ट्रिक परिवार की एक उपजाति 'म्युअह' इस प्रदेश में रहती थी जो आर्य भाषा में 'बंग' बन गया। दूसरी ओर डा. सत्येन्द्र के अनुसार "चीनी प्रमाण से विदित होता है कि भारत के बौंगलौंग प्रदेश के नागवंश के लुक-लाभ ने अन्जाम में राज्य स्थापित किया था। यह "बौंगलौंग" ही तो 'बांगला' है, जिससे बंगाल व्युत्पन्न हुआ है।" पहले मत के अनुसार मुस्लिम शासनकाल में 'बंग' शब्द से ही 'बंगला' और 'बंगाली' शब्दरूप चले थे।

भौगोलिक दृष्टि से भारत का बंगला-भाषी क्षेत्र असमी, नेपाली, उड़िया और मैथिली भाषी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ये सभी भाषाएं दसवीं शताब्दी के आसपास विकसित हुई हैं।

क्षेत्रीय रूपों की दृष्टि से बंगला के दो प्रमुख रूप माने जाते रहे हैं—'पूर्वी', जिसका केन्द्र ढाका था और 'पश्चिमी' जिसका केन्द्र 'कलकत्ता' है। 'पूर्वी' बंगला के उपरूपों में 'उत्तरी', 'उत्तर-पूर्वी' और 'पूर्वी' है जो बंगला देश में व्यवहृत होते हैं। 'पश्चिमी' 'बंगला' पश्चिम बंगाल में प्रयुक्त होती है और इसके, उपरूपों में 'पूर्वी' केन्द्रीय', 'पश्चिमी केन्द्रीय', 'उत्तरी केन्द्रीय', 'पूर्व-दक्षिण-पश्चिमी' तथा 'पश्चिम-दक्षिण-पश्चिमी' प्रमुख हैं। बोली-विज्ञान की दृष्टि से 'पश्चिमी बंगला' के कुछ उपरूप (बोलियां) निम्नानुसार हैं :—

1. राढ़ी—गंगा नदी के किनारों पर 24 परगना, कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, बर्दवान और नदिया जिलों में बोली जाने वाली बोली।

2. पावना—बांकुड़ा, राजशाही, रंगपुरा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों की बोली।

3. झाड़खण्डी—झाड़ग्राम, वीरभूम, मेदिनीपुर आदि क्षेत्रों में व्यवहृत बोली।

बंगला भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है और बहुत कुछ नागरी लिपि के ही समान है। पहले इसकी समानता नागरी लिपि से और भी अधिक थी। परवर्ती काल में इसे कलात्मक बनाने के प्रयास में इसका रूप नागरी लिपि से कुछ और भी अधिक भिन्न हो गया। बनावट की दृष्टि से बंगला के संयुक्ताक्षर काफी क्लिष्ट और कलात्मक होते हैं। इसकी वर्णमाला देवनागरी के ही समान है, किन्तु उच्चारण में काफी भेद है।

बंगला-भाषा की प्रमुख उच्चारण-विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

बंगला-उच्चारण

प्रायः सभी बंगला व्यंजनों का उच्चारण हिन्दी व्यंजनों के समान होता है। उच्चारण भेद के कुछ साधारण नियम इस प्रकार हैं :—

1. 'न' और 'ण' के उच्चारण में उतना फर्क नहीं होता, जितना कि हिन्दी में। मोटे तौर पर 'ण' का उच्चारण 'न' जैसा ही होता है।

2. 'व' का उच्चारण 'ब' होता है।

*प्रभारी-अधिकारी, राजभाषा विभाग, भारतीय नौवहन निगम लि.; 13 स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता-700001

3. 'व' का काम 'ओ—य' या 'उ—य' से चलाया जाता है, जैसे रेलउ—ये (रेलवे), जाओया (जाया अर्थात् जाना)

4. मूल शब्दों के प्रारम्भ में 'य' का उच्चारण 'ज' होता है, जैसे—यथा—जथा, यत्न—जत्न, यादव—जादव। उपसर्ग वाले शब्दों में भी 'य' प्रारम्भिक माना जाता है, अतः उसका उच्चारण 'ज़' होता है, यथा–अयाचित–अजाचित।

5. मूल शब्दों के अन्त या मध्य वाले 'य' का उच्चारण 'य' होता है, यथा–राय—राय, मयंक—मयंक आदि।

6. 'क्ष' का उच्चारण 'क्ख' होता है, यथा—कक्षा कक्खा ।

7. 'द्म' का उच्चारण 'द्दों' होता है, यथा—पद्म पद्दो।

8. 'द्य' या 'द्य' का उच्चारण 'द्द'/'द्' होता है, यथा-पद्य—पद्द।

9. 'अ' बंगला में उत्तर तालव्य स्वर है। इसके सही उच्चारण में अभ्यास प्रमुख है किन्तु कुछ दूर तक बंगला के 'अ' का उच्चारण lot, got में देखा जा सकता है।

10. अन्तिम व्यंजन को छोड़कर प्रत्येक व्यंजन में 'अ' का उच्चारण होता है। अर्थात् 'कमल' नहीं बल्कि 'कॅमॅल' सही है।

11. किन्तु यदि अंतिम व्यंजन 'त' हो तो उसके 'अ' का उच्चारण होता है यथा—जयन्त—जॅयॅन्तॅ।

12. स,श और ष का उच्चारण प्रायः 'श' ही किया जाता है।

व्याकरणिक विशेषताएं

हिन्दी की भाँति बंगला लिंग प्रधान भाषा नहीं है। इसमें हिन्दी की तरह लिंग का प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता, यथा—

मैं खाता हूं। —आमि खाच्छि।

मैं खाती हूं।—आमि खाच्छि।

संयोगात्मक विभक्तियां मिलती हैं, यथा—राम का—रामेर, आपका—आपनार, आदि।

क्रियारूप भी संश्लिष्ट होते हैं, यथा—जाता हूं—जाच्छि, जा रहे हैं —जाच्छेन, आदि।

अधिकरणवाचक रूपों में प्रायः 'ए' जोड़ दिया जाता है, यथा—बाजार में—बाजारे।

जहां तक शब्द भण्डार की बात है, बंगला में संस्कृत शब्द सर्वाधिक हैं। शब्दावली की दृष्टि से बंगला और मलयालम ही संस्कृत के सर्वाधिक निकट है। डा. राधा कृष्ण सहाय के अनुसार बंगला में 55.1% तत्सम, 25.0% तद्भव, 16.2% विदेशी तथा 3.1% देशी शब्द पाए जाते हैं। विदेशी शब्दों में अरबी-फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली के शब्द सर्वाधिक प्रचलित हैं, जैसे—इज्जत, रुमाल, कागज, जल्दी, आहिस्ता (आस्ते), चाबी बोताम नीलाम आदि। बंगला में संस्कृत और विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्द अपने मूल अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं जबकि हिन्दी आदि अन्य भाषाओं में उन्हें परिवर्तित अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है।

बंगला भाषा और उसके साहित्य के विकास की एक सुदीर्घ एवं सुदृढ़ परंपरा है। बंगला भाषा के इतिहास को डा. सुकुमार सैन ने तीन खण्डों में बांटा है। पहला काल प्रारंभ काल या आदिकाल है जिसे 'पुरानी बंगला' का काल कहा जा सकता है और जिसकी अवधि दसवीं से चौदहवीं शताब्दी के बीच तक मानी जाती है। पन्द्रहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक की अवधि मध्यकाल के अन्तर्गत आती है और उन्नीसवीं शताब्दी से आधुनिक काल माना जाता है।

बंगला का आरंभिक विकास रहस्यवादी भावों से भरपूर 'चर्यापद' से माना जाता है। 'चर्यापद' न केवल बंगला की प्राचीनतम साहित्यिक कृति है बल्कि, इसमें अन्य भारतीय भाषाओं के संकेत भी मिलते है। इससे तत्कालीन समाज और संस्कृति के विषय में भी पता चलता है। इसकी रचना दसवीं शताब्दी में होने का अनुमान है। इसमें उस युग के सिद्धों की रचनाएं हैं, जिनमें लुई, लुईया, कानुपा, भुसुक आदि सिद्ध प्रमुख हैं। चर्यापद' का संपादन-प्रकाशन सन् 1916 में बौद्धगान ओ दोहा' शीर्षक से श्री हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। इसमें 35 पद-रचियताओं के गेय पद हैं, यथा:—

'आजि भ्शू बंगाली भईली
निअ धरिणी चंडाली ले ली'

'काआ तरुवर पंच विडाल
चंचल चीअ पईठी काल'

'बरगुरु—बअण कुठारें छिजइ
काहन भणइ तरु पुण न उईजइ' आदि

इन पदों पर तत्कालीन प्राकृत और अपभ्रंश का व्यापक प्रभाव स्पष्ट है। चर्यापद के बाद दो-तीन शताब्दियों तक संस्कृत ग्रंथ तो मिलते हैं किन्तु उस काल के दौरान विकसित हो रही बंगला के कोई ग्रंथ नहीं मिलते हैं। आगे चलकर, तत्कालीन बंगला ग्रंथों के मिलने पर ही उस काल के बंगला-साहित्य-विकास पर प्रकाश पड़ सकेगा।

चौदहवीं शताब्दी में रचित राधाकृष्ण संबंधी बंगला साहित्य प्रभूत मात्रा में मिला है। इसमें बड़ चंडीदास रचित 'श्रीकृष्ण कीर्तन' का ऐतिहासिक महत्त्व है। इसमें राधाकृष्ण की लीलाओं का गान किया गया है। डा.

कैलाशचन्द्र भाटिया के अनुसार, इस दृष्टि से 'राधाकृष्ण' से संबंधित काव्य से ही बंगाली साहित्य प्रारम्भ होता है। इसका अधिकांश साहित्य गेय है जो बहुत समय तक मौखिक रूप से चलता रहा। इसमें प्राचीन बंगला का रूप झलकता है। चण्डीदास और विद्यापति की राधाकृष्ण की कविताओं ने इस युग के साहित्य को रस से भर दिया। बड़े चण्डीदास के काव्य में वर्णित राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी बहुत कुछ लौकिक-सी लगती है।"

बंगला साहित्य के मध्यकाल का प्रारंभ चण्डीदास के बाद होता है। इस काल में धार्मिक, श्रृंगारिक तथा गेय साहित्य की रचना की गई। इस काल की धार्मिक साहित्य धारा के अंतर्गत असंख्य मंगल-काव्यों की रचना की गई। मंगल-काव्य के बीज सहजिया संप्रदाय में मिलते हैं। लोक साहित्य और लोक कल्याण की भावनाओं से रचित मंगल काव्यों या शाक्तधर्मी काव्यों में धर्ममंगल, मनसामंगल आदि उल्लेखनीय हैं। चण्डी और अन्नदा संबंधी मंगल काव्य भी विशिष्ट हैं। पौराणिक विश्वास के अनुसार सर्पों की देवी मनसा शिवजी की मानसपुत्री मानी जाती हैं। बंगला में मनसा देवी की अत्यधिक मान्यता रही है। मनसामंगल काव्यों की रचना चांद-बेहुला वृत्त के गेय छन्द में हुई है जिसमें प्रायः 24 मात्राओं का पयार है। इस धारा के प्रथम कवि हरिदत्त (पन्द्रहवीं शताब्दी) माने गए हैं। अन्य कवियों में विजय गुप्त, विप्रदास, मंगादास सेन, द्विज वंशीदास, कालिदास, क्षेमानंद आदि उल्लेखनीय हैं।

अठारहवीं शताब्दी तक चंडीमंगल काव्य भी मिलते हैं। चण्डी को आदि शक्ति माना गया है। इसके प्रथम कवि माणिकदत्त (तेरहवीं शती) माने जाते हैं। सोलहवीं शताब्दी से चंडीमंगल काव्य की बहुतायत पाई गई है। इस काव्य धारा में द्विज माधव, मुकुंदराम, द्विज हरिराम, भारतचन्द्र आदि के कार्य उल्लेखनीय हैं। भारतचन्द्र (1712 ई.) ने बंगला काव्य में नई स्फूर्ति भरी। उनकी पहली रचना 'सत्यपीरेर कथा' का ऐतिहासिक महत्व है। अन्नदामंगल काव्यों की धारा में लाला जयनारायण, सेन, भारतचन्द्र, जनार्दन, भवानीशंकर के नाम उल्लेखनीय हैं। कालिकामंगल काव्य के रचयिताओं में कंक, श्रीधर, गोविन्द दास, साविरिद खां, कृष्णराम दास, प्राणराम चक्रवर्ती, बलराम आदि प्रमुख हैं। अन्य मंगल काव्यों में शीतला, शारदा, गंगा और कपिला से संबंधित मंगल काव्य विशेष रहे हैं।

उपर्युक्त, मंगल काव्यों में साधारणतः चार अंश मिलते हैं, जिनके संबंध में डॉ. इन्द्रनाथ चौधरी का कथन है, "पहले अंश में ईश्वर की वन्दना है। इस वन्दना में हिंदू-मुसलमान, निर्विशेष असांप्रदायिक भक्ति भावना और विश्वबोध के विचारों की अभिव्यंजना पाई जाती है। दूसरे अंश में ग्रंथ रचना के कारण का वर्णन किया जाता है। साधारणतः देव निर्देश ही इसका कारण होता है। इसके साथ कवि अपना आत्मपरिचय भी देता है। तीसरे अंश में पौराणिक देवता के साथ लौकिक देवता का संबंध स्थापित किया जाता है। इन देवताओं के साथ भगवान शिव को समान प्रधानता दी जाती है। चतुर्थ अंश में काव्यवर्णित देवता की पूजा के प्रचार के लिए किसी-किसी देवता का या स्वर्गवासी का शापभ्रष्ट होकर संसार में जन्म लेने का और फिर उसके नरजीवन का वर्णन किया जाता है। काव्य की यही मूल आख्यायिका होती है। इस नरखण्ड में इन देवताओं या स्वर्गवासियों के लौकिक प्रेम का विस्तार से वर्णन होता है।"

मंगल काव्य के अतिरिक्त शिव के स्तुतिपरक गीत भी मिले हैं। 'सत्यपीर' की कथा पर फकीरचंद तथा रामानंद के काव्य भी मिले हैं। लोक साहित्य में डाक और खना का काव्य उल्लेखनीय हैं। परन्तु चण्डीदास के परवर्ती काल में सर्वाधिक प्रभाव महाप्रभु चैतन्य का दिखाई पड़ता है। चैतन्य के प्रभाव से सोलहवीं शताब्दी में प्रभूत मात्रा में वैष्णव धार्मिक साहित्य लिखा गया। डॉ. भाटिया के अनुसार, "मैथिली कवि विद्यापति की पदावली से बंगला वैष्णव साहित्य भी राधाकृष्ण की प्रेमलीलाओं की ओर बढ़ा। रूप गोस्वामी की उज्जवल नीलमणि तथा भक्तिरसामृतसिंधु ग्रंथों ने वैष्णव साहित्य को दृढ़ शास्त्रीय आधार दिया। मैथिली और तत्कालीन बहुप्रचलित अवहट्ठ भाषा के साथ बंगला का भी मिश्रण कर दिया गया। ब्रजभाषा का संपन्न रूप उभर कर आ चुका था। उसी के अनुरूप 'ब्रजबुलि' को विकसित कर उसमें पर्याप्त साहित्य लिखा गया। पन्द्रहवीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से बंगाली साहित्य भक्ति की ओर उन्मुख हो गया। चैतन्य लीला के पदों की रचना भी प्रारंभ की गई जिनको गौर चन्द्रिका कहा गया। इस काव्य में बंगला-भाषा का समस्त माधुर्य, कोमल-अनुभूति और भावप्रवणता मिलती है। यह पदावली बंगला का श्रेष्ठ साहित्य है।

तत्कालीन भक्ति-साहित्य को डॉ. सत्येन्द्र ने इस प्रकार वर्गीकृत किया है :—

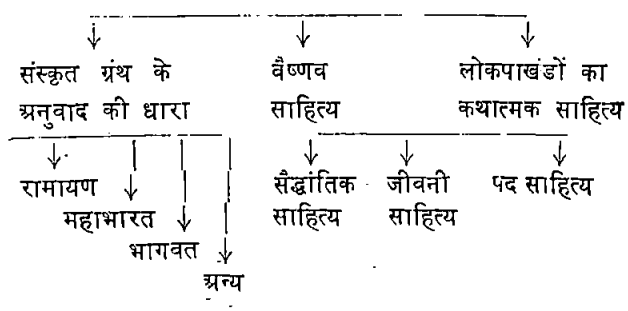

मध्यकाल के दौरान संस्कृत ग्रंथों के बंगला अनुवाद की भी अजस्र धारा बही। संस्कृत से अनुदित ग्रंथों में सत्रहवीं सदी में रचित काशीराम दास कृत 'महाभारत' और कृतिवास कृत 'रामायण' प्रमुख हैं। कृतिवास कृत 'रामायण' आज भी बंगाल के घर-घर में लोकप्रिय है। इसी काल के दौरान चैतन्य देव के जीवन पर आधारित अनेक चरितकाव्य लिखे गये। वस्तुतः उस दौरान वैष्णव जीवनी साहित्य की धूम-सी मच गई थी। इस श्रृंखला में वृन्दावन दास कृत 'चैतन्य भावगत', गोविन्ददास कृत 'कडचा', जयानन्द कृत "चैतन्य मंगल", कविराज गोस्वामी कृत, "चैतन्य चरितामृत", श्रीकृष्ण मुरारी गुप्त कृत 'श्री कृष्ण चैतन्य चरित्र' कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं। चैतन्य के सैद्धांतिक पक्ष पर भी पैंतीस से अधिक ग्रंथ लिखे गए जिनमें उनके शिष्यों—रूप तथा सनातन के ग्रंथ महत्त्वपूर्ण हैं। वस्तुतः चैतन्य साहित्य बंगाल और ब्रजभूमि का महत्वपूर्ण सेतु है जिसकी परिणति बहुत बाद में हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाए जाने के लिए बंगाल से उठे शक्तिशाली स्वर में होती है। चरित-साहित्य-काल में रचित सैद्धांतिक ग्रंथों में लोचनदास, नरोत्तम, मनोहरदास, कवि वल्लभ, ब्रजमोहन दास, नंदकिशोर दास, रामगोपालदास, पीताबंर दास की कृतियां महत्त्वपूर्ण हैं।

मध्यकाल के दौरान रचित कृष्णकाव्य का भी विशेष महत्त्व है। कृष्ण पद साहित्य के अंतर्गत कृष्ण का बाल्य-काल, राधा-कृष्ण प्रेम एवं प्रभास मुख्य विषय रहे। तत्कालीन कृष्ण-काव्य के रचयिताओं में मालाधर वसु तथा रामानंद वसु उल्लेखनीय हैं: कृष्ण-काव्य के अंतर्गत प्रभूत मात्रा में कीर्तन-काव्य रचा गया, और 'यात्रा' (अर्थात् बंगाल के लोकरंगमंच) का उद्भव हुआ। इस दौर के कुछ बाद ही बंगाल के हिन्दू-मुसलमान फ़कीरों ने सूफियों की भांति 'बाउलगीत' भी लिखे। बाउलगीतों में वैष्णव, सहजिया तथा सूफी मतों का लोकमांगलिक मिश्रण हुआ। लालन फकीर के बाउलगीत अधिक प्रसिद्ध हुए। आज भी बंगाल में बाउलगीत उत्तर भारत की 'कजरी' आदि की तरह प्रसिद्ध हैं। मध्यकाल में ही नाथ संप्रदाय की विचारधारा पर आधारित काव्यों की रचना भी की गयी। इसके अतिरिक्त, बंगाल के बहुत से मुस्लिम कवियों ने हिन्दू देवी-देवताओं और शास्त्रीय विषयों को अपने काव्य का आधार बनाया। इनमें सत्रहवीं शताब्दी के दौरान काजी और आलाओल, और चटगांव के सैयद सुलतान प्रमुख हैं। इन्होंने अपने काव्य से बंगला साहित्य को समृद्ध किया। इनके अतिरिक्त अनेक मुस्लिम कवियों ने बंगला में योग तथा वैष्णव-भक्ति के पद भी लिखे।

अंग्रेजों के आगमन के साथ ही बंगला साहित्य का आधुनिक काल प्रारंभ होता है। आधुनिक काल में बंगला साहित्य की चहुंमुखी प्रगति हुई, विशेषकर गद्य साहित्य, काव्य, उपन्यास और नाटक के क्षेत्र में बंगला की कीर्ति-पताका समस्त भारत में सर्वोच्च लहराने लगी।

सन् 1800 में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना होने पर श्रीरामपुर में स्थापित हुए प्रेस के माध्यम से बंगला-गद्य का प्रादुर्भाव और विकास आरंभ हुआ। इस विजय-यात्रा में विलियम केरी, डेविड हेयर, राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, प्यारीचांद मित्र तथा अक्षय-कुमार दत्त का योगदान अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक रहा। अक्षयकुमार दत्त ने निबंध, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने देश प्रेम की कविताओं एवं हेमचन्द्र बन्द्योपाध्याय ने नाटक को आरम्भ किया और आगे बढ़ाया।

सर्वप्रथम निबंध लेखन को ही लें तो राममोहन राय ने वेदांत ग्रंथ की रचना कर गद्य साहित्य को आधार भूमि प्रदान की। वे वस्तुतः हिन्दू धर्म को नये संदर्भों में ढालने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय श्रीरामपुर स्थित मिशन के प्रयत्न से 'दिग्दर्शन' नामक पत्रिका के जरिये ज्ञानोपयोगी निबंधों और 'समाचार दर्पण' नामक पत्र के माध्यम से धार्मिक निबंधों को गति मिली। अक्षयकुमार दत्त और विद्यासागर ने धर्म एवं दर्शन संबंधी निबंध, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, राजनारायण बसु तथा भू देव मुखर्जी ने शिक्षा तथा समाज संबंधी उत्तम निबंध लिखे। बंगला निबंध विकास के राममोहन राय युग की इति बंकिम युग के प्रारंभ से होती है। बंकिम युग में 'बंग दर्शन' के माध्यम से निबंधों में लोकमंगल की भावना प्रतिष्ठित हुई। इन निबंधों में पाश्चात्य एवं प्राच्य गुणों का सुन्दर समन्वय किया गया। बंकिम के अतिरिक्त इस युग के अन्य निबंधकारों में अक्षयचन्द्र सरकार, चन्द्रनाथ बसु, संजीवचन्द्र चटर्जी, हरप्रसाद शास्त्री, विश्वनाथ शास्त्री, रमेशचन्द्र दत्त और केशवचन्द्र सेन प्रमुख हैं। बंकिम युग के बाद रवीन्द्र युग प्रारंभ हुआ। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के अतिरिक्त इस युग के दो प्रमुख निबन्धकार चौधरी तथा रामेंद्र सुन्दर त्रिवेदी हुए। चौधरी के काल में 'चलित भाषा' और 'साधु भाषा' का विवाद उठ खड़ा हुआ। गुरु रवीन्द्र और चौधरी ने चलित-भाषा अर्थात् लोकभाषा का ही पक्ष लिया। गुरु रवीन्द्र ने निबन्ध-साहित्य में भी पर्याप्त योगदान दिया। उन्होंने मुख्य रूप से गंभीर दार्शनिक निबंध लिखे। अन्य निबंधकारों में अतुलचन्द्र गुप्त, सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त, सुधीर कुमार दासगुप्त, शशिभूषण दासगुप्त, विष्णुदत्त भट्टाचार्य ने काव्यशास्त्रीय पक्षों पर और डा. सुनितिकुमार, अन्नदा शंकर रे, सुधीन्द्रनाथ दत्त आदि ने व्यक्तिवादी पक्ष को लेकर निबंध लिखे। बंगला निबंध के आधुनिक युग प्रमुख निबंधकारों में डा. सुनीतिकुमार, डा. सुकुमार सेन, डा. निहार रंजन राय, डां. राधागोविंद, डां. हरेकृष्ण गोपाल हालदार, धुर्जटी प्रसाद मुखोपाध्याय, रमेशचन्द्र मजूमदार, विनय घोष आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों ने भाषा, साहित्य, समाज इतिहास, शिल्प, दर्शन आदि विषयों पर चिंतन प्रधान गंभीर निबंध लिख कर बंगला वाङ्मय को समद्ध किया है।

आधुनिक बंगला काव्य ने भारतीय काव्य की उच्चतम शिखरावलियों को छुआ है। आधुनिक बंगला काव्य की प्रारंभिक धारा 'गीतिकाव्य' में ईश्वरचन्द्र गुप्त, माइकेल मधुसूदन दत्त, बिहारीलाल चक्रवर्ती, सुरेन्द्रनाथ मजूमदार, देवेन्द्रनाथ सेन आदि का विशेष योगदान रहा। बीसवीं शती के प्रारंभ में बंगला साहित्य में गुरु रवीन्द्र का पदार्पण इस शती की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटनाओं में से एक रहा। डॉ. भाटिया ने ठीक ही लिखा है कि "बीसवीं" शती के पहले चार दशकों में बंगला साहित्य में कवीन्द्र रवीन्द्र छाए रहे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कृतियों से बंगला को विश्व प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सन् 1913 ई. में "गीतांजलि" पर साहित्य का नोबेल प्राइज़ प्राप्त होने के बाद कवीन्द्र रवीन्द्र का प्रभाव सभी भारतीय भाषाओं पर पड़ा। पूर्व ही पश्चिम को लाने का प्रयत्न रवीन्द्र ने किया। आध्यात्मिक भूमि पर उठा कर पश्चिम को भी पूर्व का संदेश दिया। गीतांजलि के अतिरिक्त 'कड़ी ओ कोमल', 'मानसी", 'चित्रा', 'उर्वशी', 'सोनार नदी', 'बलाका' प्रमुख कृतियां हैं। देशप्रेम की कविताएं भी लिखीं, वैष्णव भक्तों के लिए ब्रजबुलि में काव्य रचना की। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की जहां पर कालान्तर में 'विश्वभारती विश्वविद्यालय' विकसित हुआ।"

कवीन्द्र रवीन्द्र के अनुयायी सत्येन्द्रनाथ दत्त ने भी अनेक काव्यग्रंथों की रचना की। अन्य महत्त्वपूर्ण कवियों में जीवेन्द्रदत्त, द्विजेन्द्रनारायण, करुणानिधान वन्धोपाध्याय, यतीन्द्र मोहन बागची, कुमुदरंजन मल्लिक उल्लेखनीय हैं। इसी समय रोमान्टिक-काव्य से इतर एक समाज-सापेक्ष विद्रोह धारा नज़रूल इस्लाम के काव्य में प्रस्फुटित हुई। नज़रूल ने भी प्रभूत मात्रा में काव्य सृजन किया और उनकी 'अग्निवीणा' (सन् 1922) तथा 'धूमकेतु' नामक काव्य-कृतियां विशेष चर्चित हुईं।

बंगला काव्य के समकालीन दौर में भी अनेक महत्त्वपूर्ण कवि हुए जिनमें प्रेमेन्द्र मित्र, बुद्धदेव, जीवनानंद दास, विष्णु दे आदि अधिक चर्चित हुए।

नाटक के क्षेत्र में भी बंगला ने अग्रणी भूमिका निभाई है। बगला का पहला नाटक सन् 1854 में रामनारायण तर्करत्न द्वारा लिखा गया था। 'कुलीन कुल सर्वस्व' नामक इस नाटक का मंचन सन् 1858 में हुआ। तत्पश्चात् माइकेल मधुसूदन दत्त (1824-1873) ने अपने 'शर्मिष्ठा' (1859), 'पद्मावती', 'कृष्णकुमारी', 'एइके की बले सभ्यता', 'बड़ो शालिकेर घाड़े रोम', आदि नाटकों/प्रहसनों से सोद्देश्य नाट्य लेखन की नींव डाली। उनके नाटक प्रायः 'बेलगछिया रंगमंच' द्वारा अभिनीत हुए। इसके पश्चात [illegible] प्रवर्तक नाटककार दीनबंधु मित्र उपस्थित [illegible] 'नीलदर्पण' (1860 ई.) ने जिसमें [illegible] के मालिक अंग्रेजों के शो[illegible] पैदा कर दी। उनके अन्य नाटकों में सधवार एकादशी, नवीन तपस्विनी, कमले कामिनी, बिए पागला बुड़ो, जामाई बारिक आदि स्मरणीय हैं। परवर्ती काल में यतीन्द्र मोहन ने पथुरियाघाट रंगमंच की स्थापना की और वहां कई अनुदित नाटक खेले। इस दौरान और भी कई नाटककार हुए और बंगला नाटक तथा रंगमंच निरंतर विकसित होता गया। इसके बाद हुए महान नाटककार गिरिशचन्द्र घोष (1844-1911 ई.)। आपने कई ऐतिहासिक नाटक लिखे और खेले। स्त्री पात्रों को रंगमंच पर लाने का श्रेय भी आपको ही है। अमृतलाल बसु और अन्य कुछ नाटककारों ने परिहास पूर्ण नाटक खेले और लिखे। इसके बाद अब तक के नाटककारों में सर्वाधिक प्रतिभा-संपन्न नाटककार द्विजेन्द्रलाल राय अवतरित हुए। द्विजेन्द्रलाल राय के सामाजिक सन्दर्भों वाले ऐतिहासिक नाटकों ने अच्छी-खासी धूम मचायी। इसके उपरान्त रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने नाटक के नवीन युग के द्वार अपने तमाम नाटकों से खोल दिये। उनके चर्चित नाटकों में से 'काल मृगया' (संगीत नाटक), 'मायार वेला' (संगीतिका), प्रकृतिर प्रतिशोध (नाटकीय काव्य), चित्रा (गीतिनाट्य), फाल्गुनी (संगीत ऊहा नाटक), रक्त करबी (ऊहा नाटक), विदाय विलाप (संवाद एकांकी) शारदोत्सव (प्रतीक नाटक), डाकघर आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

समकालीन नाटककारों में बादल सरकार सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। अन्य नाटककारों में सलिल सेन, नीहार रंजन, रवीन्द्रनाथ मैत्र, धनंजय वैरागी आदि प्रमुख हैं।

जैसाकि अन्यत्र उल्लेख किया गया है बंगला गद्य साहित्य का शुभारंभ फोर्ट विलियम कालेज से हुआ। सन् 1852 में बंगला के प्रथम उपन्यास 'करुण ओ फुलमनि' का प्रकाशन हुआ। सन् 1858 में टेकचन्द्र ठाकुर रचित उपन्यास 'आलालेर घरेर दुलाल' का प्रकाशन हुआ। परवर्ती काल में बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय के सरस एवं भावोत्तेजक उपन्यासों ने धूम मचा दी। बंकिम आज भी पूरे भारत में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले उपन्यासकारों में से हैं। उनके चर्चित उपन्यासों में 'दुर्गेशनन्दिनी', 'कपाल-कुण्डला', 'आनंदमठ' आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। आनंदमठ में दिया [illegible] 'वन्देमातरम्' का गीत तो सच्चे भारतीयों के [illegible] आज तक ऊंची हिलोर उठाता है। तत्प[illegible] सर्वाधिक पठित भारतीय उप[illegible] हुआ। शरत ने [illegible] प्रेम[illegible]

ने अपने गणदेवता, धातु देवता, कालिन्दी आदि उपन्यासों से बंगला साहित्य में अद्वितीय स्थान पाया। परवर्ती कथाकारों में महाश्वेतादेवी, आशापूर्ण देवी, जरासंध, बन फूल मनोजबसु, शंकर, विमल मित्र, समरेश बसु, सुनील गंगोपाध्याय आदि अनेक रचनाकार सक्रिय एवं चर्चित रहे। आरंभ से आज तक बंगला कथा साहित्य ने पूरे भारत में लोकप्रियता पायी है और अन्य भारतीय भाषाओं के कथा-साहित्य पर व्यापक प्रभाव डाला है। अनुवाद भी सर्वाधिक बंगला कथा-साहित्य का हुआ है। मलयालम भाषी भी बंगला उपन्यासों के अनुवाद बहुत चाव से पढ़ते हैं।

यद्यपि पिछले 25-30 वर्षों में हिन्दी साहित्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है। विशेष रूप से हिन्दी कविता और हिन्दी कहानी दुनिया की किसी भी भाषा की कविता-कहानी से टक्कर ले सकती है। तथापि बंगला साहित्य समग्र रूप से आज भी भारतीय साहित्य परिदृश्य में अपनी श्रेष्ठता बनाए हुए है। नाटक के क्षेत्र में तो मराठी और कन्नड़ के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा बंगला-नाटक की उच्चता की बराबरी का विचार भी नहीं कर सकती।

जहां तक ज्ञान साहित्य का प्रश्न है, साहित्यिक उपलब्धियों की तुलना में बंगला भी अभी काफी पीछे है। फिर भी, जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान-साहित्य तथा तकनीकी साहित्य बंगला में उपलब्ध है उसका उपयोग हिन्दी के ज्ञान/तकनीकी साहित्य की तुलना में कहीं बेहतर हुआ है। इसका कारण है 17% साक्षरता वाले पश्चिम बंगाल के बंगला-भाषियों को पढ़ने का चाव। वे खरीद कर पढ़ना जानते हैं। यही कारण है कि प्रायः 60 प्रतिशत साक्षरता वाले दिल्ली शहर की तुलना में पश्चिम बंगाल में अधिक प्रतिशत पुस्तकों की बिक्री होती है। आज का हिन्दी पुस्तक व्यवसाय जहां, सरकारी या थोक खरीद पर आश्रित है वहीं बंगला पुस्तकें एक-एक करके पाठकों द्वारा खरीदी जाती हैं। यहां तक कि कलकत्ता के पुस्तक मेलों में बंगाली पाठक लाइन लगाकर रवीन्द्र रचनावली, शरत साहित्य एवं अन्य पसंदीदा पुस्तकें खरीदते हैं। हिन्दी क्षेत्र में तो इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

[illegible] साहित्य अकादमी द्वारा सन् 1955 से [illegible] में से कुछ इस प्रकार हैं— [illegible] अमिय चक्रवर्ती, सुभाष मुखोपाध्याय, विष्णु दे, मनीन्द्र राय, नरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, शंखघोष आदि, **कथा-साहित्य** : ताराशंकर बंद्योपाध्याय, गजेन्द्र कुमार मित्र, मनोज बसु, विमल कर, मैत्रेयी देवी, परशुराम आदि। **नाटक एवं अन्य** : बुद्धदेव घोष, आनंदशंकर राय, शशिभूषण दासगुप्त, बुद्धदेव बसु, महाश्वेता देवी आदि।

राजभाषायी विकास :

पश्चिम बंगाल की प्रमुख भाषा होने के कारण बंगला को वहां की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गयी है। तथापि उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों, यथा-दार्जिलिंग आदि में नेपाली को और संथाली क्षेत्रों में संथाली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उन क्षेत्रों के जन-सम्पर्क वाले राज्य सरकारी कार्यालयों में यथास्थिति अधिकांश कार्य नेपाली या संथाली में होते हैं। पश्चिम बंगाल के बाकी क्षेत्रों में राज्य सरकार के कार्यालयों में से अधिकांश में कुछ-न-कुछ, और कहीं-कहीं काफी कार्य बंगला में किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में भी यथास्थिति बनी हुई थी, अर्थात् सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का ही प्रयोग होता था। सन् 1961 में रवीन्द्र शतवार्षिकी के अवसर पर आदेश जारी करके राज्य सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों से सरकारी कामकाज में बंगला का प्रयोग करने का अनुरोध किया जिसका अत्यन्त प्रभाव पड़ा। तत्पश्चात् 1972 ई० में फिर कानूनी तौर पर बंगला को सरकारी कामकाज में लाने का प्रयास किया गया। सन् 1977 में इस दिशा में कानून बना कर एक बार फिर ज़ोरदार कोशिश की गई।

आज पश्चिम बंगाल में बंगला के प्रयोग की स्थिति यह है कि कलकत्ता शहर में जहां पश्चिम बंगाल की बंगला भाषी का प्रायः एक-तिहाई हिस्सा बसता है राज्य सरकार के अधिकांश कार्यालयों में बंगला का 30 से 40% तक प्रयोग होता है। राज्य सरकार के मुख्य कार्यालय 'राइटर्स बिल्डिंग' में प्रायः 50% कार्य बंगला में होता है जबकि कलकत्ता महानगर में बिखरे अधिकांश राशनिंग और प० बंगाल लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों में प्रायः अंग्रेजी में ही काम होता है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में स्थित ब्लाक पंचायत, राशनिंग आदि के और अन्य प्रकार के सरकारी कार्यालयों में अधिकांश कार्य बंगला में होता है। राज्य सरकार के अधिकतर मंत्री बंगला में ही निदेश देते/लिखते हैं। प्रिय लोक भाषा होने के कारण घर-परिवार, बाजार, नामपट्टों आदि में भी बंगला ही का प्रयोग प्रायः होता है। फिर भी एक बात हर स्तर पर महसूस होती है कि बंगला की साहित्यिक सम्पन्नता की तुलना में उसकी राजभाषायी प्रगति विशेष प्रभावशाली नहीं है।

□

पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य

मराठों के राजकाज में हिन्दी

□डॉ. रामबाबू शर्मा*

राजपूत सल्तनत तथा मुगल शासकों की भाँति मराठा शासकों की राजभाषा हिन्दी ही थी। अठारहवीं शती के पूर्वार्द्ध में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ-साथ जब मराठों ने मालवा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, बुंदेल खण्ड के शासन में हिस्सा प्राप्त किया, राजस्थान और पंजाब पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रयत्न प्रारंभ किए और उत्तर भारत में हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गया आदि तीर्थों में अपना प्रभाव और शासन स्थापित कर लिया तब उनका सम्पर्क व्यापक रूप से उत्तर के नरेशों, अधिकारियों, व्यापारियों और किसानों के साथ हुआ। ऐसी स्थिति में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन मराठा राजाओं, पेशवाओं और सरकारों को अपने प्रशासन की व्यापकता के साथ-साथ हिन्दी को अपने राजकाज की भाषा बनाना पड़ा।

मराठा शासकों का दैनिक राजकाज हिन्दी भाषा के माध्यम से संचालित होता था। राजकाज से सम्बद्ध अनेकानेक प्रमाण पत्र, निर्देश, राजनीतिक और आर्थिक समझौते, संधि-पत्र, किसानों से वसूल की गई रकमों की रसीदें एवं अन्य प्रकार के पत्र हिन्दी में ही लिखे जाते हैं। इन शासकों के राजकाज से सम्बद्ध सैकड़ों प्रलेख राज्य अभिलेखागार, बीकानेर पेशवा दफ्तर, पुणे तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली, से प्राप्त हुए हैं। इन पत्रों के अध्ययन से हिन्दी का तत्कालीन समाज संस्कृति, इतिहास, धर्म राजनीति आदि पर जो प्रभाव पड़ा है उसकी विराट जानकारी प्राप्त होती है। मराठा प्रशासन में राजकाल चलाने के लिए जिन हिन्दी वाक्यांशों, उपवाक्यों का प्रयोग होता था, वे तत्कालीन सरल, सुलभ, लोक प्रचलित, संक्षिप्त तथा अर्थपूर्ण भाषा में होते थे। इन वाक्यांशों के प्रयोग से यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है कि जनभाषा ही राजभाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित हो सकती है तथा राजभाषा के प्रयोग में उन व्यक्तियों का बराबर ध्यान रखना पड़ता है जिनके लिए वह भाषा प्रयोग में लाई जा रही हो। इस संबंध में मराठा दस्तावेजों से उद्धृत कतिपय वाक्यांश देखिए।

(1) "ये काम वातर संकुजी मौसले पठाया है"

(2) संकुजी मौंसले कहे सो प्रमान करना" (सं. 1849)

(3) "सनद्दि लिपि दही श्री महाराजा जी राजा बहादूर नारी शकर जी की सरकार ते।" (अठारहवीं शती के हिन्दी पत्र डा. केलकर)

(4) "आग्या पत्र पंडत श्री बाजी राउमुष प्रधान बचनात पटेल मौजे उजुपु।"

(5) "अप्रच फाज का मुकाम नजीक आया है तो तुम बातर जमा से मौलने कु आवजौ"

(6) "अस यहां वरीफ की किस्तवंदी करी है"

(7) तहसील करके बजाना नरसिंहार पहुंचा के"

इन सुरक्षा, अर्थ, कृषि आदेश-संदेश, सूचना, राजस्व आदि से सम्बद्ध वाक्यांशों से थोड़े से बहुत कहने की उक्ति स्पष्ट रूप से चरितार्थ होती है। इस प्रकार के हजारों उपवाक्य इन प्रलेखों सदर्भों में मार्गदर्शन का कार्य कर सकते हैं।

मराठा अभिलेखों में प्रशासन से सम्बद्ध विभिन्न विभागों की पारिभाषिक शब्दावली प्राप्त होती है। यह वह लोक प्रचलित शब्दावली है जो हमारे जन-जीवन में आत्मसात

*सी–2/136 जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058

हो गई है तथा इस शब्दावली का प्रयोग हमारे असंख्य किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और विद्वानों के द्वारा आज भी उनके दैनिक व्यवहार में यथावत होता है। इस शब्दावली की जानकारी से हमारी पारिभाषिक शब्दावली संबंधी समस्या का समाधान आंशिक रूप से अवश्य हो सकता है तथा हमारे कुछ सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के मन में हिन्दी के प्रति जो एक निराशात्मक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, उसका समाधान भी सरलता से हो सकता है। वे जैसे ही इस परिचित पारिभाषिक शब्दावली को पढ़ेंगे उन्हें ऐसा प्रतीत होगा मानों वे राजभाषा हिन्दी से बहुत पहले से परिचित थे और ऐसी स्थिति में हिन्दी में काम करना उनके लिए एक रूचिकर कार्य होगा। उदाहरणार्थ मराठों के विभिन्न विभागों से सम्बद्ध कतिपय पारिभाषिक शब्द देखिए जो तत्कालीन प्रचलित वर्तनी के आधार पर लिखे गये हैं।

कतिपय अधिकारियों के नाम :—

अमीन, कानुगो, किलेदार, जमातदार, दीवान, पौहरदार, महाराजा, पुदाराज्य, कामदार, खुफिया, नवीस, पंडितराव, मुष, प्रधान, कारकून, गुमास्त, चौकीदार, पातसिह, राऊ राजा, जासुल, सूबेदार, पंतप्रधान, सरदार, महारानि, जैढे सरकार।

शासन व्यवस्था संबंधी—

आबादी, कस्बा, खालसै, इनामी जागा, पठारी, तहसील, गिर्द, वक्सी

शासन व्यवस्था सम्बन्धी—

अर्ज, आग्या, चाकरी, तैनात, दरबार, फरमाना, मनसूगा, मुकदमा, अखतयार, करार, वचन, कैद, डाके, दफ्दर, नजराना, पखाना, मेंट, मुखत्यारी, दफदर दीवानी, राजकाज।

भूमि तथा राजस्व सम्बन्धी—

आबादी, कस्बा, खालसै, इनामी, जागा, पठारी, तहसील, गिर्द-वक्सी, खड़ी चुकावना, जमावासिल, जागीर, जिमीदारी, परगना, पेशकसी, खरीद की किस्तबन्दी, फसल हवेली, हीसा, वीछे हुंडी, महसूल, चुंगी, हासल।

सेना तथा युद्ध सम्बन्धी —

असवार, काम आना, खुफिया, चौकी पहारा, छापा, जाखमी, जोरावरी, आक्रमण, मैदान, गोली, घीराव, डेरा, फोजसीबंदी (मिलीटरी एस्टेबिलशमेंट), लस्कर, मरजाद, जावखाना, बंदबस्त, संरक्षण, हंगामा, हदपार, सेना।

अर्थ सम्बन्धी—

कीमत, उधार, नकद, ब्याज, तोरा (टूट) कर्ज, जमा दर, रिन (ऋण), हुंडी, खजाना, मुद्रा, रोक हिसेस, रूपा, पैसा।

राजकाज संबंधी इन मराठा हिन्दी दस्तावेजों में परिभाषिक शब्दावली ही नहीं, अपितु ऐसे असंख्य मुहावरे भी पाये जाते हैं जो प्रशासन संबंधी विभिन्न विभागों से सम्बद्ध है। इन मुहावरों के माध्यम से जटिल से जटिल विषयों को सरल बनाने तथा सरल संक्षिप्त ढंग से बहुत कुछ कह देने की प्रवृत्ति का पता लगता है। ये मुहावरे केवल हिन्दी के ही नहीं, अपितु निकटवर्ती अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से भी तत्कालीन हिन्दी भाषा में आत्मसात हो गये हैं अतः हमें इन राजकाज संबंधी मुहावरों का हृदयगंम करना चाहिए। उदाहरणार्थ प्रशासन संबंधी कतिपय मुहावरे :—

मोर्चा उठाना, ठिकाना, नजर न आना, अमल वहाल करना, गादी पर दावत करना, तहस-नहस करना, अव ने करना (संबंध सुधारना), चरन देखना।

मराठी से प्रभावित मुहावरे

चौकसी करना (तलाशी करना), फौज पर चाल करना (आक्रमण करना), मड़ीसर करना (अधिकार कर लेना), घोड़े चलना (घुड़सवारों के दस्ते से आक्रमण करना), गर्द न करना (क्षमा न करना)।

मुगल प्रशासकों की भांति ही मराठा प्रशासकों के यहां भी भिन्न-भिन्न प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता था। इस पत्रों में टिप, सनधि, आग्या पत्र, कबज, याददास्ति, अर्जदास्ति, रुक्का, जमावसित, कावजा, कबुलीअति एवं रसीद विशेष रूप से उल्लेखित है। टिप आधुनिक टिप्पणी का ही नाम था। यद्यपि इस पत्र का प्रयोग विविध विषयों के लिए किया जाता था तथापि मराठा कालीन प्राप्त सामग्री के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस पत्र का प्रयोग विशेषकर आर्थिक विषयों के लिए ही किया जाता था।

इसी प्रकार मराठा कालीन सनधि, आगयापत्र, कबुल, अर्जदास्ति, कुमावासिल, कबुलीअति, रसीद एवं नकल, क्रमशः वर्तमान प्रमाण पत्र कार्यालय. आदेश, अधिकार पत्र, प्रार्थना-पत्र, स्मरण पत्र, जमा तथा वसूली पत्र, स्वीकृत पत्र, पावती तथा प्रतिनिधि प्रतिलिपि के लिए प्रयुक्त होते थे।

मराठा शासकों के इन राजकीय हिन्दी पत्रों की लेखन पद्धति परम्परागत थी। इन पत्रों के प्रारंभ में सरकारी मुहर "।" का अंक मंगलसूचक शब्द पत्र का प्रकार तथा नकल अथक चीठी लिखा जाता था। ये मुहरें प्रायः गोलाकार होती थी तथा इसके मध्य में सम्बद्ध प्रशासक एवं राज्य का नाम होता था। न्याय संबंधी पत्रों मुहरों में, सम्बद्ध न्यायालय का प्रकार स्थान का नाम, उसकी संख्या एवं स्थिति आदि अंकित किये जाते हैं। "।" का अंक एकमेव ब्रहम का प्रतीक होता था। तत्पश्चात् श्री लक्ष्मी करंत, "राम" आदि मंगल वाचक शब्दों का प्रयोग होता था। इसी क्रम में पत्र का नाम "ली" अथवा "लिखतंग" प्राय के सम्मान में "राजमान्ये" राजाश्री "श्री वड़ा साहेब, गरीब प्रवर, राजश्री पंडित दीवान, राजकाज धुरंधर श्री मुख्य प्रधान, अभिवादन के लिए "सलामत" सलमति आशीवाद, वाचन्ये, राम-राम" निमसकार, दंडति आदि कुशल क्षेम संबंधी विभिन्न प्रकार के वाक्यांश, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा शिकायत आदि संबंधी मुख्य विषय एवं पत्र के अंत में शिष्टाचार एवं नम्रता. संबंधी वाक्यांश

...शेष पृष्ठ 27 पर

विश्व हिंदी दर्शन

नेपाल

पड़ोस में हिंदी की गूंज

□ डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद साह (नेपाल)

भारत नेपाल अनादि काल से ही भूगोल और एक ही सांस्कृतिक धारा के अटूट साझीदार रहे हैं। हिमालय दोनों देशों के लिए आत्म साधना का स्थान रहा है, अनंतकाल से हिमालय की विशाल चोटियों ने दोनों को आध्यात्मिक शक्ति दी है।

नेपाल में जाकर बसे आर्य हिन्दी प्रदेश से गुजरे थे और अपने साथ यहां की भाषा भी ले गये थे, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि नेपाल में हिन्दी बहुसंख्यक आबादी के द्वारा समझी और पढ़ी जाती है हिन्दी और नेपाली भाषाओं का क्षेत्र आसपास होने के कारण हिन्दी ने नेपाली पर पर्याप्त प्रभाव डाला है, भाव और भाषा दोनों क्षेत्रों में हिन्दी ने नेपाली को वर्तमान रूप में आने में बहुत सहयोग दिया है, भारत का साहित्य–विशेषतः हिन्दी साहित्य भी नेपाली जनमानस को प्रभावित करता रहा था, आशय यह कि नेपाली साहित्य में तेजी से आधुनिक काल लाने का श्रेय बहुत कुछ भारतीय परिस्थितियों और विशेषतः हिन्दी साहित्य को है।

नेपाली और भारतीय सदा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आपस में आ-जाकर आत्मीयता का विस्तार करते रहे हैं। इसके अलावा हजारों नेपाली छात्र भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारतीय महाविद्यालयों में आते रहे हैं, उनका मुख्य अध्ययन-केन्द्र बनारस तथा पटना रहा है जो हिन्दी भाषी क्षेत्र हैं, फलस्वरूप उनकी भाषा पर हिन्दी का प्रभाव पड़ता रहा है।

नेपाली का विकास शौरसैनी प्राकृत से हुआ है। इसलिए यह अस्वाभाविक नहीं है कि शौरसैनी शाखा से विकसित हिन्दी गुजराती आदि भाषाओं से यह बहुत अधिक मिलती है। दोनों भाषाएं अंततः एक ही मां संस्कृत की संतान है, इसलिए दोनों के शब्द भंडार एवं क्रिया में अदभुत समानता है। दोनों के वाक्य-विन्यास का ढंग भी एक ही है, दोनों की एक ही समान लिपि देवनागरी है, इसलिए नेपाली भाषी को हिन्दी सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती, यही कारण है कि आज नेपाल में हिन्दी बहुत ही प्रचलित, समझी और पढ़ी जाने वाली भाषा है, नेपाल की एक बहुत बड़ी आबादी, 'मधेसी' कहलाती है जो कभी मध्य प्रदेश के निवासी रहे होंगें। ये हिन्दी प्रदेश के लोग हैं जो अपने साथ अपनी भाषा भी ले गये। वे लोग हिन्दी को बहुत ही सरलतापूर्वक बोलते और लिखते हैं बल्कि कहना चाहिए कि नेपाली की तुलना में हिन्दी को ही अधिक सरल मानते हैं।

आधुनिक काल में हिन्दी के फैलने में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका सिनेमा तथा पत्र-पत्रिकाओं ने निभायी है। वैसे नेपाल में हिन्दी के उपन्यास तथा कथा-साहित्य भी रुचि के साथ पढ़े जाते हैं। पर जन-सामान्य में हिन्दी के प्रचलन का कारण फिल्म एवं पत्रिकाएं ही हैं, नेपाल में अभी फिल्म उद्योग बाल्यावस्था में है और बहुत जोड़-तोड़ के बावजूद मात्र दो फिल्में बन पायी हैं, आधुनिक, काल में मनोरंजन का यह साधन हर जगह अत्यन्त ही लोकप्रिय हो गया है, फलस्वरूप, नेपालियों के सामने इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया है कि वे हिन्दी फिल्म देखें जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हिन्दी नेपालियों के लिए सबसे निकट की तथा सर्वाधिक सरल भाषा है, यही कारण है कि आज नेपाल के सिनेमागृहों में हिन्दी फिल्मों का प्रदर्शन आम है।

समिति समाचार

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

1. खान विभाग

खान विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयुक्त सचिव श्री बी. दासगुप्ता की अध्यक्षता में 28-12-89 को हुई बैठक सम्पन्न हुई। समिति के नए अध्यक्ष के रूप में संयुक्त सचिव श्री बी. दासगुप्ता का स्वागत किया गया। तदन्तर पूर्व बैठक के कार्यवृत्ति की पुष्टि की गई। चर्चा और निर्णय इस प्रकार है :—

1. प्रदर्शनी-प्रचार सामग्री में हिन्दी का प्रयोग

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि (डा. महेश गुप्त, निदेशक) ने इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला मंडल में नाल्को की प्रचार सामग्री पुस्तिकाएं आदि केवल अंग्रेजी में होने की बात उठाई। हिन्दी भाषी राज्यों के ग्रामीण लोग भी मेला देखने आए थे जो अंग्रेजी नहीं जानते थे। अत: वे लोग एल्यूमिनियम के महत्व और नाल्को के योगदान के बारे में कुछ नहीं जान सके। निर्णय हुआ कि इस बारे में नाल्को सहित सभी कम्पनियों/संगठनों को लिखा जाए कि वे विभिन्न प्रदर्शनी मंडपों में अपनी प्रचार सामग्री हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में छपवा कर आम जनता के लिये पेश किया करें और हिन्दी में समझाने वाले व्यक्ति भी मंडप में तैनात किया करें।

2. अधीनस्थ कार्यालयों भारतीय भू-सर्वे आदि में हिन्दी पदधारियों का काडर बनाना।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डा. गुप्त का कहना था कि समय आ गया है कि भारतीय भू-सर्वे आदि में हिन्दी संवर्ग बनाया जाए। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग और सीमा शुल्क विभाग में काडर बनाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस पर समिति के सदस्य सचिव श्री चौहान ने सूचित किया कि आयकर और सीमा शुल्क विभागों में हिन्दी पदाधिकारियों की संख्या अधिक है जबकि भारतीय भू-सर्वे, आदि में काफी कम है। वैसे निम्नतम पद अनुवादक आदि से उच्च पदों तक पदोन्नति का समुचित प्रावधान है। पहले हम भूसर्वे आदि के लिए विभिन्न पद बनाने और खाली पदों को तत्परता से भरने में लगे हैं। भू-सर्वे आदि में कुछ अन्य श्रेणी के पदों का भी अभी काडर नहीं है। और कुछ काडरों की योजना आयोग के सहयोग से समीक्षा की जा रही है। श्री गुप्त का कहना था भूसर्वेक्षण संस्था में योजनागत हिन्दी पदों के सृजन पर भी विचार किया जाए। सचिवों को पद सृजन की शक्तियां हैं उनका उपयोग किया जाए। निदेशक श्री गोपालकृष्णन ने इससे सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन के शेष चार क्षेत्रीय कार्यालयों/विंगो के लिये भी एक-एक हिन्दी अधिकारी पद स्वीकृत किया जाए।

3. हिन्दुस्तान जिंक लि. आदि उपक्रमों में हिन्दी पदधारियों का काडर तथा पदोन्नति सुविधा

ये प्रस्ताव भी राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री गुप्त का था। इस प्रसंग में उपनिदेशक ने सूचित किया कि यों तो खान विभाग के उपक्रमों में हिन्दी पदधारियों को पदोन्नति की सामयिक सुविधायें हैं किन्तु हिन्दी पद काडर किसी कंपनी में नहीं है। श्री गुप्त का कहना था कि हिन्दुस्तान जिंक लि. में एक वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी सहित अन्य स्टाफ गत 8 साल से प्रोन्नति से वंचित है। उन्हें बताया गया कि विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की 12-9-89 को बैठक के निर्णय के अनुसार, हिन्दुस्तान जिं. लि. में हिन्दी पदधारियों की पदोन्नति की कार्यवाही चल रही है। हिन्दुस्तान कांपर लि., बाल्को आदि में ये कार्यवाही पूरी हो गयी है और पात्र लोगों को उच्च ग्रेड यह पदोन्नति दे दी गई है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने मेटल 2 के अनुभाग अधिकारी श्री कोंडन से कहा कि वे हिन्दुस्तान जिंक लि. से हिन्दी पदधारियों की प्रोन्नति की स्थिति मालूम करें। सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि काडर होने से स्वत: पदोन्नति के

अवसर सुलभ होते हैं अतः हिन्दुस्तान जिंक लि० आदि उपक्रमों द्वारा हिन्दी पद काडर की योजना बनायी जाए और इस बारे में मंत्रालय से आवश्यक सहयोग लिया जा सकता है।

4. अधीनस्थ कार्यालयों में खाली हिन्दी पदों को भरा जाना

समिति को बताया गया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में कनिष्ठ अनुवादकों के 24 पदो में स 16 पद अभी रिक्त हैं। इसी तरह कुछ पद भारतीय खान ब्यूरो में भी रिक्त हैं और इन पदों को गत 5/6 वर्षों से कर्मचारी चयन आयोग की मार्फत भरना संभव नहीं हुआ है। कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न स्तरों से समय-समय पर इस बारे में लिखा जाता रहा है, फिर भी स्थिति में सुधार नहीं है। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि का कहना था कि ऐसी स्थिति में भर्ती कार्यवाही कर्मचारी चयन आयोग और या संघ लोक सेवा आयोग के दायरे स बाहर लेकर खाली पदों को शीघ्र भरने की पहल की जा सकती है। तय हुआ कि संबंधित भर्ती आयोग के अध्यक्ष को इस बाबत पत्र लिखा जाए।

5. भूसर्वेक्षण रिपोर्टें हिन्दी में तैयार करना और प्रोग्रैमिंग बोर्ड के विचारार्थ हिन्दी में ही प्रस्तुत करना

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जयपुर क्षेत्र के कुछ भूविज्ञानियों द्वारा सर्वे रिपोर्टें हिन्दी में तैयार करने की सराहना की गई। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि की राय थी कि प्रोत्साहन की दृष्टि से भूवैज्ञानिकों द्वारा हिन्दी में तैयार रिपोर्टें बोर्ड के सम्मुख हिन्दी में ही प्रस्तुत की जाएं। निदेशक श्री गोपालकृष्णन ने बताया कि ऐसा करना रिपोर्ट तैयार करने के प्रयोजन के अनुकूल नहीं होगा क्योंकि बोर्ड के अनेक सदस्य हिन्दी का ज्ञान नहीं रखते हैं तथा सर्वे रिपोर्टों की प्रतियां अहिन्दी क्षेत्र की राज्य सरकारों के राज्य भूवैज्ञानिक प्रोग्रैमिंग बोर्ड को भी भेजी जाती हैं। वे इस बात से सहमत थे कि भूवैज्ञानिक रिपोर्ट हिन्दी में बनाना कठिन अवश्य है, किन्तु असंभव नहीं है। अतः बोर्ड की बैठकों में भू सर्वे रिपोर्टें केवल हिन्दी में रखना फिलहाल सही नहीं होगा। हां, योग्य अनुवादकों की सेवायें सुलभ होने पर, इन रिपोर्टों के हिन्दी पाठ एजेंडा में शामिल किये जा सकते हैं और हिन्दी+अंग्रेजी मिली-जुली भाषा में चर्चा हो सकती है।

6. तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षार्थियों को हिन्दी सिखाना

अध्यक्ष महोदय का कहना था कि इस विभाग के अन्तर्गत कार्यरत भूवैज्ञानिक/धातुविद विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ कर आते हैं और उनमें से अधिकतर हिन्दी नहीं जानते, इसलिए उन्हें हिन्दी में काम करने में कठिनाई होती है। उनका सुझाव था कि जी० एस० आई० प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में प्रशिक्षण के दौरान प्रोबेशनर जियोलाजिस्ट्स आदि को नियतकालिक गहन हिन्दी प्रशिक्षण देकर हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान देने की व्यवस्था की जा सकती है, जैसा कि रेलवे स्टाफ कालेज बड़ोदरा में है। उप-निदेशक (श्री चौहान) का कहना था कि जी० ए० एस० आई० प्रशिक्षण संस्थान में गहन हिन्दी प्रशिक्षण (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ) का वही पाठयक्रम अपनाया जा सकता है, जो केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग दिल्ली में है। तय हुआ कि संबंधित पक्षों को इस बारे में आवश्यक कार्यवाही के लिये लिखा जाए।

7. (क) हिन्दी आशुलिपि/टंकण में प्रशिक्षण तथा (ख) हिन्दी आशुलिपि/टाइपिंग जानने वाले उम्मीदवारों की भर्ती

(क) राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि का कहना था कि विभाग के अनेक कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपि और टाइपिंग प्रशिक्षण की गति अत्यन्त धीमी है। उन्हें बताया गया कि छोटा किन्तु वैज्ञानिक विभाग होने के नाते इस विभाग में स्टेनोग्राफरों/टाइपिस्टों के पद तो कम स्वीकृत हैं किन्तु काम अत्यधिक बढ़ा हुआ रहता है। इससे इन लोगों को प्रशिक्षण के लिये भेजने से काम में बाधा पड़ती है। फिर जो स्टैनोग्राफर हैं, उनमें आधे से अधिक 52 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं और हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण में शामिल होने के बावजूद भी वे संबंधित परीक्षा पास नहीं कर पाते। श्री गुप्त का कहना था कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण व्यक्तियों से भी हिन्दी डिक्टेशन का काम लिया जा सकता है। समिति को सूचित किया गया है कि विभाग के 3 आशुलिपिकों और 3 टाइपिस्टों को जनवरी-फरवरी 1990 से शुरू सत्र के लिये नामित किया जा रहा है। विकल्पतः कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से हिन्दी जानने वाले आशुलिपिकों और टाइपिस्टों की ही मांग की जाती रही है और फलतः एक हिन्दी आशुलिपिक अभी नामित हुआ है। आगे भी हम स्थापना विभाग की मार्फत इस प्रकार मांग करेंगे। उपक्रमों/कार्यालयों द्वारा भी हिन्दी आशुलिपि/टाइपिंग प्रशिक्षण की गति तेज करनी चाहिए।

(ख) समिति का निर्णय था कि सरकारी उपक्रमों को भी केवल अंग्रेजी शार्टहैंड जानने वाले स्टैनोग्राफर न मांग कर दोनों भाषाओं में और या हिन्दी आशुलिपि के उम्मीदवारों से आवेदन लेने चाहियें और इसी आशय का विज्ञापन में इसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।

8. हिन्दुस्तान कॉपर लि. में हिन्दी प्रयोग की स्थिति

इस उपक्रम की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करते हुए यह पाया गया कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित यूनिटों—खेतड़ी, मलाजखंड आदि में हिन्दी प्रयोग की स्थिति काफी शिथिल है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण अनुपालन नहीं है। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित

लक्ष्य से काफी कम प्रतिशत में मूल पत्र हिन्दी में भेजे जा रहे हैं। कम्पनी मुख्यालय से भी तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्टें समय पर नहीं मिलती हैं और अगर मिलती हैं तो ये ज्ञात नहीं होता कि मुख्यालय द्वारा उनकी सम्यक् समीक्षा की गई है अथवा नहीं। अतः निर्णय हुआ कि हिन्दुस्तान कापर लि. मुख्यालय द्वारा अपनी यूनिटों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति सुधारने के लिये तत्काल प्रभावी उपाय किये जाएं।

9. खनिज गवेषण निगम लि. में हिन्दी प्रयोग की स्थिति

एजेन्डा में प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा करते हुए पाया गया कि खनिज गवेषण निगम के पांच एरिया कार्यालयों के हिन्दी प्रयोग के आंकड़े नहीं हैं। संयुक्त सचिव का भी कहना था कि उन्होंने निगम के जयपुर और कलकत्ता स्थित कार्यालयों के निरीक्षण में पाया कि राजभाषा संबंधी विभिन्न निर्देश महीनों तक निगम मुख्यालय से एरिया कार्यालय नहीं पहुंचते हैं। बैठक में उपस्थित निगम के प्रतिनिधियों (श्री रावत) से अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे उपर्युक्त दोनों तथ्य निगम मुख्यालय के ध्यान में लायें तथा प्रत्येक एरिया कार्यालय की तिमाही हिन्दी रिपोर्ट (अलग-अलग) समीक्षा सहित मंत्रालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

10. भारतीय खान ब्यूरो में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति

समिति ने पाया कि ब्यूरो मुख्यालय में ही राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पालन नहीं हो रहा है। मूल पत्राचार के प्रसंग में मुख्यालय ने 76% पत्र भेजे गये दिखाए हैं। लेकिन उससे ये प्रकट होता है कि ये आंकड़े केवल मुख्यालय के हैं अथवा इनमें क्षेत्रीय कार्यालयों के आंकड़े भी शामिल हैं। अतः मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय-वार आंकड़े भेजने की व्यवस्था की जाये।

11. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति

समिति ने पाया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उत्तर क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्यालयों में तथा प्रशिक्षण संस्थान में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) आदि का पूरा पालन नहीं किया जा रहा है। इन मुख्यालयों में मूल पत्राचार का प्रतिशत भी निर्धारित सीमा से काफी कम है, अतः मुख्यालय द्वारा इसमें सुधार के लिये प्रभारी व्यवस्था करनी चाहिए। साल में एक बार उनकी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेना चाहिये और निरीक्षण करना चाहिये।

12. हिन्दुस्तान जिंक लि. में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति

समिति ने पाया कि 30-9-89 को समाप्त तिमाही में **मुख्यालय को छोड़कर**, सभी एककों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का द्विभाषी पालन हुआ। हिन्दी में मूल पत्राचार के प्रसंग में केवल राजपुरा-दरीबा माइन्स एकक में 68% के आस-पास पत्राचार है। मुख्यालय और अन्य एकक की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः वहां तत्काल सुधार हेतु कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

13. नाल्को में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति

नाल्को मुख्यालय की स्थिति ठीक पायी गई। यूनिट कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग को आगे बढ़ाने के प्रसंग में बैठक में उपस्थित कम्पनी के राजभाषा अधिकारी श्री रमेश साहु ने बताया कि तिमाही रिपार्ट की मंत्रालय कृत समीक्षा के आधार पर, अंगुल व दामनजोडी एककों में पूर्व में केवल अंग्रेजी में जारी कागजात हिन्दी अनुवाद करके पुनः जारी कर दिये गये हैं। विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की 12-9-89 की बैठक के निर्णयों के अनुसरण में पांच नयी हिन्दी टाइप मशीनें खरीदी गयी हैं तथा दो मशीनों के लिये आदेश दिया गया है। कंपनी के सभी नियम द्विभाषी बना दिये गये हैं। हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था की जा रही है। उन्हें कहा गया है कि कारपोरेट कार्यालय के राजभाषा अधिकारी एक निरीक्षण दल के साथ साल में दो बार यूनिट कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति का निरीक्षण किया करें।

14. द्विभाषी इलेक्ट्रानिक इलेक्ट्रिक उपकरणों (टेलेक्स, कम्प्यूटर फैक्स आदि)

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के पूछने पर बताया गया कि खान विभाग में, भारतीय भूसर्वे के बंगलौर, जयपुर कार्यालयों में नाल्को मुख्यालय में टेलेक्स में द्विभाषी व्यवस्था हो गई है। निर्णय हुआ अन्य कार्यालयों/उपक्रमों को इस बारे में शीघ्र व्यवस्था करने तथा कम्प्यूटर प्रणाली में भी द्विभाषीकरण किये जाने हेतु कार्यवाही की स्थिति की सूचना मांगी जाए।

2. सम्पदा निदेशालय

निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 23-3-90 को निदेशक (संपदा) श्री चन्द्रसैन की अध्यक्षता में हुई।

1. पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर समिति ने अपनी सतुष्टि व्यक्त की और निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की :—

(क) जिन अनुभागों का "क" और "ख" क्षेत्रों में होने वाले पत्राचार का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम है उन्हें निदेश दिया गया कि वे इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत से अधिक कर लें क्योंकि इसका लक्ष्य 100 प्रतिशत है। ये अनुभाग हैं :—बाजार, सतर्कता व शिकायत, प्रादेशिक, टाईप ई, होस्टल, नीति, कार्यालय, एस.जी.ओ., समन्वय-2, एन. जी.-13, डी.यू.सी., मुकदमा।

(ख) हिन्दी टाइपराइटरों का प्रतिशत अभी 60 प्रतिशत नहीं है, इसे बढ़ाकर निर्धारित लक्ष्यानुसार 60 प्रतिशत किया जाए।

(ग) द्विभाषी मानक फार्म हिन्दी में भरे जाएं।

(घ) हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित किया जाए।

2. कार्यसूची की मद सं. 3 में बताई गई स्थिति की समीक्षा को समिति ने नोट किया और सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

(क) जिन कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण अभी तक नहीं दिलाया गया है उन्हें यथाशीघ्र हिन्दी प्रशिक्षण में नामित किया जाए।

(ख) कार्यशालाओं/हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण में नामित कर्मचारियों को प्रशिक्षण में जाने से रोका न जाए।

(ग) हिन्दी में डिक्टेशन देने को प्रोत्साहित किया जाए।

(घ) किसी भी अनुभाग का हिन्दी पत्राचार 50 प्रतिशत से कम न हो।

(च) जिन अनुभागों के पास हिन्दी में कार्य करने की पर्याप्त सुविधाएं हैं उन्हें विनिर्दिष्ट किया जाए।

(छ) सामान्य अनुभाग, हिन्दी अनुभाग हेतु एक इलेक्ट्रोनिक द्विभाषी टाइपराइटर की व्यवस्था करें।

(ज) हिन्दी पुस्तकों पर कम से कम पुस्तकालय अनुदान का 25 प्रतिशत धन व्यय किया जाए एवं बाजार में आवश्यक पुस्तकों की उपलब्धता पर इस धनराशि को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया जाए।

(झ) सामान्य अनुभाग/हिन्दी अनुभाग में टेलीफोन का डायरेक्ट कनेक्शन लगवाने की व्यवस्था करें। समिति ने सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री रघुनाथ सिंह की सेवाओं की अनिवार्यता एवं तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि श्री सिंह के घर पर भी टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

(ट) समिति ने निर्णय लिया कि संपदा निदेशालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा अधिकारी अनुवादकों को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए योजनाबद्ध रूप से अर्थात् दो कार्यालयों के अधिकारियों को एक बैठक में आमंत्रित करे ताकि वार्षिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में उन्हें विशेष कठिनाई का सामना न करना पड़े।

पृष्ठ 22 का शेष

मिली तथा तारीख, तथा स्थान का नाम, पत्र का प्रकार तथा प्रेषक का नाम और सही निशानी एवं प्रेषक के हस्ताक्षर आदि लिखने की पद्धति थी।

राजकाज संबंधी इन हिन्दी, अभिलेखों में विभिन्न विभागों से सम्बद्ध शब्दावली पायी जाती है। इस शब्दावली के स्रोत संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी, मराठी, अरबी, फारसी, बुंदेलखण्डी एवं ब्रजभाषा आदि हैं। यथा मुद्रा, समय (सं.) एक्क हत्थि हत्थ (प्राकृत) अवसु डीला पधारियों, मोकला (राजस्थानी) अन्यान्य मोहरा, बाजू, समागम (मराठी) अमलदा जमीन सूबेदार :(फा. भंरती, भेंडार (ब्र. भा.) है।

मराठा शासकों की राजभाषा हिन्दी में वर्तनी संबंधी उदारता सर्वत्र दिखाई पड़ती है। वे वर्तनी संबंधी परिवर्तन, तत्सम, अथवा तद्भव शब्दों में ही नहीं अपितु विदेशी तथा अन्य भारतीय भाषाओं से ग्रहण किये गये शब्दों में भी है। राजभाषा हिन्दी की उच्चारण एवं वर्तनी की वह अनुकूलता ही हिन्दी की विकासात्मक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। जनजीवन से रस ग्रहण करने के कारण इन ध्वनियों में सजीवता, सरलता, व्यापकता एवं अनुकूलता है।

इस प्रकार मराठा प्रशासन में ताम्रपत्र लिखने, मराठी से अनुवाद करने, विभिन्न विभागों से सम्बद्ध राजकाज चलाने, क्षेत्रीय तथा अखिल भारतीय स्तर पर संबंध सुधारने तथा स्थापित करने, राजनीतिक समझौते करने एवं सेना अर्थ प्रशासन, कृषि आदि कार्यों के संचालन करने में हिन्दी भाषा का ही प्रयोग होता था। देखिए लेखक द्वारा लिखित "बारहवीं सदी से राज-काज में हिन्दी" प्रकाशक केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा। □

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. सिलचर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सिलचर की प्रथम बैठक कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम में दिनांक 24 जनवरी, 1990 को हुई। बैठक की अध्यक्षता कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम के वरिष्ठ महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अधिशासी, श्री एस. पी. दासगुप्त ने की। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से श्री सर्वेश्वर झा, निदेशक (नीति) राजभाषा विभाग, भारत सरकार, श्री जे.आर. पाण्डेय, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) पूर्वी उत्तरी क्षेत्र, गुवाहाटी आमंत्रित थे। विशेष अतिथि के रूप में बैठक में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. के विपणन निदेशक श्री सुखदेव कृष्ण चोपड़ा मौजूद रहे। बैठक के समय कछाड़ पेपर मिल के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

"हिन्दी परस्पर सहयोग और भाई चारे की भाषा है, हमें इसकी प्रगति और प्रचार-प्रसार के लिए हर संभव प्रयास करना ही चाहिए"। यह उद्गार थे हिन्दुस्तान कागज निगम के विपणन निदेशक श्री सुखदेव कृष्ण चोपड़ा के, जो उन्होंने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का उद्घाटन करते हुए कहे। श्री चोपड़ा ने राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस संबंध में निर्धारित नियमों, प्रोत्साहनों तथा योजनाओं को हर किसी के ध्यान में लाया जाना भी आवश्यक है।

समिति की प्रथम बैठक में श्री एस. पी. दासगुप्ता ने धारा प्रवाह हिन्दी में अध्यक्षीय भाषण देते हुए हिन्दी की उपादेयता पर प्रकाश डाला और इसे आम आदमी की भाषा बताते हुए इसके निरंतर विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिन्दी आम आदमी की अपनी भाषा होने के कारण ही यह श्रमिकों मजदूरों की सम्पर्क भाषा है। श्री दासगुप्त ने अपनी तथा मिल की ओर से कछाड़ तथा करीमगंज क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

आरम्भ में समिति के सदस्यों एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए मिल के महा प्रबन्धक (कार्य) श्री एस.एम. गनेडीवाल ने बताया कि देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से कच्छ तक बोली समझी जाने वाली जन सामान्य की भाषा होने के नाते ही हिन्दी को राजभाषा-राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है।

श्री दासगुप्त को इस सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्व कार्यभारी अधिकारी, राजभाषा नियुक्त किए जाने के लिए उन्हें उपस्थित अधिकारियों ने बधाई दी।

2. दीमापुर (नागालैण्ड)

राज्य कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग दीमापुर में दिनांक 12-3-90 को "नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति" की चौथी बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री एस. एम. पाटिल, निदेशक दीमापुर ने की। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, प्रभारी, उपनिदेशक (ला) पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्री जे.आर. पाण्डेय बैठक में मुख्य अतिथि थे।

(क) बैठक में सचिव और उप निदेशक (का) ने बताया कि प्रत्येक बैठक में केन्द्रीय कार्यालय के विभागाध्यक्ष एवं बैंकों के प्रबंधक आवश्यक रूप से उपस्थित नहीं होते हैं जिससे बैठक में रखे गए मुद्दों पर पूर्ण रूप से विचार विनिमय नहीं हो पाता है।

(ख) जुलाई 1990 से प्रबोध प्रवीण एवं प्राज्ञ की कक्षाएं प्रारम्भ की जानी थी परन्तु किसी कारणवश कक्षाएं प्रारंभ नहीं की जा सकतीं। क्योंकि समय पर पाठ्यक्रम व्यवस्था एवं सर्व कार्यकारी अधिकारी के नियुक्ति पत्र अभी तक प्राप्त न होने से शिक्षण योजना कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

सभी केन्द्रीय कार्यालयों, निगमों, बैंकों से आग्रह किया गया कि अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन सर्व कार्यभारी अधिकारी एवं निदेशक (पू.उ.रा.) खादी और ग्रामोद्योग आयोग डंकन मार्ग, दीमापुर (नागालैण्ड) को निश्चित रूप से भिजवाएंगे, ताकि शिक्षण व्यवस्था चलाने में आसानी हो सके।

नगर स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन:

(क) बैठक में यह भी तय किया गया कि दीमापुर के अन्तर्गत नगर स्तर पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए यह तभी संभव हो सकता है जब सभी विभागाध्यक्षों का पूर्ण सहयोग मिलता रहे। तथा इस संबंध में उप निदेशक (पूर्व) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग हिन्दी शिक्षण योजना कलकत्ता से हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन हेतु पोस्टर आदि की व्यवस्था करके भेजने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

(ख) 1989–90 का कार्यक्रम चार भागों में विभक्त किया गया। धारा 3(3) के अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यालयों, निगमों, एवं बैंकों के जो अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, उनका दायित्व है कि वह कर्मचारियों को हिन्दी की मीटिंग एवं समय-समय पर दिए गए आदेशों के अन्तर्गत कार्य करने के के लिए प्रोत्साहित करें। सभी आदेश, नियम एवं सरक्यूलर आदि द्विभाषीय होने चाहिएं। कार्यालय कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक कार्यालय में होनी चाहिए। हर माह में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक होती है उसमें अपने-अपने कार्यालयों की कठिनाइयों के बारे में चर्चा होनी चाहिए।

हिन्दी पत्र का उत्तर निश्चित रूप से हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए। प्रत्येक कार्यालय, निगम व बैंक में हिन्दी टाईप मशीन का होना अति आवश्यक है जबकि इस सम्बन्ध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा स्पष्ट आदेश है कि प्रत्येक कार्यालयों, निगमों व बैंकों में 'ग' क्षेत्र के अन्तर्गत 10 प्रतिशत हिन्दी टाइप मशीनें अवश्य ही होनी चाहिएं। यदि इलैक्ट्रोनिक टाइप राइटर द्विभाषीय होता है तो उप-निदेशक (कार्यान्वयन) पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी व सर्व कार्यकारी अधिकारी, राजभाषा शिक्षण योजना गृह मंत्रालय, भारत सरकार, दोमापुर को सूचना भेज दें। हम सबको कम से कम 10 या 15 प्रतिशत काम 'ग' क्षेत्र में करना है।

राजभाषा गृह मंत्रालय ने वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर जानकारी दें। अगर लक्ष्य की ओर बढ़ने में कोई कठिनाई हो तो वह भी अवगत कराएं जिससे लक्ष्य प्राप्ति में कोई बाधा न हो तथा लक्ष्य के साथ-साथ उप निदेशक (का०) ने आपत्ति उठाई है कि भेजे जाने वाले तिमाही प्रगति प्रतिवेदन समय पर नहीं मिल पाते हैं जिसकी जानकारी पूर्वोत्तर हिन्दी कार्यालय को दे ताकि पता चल सके।

प्रशिक्षण के बारे में सर्व कार्यभारी अधिकारी के विचार:

कुछ अधिकारियों द्वारा बैठक में हिन्दी शिक्षण व्यवस्था पर आपत्ति उठाई गई कि जब तक शिक्षण व्यवस्था पूर्ण न हो तब तक कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति होना सम्भव नहीं है। इसी दौरान सर्व कार्यभारी अधिकारी तथा निदेशक (पू.उ.रा.) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आपत्ति का निराकरण करते हुए बताया कि हमें समय पर पाठ्यक्रम चलाने में कई प्रकार की बाधाएं आई हैं। जैसे समय पर किताबें नहीं मिलीं, जो मिलीं वह भी पूर्ण नहीं हैं। कर्मचारी पत्राचार कार्यक्रम का भी लाभ उठा सकते हैं जिसके लिए उप निदेशक (पूर्व) कलकत्ता को लिखा जा चुका है। हिन्दी टंकण लेखन प्रशिक्षण के बारे में श्री शुकदेव शर्मा से निवेदन किया गया है कि वह एक हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ करें ताकि प्रत्येक केन्द्रीय कार्यालय, निगम व बैंक अपने-अपने कार्यालयों से हिन्दी टाइपिंग सीखने के लिए कर्मचारी भेज सके। प्रत्येक केन्द्रीय कार्यालयों, निगमों व बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वह प्रारम्भरी रूप में अपने-अपने यहां कार्यालय में श्याम पट्ट पर अपने विभाग से संबंधित शब्दों का प्रयोग कर लेखन कार्य में प्रारम्भ करें। इससे कर्मचारियों को हिन्दी सीखने में काफी मदद मिलेगी।

उप निदेशक (कार्यान्वयन) पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी ने प्रत्येक कार्यालय अध्यक्षों से अनुरोध किया कि प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों का रोस्टर बनाया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों का निश्चित रूप से पता चल सके कि और कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना बाकी है।

3. कलकत्ता (बैंक)

कलकत्ता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 7वीं बैठक श्री वी.के. मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 7-12-89 को हुई।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गई एवं अधोलिखित स्थिति बताई गई :—

(1) हिन्दी अधिकारियों को सामान्य बैंकिंग प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में समस्त सदस्य बैंकों से सूची मंगाई गई थी परन्तु प्रशिक्षण के लिए मात्र 3 बैंकों से नाम मिले जिनकी कुल संख्या 7 पाई गई। यह निर्णय किया गया कि अन्य बैंक इस पर पुनः विचार कर 20 दिसम्बर, 1989 तक प्रतिभागियों की सूची भेज दें तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्च में रखा जाये।

(2) हिन्दी अधिकारियों, अनुवादकों तथा हिन्दी अनुवाद कार्य से जुड़े लोगों को 21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के स्तर पर देने संबंधी कायक्रम सर्वसम्मति से रद्द कर दिया गया क्योंकि मात्र तीन बैंकों से ही सूची प्राप्त हुई थी।

भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 1989-90 के तहत हिन्दी टंकक एवं आशुलिपिक के संबंध में जो अनुपात निर्धारित किया गया है, उस अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए समिति ने बहुआयामी कार्यक्रम जैसे सीधी नियुक्ति द्वारा, अंग्रेजी टी सी सी को हिन्दी प्रशिक्षण देकर एवं बैंकों द्वारा हिन्दी टंकक आशुलिपिकों हेतु प्रशिक्षण की आंतरिक निजी व्यवस्था करके पूरा किए जाने पर समिति द्वारा बल दिया गया।

कुछ बैंकों ने हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जबाव भी अंग्रेजी में दिया इस संबंध में उनसे स्थिति में सुधार के लिए यथोचित कदम उठाने का अनुरोध किया गया।

राजभाषा ीति के अनुसार "ग" क्षेत्र में हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को निश्चित अवधि 1992 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिए जाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।

यह निर्णय किया गया कि सदस्य बैंकों को गृह मंत्रालय शिक्षण योजना एवं केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अन्तर्गत पत्राचार पाठ्यक्रम इत्यादि के अतिरिक्त केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, कलकत्ता के माध्यम से भी अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित्त कर सकते हैं।

इलाहाबाद बैंक के प्रतिनिधि ने टांलिक के स्तर पर पत्रिका निकालने के संबंध में समिति का ध्यानाकर्षण किया एवं काफी दिनों से लंबित उप समिति की बैठक बुलाने का अनुरोध किया जिससे इस दिशा में कोई ठोस परिणाम सामने आ सकें। समिति द्वारा उप-समिति की बैठक तत्काल बुलाने का निर्णय लिया गया।

श्री सिद्धिनाथ झा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने कहा कि सदस्य बकों को तिमाही प्रगति रिपोर्ट समिति के पास समय से भेजना चाहिए क्योंकि ऐसी समितियों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट को समीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम को निर्धारित समय के अन्दर पुरा करने के प्रयास पर बल दिया तथा सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे हिन्दी पत्रों का जबाब किसी भी हालत में अंग्रेजी में न दें एवं धारा 3(3) के अनुपालन को सुनिश्चित करें क्योंकि वह एक सांविधिक आवश्यकता है।

4. मंगलूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंगलूर की 8वीं बैठक श्री वाई. एस. हेगड़े, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्पोरेशन बैंक की अध्यक्षता में दिनांक 19-2-90 को आयोजित की गई।

बैठक में उपस्थिति में केनरा बैंक के उप महाप्रबंधक, श्री यू गणदेराव, विजया बैंक के सहायक महाप्रबंधक, श्री के बी शेट्टी, कार्पोरेशन बैंक के महाप्रबंधक श्री के आर शेणे और उप महाप्रबंधक श्री अल्वा पी के, की उपस्थिति उल्लेखनीय थी।

सदस्य सचिव श्री नरसिंहप्रसाद यादव ने समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की और पिछली बैठक की कार्रवाई की पुष्टि कराई। उन्होंने सदस्यों को बताया कि 20 फरवरी से त्रिदिवसीय संयुक्त हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग तीस नाम विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त हुए हैं।

प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा उप निदेशक (का.) श्री रामचंद्र मिश्र द्वारा की गई। उन्होंने सदस्यों को सावधान किया कि रिपोर्टें सावधानीपूर्वक भरी जाएं। रिपोर्टें 15 नवंबर और 15 मई तक समिति द्वारा नोटिस भेजे जाने की प्रतीक्षा न करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को भिजवा दी जानी चाहिए। कार्यालयों की तिमाही रिपोर्टें क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूर को नियमित रूप से और समय पर भिजवाई जाएं। रिपोर्टों के आधार पर ही प्रशस्ति पत्र व राजभाषा शील्ड आदि प्रदान की जाती हैं। उन्होंने यह आशा व्यक्त की नगर समिति भविष्य में भी यह प्रशंसनीय समिति बनाए रखेगी और अधिक कार्यालय राजभाषा सम्मेलन में पुरस्कार प्राप्त करेंगे।

बैठक समापन से पूर्व श्री हेगड़े, समिति ने निम्नलिखित कार्यालयों को प्रशस्ति पत्र व राजभाषा शील्ड और व्यक्ति विशेष को राजभाषा कप प्रदान किए।

केंद्रीय सरकार के कार्यालय

उपमहा प्रबंधक (दक्षिण), दूर संचार, मंगलूर	राजभाषा शील्ड
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (कमांडेंट सूर्य देव बेठा)	प्रशस्ति पत्र

उपक्रम

नेशनल इंश्योरेंस कं. लि. मंडल कार्यालय, मंगलूर	राजभाषा शील्ड

बैंक

केनरा बैंक, अंचल कार्यालय, मंगलूर	राजभाषा शील्ड
सिंडिकेट बैंक, अंचल कार्यालय, मंगलूर	प्रशास्ति पत्र
विजया बैंक, अंचल कार्यालय, मंगलूर	प्रशस्ति पत्र
आंध्र बैंक, (शाखा), मंगलूर	प्रशस्ति पत्र
यूनियन बैंक (बंदर शाखा), मंगलूर	प्रशस्ति पत्र
श्री नरसिंह प्रसाद यादव, कार्पोरेशन बैंक	राजभाषा कप
श्रीमती शांता किणी, केनरा बैंक	राज भाषा कप

5. बेलगांव

बेलगांव में 26-2-90 को आयकर आयुक्त श्री पी०बी० चार्ल्स की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई जिसमें विभिन्न कार्यालयों/बैंकों आदि के लगभग 30 अधिकारियों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में राजभाषा विभाग की ओर से केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, बेंगलूर के सहायक निदेशक श्री एम पी दुबे ने भाग लिया।

अध्यक्ष श्री पी बी चार्ल्स ने उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया और पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई । तत्पश्चात् विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। कुछ अधिकारियों ने अपने कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति से अवगत कराया । सहायक निदेशक श्री एम पी दुबे ने राजभाषा नीति, हिंदी के प्रशिक्षण, कार्यान्वयन आदि पर प्रकाश डालते हुए सभी से अनुरोध किया कि वे कार्यान्वयन संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें, ताकि कार्यान्वयन की दिशा में उनके कार्यालयों की प्रगति का पता लग सके ।

6. विजयवाड़ा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विजयवाड़ा की इस वर्ष की दूसरी बैठक श्री एम एम फारूकी, मंडल रेल प्रबंधक, विजयवाड़ा की अध्यक्षता में 30-1-1990 को आयोजित हुई ।

यूनियन बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीमूर्ति ने समिति के अध्यक्ष श्री फारूकी और उप निदेशक श्री रामचंद्र मिश्र का स्वागत किया । उसके बाद श्री मूर्ति ने यूनियन बैंक की उपलब्धियों के बारे में संक्षेप में प्रकाश डाला। तत्पश्चात् अध्यक्ष श्री फारूकी ने सदस्यों को संबोधित किया और समिति को पिछले सम्मेलन में जो राजभाषा ट्राफी देकर राजभाषा विभाग से प्रशंसा मिली है, उसके लिए सदस्यों को श्रेय देते हुए उसके बनाए रखने के लिए अपील की ।

सर्व कार्य भारी श्री के पी वी एस शेखर राव ने समिति को हिंदी शिक्षण योजना के केन्द्रों के बारे में जानकारी देते हुए सदस्यों को बताया कि प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ कां परीक्षाओं के लिए क्रमशः 31, 64 और 60 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 18, 53 और 48 ने परीक्षाएं दी। प्राइवेट तौर पर 117, 85 और 116 आवेदन भेजे गए, जिनमें 80, 61, 65 ने परीक्षाएं दी । पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए प्रवीण व प्राज्ञ के लिए 7 और 5 फार्म भेजे गए और सभी ने परीक्षाएं दी । बैंकोन्मुख प्राज्ञ परीक्षा में 12 के फार्म भेजे गए जिनमें 11 परीक्षा में बैठे । परिणाम की प्रतीक्षा है । उन्होंने बताया कि इस समय हिंदी प्राध्यापक श्री राजू हैं और दो केन्द्र मंडल रेलवे तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय में चल रहा है और प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ के लिए 92, 84 तथा 116 नाम नामित हो चुके हैं। हिंदी टाइपिंग केन्द्र के लिए उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना मद्रास को प्रस्ताव भेजा गया था, किंतु अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला ।

श्री रामचंद्र मिश्र, उप निदेशक (का.), बेंगलूर ने विचार-विमर्श में अत्यधिक रुचि दिखाई तथा निष्कर्ष रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव समिति के सम्मुख रखे, जिस पर समिति के अध्यक्ष ने अपनी सहमति व्यक्त की ।

1. अध्ययन दल बनाया जाए, जिसमें 3-4 सदस्य हों, और वह कार्यालयों में जा जाकर स्थिति का जायजा लेते हुए कार्यालयों में हिंदी प्रयोग बढ़ाने के बारे में प्रयत्न करे ।

2. तिमाही रिपोर्टें क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, 5/1 जे. सी. रोड, बेंगलूर को नियमित रूप से भेजी जाएं ।

3. नगर समिति की ओर से राजभाषा शील्ड प्रारंभ की जाए ।

4. रिपोर्टें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को समय पर भेजी जाएं, जिससे कि मूल्यांकन भी हो सके और रिव्यू भी ।

5. बैठक में विभाग/कार्यालय प्रमुख (जैसी भी स्थिति हो) अपने राजभाषा अधिकारी के साथ उपस्थित होकर भाग लें ।

6. संयुक्त हिंदी कार्मशालाओं का आयोजन हो ।

7. समिति की ओर से पत्रिका प्रारंभ हो, जिसमें भी सभी सदस्य कार्यालयों का सहयोग प्राप्त हो ।

8. प्रदर्शनी बड़े स्तर पर आयोजित हो ।

9. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की शाखाओं का गठन करने का प्रयत्न किया जाए ।

7. गोवा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तेरहवीं बैठक दि. 20-2-90 को श्री आर. सुन्दर रामन्, अपर समाहर्ता सीमा शुल्क की अध्यक्षता में गोवा चेम्बर्स आफ कामर्स एवं इन्डस्ट्रीज के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई।

धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात ।

समिति को सूचित किया गया कि धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले कागजातों को शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है । लेकिन कुल 36 कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों को देखने से पता चला है कि केवल 9 कार्यालय ऐसे हैं जिन्होंने धारा 3(3) की आवश्यकता का शत-प्रतिशत पालन किया है । इन कार्यालयों के नाम निम्न लिखित हैं :—

1. भारतीय स्टेट बैंक, 2. सिंडीकेट बैंक, 3. सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया, 4. जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय 5. यूनियन बैंक आफ इंडिया, 6. भारतीय खान ब्यूरो, 7. गोवा शिपयार्ड लि., 8. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय तथा 9. एम. एम. टी. सी. वास्को।

बताया गया कि जिन कार्यालयों में हिन्दी स्टाफ नहीं हैं, वे अनुवाद का कार्य अपने किसी योग्य कर्मचारी को पारिश्रमिक देकर करा सकते हैं तथा न्यूनतम हिन्दी पदों के सृजन के सम्बन्ध में भी राजभाषा विभाग द्वारा मानदंडों के

अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि वह एक कानूनी आवश्यकता है और इसका पालन अवश्य होना चाहिए।

पत्राचार

जिन कार्यालयों ने 20 प्रतिशत या 20 प्रतिशत से ऊपर हिन्दी पत्राचार का लक्ष्य पूरा कर लिया है, उनका नाम निम्नलिखित है:—

1. पत्र सूचना कार्यालय, 2. जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय, 3. लघु उद्योग सेवा संस्थान, 4. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, 5. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, 6. मुरगांव गोदी श्रम मंडल, 7. यूनियन बैंक आफ इन्डिया, 8. सिंडीकेट बैंक, 9. भारतीय स्टेट बैंक, 10. बैंक आफ इंडिया 11. कमान्डेंट का कार्यालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 12. भारतीय खान ब्यूरो, 13. मुरगांव पत्तन न्यास तथा 14. कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय।

अध्यक्ष ने उपर्युक्त कार्यालयों की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा यह आशा व्यक्त की कि इससे अन्य कार्यालयों को भी प्रेरणा मिलेगी।

हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए नगर समिति के स्तर पर समय-समय पर हिन्दी में संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक उप समिति का गठन।

समिति के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि हिन्दी के काम में रूचि लेने वाले कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और हिन्दी के काम से जुड़े कर्मचारियों को लेकर एक ऐसी उप समिति का गठन किया जाए जो व्यावहारिक रूप से हिन्दी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे सके तथा नगर स्तर पर हिन्दी दिवस मनाने, हिन्दी में संगोष्ठी बुलाने तथा हिन्दी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का काम कर सकें। समिति ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। सुझाव के अनुसार अध्यक्ष ने अपनी सहमति व्यक्त की कि कम्पनी रजिस्ट्रार श्री एस. पी. काला एवं पत्र सूचना कार्यालय के सूचना अधिकारी श्री मिनीन पेरिस के सहयोग से उप समिति का गठन कर लिया जाए।

अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी कार्यालयों के कामकाज में जहां तक हिन्दी के प्रयोग की बात है यदि उसे आसान बना कर प्रयोग किया जाए तो हमें अपने लक्ष्य की सिद्धि में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है।

8. बम्बई (बैंक)

बंबई के सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बंबई की 8वीं अर्धवार्षिक बैठक दिनांक 27-12-89 को इंडियन मर्चेंट्स चेंबर, चचगेट, बंबई के सभागृह में हुई। बैठक की अध्यक्षता बैंक आफ महाराष्ट्र के उप महाप्रबंध श्री रा. शि. हुगार ने की। बैठक में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के निदेशक डा. धर्मवीर सिंह, क्षेत्रीय राजभाषा विभाग की उपनिदेशिका (कार्या.) श्रीमती इंदिरा पंडया और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के प्रबंधक श्री पीटर कोता उपस्थित थे।

(1) राजभाषा शील्ड योजना

7वीं बैठक में गठित उप-समिति की बैठक दिनांक 16-10-1989 को अध्यक्ष श्री मा. वि. सोमण की अध्यक्षता में बैंक आफ महाराष्ट्र के "जनमंगल" परिसर स्थित सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। उप-समिति ने शील्ड के लिए जो रूप-रेखा तैयार की, उसका प्रोफार्मा सभी सदस्य-बैंकों को सुझाव/विचार भेजने के लिए दिनांक 21-10-1989 को भेजा गया। आठवीं बैठक में प्राप्त सुझावों पर विचार कर प्रोफार्मा को अन्तिम रूप प्रदान किया जाएगा।

इसके बाद विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिखित रूप में प्राप्त सुझावों पर निम्नानुसार विचार-विमर्श हुआ:—

केनरा बैंक

(1) बैंकिंग उन्मुख हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियों की राजभाषा नियम 1976 के नियम-4 के अन्तर्गत "हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त" मानने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

इस सुझाव पर काफी विचार विमर्श हुआ। श्रीमती इंदिरा पंडया, उप-निदेशिका (का.) ने कहा कि इस परिवर्तन के लिए राजभाषा नियम 1976 के नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए हम यदि बैंकिंग प्रभाग को सूचना भेजते हैं तो इसके आधार पर नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग के निदेशक डा. धर्मवीर ने कहा कि इस नियम को बदलने के लिए संसद के सम्मुख जानकारी पेश करनी होगी।

सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मत था कि राजभाषा विभाग इस बैठक में हुई चर्चा के आधार पर यह मामला भारत सरकार के सामने उठाए तो अच्छा होगा। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अपनी ओर से यह सूचना भारत सरकार के बैंकिंग प्रभाग को भेजेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी निजी संस्थान से हिन्दी टंकण आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी टाइपिस्ट/आशुलिपिकों को प्रोत्साहन सुविधाएं दे दी जाएं अर्थात् इन संस्थानों से प्रशिक्षण के पश्चात् हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा संचालित हिंदी टंकण/आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता/बाध्यता समाप्त की जाए।

इसके बारे में राजभाषा विभाग के निदेशक डा. धर्मवीर ने बताया कि राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ली जाने वाली परीक्षाएं उत्तीर्ण करने की बाध्यता नहीं है।

(3) राजभाषा भारती एवं राजभाषा पुष्पमाला की प्रतियां नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा मंगा कर कम-से-कम 2-2 प्रतियां सभी सदस्य-बैंकों को भेजी जाएं।

इस बारे में निर्णय लिया गया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति सदस्य-बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की सूची राजभाषा विभाग, नई दिल्ली को भेजकर प्रत्येक कार्यालय को राजभाषा भारती और राजभाषा पुष्पमाला की 5-5 प्रतियां उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध करेगी।

(4) बैंकिंग सेवा में आने के पश्चात् हिंदी में एम. ए. परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यथा रु. 1,000/- जो अभी केवल बी. ए. परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मात्र रु. 500/- है, ताकि उनको हिन्दी अधिकारी के रूप में नियुक्त भी किया जा सके।

इस विषय में चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि इस प्रकार के पुरस्कार देने की प्रणाली सभी बैंकों में नहीं है। सामान्यतया सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को ही पुरस्कार देने की व्यवस्था है। हालांकि यदि बैंक अपने स्तर पर ऐसे पुरस्कार देना शुरू करते हैं तो उनका व्यक्तिगत मामला होगा। इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता।

पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी में एम. ए. पास करने वाले लिपिकों को आंतरिक रूप से अधिकारी के रूप में पदोन्नति देने की व्यवस्था का विरोध कुछ कर्मचारी संघों ने किया था। लेकिन हिन्दी का काम बढ़ाने की वर्तमान आवश्यकता को सामने रखकर इस मामले को फिर एक बार आई. बी. ए. के सम्मुख रखा जा रहा है।

(5) बैंकों में अनुवादक के पदों का अनिवार्यतः सृजन

बहस के दौरान यह बात उभरकर सामने आई कि किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था में अभी तक इस प्रकार के पदों का सृजन नहीं हुआ है। सदस्य-सचिव ने अनुरोध किया कि यदि किसी बैंक में इस प्रकार के पदों का सृजन किया गया है या भर्ती की गई है तो वे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को इसकी जानकारी देने का कष्ट करें ताकि हम समिति की ओर से आई. बी. ए. और बैंकिंग प्रभाग को अपने सुझाव भेजते समय इसका उल्लेख कर सकें।

इलाहाबाद बैंक

(1) यद्यपि बंबई में हिंदी का प्रचलन है पर अभी भी यहां अभिजात्य वर्ग में अंग्रेजी के प्रति व्यामोह इतना तीव्र है कि वे अपनी पासबुकों, ड्राफ्टों, जमा रसीदों आदि में हिंदी का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं तथा संबंधित स्टाफ इस आशंका से चाहकर भी निर्बाध रूप से हिन्दी प्रयोग नहीं अपना पाता है। अतः पासबुक, ड्राफ्ट व जमा रसीद बनाने से पहले ही संबंधित फार्म/वाउचर पर हिंदी/अंग्रेजी भाषा अपनाए जाने का ग्राहक का विकल्प उससे लिखित रूप में लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।

इस बारे में सभी लोगों का मत था कि इस प्रकार की व्यवस्था बैंक/संस्थायें अपने स्तर पर ही कर सकते हैं। कुछ प्रतिनिधियों का मत था कि हमारी रिपोर्टिंग व्यवस्था में इस दृष्टि से सुधार किया जाना आवश्यक है। हमारा आंतरिक कामकाज अधिकतम हिंदी में होता है, उसकी रिपोर्टिंग मांगने की अपेक्षा ग्राहकों से संबंधित किए गए कार्य की रिपोर्टिंग मांगी जाती है, जिसमें हिन्दी का प्रयोग हम अनिवार्य रूप से नहीं कर सकते।

अंत में, यह निर्णय लिया गया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से राजभाषा विभाग को एक पत्र भेजकर समिति के सदस्यों के मत से अवगत कराया जाए।

(2) हिन्दी दिवस/सप्ताह के दौरान अथवा किसी अन्य दिन जनता के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन होना चाहिए जिसमें उन्हें यह बताना चाहिए कि जनता से बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक हिंदी में कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं। इसमें विभिन्न बैंकों से निकलने वाली पत्रिकाएं, फार्म, वीडियो फिल्म, हिंदी दिवस/सप्ताह के दौरान खींची गई तस्वीरें आदि प्रदर्शित करने के अलावा जनता द्वारा बैंक के फोर्म हिन्दी में किस तरह भरे जाते हैं, इनका एन्लार्ज्ड नमूना भी रखा जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को दूरदर्शन/आल इंडिया रेडियो, समाचार-पत्र आदि के प्रचार माध्यम से अच्छी तरह जोड़ा जाना चाहिए।

सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बताया कि सामान्यतया बैंकों द्वारा प्रचार का काम ज्वाइंट पब्लिसिटी कमेटी द्वारा किया जाता है। यह प्रचार अधिकांशतः केवल अंग्रेजी भाषा में किया जाता है, हिन्दी में बहुत ही कम किया जाता है। विशेषतया हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए बैंकों द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी इस कमेटी द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है। अतः ज्वाइंट पब्लिसिटी कमेटी को पत्र लिखकर इस मामले से अवगत कराया जाए और बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस मामले में किए गए कार्यों की जानकारी विस्तृत रूप से विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा जनता तक पहुंचाने का प्रबंध का अनुरोध किया जाए।

(3) 25% हिन्दी टाइपराइटर रखकर 50% हिन्दी पत्राचार की अपेक्षा करना कदापि व्यावहारिक नहीं हो सकता। वर्तमान अंग्रेजी टाइपराइटरों को विभिन्न कंपनियों की "एक के बदले एक लो" योजना के अंतर्गत 50% की सीमा तक हिंदी टाइपराइटर में बदलवाना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

इस पर विस्तृत चर्चा करने के बाद डा. धर्मवीर ने स्पष्ट किया कि हिन्दी टाइपराइटरों का अनुपात 25% का ही होना चाहिए। इस तरह की अनिवार्यता करने के बावजूद बैंकों ने इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की है। वार्षिक कार्यक्रमों में इसके बारे में स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड द्वारा हाल ही में हिन्दी और अंग्रेजी टंककों के लिए दिए गए विज्ञापन का संदर्भ देकर यह प्रश्न उठाया कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से उचित अनुपात में मांग नहीं आती है तो राजभाषा विभाग द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मंगवाया जाना चाहिए और अंग्रेजी टंककों की भर्ती के समय हिन्दी टंकण जानने वाले टंककों को वरीयता दी जानी चाहिए। यदि इसी प्रकार अंग्रेजी टंककों की भर्ती होती रही तो टंककों को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण देने का काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग के निदेशक डा. धर्मवीर और क्षेत्रीय राजभाषा विभाग की उप-निदेशिका श्रीमती इंदिरा पंडया ने आश्वासन दिया कि विज्ञापन के बारे में निश्चित रूप से तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने यह सुझाव भी रखा कि हिन्दी टंककों की आवश्यकता को जनता के सामने लगातार लाया जाए तो ही हमें सही मात्रा में हिंदी टंकक मिल सकेंगे। हिंदी टंककों का अनुपात पूरा न करने वाले बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अंग्रेजी टंककों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और इसका अनुपालन अत्यंत सख्ती से किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय राजभाषा विभाग की उप-निदेशिका श्रीमती इंदिरा पंडया ने आश्वासन दिया कि इस मामले में उचित कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी।

राजभाषा विभाग के निदेशक डा. धर्मवीर ने हिन्दी शिक्षण योजना की विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकों में भर्ती के नियम बड़े सख्त हैं, इनमें उचित ढील देने की आवश्यकता है। इसके पश्चात् उन्होंने बैंकों के लिए विशेष रूप से बनाए गए पाठ्यक्रमों की ओर हिन्दी शिक्षण योजना की विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, कि अपने कर्मचारियों की हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान और देवनागरी टंकण का प्रशिक्षण देने की दिशा में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को गंभीरता अपनानी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर हिन्दी के कार्यान्वयन पर पड़ता है।

समिति के अध्यक्ष और बैंक आफ महाराष्ट्र के उप महाप्रबन्धक श्री हुगार ने कहा कि हिन्दी का प्रयोग व्यावहारिक स्तर पर बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बैठकें तथा सहायक सिद्ध हो सकती हैं, जब जिन बैंकों ने अच्छा कार्य किया वे अन्य सदस्यों को इसके बारे में मार्गदर्शन करें ताकि हम लक्ष्य को पूरा करने में एक साथ आगे बढ़ते रहें।

अंत में संयोजक बैंक की ओर से राजभाषा अधिकारी श्री प्रबोधकुमार गोविल ने आमंत्रितों और सदस्य-जनों के प्रति आभार व्यक्त किए और चायपान के साथ बैठक संपन्न हुई।

9. उदयपुर

न.रा.का. समिति की बैठक दिनांक 3-1-90 को श्री महेन्द्र देव कौशिक, खान सुरक्षा महानिदेशालय की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

1. पिछली तिमाही में हुई हिन्दी प्रगति की समीक्षा:

बैठक में विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में हुई पिछली तिमाही की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई। समीक्षा करने में राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भोपाल के सहायक निदेशक, श्री डी. पाणिक्कर ने पूरा-पूरा सहयोग प्रदान किया।

केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो में लगभग 80 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाता है। सभी कर्मचारियों को हिन्दी का वांछित स्तर का ज्ञान है। समिति को बताया गया कि कार्यालय अभी तक धारा 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं है, परन्तु इसके लिये उच्च कार्यालय को लिखा गया है। श्री पाणिक्कर ने कहा कि अधिसूचित होने के बाद राजभाषा नियम की धारा 8(4) के अन्तर्गत आदेश भी जारी कर दिया गया है।

डाक अधीक्षक के कार्यालय में लगभग 90 प्रतिशत काम हिन्दी में किया जाता है। हिन्दी के प्रयोग की प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं। परन्तु, इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जाता है। सहायक निदेशक ने कहा कि इसका लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित किया जाए। इसके अलावा हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि हेतु दिए जाने वाले भत्तों का भी लाभ उठाया जाना चाहिए। कार्यालय में हिन्दी टंकक के पद अभी तक भरे नहीं गए हैं। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क में लगभग 75 प्रतिशत काम हिन्दी में किया जाता है। कार्यालय के जिस अधिकारी ने बैठक में भाग लिया उन्हें राजभाषा नियम एवं राजभाषा अधिनियम आदि का कोई ज्ञान नहीं था। श्री पणिक्कर ने कहा कि सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकार की राजभाषा

नीति, नियमों आदि की पूरी जानकारी रखना चाहिए। इसके अभाव में नियमों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन कैसे हो सकता है। इसके लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिएं। इस पर समिति के सचिव ने बताया कि समिति की ओर से छोटे-छोटे कार्यालयों के लिये एक सम्मिलित हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिसमें सभी कार्यालय अपने अधिकारियों को अवश्य मनोनीत करेंगे।

क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय में शत-प्रतिशत हिन्दी में कार्य किया जाता है। भारतीय खान ब्यूरो के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी का ज्ञान है और लगभग सभी न्यूनाधिक रूप से हिन्दी में काम करते हैं। लगभग 85 प्रतिशत कार्य हिन्दी में संदर्भ होते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरा पालन नहीं किया जाता है। कार्यालय अधिसूचित है, परन्तु धारा 8(4) के अन्तर्गत हिन्दी में कार्य विनिर्दिष्ट करने हेतु आदेश जारी नहीं किए गए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे आदेश शीघ्र जारी कर दिए जाएं।

रेलवे प्रशिक्षण विद्यालय में लगभग 90 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाता है और धारा 3(3) का अनुपालन शत-प्रतिशत है। कार्यालय भारतीय गजट में अधिसूचित है और धारा 8(4) के अन्तर्गत कुछ कार्य हिन्दी में कराने हेतु विनिर्दिष्ट भी किया गया है। प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी और अंग्रेजी हैं।

उदयपुर काटन मिल्स की ओर से कोई भी अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। वहां के लिपिक ने बैठक में उपस्थिति दी। सहायक निदेशक श्री पणिक्कर ने इसे अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि समिति की बैठकों में कार्यालयों के प्रधानों को उपस्थिति देनी चाहिए।

मानव विज्ञान सर्वेक्षण कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग बहुत ही कम है। इसका कारण यह बताया गया कि कार्यालय में अधिकांश कर्मचारी बंगला भाषी हैं। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि उनके लिए हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। कार्यालय अधिसूचित नहीं है। आशुलिपिक को हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। श्री पाणिक्कर ने कहा कि इस कार्यालय का पहले निरीक्षण किया गया था, वहां हिन्दी का नगण्य प्रयोग किया जाता है। अतः प्रारम्भ में उपस्थिति रजिस्टर आदि में या छोटे-छोटे पत्रों में हिन्दी का प्रयोग किया जाय।

केन्द्रीय विद्यालय में लगभग सारा काम हिन्दी में किया जाता है। सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां भी हिन्दी में ही की जाती हैं। परन्तु नगरों में हिन्दी का प्रयोग कम है। इसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में हिन्दी के प्रयोग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। धारा 3(3) का अनुपालन लगभग शत प्रतिशत है। समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाओं एवं प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है। हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये कम्पनी की ओर से भी अपनी कई प्रोत्साहन योजनाएं चलाई गई हैं। हिन्दी आशुलिपि के विभागीय प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। कार्यालय धारा 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित है एवं कुछ कार्य केवल हिन्दी में करने हेतु विनिर्दिष्ट भी किया गया है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम की लक्ष्मी विलास पलेस होटल में हिन्दी के प्रयोग में सराहनीय प्रगति है। कार्यालय धारा 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित है तथा 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट भी है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरा पालन किया जाता है। कर्मचारियों से सारा पत्राचार हिन्दी में ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त समिति के क्रियाकलापों में भी इसका पूरा सहयोग रहता है। सहायक निदेशक, श्री पाणिक्कर ने कहा कि समिति की बैठकों के आयोजन की व्यवस्था आई.टी.जी.सी. की ओर से रहती है, इसके लिये वे और समिति उनकी आभारी है।

भारतीय स्टेट बैंक के सभी कर्मचारी हिन्दी का ज्ञान रखते हैं। बैंक की यह शाखा अधिसूचित नहीं है। आश्वासन दिया गया कि अधिसूचित कराने के लिये लिखा जायेगा। अधिकांश पत्राचार हिन्दी में ही किया जाता है। श्री पणिक्कर ने कहा कि बैंक हिन्दी के माध्यम से ही ग्राहकों की बेहतर सेवा कर सकते हैं। अतः पास बुकों आदि में विशिष्टियां हिन्दी में की जानी चाहिएं। उन्होंने कहा कि यदि दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी कठिनाई राह का रोड़ा नहीं बन सकती है।

पंजाब नेशनल बैंक में भी सभी को हिन्दी का ज्ञान है लगभग 95 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया जाता है। पास बुकें भी हिन्दी में ही भरी जाती हैं। धारा 3(3) का पूरा अनुपालन होता है। अधिकांश तार हिन्दी में दिये जाते हैं। अध्यक्ष ने कार्य की सराहना की।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया राजभाषा नियम की धारा 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित हैं। परन्तु धारा 8(4) के अन्तर्गत हिन्दी में कार्य विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि इसके लिये शीघ्र आदेश जारी किए जाएं। हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है। पास बुक आदि हिन्दी में रखी जाती है। श्री पणिक्कर ने कहा कि इन बैंकों में प्रेरणादायी कार्य होता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के आंचलिक कार्यालय में लगभग 90 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाता है। कार्यालय में 14 अंग्रेजी के तथा 9 देवनागरी के टाइपराइटर हैं। समय-

समय पर हिन्दी कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है। कार्यालय अधिसूचित एवं विनिर्दिष्ट है। द्विभाषिक टेलेक्स के लिए लिखा गया है, जो शीघ्र उपलब्ध हो जाएगा। श्री पणिक्कर ने कहा कि वे इस कार्यालय में गए थे वहां अच्छा संदर्भ साहित्य तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी टिप्पणियां हिन्दी में अवश्य की जानी चाहिएं।

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी में लगभग 50 प्रतिशत काम हिन्दी में किया जाता है। कार्यालय 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित है, परन्तु 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट नहीं है। सहायक निदेशक, श्री पणिक्कर ने कहा कि हिन्दी में पत्राचार में वृद्धि की जाए। टिप्पणियों में भी हिन्दी का प्रयोग अपेक्षित है। न्यू इंडिया इश्योरेंस कम्पनी में सभी हिन्दी का ज्ञान रखते हैं। परन्तु, हिन्दी पत्राचार में लक्ष्य तक पहुंचने के लिये ठोस प्रयास किए गए। हिन्दी कार्यशालाओं एवं प्रतियोगिताओं आदि का समय-समय पर आयोजन किया जाता है। कर्मचारियों को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। धारा 3(3) का पूरा अनुपालन किया जाता है। कार्यालय के हिन्दी कार्य की सराहना की गई।

10. भोपाल (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विशेष समीक्षा बैठक भारत सरकार के गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सचिव श्री रमेश चन्द्र के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 19 फरवरी, 1990 को सपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री जैन ने बैंकों द्वारा किए जा रहे हिन्दी प्रयोग की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि बैंकों का प्रमुख कार्य सेवा उन्मुख है। मध्य प्रदेश के सभी ग्राहकों को हिन्दी अच्छी तरह आती है तथा वे चाहते भी हैं कि हिन्दी में कार्य किया जाए। अतः बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे ग्राहकों की सुविधा के लिए अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें। श्री जैन ने बैंकों द्वारा ग्राहकों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए किए जा रहे हिन्दी प्रयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बैंकों से अपेक्षा की कि बैंक प्रदेश सरकार के कार्यालयों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से अपना समस्त पत्र व्यवहार हिन्दी में ही करें। संविधान निर्माताओं ने काफी सोच विचार एवं गंभीर चिन्तन के पश्चात् ही हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। रूस, अमेरिका, चीन, जापान जैसे अनेक महान राष्ट्र अपनी भाषा का प्रयोग स्वाभिमान के साथ करते हैं तो हम अपनी भाषा का प्रयोग क्यों नहीं करते। भाषा का संबंध जनसाधारण की भावनाओं से रहता है। अतः आवश्यक है कि इसके प्रोत्साहन के लिए हमें प्रेरणा एवं प्रोत्साहन की नीति से काम लेना चाहिये। सचिव महोदय ने बैंकों से अपेक्षा की कि बैंकों में अभी कम्प्यूटरों का लगना प्रारंभ हो रहा है, अतः आवश्यक है कि अभी से ही इस पर उचित ध्यान देते हुए कम्प्यूटरों में हिन्दी के प्रयोग को समुचित स्थान दिया जाए।

संयोजक बैंक—सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उपमहाप्रबंधक श्री एन. बालकृष्णन ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि भोपाल में बैंकों ने आपसी सहयोग की एक अनोखी मिसाल प्रस्तुत की है। इस मंच पर सब बैंक आपस में मिल बैठ कर एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाते हुए सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें हमें अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। सदस्य सचिव डॉ. प्रकाश नारायण अवस्थी ने समिति के कार्यकलापों पर संक्षप में प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि समिति की प्रथम बैठक अक्तूबर 1985 में आयोजित की गई थी।

प्रतिवर्ष लगभग 15 अन्तर बैंक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिससे पूर्व वर्ष हिन्दी प्रयोग का सशक्त वातावरण बना रहता है तथा कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की प्रेरणा मिलती है। समिति के तत्वावधान में अब तक दो बार सभी बैंकों के प्रशिक्षण अधिकारियों की संगोष्ठी आयोजित की जा चुकी है। इसके परिणामस्वरूप सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने तथा प्रशिक्षण साहित्य हिन्दी में तैयार करने की प्रेरणा मिली है। आज सभी प्रशिक्षण केन्द्र अपने अपने कार्यक्रमों में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन कर रहे हैं।

कार्यपालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हिन्दी भाषा के स्वरूप निर्धारण संबंध में भी एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा चुका है। इसके अलावा भोपाल शहर में कार्यरत सभी शाखा प्रबंधकों की संगोष्ठी एवं मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी राजभाषा अधिकारियों की संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। सभी बैंक मिलजुलकर संयुक्त हिन्दी कार्यशालाओं का भी आयोजन करते हैं।

इससे पूर्व भी एक विशेष बैठक 22 जनवरी, 1990 को आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमहाप्रबंधक श्री वी. ए. होथा ने की। इस बैठक में भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के सचिव श्री राधाकान्त शर्मा ने विशेष रूप से भाग लिया तथा उन्होंने सभी बैंकों की हिन्दी प्रगति की समीक्षा की। चर्चा में पाया गया कि भोपाल में सभी बैंकों में हिन्दी का प्रयोग तेजी के साथ बढ़ा है। यहां पर लगभग सभी कार्यालय नियम-10.4 के अन्तर्गत अधिसूचित करवा दिए गए हैं। हिन्दी पत्राचार, तार हिन्दी में भेजने तथा हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण आदि में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। संयोजक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगभग सभी कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित करवा दिया गया है। बैंक ने हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों के लिए अलग से दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 96 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया गया है। हिन्दी स्टाफ की पूर्ति में बैंक ने सरकारी मानदण्डों का पूरा पालन किया है।

समिति का वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें सचिव श्री शर्मा ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा पंजाब नेशनल बैंक को राजभाषा शील्डें प्रदान की। बैंकों में अपना सभी कार्य करने वाले अधिकारियों को समिति की ओर से प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए तथा वर्ष भर आयोजित विभिन्न अन्तर बैंक प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों का वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित बैंक कर्मचारियों एवं उनके परिवार सदस्यों को सचिव महोदय ने संबोधित किया। सेन्ट्रल बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री रा. वि. तिवारी ने बैठक एवं समारोह दोनों में भाग लिया तथा मार्ग दर्शन किया।

भोपाल स्थित बैंकों में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

बैंक का नाम	हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत	हिन्दी तार का प्रतिशत	कुल कार्यालय	नियम 10(4) में अधिसूचित	नियम 8(4) में नामित
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	96	40	230	230	227
बैंक ऑफ इंडिया	91	50	295	255	250
भारतीय स्टेट बैंक	73	43	604	604	448
देना बैंक	76	24	—	—	—
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	88	59	171	147	—
इलाहाबाद बैंक	73	37	154	130	24
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	92	85	115	115	80
यूको बैंक	69	31	125	15	—
बैंक ऑफ बड़ौदा	73	39	37	37	37
सिण्डीकेट बैंक	49	35	50	23	23
न्यू बैंक ऑफ इंडिया	94	90	19	19	19
केनारा बैंक	57	18	91	74	17
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	92	सभी तार अंग्रेजी में भेजे गये	28	3	—
पंजाब नेशनल बैंक	96	47	189	189	—
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	81	84	164	164	—
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	48	70	24	24	02

11 कानपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कानपुर की 21वीं बैठक दिनांक 4 जनवरी, 1990 को अर्मापुर स्थित आर्डनेंस फैक्टरी ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, कानपुर में समिति के अध्यक्ष श्री जी. सी. अग्रवाल, मुख्य आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

आयुध निर्माणी के महाप्रबंधक श्री आर. रामभूर्ति ने अध्यक्ष का स्वागत किया।

तदुपरान्त समिति के सचिव श्री विश्वनाथ प्रसाद कैलखुरी, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने समिति की वर्तमान बैठक के महत्व के बारे में बताया कि समिति की यह पहली बैठक है, जो आयकर भवन से बाहर आयोजित की गई है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि आयुध निर्माणी ने स्वतः ही इस बैठक के लिये स्थान एवं व्यवस्था सुलभ कराने में अपना विशेष योगदान दिया।

वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए सचिव श्री कैलखुरी ने बताया कि वर्तमान वर्ष के हिन्दी के वार्षिक कार्यक्रम में लगभग सभी वही लक्ष्य रखे गये हैं जो पिछले वर्षों में रखे जाते रहे हैं। केवल इस वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत तीनों सेना मुख्यालय तथा कमाण्ड कार्यालयों के बीच हिन्दी में पत्राचार का प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है। वार्षिक कार्यक्रम में जो पहली बात कही गई है उसमें "क" क्षेत्र से "क" तथा "ख"

क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/राज्य सरकार के कार्यालयों एवं उस क्षेत्र में स्थित व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र शत-प्रतिशत हिन्दी में होने चाहिए।

कार्यक्रम में जो लक्ष्य दोहराए गए हैं उनमें 25 प्रतिशत तार हिन्दी में भेजना, हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना, सामान्य आदेश द्विभाषा रूप में जारी करना, 50 प्रतिशत हिन्दी आशुलिपिक एवं हिन्दी टंककों तथा हिन्दी टाइपराइटरों का होना, हिन्दी दिवस का मनाया जाना, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करना, नामपट्ट एवं मोहरों का द्विभाषी होना आदि सम्मिलित है।

इस मद के अन्तर्गत लघु शस्त्र निर्माणी के उप महाप्रबंधक श्री देशराज नागपाल ने कहा कि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत चल रहा हिन्दी टाइपिंग एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र कैन्ट में स्थित है और अर्मापुर स्थित कार्यालयों के लिये कैन्ट क्षेत्र बहुत दूर पड़ता है, जिसके कारण इतनी दूर स्टाफ को प्रशिक्षण के लिये भेजना सम्भव नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि अर्मापुर क्षेत्र में ही हिन्दी टाइपिंग एवं हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण की जाए।

बैठक में उपस्थित हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री एस.पी. मिश्र ने इस संबंध में बताया कि पर्याप्त संख्या में अवर श्रेणी लिपिक एवं आशुलिपिकों की सूची एवं समुचित स्थान यदि हमें प्रदान किया जाए, तो यहां भी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा सकता है।

अध्यक्ष ने निदेश दिए कि अर्मापुर स्थित आयुध निर्माणी से संबंधित कार्यालय हिन्दी शिक्षण योजना के सहयोग से अपने यहां हिन्दी टाइपिंग एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र चलाएं।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि श्री पुत्तूलाल गुप्त ने अध्यक्ष से कहा कि कार्यसूची में पुरस्कार योजना को नहीं रखा गया है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

इस पर अध्यक्ष ने कहा कि हमने यह योजना प्रोत्साहन के रूप में प्रारंभ की थी और इसके लिये स्वयं ही अपने विभाग से धन की व्यवस्था की थी।

अन्त में अध्यक्ष ने कहा कि हम देखते हैं कि उ.प्र. सरकार ने एवं अन्य हिन्दी प्रान्तों में राज्य सरकार का सारा काम हिन्दी में हो रहा है। वहां भी तकनीकी विभाग हैं, लेकिन फिर भी वे अपना काम हिन्दी में कर रहे हैं। हिन्दी में कार्य करना कठिन नहीं है। उन्होंने विभागाध्यक्षों का आह्वान किया कि वे स्वयं हिन्दी में काम करना प्रारम्भ करें।

12. कानपुर (बैंक)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1989-90 की द्वितीय बैठक 21 फरवरी, 1990 को भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, कानपुर के सभा-कक्ष में उप महाप्रबंधक श्री रामपवित्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक, राजभाषा द्वारा आयोजित पुस्तक एवं स्टीकर प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री आर.जे. बेडेकर, उप महाप्रबंधक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया गया।

इसके अतिरिक्त निम्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक की सूचना भेजी गई थी किन्तु न तो वह स्वयं उपस्थित हुए न ही उनका कोई प्रतिनिधि :

1. वरिष्ठ प्रबन्धक, न्यू बैंक आफ इण्डिया, गुमटी नं. 5 कानपुर।

2. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इंदौर, 118/1 कौशलपुरी, कानपुर।

3. शाखा प्रबंधक, विजया बैंक, 74/276 हालसी रोड, कानपुर।

4. शाखा प्रबंधक, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, दि माल, कानपुर।

5. शाखा प्रबंधक, इण्डियन बैंक, धनकुट्टी, कानपुर

6. शाखा प्रबंधक, सिंडीकेट बैंक, बी-1, सर्वोदय नगर, कानपुर।

7. शाखा प्रबंध, बैंक आफ महाराष्ट्र, मेघदूत होटल, कानपुर।

8. शाखा प्रबंधक, आन्ध्रा बैंक, मैस्टन रोड, कानपुर

9. शाखा प्रबंधक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, 19/7, माल रोड, कानपुर।

10. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक आफ पटियाला, गुमटी नं. 5, कानपुर।

11. शाखा प्रबंधक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, लाटूश रोड, कानपुर

12. शाखा प्रबंधक, केनारा बैंक, माल रोड, कानपुर

13. शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, हालसी रोड, कानपुर।

14. शाखा प्रबंधक, देना बैंक, बिरहाना रोड, कानपुर।

15. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, मूलगंज, कानपुर।

इलाहाबाद बैंक:—बैंक में प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान दिया जाता है। मार्च 1990 तक 125 कार्यशालाएं आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, सम्पूर्ण प्रशिक्षण 3 दिवसीय एवं 6 दिवसीय प्रदान किया जाता है। गैर-हिन्दी भाषियों के लिए 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है जिसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न हो।

पंजाब नेशनल बैंक : हिन्दी में मूल पत्राचार 80.14 है 80 प्रतिशत तार हिन्दी में भेजे जाते हैं, 9 टंकण यंत्र हिन्दी के तथा 7 अंग्रेजी के हैं। धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जा रहा है अभी तक इस वर्ष 6 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। प्रशिक्षण हेतु प्रधान कार्यालय के आदेशानुसार हिन्दी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि का भी ज्ञान है; हमारे कार्य में निरन्तर प्रगति हो रही है। हम भविष्य में इसे और भी आगे बढ़ाएंगे।

बैंक आफ बड़ौदा : 54 शाखाएं कानपुर में हैं 92.3 प्रतिशत हिन्दी पत्राचार किया जा रहा है ग्रामीण शाखाओं में कार्यरत टाइपिस्टों को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के प्रतिनिधि ने बैठक में कहा कि उनके बैंक में प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं। 91 प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है। हिन्दी का कम्प्यूटर उनके बैंक में नहीं है।

भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय के अधिकारी ने सूचित किया कि उनके बैंक की मंडल प्रबंधक समिति द्वारा यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में सिर्फ हिन्दी के लिए टंकणयंत्र क्रय किए जायेंगे।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के मंत्री श्री गुप्त का विचार था कि इस प्रकार की बैठकें वर्ष में दो से अधिक आयोजित की जानी चाहिएं।

भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक, कार्यालय कानपुर के श्री एस. सी. कपूर ने कहा कि दिसम्बर माह की रिपोर्ट के आधार पर हमारे कार्यालय में कुल 23096 पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 12342 हिन्दी के हैं। भेजे गए तारों की संख्या 578 है जिसमें से 370 हिन्दी में भेजे गये हैं। फरवरी माह में पत्राचार का प्रतिशत 88% था।

स्टेट बैंक मुख्य शाखा के प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी शाखा का रोकड़ से संबद्ध सभी कार्य हिन्दी में सम्पादित होता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक : स्टाफ की जानकारी के लिये प्रतिदिन श्याम-पट पर एक शब्द हिन्दी एवं अंग्रेजी का अंकित किया जाता है। बैठक में सदस्यों ने भविष्य में स्थान परिवर्तन का प्रस्ताव किया। उन्होंने इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि समन्वयक की जिम्मेदारी स्टेट बैंक निर्वाह करता रहेगा और समिति का प्रदश अध्यक्ष भी उप महाप्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक होंगे किन्तु स्थान परिवर्तन से उस बैंक की गतिविधियों में अवश्य अपेक्षित सुधार होगा। अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि चूंकि यह नीति निर्धारक विषय है अतः क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से विचार-विमर्श करने के उपरान्त इस पर निर्णय किया जाना चाहिए वैसे उनको इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है और अप्रैल में एक बैठक आयोजित कर इस पर निर्णय कर लिया जाएगा।

13. मेरठ

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मेरठ की 13वीं बैठक 21 फरवरी, 1990 को आयकर भवन मेरठ में हुई। इसकी अध्यक्षता श्री सुरेन्द्र नाथ भार्गव आयकर आयुक्त मेरठ ने की। मुख्य अतिथि के रूप में राजभाषा विभाग के उत्तर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री डी० पी० बन्दूनी उपस्थित थे।

बैठक में समिति के 67 सदस्य कार्यालयों में से 32 सदस्य कार्यालयों के 50 प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अध्यक्ष ने संयुक्त हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन पर बल देते हुए छोटे कार्यालयों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा करने का सुझाव दिया। कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के लिये चार्ट बनाकर कार्यालयों के कमरों में टांगने का प्रस्ताव किया। आम जनता की जानकारी के लिये कि वह इस कार्यालय में हिन्दी में पत्राचार कर सकते हैं उन्होंने सुझाव दिया कि राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित कार्यालयों में तथा मुख्य स्थानों पर साइन बोर्ड लगवाकर बताया जाए। सदस्यों की इस मांग पर कि समिति द्वारा कार्यालयों में हिन्दी में काम करने की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने और सरकारी काम में हिन्दी को और अधिक बढ़ाने के लिये चल वैजयंती देने की व्यवस्था संबंधी सुझाव का उन्होंने अनुमोदन किया और कहा कि इसे लागू किया जाए। साथ ही इस सुझाव पर कि हिन्दी टंकण के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। उन्होंने बताया कि इस बारे में जिलाधिकारी से पत्र व्यवहार किया जाए जिससे इस सुविधा को बढ़ाकर न केवल सरकारी कर्मचारियों को बल्कि बैंक और उपक्रमों में भी उपलब्ध कराई जाए।

अधिकांश कार्यालयों में हिन्दी में भेजे गये पत्रों का प्रतिशत कम था। हिन्दी टाइपराइटरों तथा हिन्दी में प्रशिक्षित टाइपिस्टों एवं आशुलिपिकों का प्रतिशत भी अधिकांश कार्यालयों में निर्धारित अनुपात से कम था। इसको देखते हुए सदस्य सचिव श्री हरि शंकर सिंह ने अनुरोध किया कि इस वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किए जायें। उन्होंने आयकर भवन में 28 तथा 29 अगस्त, 1989 को इस समिति के संयुक्त हिन्दी प्रशिक्षण कार्यशाला के सफल आयोजन के बारे में बताया।

श्री डी. पी. बन्दूनी, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने पिछली तिमाही की हिन्दी की प्रगामी प्रयोग की रिपोर्ट की समीक्षा की और राजभाषा नीति के अनुरूप हिन्दी में मूल पत्राचार टंकण आशुलिपिक, टंकण यंत्रों, आदि की प्रतिशतता के बारे में विस्तार से चर्चा की।

14. मथुरा

"हिन्दी के विकास के लिए मात्र सरकार पर ही निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। इसके लिए जन-जन को खासकर हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे।" ये उद्गार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मथुरा की नवीं बैठक के अवसर पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राजभाषा विभाग के उप सचिव (कार्यान्वयन) श्री भगवान दास पटैरया ने व्यक्त किए। उन्होंने आगे कहा कि दोषारोपण से काम नहीं चलेगा। यदि हिन्दीभाषी क्षेत्र के लोग ही हिन्दी को अपनाते हैं तो एक वर्ष में हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हो सकती है।

बैठक के प्रारम्भ में मेजबान सदस्य भारतीय जीवन बीमा निगम, मथुरा के शाखा प्रबन्धक श्री केवल कृष्ण वधवा ने सभी आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया।

तदुपरान्त समिति के सदस्य सचिव श्री माणिक मृगेश ने समिति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए समिति को मिली उपलब्धि के बारे में सदस्यों को बताया कि समिति को उत्तरी क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विशेष राजभाषा ट्राफियां प्रदान की गई हैं। इस उपलब्धि का सभी ने स्वागत किया। सचिव ने आगे मथुरा रिफाइनरी की रिपोर्ट पढ़ते हुए बताया कि उनके यहां हिन्दी प्रशिक्षण, स्टेनोग्राफी की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही रिफाइनरी में गृहणियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की० कक्षाएं अपने व्यय पर चलाई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि द्वारा हिन्दी में काम करने पर नकद प्रोत्साहन देने की आकर्षक योजना शुरू की गई है जिसके अनुसार हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को वर्ष में रुपए 800, टाइपिस्टों को 1,200/- स्टेनोग्राफरों को 1,800/- का नकद प्रोत्साहन मिल सकता है जोकि आयकर मुक्त है। उत्तर क्षेत्र कार्यालय गाजियाबाद के सहायक निदेशक श्री धनेश्वर प्रसाद बंदूनी ने सभी विभागों को इस योजना को अपनाने की सलाह दी।

इसके बाद समिति के सदस्यों ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिनमें—नेहरू युवा केन्द्र के अधीक्षक श्री दीनदयाल शर्मा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आगरा के उप मुख्य अधिकारी श्री जे.के. जैन, पंजाब नेशनल बैंक के श्री उदयभान अग्रवाल, डाक विभाग के श्री नंदराम शर्मा, इलाहाबाद बैंक के श्री गोपाल सारस्वत, न्यू इंडिया इंश्योरेंश कं. लि. के श्री राधे लाल अग्रवाल, ओरियंटल इंश्योरेंश कंपनी के श्री प्रमोद कुमार माहेश्वरी बॉमर लॉरी कंपनी लिमिटेड के श्री दीपक गांधी व श्री जे. के. वर्मा, आकाशवाणी के श्री रमेश चंद्र, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी के श्री वीरेन्द्र नाथ मिश्र, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के श्री बी. आर. रावत, एम. ई. एस. के सहायक गैरीजन इंजीनियर श्री बी. डी. सिंह, भारतीय जीवन बीमा निगम, आगरा के श्री दिनेश चन्द्र गर्ग, केन्द्रीय विद्यालय, रिफाइनरी नगर के प्राचार्य श्री युवराज सिंह, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर व जयपुर के श्री चिमन लाल जुतेजा, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, रिफाइनरी यूनिट के श्री राज सिंह प्रमुख थे।

"अन्त में बैठक की अध्यक्षता कर रहे मथुरा रिफाइनरी के वरिष्ठ कार्मिक और प्रशासनिक प्रबन्धक श्री एन.एस. नारंग ने कहा कि "मुझे खुशी है कि हिन्दी के प्रति जागरुकता अब जन-जन में आने लगी है और हिन्दी में काम करने में कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ मन की बात है। आगे उन्होंने कहा कि हिन्दी को हमें अनुवाद की भाषा नहीं बनाना है हम जितना हो सके, उतना मौलिक लेखन करें, अनुवाद नहीं। हिन्दी में पत्राचार मूल रूप में करें क्योंकि कुछ एक तकनीकी कारणों को छोड़कर अधिकांशतः सभी दफ्तरों के कार्य प्रशासनिक संबंधी होता है जिसे कि मूलतः हिन्दी में किया जा सकता है।"

15. आगरा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति आगरा की 17वीं बैठक होटल आगरा अशोक (भारत पर्यटन विकास निगम) में 9-1-90 को हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री सुरेश कपूर आयकर आयुक्त ने की। राजभाषा विभाग प्रतिनिधि श्री शमशेर अहमद खान अनुसंधान अधिकारी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर) गाजियाबाद भी उपस्थित थे।

होटल अशोक के प्रधान प्रबन्धक श्री संजय मुकर्जी ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि होटल में हिन्दी का प्रयोग करना कठिन है, फिर भी उनका होटल विदेशी पर्यटकों से संबंधित होने पर भी वे विदेशी पर्यटकों को नमस्कार धन्यवाद, आप कैसे हैं आदि हिन्दी वाक्यों के प्रयोग के साथ भारतीय शिष्टाचार का निर्वाह करते हैं। उन्होंने बताया कि अब प्रबन्धक स्तर पर भी फाइलों एवं कागजों पर हिन्दी में टिप्पणियां लिखी जा रही हैं और राजभाषा नीति का पूर्णतया पालन हो रहा है। हिन्दी की अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में भी हमारे अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। समिति सचिव श्री सकलानी ने बताया कि समिति के सभी 90 कार्यालय हिन्दी कार्यान्वयन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि आज इस बैठक में नगर के 90 कार्यालयों के 113 अधिकारी व कर्मचारी यहां उपस्थित हैं। बात का प्रमाण है कि सदस्य कार्यालय हिन्दी के प्रति पूर्ण जागरुक एवं सक्रिय हैं।

सदस्य सचिव श्री सकलानी ने बताया कि पिछली बैठक में राजभाषा विभाग के निदेशक (अनुसंधान) डा. महेश चन्द्र गुप्त के निर्देशानुसार बैठक में अनुपस्थिति विभागाध्यक्षों को आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष की तरफ से बैठकों में उपस्थित हेतु अर्द्धशासकीय पत्र लिखा गया और उसी के परिणामस्वरूप आज सभी विभागों के विभागाध्यक्ष काफी संख्या में उपस्थित हैं।

चित्र समाचार–I

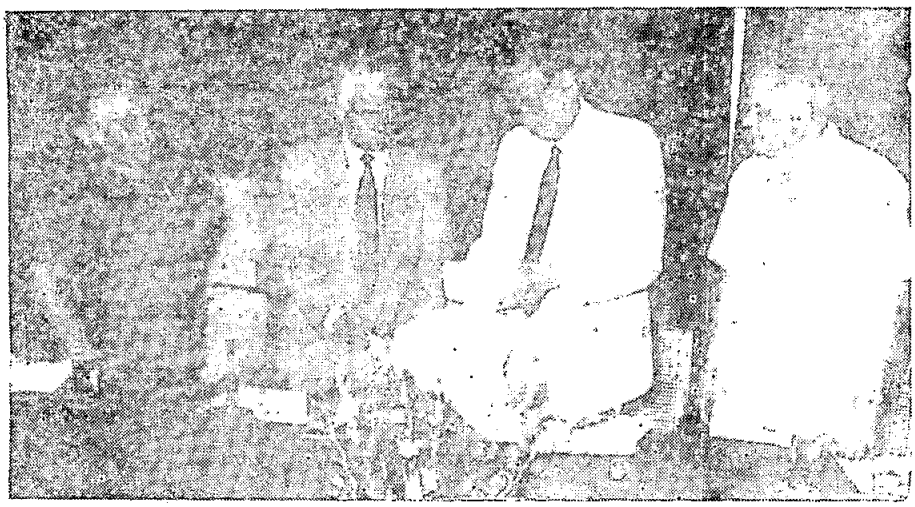

बेंगलूर : प्रशिक्षण महाविद्यालय–केनरा बैंक में सचिव (राजभाषा) भारत सरकार श्री राधा कान्त शर्मा (बाएं से तीसरे) को हिंदी में प्रशिक्षण सामग्री भेंट करते हुए कार्यपालक निदेशक श्री के. लक्ष्मीनारायण (बाएं से दूसरे) तथा अन्य अधिकारीगण (पृ. 101)

बेंगलूर : भारत सरकार के हिंदी सलाहकार श्री राधाकान्त शर्मा (बाएं से दूसरे) का स्वागत करते हुए अपर निदेशक (कार्मिक) श्री मदनलाल गुप्त तथा अन्य (अधिकारीगण) (पृ. 92)

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की गृह पत्रिका 'सेंट्रल संदेश' का विमोचन करते हुए सचिव (राजभाषा) श्री राधाकान्त शर्मा (एकदम बाएं) साथ में उप महाप्रबंधक द्वय श्री वी. ए० होथा एवं—एन. बालकृष्णन और श्री रा.वि. तिवारी, मु.प्र. (पृ. 36)

संबोधित करते हुए अध्यक्ष श्री एस.पी. दास गुप्ता तथा अन्य अधिकारीगण (पृ. 28)

पारादीप : सभा को संबोधित करते हुए साहित्यकार डॉ. महीप सिंह तथा अन्य अधिकारीगण (पृ. 100)

राजभाषा प्रगति की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष एवं मुख्य आयकर आयुक्त श्री जी०सी० अग्रवाल। मंचासीन हैं (बाएं से) श्री विश्वनाथ प्रसाद कैलखुरी, श्री वहीदुल हसन, निदेशक (आयकर) तथा श्री वी.पी. गुप्त, आयकर आयुक्त (पृ. 37)

मद्रास : राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय में मुख्य अतिथि से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री एम.के. देवसी । साथ में उप-निदेशक (प्रशिक्षण) ले.कर्नल एच. ए. एस. सौन्दर राजन (एकदम बाएं) (पृ. 77)

बोकारो स्टील प्लांट में 'स्मारिका' का विमोचन करते हुए श्री एम.आर. रामकृष्णन (पृ. 100)

रेल मंडल, वडोदरा : 'हिंदी प्रगति प्रदर्शनी' का अवलोकन करते हुए मं. रे. प्र. श्री गोविंद वल्लभ पंत तथा अन्य (पृ. 88)

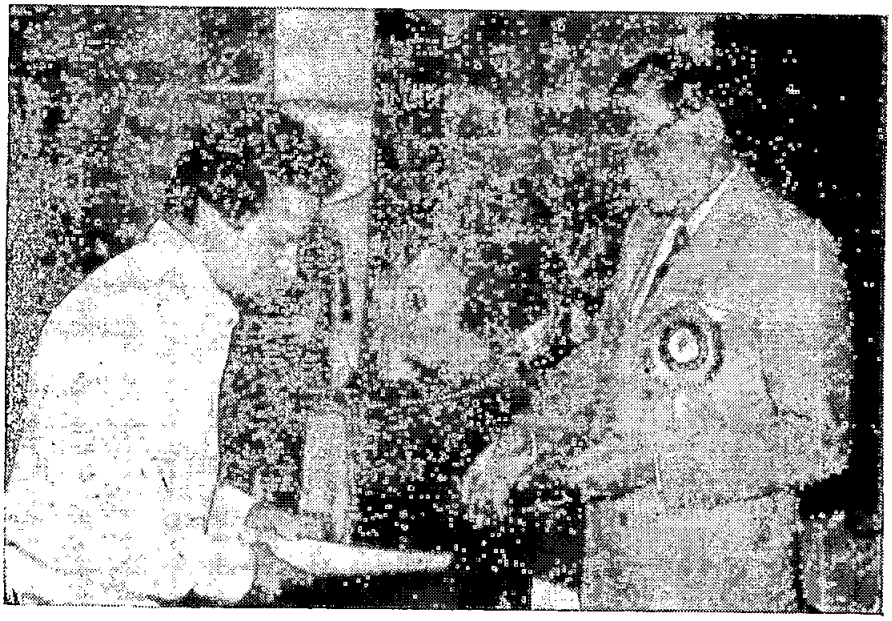

भोपाल : सचिव (राजभाषा) श्री राधाकान्त शर्मा से राजभाषा प्रशस्तिपत्र प्राप्त करते हुए कृषि अधिकारी श्री शरद इंगले, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (पृ. 99)

पारादीप : 'सेल' में पुरस्कार वितरण समारोह की एक झलक पृ. (100)

नई दिल्ली : राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष एअर मार्शल चं.शा. राजे से राजभाषा ट्राफी प्राप्त करते हुए अहमदाबाद विमान-पत्तन के निदेशक। अध्यक्ष के पीछे खड़े हैं —श्री मंगतराम धस्माना (पृ. 96)

सदस्य सचिव ने समिति को अवगत कराया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सम्पर्क व मूल्यांकन समिति ने जब शील्ड योजना के तहत विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया तो वह पाया कि कुछ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन नहीं हुआ है और कहीं-कहीं समिति की नियमित रूप से तिमाही बैठकें आयोजित नहीं हो रही हैं।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन या नियमित बैठकें नहीं हो रही हैं। वे यथाशीघ्र इन समितियों का गठन कर लें और उन बैठकों का कार्यवृत्त सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पास भेज दें।

हिंदी प्रयोग बढ़ाने के लिए सुझाव एवं विचार-विमर्श

(1) सिन्डीकेट बैंक के राजभाषा एवं केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के नगर मंत्री डा. रामानुज भारद्वाज ने कहा कि आगरा स्थित कार्यालयों में टेलेक्स दूरसंचार विभाग द्वारा लगाए गए हैं, जो केवल अंग्रेजी में हैं। दूरसंचार विभाग को इन्हें द्विभाषिक करने हेतु कारगार कदम उठाने चाहिए ताकि देवनागरी में भी तत्काल संदेश प्रेषण की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके साथ ही उन्होंने हिन्दी में तार प्रेषण में पाई गई विसंगतियों की ओर भी समिति का ध्यान आकर्षित किया।

(2) सेन्ट्रल बैंक के उप मुख्य अधिकारी श्री वृजेश जैन ने कहा कि हिन्दी टंकण व आशुलिपिक परीक्षा हेतु आगरा में कोई मान्यता प्राप्त केन्द्र न होने के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा देने हेतु राजभाषा विभाग नई दिल्ली भेजना पड़ता है, जिससे उनके बैंक के दूरदराज़ के कर्मचारियों के सामने परीक्षा देने की समस्या आ जाती है।

अतः उन्होंने सुझाव दिया कि यदि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कर्मचारियों की परीक्षा लेकर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों से अनुबन्ध ले लिया जाए कि वे हिन्दी का कार्य करेंगे तो बेहतर होगा।

(3) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि श्री जगदीश बंसल ने समिति का ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर आकर्षित किया।

(क) आगरा में हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है। यहां कोई भी नियमित हिन्दी प्राध्यापक नहीं है। समिति की बैठकों में हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्यप्रभारी अधिकारी को भी उपस्थित होना चाहिए जिससे हिन्दी शिक्षण योजना संबंधी समस्याओं का समाधान बैठक में ही हो जाए।

(ख) देवनागरी के तार तार घरों से यथा समय नहीं भेजे जाते हैं। स्थानीय तारघरों में देवनागरी के एक तार के प्रारूप की शब्दों की गणना अलग-अलग की जाती है। देवनागरी के तार, डाक से और रोमन लिपि में भेजे जाते हैं, जिससे देवनागरी में तार भेजने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी तारघरों में देवनागरी तारों की शब्द गणना एवं सुविधाओं की सूचना देते हुए बोर्ड लगाए जाने चाहिए।

(ग) उन्होंने कहा कि जिस स्थानीय समाचार-पत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम को उत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में पुरस्कृत करने का समाचार था, उसी पत्र में यह सूचना थी कि भारतीय जीवन बीमा निगम में विभागीय भर्ती हेतु टंकण परीक्षा का एक पत्र आवश्यक रूप से अंग्रेजी का है। उन्होंने समिति से पूछा कि हिन्दी प्रश्न-पत्र का विकल्प इसके साथ क्यों नहीं है? जबकि लिपिकवर्गीय परीक्षाओं में हिन्दी विकल्प की व्यवस्था अन्य सरकारी निकायों में हैं।

(4) मण्डलीय अधिकारी (तार) से समिति से जानना चाहा कि जो अधिकारी व कर्मचारी हिन्दी जानते हुए भी सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग नहीं करते उनके प्रति क्या कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

उन्होंने समिति से यह भी प्रश्न किया कि "क" और "ख" क्षेत्रों में धारा 3(3) के अन्तर्गत जो पत्र स्थानीय भेजे जाते हैं और जिनका हिन्दी और अंग्रेजी में भेजा जाना आवश्यक है या क्या वे केवल हिन्दी में ही नहीं भेजे जा सकते हैं।

(5) केनरा बैंक की प्रशिक्षण एकक के प्रबन्धक श्री एन.बी. नायक ने बताया कि उनके प्रशिक्षण एकक में सम्पूर्ण कार्य और व्याख्यान हिन्दी में होते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों के लिए जो पाठ्यसामग्री तैयार की है वह आगरा में एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि समिति यह तय करे कि इस उपलब्धि को हम कैसे प्रस्तुत करें, जिससे वे प्रोत्साहित हो सकें।

(6) भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक श्री प्रेमअवस्थी ने अपने विभाग की हिन्दी कार्यान्वयन की प्रगति व विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टंकण परीक्षा की वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि उनके कार्यालय में राजभाषा विभाग का उत्तरोत्तर प्रयोग हो रहा है। सभी टंकण द्विभाषी हैं। हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि का जबाब देते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा में भर्ती के नियम व प्रश्न पत्रों का चयन अखिल भारतीय स्तर से भर्ती बोर्ड करता है, इसमें उनका व्यक्तिगत कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमने इस बाबत प्राप्त ज्ञापन अभिवेदन) को उचित कार्यवाही के लिए ऊपर अग्रेषित किया है।

राजभाषा विभाग प्रतिनिधि श्री शमशेर अहमद खान ने बताया कि छमाही रिपोर्ट की समीक्षा करने पर पता चला कि आगरा नगर समिति के कार्यालयों में हिन्दी का कार्यान्वयन काफी अच्छा है परन्तु कई कार्यालयों की

रिपोर्ट सही नहीं भरी गई है। विभागाध्यक्षों को हिन्दी की प्रगति रिपोर्ट भरने का अनुभव नहीं है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि इस समस्या को दूर करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में अधिकारियों को एक कार्यशाला आयोजित की जाए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में अनुवाद प्रशिक्षण हेतु अनुवाद प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की सूची पहले से तैयार कर अध्यक्ष के पत्र के साथ केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को भेज दी जाए।

उन्होंने आगे बताया कि पिछले सम्मेलन में भी टेलैक्स मशीन के बारे में प्रश्न उठाया गया था। इस मुद्दे पर सचिव स्तर से कार्यवाही की जा रही है। बाजार में द्विभाषी टैलैक्स उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने यांत्रिक सुविधाओं के बारे में बताया कि ये यंत्र निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्यालय में होने चाहिए।

हिन्दी में काम योग्य कम्प्यूटर बाजार में उपलब्ध हैं। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में यांत्रिक सुविधाएं दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक हैं। श्री खान ने कहा कि क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों में राजभाषा ट्राफी देने का एक निश्चित मापदण्ड है। प्रत्येक कार्यालय की 4 तिमाही रिपोर्टों के आधार पर राजभाषा विभाग के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रगति का मूल्यांकन कर कार्यालय पुरस्कृत किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम केवल पुरस्कार के लिए ही काम न करें अपितु प्रत्येक वर्ष लक्ष्य बढ़ाते रहें।

श्री खान ने सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि नव वर्ष में वे संकल्प लें कि वे सभी पत्रों पर हिन्दी में हस्ताक्षर करेंगे। आगरा नगर "क" क्षेत्र में है और हिन्दी के कारण इसने मध्य युग को भी प्रभावित किया।

अध्यक्षीय भाषण में आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष नगर समिति श्री सुरेश कपूर ने कहा कि राजभाषा का कार्यान्वयन एक राष्ट्रीय कार्य है। हिन्दी भाषा ही हमें राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में बांध सकती है।

अन्त में अध्यक्ष ने सभी से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा विभाग के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिन्दी के कार्यान्वयन का उत्तरोत्तर विकास करें और स्वयं अपने स्तर से हिन्दी को अपनायें जिससे अधीनस्थ कर्मचारी स्वतः प्रेरणा प्राप्त करेंगे।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति आगरा
हिंदी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति रिपोर्ट के आंकड़े
(जुलाई से 31 दिसम्बर, 89 तक)

कार्यालय का नाम	हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर			भेजे गये पत्रादि		
	कुल	अंग्रेजी	हिन्दी	कुल	अंग्रेजी	हिन्दी
1	2	3	4	5	6	7
1. आकाशवाणी आगरा	512	—	512	2284	1224	1060
2. केन्द्रीय आयुध भंडार	1562	—	1562	51575	48959	2636
3. पं. एंड सिंध बैंक मीना मं.	25	—	25	2915	2860	80
4. आ. आ. कार्यालय	1072	—	996	5010	320	4890
5. विकास आयुक्त हस्तशिल्प	86	—	38	543	114	429
6. ने. सीड्स कारपोरेशन	728	—	607	2282	1675	607
7. दूरदर्शन केन्द्र आगरा	1550	1355	195	1090	898	192
8. विस्फोटक विभाग	1984	3	174	15363	4277	1086
9. भा. जी. बी. निगम	9719	—	6653	9243	1235	8008
10. भा. स्टेट बैंक क्षे. का.	7373	—	5855	8753	2721	6032
11. क्षेत्रीय रेल प्रबंधक, आगरा	5751	—	4982	5412	1515	3897
12. ओरियंटल इंश्यो. कं. सं. प्लेस	1494	947	547	1494	947	547
13. पंजाब नेशनल बैंक, आगरा	22063	—	16885	44303	3403	40900
14. केन्द्रीय जालमाकुष्ठरोग संस्था	4912	4851	61	2620	2379	241

1	2	3	4	5	6	7
15. प्रवर अधीक्षक, डाकघर	8000	5000	3000	6000	3000	3000
16. इंडियन आयल कारपो.	जानकारी कर रहे हैं।		—	1736	738	998
17. पर्यटन कार्या. माल रोड	108	—	27	701	639	62
18. बैंक ऑफ इंडिया, सं. प्लेस	12520	—	11324	41936	3593	38343
19. केन्द्रीय जल आयोग	3820	1087	2733	1688	159	1529
20. न्यू इंडिया इंश्योरेंस	1098	302	796	1481	254	1227
21. आयकर उपायुक्त रेंज-II	177	—	177	280	25	255
22. ओरियंटल इंश्यो. कं.	2150	—	1916	4594	2417	2177
23. दी न्यू इंडिया इंश्यो. मं. का.	307	—	119	3422	2426	996
24. के. भूमि एवं जल संरक्षण	308	273	35	608	494	114
25. स्थानीय लेखा कार्यालय	4132	4015	117	4153	4048	105
26. यूनाइटड इंश्यो. कं. लि.	900	—	860	1000	—	1000
27. केनरा बैंक प्रशिक्षण कार्यालय	37	—	15	1296	—	1296
28. आयकर उपायुक्त रेंज-I	86	—	86	54	—	54
29. क्षेत्रीय लेखा कार्यालय	373	—	54	862	428	434
30. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण सं.	3084	—	1960	5757	2087	—
31. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	3928	—	3162	6228	1245	4983
32. केन्द्रीय विद्यालय नं-3	1010	700	310	620	62	558
33. केन्द्रीय तारघर	2710	—	2710	4221	396	3825
34. क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय	172	40	172	—	46	255
35. मौसम विज्ञान विभाग	2045	1845	150	1807	594	1213
36. राष्ट्रीय बचत कार्यालय	109	—	109	380	50	330
37. राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधि.	74	—	50	50	974	213
38. लघु उद्योग सेवा संस्थान	2693	2450	123	2794	1757	1033
39. केन्द्रीय पादुका प्रशि. संस्थान	518	290	228	510	186	324
40. केनरा बैंक आगरा	702	—	148	23048	1887	16181
41. नेशनल इंश्यो. कं.	1219	—	952	3650	1105	2553
42. प्रवर्तन निदेशालय	618	423	195	743	382	361
43. क्षेत्रीय भविष्य निधि	573	—	—	448	448	—
44. भारतीय पुरातत्व सर्वे.	2200	1200	1000	4310	2950	1360
45. निर्यात निरीक्षण अभिकरण	422	229	193	505	312	193
46. केन्द्रीय विद्यालय नं. 1	660	225	335	440	110	330
47. मुख्य डाकघर, आगरा	526	15	511	1304	121	1183
48. क्षेत्रीय कर्मचारी शिक्षा केन्द्र	1135	263	872	1464	723	741
49. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	—	—	758	—	—	506
50. यूको बैंक बेलनगंज, आगरा	51	1	50	—	180	120

(ग) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. रक्षा लेखा नियंत्रक (दक्षिण) बेंगलूर

दिसंबर 1989 को समाप्त तिमाही के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 2-2-90 को नियंत्रक के कक्ष में श्री म.ह. सुब्रमणियन, भा.र.ले.से. रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक की अध्यक्षता में हुई।

हिन्दी प्रशिक्षण के संबंध में सदस्य सचिव ने बताया कि भुगतान व लेखा कार्यालय (अन्य श्रेणी) मद्रास रेजिमेंट केन्द्र, वेलिंगटन में अप्रशिक्षित कर्मचारियों के प्रशिक्षण की समस्या के समाधानार्थ उन्हें केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली के पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण ग्रहण करने की सलाह दी गई है।

संगठन के अधीन तमिलनाडु में स्थित कार्यालय की रिपोर्ट तथा अन्य राज्यों में स्थित कार्यालयों की रिपोर्ट की समीक्षा की गई। केवल अंग्रेजी में जारी किए गए सामान्य आदेशों, अंग्रेजी में उत्तरित हिन्दी पत्रों तथा निर्धारित प्रतिशत में हिन्दी में मूल पत्राचार न करने के कारणों पर विचार किया गया। सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि सामान्य आदेशों को द्विभाषी जारी करवाने में कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं। दिनांक 5-4-89 के सरकारी आदेश के पैरा 7 की शर्तों में हिन्दी कक्ष का लिपिकीय कार्य निबाहने के लिए लिपिकों को प्राधिकृत एवं तैनात न करना, विभिन्न क्षेत्रों से सामान्य आदेशों का द्विभाषी रूप में प्राप्त न होना और इस कार्य को हाथ में लेने के लिए हिन्दी टंककों का पूरा दल न होना। अतः यह निर्णय लिया गया कि उन मामलों में जहां सामान्य आदेश द्विभाषी नहीं प्राप्त होते हैं उन्हें मांगना चाहिए। इस कार्यालय से जारी होने वाले सामान्य आदेश द्विभाषी जारी किए जाने चाहिए।

हिन्दी पत्रों के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि मुख्य कार्यालय में सभी अनुभागों एवं कक्षों को हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में अनिवार्य रूप से लेने के संबंध में हिदायत दे दी गई है और संगठन के अधीनस्थ कार्यालयों को भी यथासमय निर्देश दे दिए जाएंगे।

सूचित किया गया कि तिमाही के दौरान 16 सामान्य आदेश द्विभाषी जारी किए गए, हिन्दी में प्राप्त पत्रों के अंग्रेजी जवाब की संख्या घटाई गई, हिन्दी में मूल पत्राचार भी बढ़ाया गया, हि.शि.यो. के चालू सत्र के लिए मुख्य कार्यालय से 24 कर्मचारियों तथा अधीनस्थ कार्यालयों से 56 कर्मचारियों को नामित किया गया।

2. केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क समाहर्तालय, बड़ोदरा

केन्द्रीय उत्पादन व सीमा शुल्क समाहर्तालय, बडोदरा, की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 53वीं बैठक की जगत नारायण निगम, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, वडोदरा की अध्यक्षता में दिनांक 31-1-90 को सम्पन्न हुई।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें उन सभी कार्यालयों में हर तीन महीने में एक बार करनी आवश्यक हैं। बैठकों में लिए गये निर्णयों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा और प्रत्येक कार्य को हिन्दी में करने के बारे में विचार करके कमियां दूर करने का स्तुत्य प्रयास श्री जगत नारायण निगम, समाहर्ता और श्री चन्द्र गोपाल शर्मा सहायक निदेशक (राजभाषा) ने किया है। यह अनुकरणीय है।

सम्पादक

2.2.1 गुजरात स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने से संबंधित सरकार का वर्ष 1989-90 का कार्यक्रम : समाहर्तालय में इस कार्यवृत्त की प्रमुख व्यवस्थाओं की 89-90 की तीन तिमाहियों में निष्पादन-स्थिति तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सुधार की कार्यवाही :

उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए समाहर्ता ने गुजरात के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए भारत सरकार के वर्ष '89-90' के कार्य क्रम में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में इस वित्त वर्ष की दिसम्बर-89 में समाप्त तीन तिमाहियों के दौरान समाहर्तालय के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की, जो निम्नानुसार है :—

(1) हिन्दी में मिले 32122 पत्रों में से उत्तर के लिए अपेक्षित 13748 पत्रों के उत्तर हिन्दी में प्रेषित किए गए हैं।

(2) क्षेत्र "क" व "ख" के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए निर्धारित 60% हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य के मुकाबले, 52% में हिन्दी में प्रेषित हुए हैं। हम सभी निर्धारित लक्ष्य से 8% पीछे हैं।

(3) क्षेत्र "ग" के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को 18.37% पत्र हिन्दी में गए हैं, जबकि लक्ष्य 10% हिन्दी पत्राचार का है।

(4) क्षेत्र "क" व "ख" की 9 राज्य सरकारों, 3 संघ शासित क्षेत्रों एवं यहां के गैर सरकारी व्यक्तियों के निमित्त हिन्दी पत्राचार के 100% लक्ष्य के मुकाबले, 72% पत्र ही हिन्दी में भेज पाए हैं। 28% की अभी भी कमी है।

(5) 56% निर्धारित दस्तावेज द्विभाषिक रूप से जारी हुए हैं, जबकि इस बारे में लक्ष्य शत-प्रतिशत निर्धारित है।

(6) कम से कम 25% हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था करना अभी शेष है:

(7) 25% हिन्दी टंककों /हिन्दी आशुलिपिकों की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है।

(8) प्रशिक्षण सामग्री हिन्दी में तैयार नहीं हो पाई है।

(9) कुल पुस्तकालय-अनुदान का कम से कम 25% हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर व्यय नहीं हुआ है।

(10) समाहर्ता के दिनांक 3-4-89 के विशेष आदेश संख्या 1/1/88-89/राभा के अनुसार गठित चैक प्वाइंट अधिकतर कार्यालयों में ठीक काम नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष ने चाहा कि उक्त मद 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10 के बारे में मुख्यालय तथा मंडलों में सुधार की तत्काल कार्यवाही की जाए ताकि 31-3-90 तक समाहर्तालय द्वारा संदर्भगत वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य सिद्ध हो सकें।

2.2.2 समाहर्तालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निर्णयों पर त्वरित अमल:

समाहर्ता ने दिनांक 2-8-89 को संपन्न समिति की पिछली बैठक के निर्णयों पर विभिन्न कार्यालयों में सम्पन्न कार्यवाही की रिपोर्टों के हवाले से बताया कि समिति के निर्णयों पर पूरी गंभीरता से अमल नहीं हो रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी इस ओर विशेष ध्यान देते हुए अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में समिति के निर्णयों पर समुचित अमल करवाएंगे। उन्होंने निदेश दिया कि समिति के निर्णयों पर सम्पन्न कार्यवाही की ब्यौरेवार अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र भिजवा दी जाए।

2.2.3 हिन्दी के प्रयोग से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं के समुचित अनुपालन पर सतत निगरानी:

राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं इस बारे में जारी प्रशासनिक निर्देशों आदि के समुचित अनुपालन पर सतत निगरानी रखने के उद्देश्य से निम्नानुसार निदेश दिए :—

(1) सभी अपर उप समाहर्तागण अपने-अपने कार्य क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा हेतु हर माह समीक्षात्मक बैठक आयोजित करें।

(2) अपर/उप समाहर्ता एवं मंडलीय सहायक समाहर्ता अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में हिन्दी की प्रगति के बारे में एक संक्षिप्त तथ्यात्मक नोट, हर माह होने वाली अधिकारियों की सामान्य बैठक में प्रस्तुत करें।

(3) मंडलीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों और विद्यमान निर्देशों के अनुसार संबंधित अपर समाहर्ता अपने-अपने कार्यक्षेत्र के मंडलों की इन बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित किए जाएं।

(4) मंडल कार्यालय में रेंजों/मंडलीय अनुभागों से प्राप्त हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की जाए तथा इन समीक्षात्मक पत्रों की एक प्रति मुख्यालय में भी भेजी जाए। इसी तरह, मुख्यालय के अनुभागों तथा मंडलों से प्राप्त इन रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की जाए।

(5) समाहर्तालय के सभी निरीक्षण अधिकारी अपने निरीक्षण नोटों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निरीक्षित कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति के बारे में नोट भी शामिल करें और यह नोट अनुवर्ती कार्यवाही हेतु मुख्यालय की हिन्दी शाखा में भेजा जाए।

2.2.4 सकारात्मक रुख:—अंत में, अध्यक्ष ने आग्रह किया कि बैठक में विचारार्थ विषयों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए समस्याओं के व्यावहारिक हल ढूंढ़ने के प्रयास किए जाएं।

2.3 समिति की दिनांक 2-8-89 को संपन्न 52वीं बैठक के निर्णयों पर कार्यवाही की समीक्षा:—

1. निर्णय : मुख्यालय में किसी उपयुक्त स्थल पर स्थायी "हिन्दी प्रगति प्रदर्शनी" लगाई जाए। इसमें समाहर्तालय के विभिन्न कार्यालयों की हिन्दी प्रगति विषयक उपलब्धि/चार्ट/चित्र, हिन्दी में सम्पन्न काम के नमूने, हिन्दी से संबंधित सहायक संदर्भ साहित्य आदि प्रदर्शित किए जाएं।

कार्यवाही : हिन्दी सप्ताह के अवसर पर मुख्यालय, वडोदरा में "हिन्दी प्रगति प्रदर्शनी" आयोजित की गई जिसमें उक्त सामग्री प्रदर्शित की गई। स्थायी प्रदर्शनी के बारे में अपर समाहर्ता (का.व स.) को लिखा गया है।

2. निर्णय : भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हिन्दी से संबंधित चल-चित्र/वीडियो कैसेट समय-समय पर प्रदर्शित किए जाएं तथा इसके लिए कलर टी.वी./वी.सी.आर. की व्यवस्था की जाए।

कार्यवाही : हिन्दी सप्ताह के अवसर पर "हिन्दी की वाणी" नामक वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कलर टी.वी./वी.सी.आर. के लिए प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय वडोदरा को लिखा गया है। इस अवसर पर, समाहर्ता ने कहा कि कलर टी.वी. एवं वी.सी.आर. की स्थायी व्यवस्था होने तक, उक्त फिल्मों के प्रदर्शन हेतु कलर टी.वी./वी.सी.आर. किराये पर मंगवाए जाएं तथा प्रत्येक तिमाही में एक बार इन फिल्मों का प्रदर्शन हो।

3. निर्णय : समाहर्तालय में टेलीफोन के माध्यम से "राजभाषा सूचना सेवा" शुरू की जाए जिससे मुख्यालय के अनुभाग एवं मण्डल अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्यायों तथा राजभाषा नीति विषयक जानकारी तत्काल हासिल कर सकें।

कार्यवाही : इस बारे में कार्यवाही हो रही है।

4. निर्णय : हिन्दी के ताजा समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के लंच समय में पठन-पाठन की दृष्टि से मुख्यालय में वाचनालय के लिए स्थल नियत किया जाए।

कार्यवाही : इस निर्णय पर आवश्यक कार्यवाही के लिए अपर समाहर्ता (कार्मिक व सतर्कता) को लिखा गया है। तथापि, हिन्दी समाचार-पत्र लिफ्ट के सामने लांबी में पठन-पाठन के लिए रखे जा रहे हैं। इस अवसर पर यह कहा गया कि कार्यालय में संदर्भ पुस्तकालय एवं वाचनालय के लिए स्थायी-कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए।

5. निर्णय : भारत सरकार द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रह आदि प्रत्येक अनुभाग में ऐसे स्थान पर रखे जाएं जहां सब कार्मिकों की पहुंच हो।

कार्यवाही : सभी अनुभागों के ध्यान में उक्त निर्णय अपेक्षित कार्यवाही के लिए ला दिया गया है।

6. निर्णय : हिन्दी टंकण-पूल स्थापित किया जाए।

कार्यवाही : हिन्दी टंकण-पूल स्थापित करने के बारे में आदेश जारी किया जा रहा है।

7. निर्णय : समाहर्तालय के सभी पर्यवेक्षी अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की गहन समीक्षा करें और इस दौरान नजर आने वाली कमियों को दूर कराएं।

कार्यवाही : यह निर्णय सभी अधिकारियों के ध्यान में ला दिया गया है।

8. निर्णय : समाहर्तालय के हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले एक मात्र कार्मिक को हिन्दी प्रशिक्षण दिलाया जाए।

कार्यवाही : उक्त कार्मिक नवम्बर-89 की हिन्दी प्रबोध परीक्षा में शामिल हुई है।

9. निर्णय : हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए शेष समाहर्तालय के 46 अवर श्रेणी लिपिकों को शीघ्र हिन्दी टंकण प्रशिक्षण दिलाया जाए।

कार्यवाही : अगस्त-जनवरी-90 सत्र के दौरान समाहर्तालय के 3 अवर श्रेणी लिपिक हिन्दी टंकण परीक्षा में शामिल हुए हैं।

10. निर्णय : समाहर्तालय के आशुलिपिकों को निर्देश दिए जाएं कि वे अपने प्रयत्नों से हिन्दी आशुलिपि परीक्षा पास कर लें।

कार्यवाही : यह निर्णय सभी के ध्यान में ला दिया गया है। उल्लेखनीय है कि समाहर्ता महोदय ने भी यह निर्देश जारी किया है कि सभी आशुलिपिक 31-3-91 तक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। इस बारे में अनुपालन रिपोर्ट मंगाई जा रही है। तथापि, समाहर्तालय के एक आशुलिपिक जनवरी-90 में सम्पन्न हिन्दी टंकण परीक्षा में बैठे हैं।

11. निर्णय : सरकार के निदेशानुसार 31-3-90 तक आशुलिपिकों के कुल पदों में से 25% पदों पर हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित आशुलिपिकों की भर्ती की जाए।

कार्यवाही : इस संबंध में मुख्यालय की स्थापना शाखा द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

12. निर्णय : हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित सभी कार्मिक अपने हिन्दी ज्ञान का भरपूर उपयोग करें।

कार्यवाही : कार्यशालाओं में प्रशिक्षण पाने वाले कार्मिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करें।

13. निर्णय : फाइलों/रजिस्टरों पर विषय/शीर्ष आदि हिन्दी-अंग्रेजी में लिखे जाएं।

कार्यवाही : निर्णय सभी के ध्यान में ला दिया गया है। सभी कार्यालय इस पर अमल कर रहे हैं समाहर्ता महोदय ने कहा कि कभी-कभी केवल अंग्रेजी विषय लिखी फाइलें उनके पास आ जाती हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने निदेश दिया कि सभी पर्यवेक्षी अधिकारी केवल अंग्रेजी विषय लिखी फाइलों को अनुभाग में वापस कर दें और उन फाइलों

पर तब ही कार्यवाही करें जब उन फाइलों पर विषय द्विभाषिक रूप में हिन्दी के अक्षर ऊपर रखते हुए लिखे हों।

14. **निर्णय** : समाहर्ता महोदय ने अपने दिनांक 18-5-89, 14-6-89 एव 2-8-89 के आदेशों के जरिए हिन्दी में सम्पन्न किए जाने के लिए जो कार्य निर्धारित किए हैं वे कार्य तथा उनसे संबंधित पत्राचार हिन्दी में ही किया जाए।

कार्यवाही : सभी के ध्यान में उक्त आदेशों की व्यवस्थाएं ला दी गयीं हैं।

15. **निर्णय** : सभी स्थापना आदेश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ जारी किए जाएं।

कार्यवाही : यह निर्णय अपर समाहर्ता (कार्मिक व सतर्कता) तथा प्रशासनिक-अधिकारी (मुख्यालय) के ध्यान में ला दिया गया है परंतु अभी भी स्थापना/आदेश केवल अंग्रेजी में जारी हो रहे हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए समाहर्ता ने निदेश दिया स्थापना आदेश केवल हिन्दी/द्विभाषिक रूप में ही निकाले जाएं; किन्तु केवल अंग्रेजी कदापि न जारी किए जाएं।

16. **निर्णय** : समाहर्तालय से सभी स्तरों पर मूलतः जारी होने वाले सामान्य आदेश, अधिसूचना, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन, लाइसेंस, परमिट एवं टेंडर नोटिस आदि हिन्दी-अंग्रेजी में एक साथ जारी हों।

कार्यवाही : यह निर्णय सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मंडल-5, वडोदरा तथा मुख्यालय की एडजूडीकेशन शाखा से एडजूडीकेशन-आदेशों की प्रस्तावना एवं प्रभावी आदेश द्विभाषिक रूप में जारी हो रहे हैं।

17. **निर्णय** : बोर्ड से हिन्दी-अंग्रेजी दोनों में प्राप्त अधिसूचनाएं द्विभाषिक रूप में परिचालित की जाएं।

कार्यवाही : निर्णय अपर समाहर्ता (तकनीकी) के ध्यान में ला दिया गया है।

18. **निर्णय** : जब तक निर्धारित मापदण्डों के अनुसार हिन्दी के पद नहीं बन जाते हिन्दी अनुवाद से संबंधित कार्य यहां के योग्य कार्मिकों से मानदेय के आधार पर कराया जाए।

कार्यवाही : निर्णय सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में ला दिया गया है। रसायन प्रयोगशाला ने इस संदर्भ में कार्यवाही की है।

19. **निर्णय** : हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाने की स्थिति कायम रखी जाए।

कार्यवाही : सभी कार्यालयों ने हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए बताए हैं।

20. **निर्णय** : वर्ष 1989-90 की वार्षिक कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के अनुपालनार्थ मुख्यालय का प्रत्येक अनुभाग, मण्डल, रेंज आदि ठोस कार्य योजना तैयार करें तथा उन पर निर्धारित समय-सीमा में अमल करें।

कार्यवाही : यह निर्णय सभी के ध्यान में ला दिया गया है।

21. **निर्णय** : प्रशासनिक/वित्तीय/साहित्यिक एवं अन्य सामान्य रुचि की हिन्दी पुस्तकें मंगायी जाएं।

कार्यवाही : इस संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारी (मुख्यालय) वडोदरा को लिखा गया है। मंडलों आदि में भी इस निर्णय को परिचालित किया गया है।

2.4. मुख्यालय तथा मण्डलों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा :

2.4.1 हिन्दी प्रशिक्षण : नोट किया गया कि समाहर्तालय के कुल 83 अवर श्रेणी लिपिकों में से 37 अवर श्रेणी लिपिक हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं; शेष 46 अवर श्रेणी लिपिकों को मुख्यालय, बडोदरा तथा वलसाड में कार्यरत विभागीय हिन्दी टंकण/प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से हिन्दी टंकण प्रशिक्षण लेने के प्रयास किय जा रहे हैं। सूरत में भी इस तरह की विभागीय प्रशिक्षण व्यवस्था करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

स्थिति की पूरी समीक्षा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

(1) समाहर्तालय के सभी अवर श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों को इस विभागीय व्यवस्था के तहत हिन्दी टंकण में शीघ्र प्रशिक्षित कराया जाए।

(2) हिन्दी टंकण प्रशिक्षण में नामांकन के बाद जो कार्मिक कक्षाओं में नहीं आते और/अथवा प्रशिक्षण की समाप्ति पर परीक्षा में नहीं बैठते, उनके खिलाफ कर्तव्य की अवहेलना के लिए अनुशासन-कार्यवाही की जाये। श्री टी.एच.के. गौरी (उप समाहर्ता निवारक एवं मूल्यांकन) जो मुख्यालय के राजभाषा अधिकारी भी है, इस बारे में कार्यवाही करें।

2.4.3 हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण : बताया गया कि समाहर्तालय के कुल 19 आशुलिपिकों में से किसी को भी हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। यह भी नोट किया गया कि समाहर्तालय के समूचे कार्यक्षेत्र में हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है।

स्थिति की समीक्षा के बाद निम्नानुसार निर्णय लिए गए : —

(1) सभी आशुलिपिक समाहर्ता के निदेशानुसार हिन्दी आशुलिपि परीक्षा अपने प्रयत्नों से 31-3-91 तक पास कर लें तथा इस संबंध में सरकार द्वारा देय प्रोत्साहन भी प्राप्त करें।

(2) सरकार के निदेशानुसार 31-3-90 तक आशुलिपिकों के कुल पदों में से 25% पदों पर हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित आशुलिपिकों को भर्ती किया जाए।

2.4.4 हिन्दी कार्यशालाएं : समिति ने इस बात की प्रशंसा की कि वर्ष 1989-90 के दौरान अब तक 14 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। समिति ने चाहा कि यह गति आगे भी कायम रखी जाए।

निर्णय हुआ कि सभी नियंत्रण अधिकारी इन कार्यशालाओं में प्रशिक्षित अपने प्रभार के कार्मिकों से अपना कार्यालयीन कार्य अधिकाधिक मात्रा में हिन्दी में ही कराएं।

2.4.5 राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन : बताया गया कि समाहर्तालय में उक्त कानूनी व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है और इस उल्लंघन का प्रमुख कारण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से संबंधित मूलभूत कानूनी दस्तावजों के प्राधिकृत हिन्दी रूपान्तर का अभाव है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के मापदण्डों के हिन्दी पदों की व्यवस्था न हो पाने के कारण भी उक्त कानूनी व्यवस्थाओं का शत-प्रतिशत अनुपालन संभव नहीं हो पा रहा है। समिति ने इन कठिनाइयों के बजूद को स्वीकारते हुए, यह चाहा कि इन कठिनाइयों के बावजूद राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में वर्णित संगत कानूनी दस्तावेज जैसे सामान्य आदेश, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, नोटिस, टेंडर नोटिस, लाइसेंस, परमिट, कान्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आदि हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ जारी किए जाने चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया कि इन दस्तावेजों को द्विभाषिक रूप में जारी करने की जिम्मेदारी इन कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होती है।

उक्त पृष्ठभूमि में, समिति ने निर्णय किया कि संदर्भगत कानूनी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि ये कागजात हिन्दी-अंग्रेजी दोनों में जारी होते हैं (उक्त पैरा 2.3 की मद 15 व 16 भी देख लें)।

2.4.6 हिन्दी पत्राचार : समिति ने नोट किया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने से संबंधित वर्ष 1989-90 के कार्यक्रम के अनुसार गुजरात स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों से "क" और "ख" क्षेत्रों के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को 60% "ग" क्षेत्र स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को 10% पत्र तथा क्षेत्र "क" व "ख" की राज्य सरकारों एवं यहां के गैर सरकारी व्यक्तियों को 100% पत्र हिन्दी में भेजना अपेक्षित है।

उक्त लक्ष्यों के संदर्भ में मुख्यालय के अनुभागों एवं सभी 13 मंडलों द्वारा प्रस्तुत जानकारी की समीक्षा की गई और समिति ने पाया कि हिन्दी पत्राचार के निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में कार्यालयों को अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करना होगा।

स्थिति में सुधार लाने के लिए निर्णय हुआ कि समाहर्ता के दिनांक 18-5-89, 14-6-89 एवं 2-8-89 के आदेशों के अनुसार हिन्दी में किए जाने के लिए निर्धारित कार्य हिन्दी में ही सम्पन्न किए जाएं, ताकि हिन्दी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सार्थक मदद मिल सके।

2.4.7 यथा संशोधित राजभाषा नियम 1976 के नियम-2 का अनुपालन :

समिति ने नोट किया कि मुख्यालय में प्रदर्शित नामावली-चार्ट, रबर स्टाम्प आदि द्विभाषिक रूप में बनवायी गयी है; किन्तु अनेक मंडलों ने इस संबंध में यथोचित कार्यवाही नहीं की है क्योंकि मंडलीय सहायक समाहर्ता के कक्षों एवं सूरत स्थित नए केन्द्रीय उत्पादन व सीमा शुल्क भवन में प्रदर्शित नामावली-चार्ट अंग्रेजी में हैं। इसके अलावा, मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में प्रदर्शित कुछ चार्ट भी केवल अंग्रेजी में है।

निर्णय हुआ कि केवल अंग्रेजी में प्रदर्शित उक्त सामग्री हिन्दी-अंग्रेजी में, हिन्दी के अक्षर ऊपर रखते हुए, बनवाकर उसे तत्काल प्रदर्शित किया जाये।

2.5 राजभाषा में अधिसूचित करना :

वापी–1 व वापी–2 मंडलों को छोड़कर सभी कार्यालय उक्त व्यवस्थाओं के अनुसार राजपत्र में अधिसूचित है और निर्धारित कार्यों को हिन्दी में कराने के प्रयास हो रहे हैं।

1. सरकारी विज्ञापन हिन्दी-अंग्रेजी में जारी करने की व्यवस्था सभी के ध्यान में लाई गई है।

2. न्यूनतम हिन्दी पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

3. 25% तार देवनागरी में भेजने के प्रयास हो रहे है।

4. 25% देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध कराने के बारे में प्रशासनिक अधिकारी-(मुख्यालय) को कहा गया है।

5. द्विभाषिक इलेक्ट्रानिक उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था नोट कर ली गयी है।

6. हिन्दी टंककों/आशुलिपिकों को निर्धारित अनुपात (25% के अनुसार नियुक्ति/प्रशिक्षित करने की दृष्टि से कार्यवाही स्थापना शाखा कर रही है।

7. सेवाकालीन विभागीय या पदोन्नति परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प के बारे में स्थापना शाखा कार्यवाही कर रही है।

8. प्रशिक्षणशाला में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में अधीक्षक (प्रशिक्षण) से कार्यवाही अपेक्षित है।

9. हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है।

10. हिन्दी सप्ताह मनाया गया।

11. पुस्तकालय अनुदान का कम से कम 25% हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर व्यय करने की दृष्टि से हिन्दी पुस्तकों की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी (मुख्यालय) कर रहे है। समाहर्ता ने निर्देश दिया कि हिन्दी पुस्तकों की व्यवस्था मार्च–90 तक कर ली जाये। इसके अतिरिक्त सूरत स्थित समाहर्तालय के कार्यालयों के कार्मिकों के लाभार्थ स्वतंत्र हिन्दी पुस्तकालय स्थापित करने का भी समाहर्ता महोदय ने निदेश दिया।

12. कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है।

13. हिन्दी के प्रयोग से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं के समुचित अनुपालन की दृष्टि से जांच-बिन्दु बिठाए गए।

उक्त समीक्षा के बाद, निर्णय हुआ कि जो कार्यालय उक्त व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में पीछे हैं वे इन व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन के लिए ठोस कार्यवाही करें, ताकि 31-3-90 तक समाहर्तालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य सिद्ध किए जा सके। समाहर्ता महोदय ने कहा कि संबंधित कार्यालयों को उनकी ओर से इस बारे में डी. ओ. पत्र भी जारी किया जाय।

2.6 सुझाव

2.6.1 अनुभागों एवं मंडलों के लिए शील्ड योजना

समाहर्ता महोदय की पहल पर समिति के मुख्यालय के अनुभागों एवं मंडलों/रेंजों के लिए शील्ड योजना को पुनः लागू करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय हुआ कि वर्ष में प्रति छः माही अर्थात् जनवरी-जून एवं जुलाई-दिसंबर के दौरान कार्यालय के हिन्दी-कार्य के आधार पर दो-दो शील्डें/ट्राफियां हर वर्ष 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को समारोह पूर्वक प्रदान की जाएं।

2.6.2 समाहर्तालय के मण्डलों में हिन्दी कार्यान्वयन अभियान तेज करना :

उप समाहर्ता (निवारक) ने सुझाव दिया कि बलसाड स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क मण्डलों तथा वापी स्थित नवसृजित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मण्डलों में हिन्दी के कार्यान्वयन अभियान को व्यवस्थित गति देने के उद्देश्य से बलसाड स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मण्डल में एक हिन्दी-अनुवादक तैनात किया जा सकता है। समिति ने यह प्रस्ताव सिद्धांत रूप से मान लिया।

निर्णय हुआ कि बलसाड में हिन्दी अनुवादक तैनात करने के बारे में अपर समाहर्ता (कार्मिक व सतर्कता) यथा अपेक्षित छान-बीन करा लें।

2.7 प्रशंसात्मक टिप्पणी :

दिनांक 31-1-90 को सेवानिवृत्त हो रहे समिति के दो सदस्यों श्री ए. आई. देसाई, सहायक समाहर्ता (विधि) तथा श्री एन. एस. आदिशेष, वेतन व लेखा अधिकारी के हिन्दी-प्रेम के लिए समिति ने उनकी सर्व सम्मति से सराहना की। समिति ने उक्त सदस्यों के सुदीर्घ एवं सुखी सेवानिवृत्ति जीवन की कामना भी की।

3. भारतीय जीवन बीमा निगम, वाराणसी

मण्डल कार्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 29-12-89 को वरि. मण्डल प्रबन्धक श्री ए. आर. मेनन की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में पत्र का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया और सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वर्ग "ग" एवं "घ" के कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट शत प्रतिशत हिन्दी में ही भरें।

सर्वप्रथम अध्यक्ष की अनुमति से भाषा सहायक श्री जगदीश नारायण राय ने पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में श्री राय ने सूचित किया कि कुछ कठिनाइयों के कारण इस तिमाही में भी शाखाओं/विभागों का निरीक्षण नहीं किया जा सका। हिन्दी अधिकारी श्री जगदीश दूबे ने आश्वस्त किया कि अगली तिमाई में यह कार्य पूरा कर लिया जायेगा। श्री राय ने आगे सूचित किया कि कार्यालय सेवा विभाग में मौखिक रूप से सूचित किया है कि पुराने अंग्रेजी टाइपराइटरों का निस्तारण कर नये देवनागरी टाइपराइटर खरीदने (बदलने) हेतु कोटेशन मंगा लिए गये हैं। श्री राय ने सूचित किया कि रोमन इलिट टाइपराइटरों की देवनागरी में बदलने हेतु कार्यालय सेवा विभाग से बातचीत चल रही है।

भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 1989-90 के राजभाषा हिन्दी के वार्षिक कार्यक्रम एवं उसमें उल्लिखित मदों के क्रियान्वयन एवं लक्ष्य के अनुसार पत्राचार (हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर, मूलपत्र, तार तथा चैक) में हिन्दी का प्रयोग

तथा धारा 3(3) के कागजातों को द्विभाषी जारी करने की स्थिति निम्नलिखित प्रस्तुत की गई (प्रगति विवरण से)।

1.	(क) हिन्दी में प्राप्त कुल पत्र	11176
	(ख) उत्तर हिन्दी में	8665
	(ग) उत्तर अंग्रजी में	कोई नहीं

2. (क) कार्यालय की तरफ से प्रेषित मूलपत्र

	हिन्दी में	18272
(ख) ,, ,, ,,	अंग्रेजी में	37
(ग) ,, ,, ,,	तार हिन्दी में	253
(घ) ,, ,, ,,	अंग्रेजी में	कोई नहीं
(ङ) ,, ,, ,,	चैक हिन्दी में	12828
(च) ,, ,, ,, ,,	अंग्रेजी में	28

3. धारा 3(3) में उल्लिखित जारी कागजात

(क) हिन्दी/द्विभाषी	अंग्रेजी में
18128	कोई नहीं

4.	(क) अंग्रेजी में प्राप्त कुल पत्र	4233
	(ख) उत्तर हिन्दी में	2791
	(ग) उत्तर अंग्रेजी में	116

उपरोक्त रिपोर्ट पर विशेषकर अंग्रेजी पदों का उत्तर हिन्दी में दिये जाने की सराहना की गई और संतोष व्यक्त किया गया।

प्रगति विवरण (शाखाओं) की समीक्षा तथा चेक प्वाइंट्स, निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा :

(क) भाषा सहायक श्री राय ने सूचित किया कि सितम्बर 89 तक के प्रगति विवरणों की समीक्षा कर कमियों को दूर करने का निर्देश शाखाओं को भेजा गया है। मुख्य कमी जो पाई गयी है वह यह है कि कई शाखाओं में रा. भा. का. उपसमिति की तिमाही बैठकें नहीं आयोजित की जाती हैं। बताया गया कि जौनपुर, मुगलसराय, केराकत प्रतिमाह नियमित रूप से प्रगति विवरण नहीं भेज रहे हैं।

(ख) बताया गया कि हर प्रयास के बावजूद तथा कार्याधिक्य के कारण शाखाओं में कार्यशाला का आयोजन तथा उनका निरीक्षण नहीं किया जा सकता।

(ग) मण्डल कार्यालय में बने जांच बिन्दु (चैक प्वाइन्ट) पर शाखाओं से प्राप्त डाक में पत्रों कागजातों तथा मण्डल कार्यालय के विभिन्न विभागों से प्रेषित डाक में पत्रों कागजातों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति (1 जुलाई 89 से 30 सितम्बर 89 तक) निम्नलिखित थी :—

विभाग :	
1. लेखा	100%
2. कार्मिक	99.69%
3. कार्यालय सेवा	99.5%
4. नया व्यवसाय	77.49%
5. दावा	99.49%
6. समूह बीमा	91.50%
7. विक्रय	95.40%
8. वे. ब. योजना	98.20%
9. आंकड़ा संसाधन	86.64%
10. बी.एस.यू.	81.88%
11. मं. प्र. विभाग	44.40%
12. बीमा सेवा	97.87%
13. विधिबंधक	81.42%
14. योजना	—
शाखा कार्यालय :	
1. नं. शाखा-1	100%
2. चुनार	86.23%
3. डी.ए.वी.	100%
4. रेनुकूट	85.92%
5. युसुफपुर	84.93%
6. सी. ए. बी.	64.70%
7. मडुआडीह	80.55%
8. गाजीपुर	72.78%
9. मिरजापुर	76.16%
10. ज्ञानपुर	77.19%
11. राबर्ट्सगंज	89.50%
12. मुगलसराय	59.25%
13. जौनपुर	82.85%
14. शाहगंज	73.07%
15. भदोही	50.76%
16. जि. शा. वाराणसी	100%
17. न. शा.-2 वाराणसी	71.84%
18. केराकत	70.58%

सूचित किया गया कि उपरोक्त चेक प्वाइंट्स पर मण्डल कार्यालय के मण्डल प्रबन्धक विभाग तथा शाखाओं में भदोही न. शा.-2 वाराणसी, केराकत, शाहगंज, मुगलसराय, ज्ञानपुर

मिरजापुर, गाजीपुर, सी. ए. बी. वाराणसी की स्थिति संतोषजनक नहीं रही हालांकि शाखाओं के बीमादारों को पत्र हिन्दी में ही जाते हैं और उनके हिन्दी पत्राचार की स्थिति इससे बेहतर है।

उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेजी टाइपराइटरज द्विभाषी खरीदे जाएं या हिन्दी में भी कार्य करने योग्य बनाए जाएं, न्यूनतम हिन्दी पदों का सृजन किया जाये तथा उन पर नियुक्तियां की जाएं, सरकारी कामकाज में हिन्दी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से बढ़ाना चाहिए किन्तु नियमों एवं आदेशों के अनुपालन में दृढ़ता बरती जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के तहत अधिनियम एवं नियमों के अधीन जारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक प्रधान को सौंपा गया है। यह भी कहा गया है कि कोई कर्मचारी/अधिकारी जानबूझकर राजभाषा के बारे में लागू प्रावधानों की अवहेलना करता है तो प्रकरण में संबंधित नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन होने के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।

4. राजभाषा हिन्दी के प्रति कार्यालय में कोई भी ऐसी बात न कहें जिससे उसके प्रति असम्मान की भावना व्यक्त होती हो क्योंकि ऐसा करना असंवैधानिक है।

5. सभी शाखा कार्यालयों में राजभाषा कार्य हेतु जिम्मेदारी शीघ्र ही निश्चित की जाए। आँकड़ों को तथ्यपरक बनाने हेतु भेजे गये रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये।

6. "भारतीय जीवन बीमा निगम" नाम छपवाने की क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर की डिजाइन को ही केन्द्रीय कार्यालय ने मानक माना है जिसे मंगवाकर सभी कार्यालय प्रयोग में लाएं। समिति द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि राजभाषा आदेशों के क्रियान्वयन में वाराणसी मण्डल की स्थिति बहुत संतोषजनक है और जानबूझकर अवहेलना की कोई बात दिखाई नहीं पड़ती है।

4. भारत एल्युमीनियम कंपनी, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली

बालको प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 46वीं बैठक दिनांक 20-12-1989 को कंपनी के प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष प्रबंध निदेशक श्री पी. एस. राव की अध्यक्षता में हुई।

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष श्री राव ने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि बंगलौर में हुई हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बालको ने अपने निदेशक मंडल की बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषा में तैयार करने शुरू कर दिए हैं जो ऐतिहासिक महत्त्व का कार्य है।

पहला निर्णय मूल पत्राचार में हिंदी पत्रों की प्रतिशतता बढ़ाने के बारे में था और हर विभाग से यह अपेक्षा की गई थी कि कम से कम 50% मूल पत्राचार हिंदी में अवश्य होना चाहिए। जहां स्थापना, योजना एवं विकास तथा परियोजना एवं अधिप्राप्ति विभागों में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है वहां औद्योगिक संबंध, प्रशासन और विपणन विभाग पहले से भी पिछड़ गए हैं। प्रबंधक (राजभाषा) ने कहा कि ऐसा लगता है कि उपर्युक्त विभागों ने अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक महोदय के अनुरोध और अपील को गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी ओर कोरबा में हिंदी में मूल पत्राचार 74% तक पहुंच गया है।

मूल पत्राचार में वृद्धि के बजाय मामूली गिरावट होने पर भी अध्यक्ष ने रोष व्यक्त करते कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। संबंधित विभागाध्यक्ष पत्राचार में हिंदी का प्रयोग बढाने के लिए रूचिपूर्वक प्रयास क्यों नहीं कर रहे? एक बार शिखर पर पहुंचकर नीचे गिरना कदाचित अच्छी बात नहीं है। जिन विभागों में हिंदी में मूल पत्राचार 50% से कम है उन्हें सचेष्ट होकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने शुद्ध और परिनिष्ठित हिंदी न लिख पाने के विषय में अधिकारियों की हीनभावना को दूर करते हुए कहा कि भारत सरकार और राजभाषा विभाग ने हिंदी के प्रयोग के विषय में हमारे लिए बहुत ही सहज और सरल मार्ग बना दिया है। हमें जैसी भी हिंदी प्रचलित है वैसी ही हिंदी में लिखना चाहिए।

मैं तो हिंदी पत्रों पर ही नहीं अंग्रेजी के पत्रों पर भी हिंदी में टिप्पणियां लिखता हूं और इससे मुझे सुख मिलता है। आप लोग हिंदी भाषी राज्यों, वहां की पार्टियों तथा मंत्रालयों के साथ पूरा पत्राचार हिंदी में करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप हिंदी में टिप्पणी शुरू करेंगे तो उस फाइल पर अन्य अधिकारी भी हिंदी में ही लिखेंगे।

अध्यक्ष–प्रबंध–निदेशक ने इस बात पर पुनः बल दिया कि स्थापना, प्रशासन, और योजना एवं विकास विभाग अपने यहां हिंदी में पत्राचार आसानी से बढ़ा सकते हैं। जहां तक विपणन विभाग की बात है वह भी हिंदी भाषी क्षेत्रों की पार्टियों के साथ अधिकांश पत्राचार हिंदी में कर सकता है। निदेशक (वित्त) ने इस बात पर बल दिया कि विपणन विभाग का काम ऐसा कोई जटिल या तकनीकी नहीं है कि हिंदी में करने में कठिनाई हो उनके कारोबार में प्रचलित शब्दावली हिंदी में सहज सुलभ है।

तीन टाइपिस्ट और दो आशुलिपिक वर्तमान सत्र में पर्यावरण विभाग में हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि का प्रशिक्षण पा रहे हैं, इस पर हर्ष व्यक्त किया गया।

प्रबंधक (राजभाषा) ने समिति को सूचित किया कि कंपनी के दोनों वरिष्ठ राजभाषा सहायकों जिनमें एक प्रधान कार्यालय और एक कोरबा में हैं, की पदोन्नति के बारे में अध्यक्ष

महोदय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अध्यक्ष महोदय ने निदेशक (कार्मिक) से अनुरोध किया कि वे इस मामले में शीघ्र कारवाई करने का कष्ट करें।

हिन्दी सप्ताह में भाषण और नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिताओं के आयोजन और नेहरू जन्मशती समापन समारोह में प्रतियोगियों को अध्यक्ष-प्रबंध-निदेशक द्वारा पुरस्कार वितरण के विषय में सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया।

बालको समाचार का पिछला अंक 'प्रदावक विशेषांक' के रूप में निकाला गया था जिसकी अनेक संस्थानों और सुविज्ञ पाठकों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। आगामी अंक एल्यूमिना विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद संरचना तथा वित्त विशेषांक प्रकाशित करने की योजना है।

इसके उपरांत कार्यसूची की अन्य मदों पर विचार किया गया और मूलपत्राचार को छोड़कर सभी क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति पर संतोष व्यक्त किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिए गये :

(1) समूह महाप्रबंधक (योजना) और समूह महाप्रबंधक (वित्त) ने यह प्रश्न उठाया कि फाइलों पर विभागों के बीच जो टिप्पणियों का आदान-प्रदान होता है उन्हें रिपोर्ट में दर्शाने की व्यवस्था नहीं है और हिंदी में किए जा रहे इस महत्त्वपूर्ण कार्य की गणना नहीं हो सकती। श्री चौहान ने कहा कि मंत्रालय में वे एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजी जाने वाली इस प्रकार की टिप्पणियों को मूल पत्राचार में गिनते हैं। अध्यक्ष महोदय ने प्रबंधक (राजभाषा) से कहा कि वे मंत्रालय में अपनाई जा रही पद्धति की जानकारी करके इस विषय में उचित समाधान प्रस्तुत कर।

(2) अध्यक्ष महोदय ने सभी विभागों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भविष्य में जब हम राजभाषा शील्ड प्राप्त करने में सफल होंगे तो उसे वह विभाग प्राप्त करेगा, जिसमें सर्वाधिक कार्य हो रहा होगा।

(3) प्रबंधक (राजभाषा) ने हिंदी अनुभाग के लिए एक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर की शीघ्र व्यवस्था का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने श्री वासुदेवन को अविलंब कारवाई करने का अनुदेश दिया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने हस्तक्षार हिंदी में करने, नित्यप्रति उपयोग के फार्म हिंदी में भरने और हिंदी में काम करने की आदत विकसित करने पर पुनः बल दिया।

5 इफको, नई दिल्ली

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 32वीं बैठक श्री एस. आर. सहोर, कार्यकारी निदेशक, (आंवला) की अध्यक्षता में 19 फरवरी, 1990 को मुख्यालय के समिति कक्ष में हुई।

समिति को बताया गया कि प्रबंध निदेशक महोदय ने सभी संयंत्रों में हिंदी एककों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक-एक /पर्यवेक्षक (हिंदी) तथा आवश्यकतानुसार एक/दो सहायक के नये पद सृजित करने की स्वीकृति दे दी है। सभी संयंत्रों को इस आशय की सूचना भेज दी गई है।

मुख्यालय और संयंत्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर दुबारा चर्चा आरंभ की गई। निदेशक (राजभाषा) डा. महेशचन्द्र गुप्त ने समिति को बताया कि राजभाषा विभाग ने मूल पत्राचार, तारों, टाइपराइटरों आदि के लिए लक्ष्यों में संशोधन किया है अब "क" क्षेत्र में 90 प्रतिशत, "ख" क्षेत्र में 60 प्रतिशत और "ग" क्षेत्र में 20 प्रतिशत पत्र-व्यवहार में करने का लक्ष्य बनाया गया है। इसी प्रकार टाइपराइटरों का अनुपात क्रमशः 60, 30 और 20 प्रतिशत हो गया है तथा "क" क्षेत्र द्वारा अब 25 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत पत्र हिंदी में भेजे जाने चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इनमें टैलेक्स भी शामिल हैं। मुख्यालय तथा विपणन प्रभाग में मूल पत्राचार और तारों की प्रतिशतता में कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए निदेशक, राजभाषा ने अनुरोध किया कि अध्यक्ष महोदय संबंधित अधिकारियों को निदेश दें कि वे इस बात पर निगाह रखें। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि प्रेषण अनुभाग इस बात को सुनिश्चित करे कि हिंदी-भाषी राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में जाएं और तारों में भी हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि मूल पत्राचार और तारों के संबंध में हमें सतर्क रहना चाहिए कि आदेशों की अवहेलना न हो। तारों के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधक (का व प्र), विपणन मुख्यालय ने बताया कि कुछ दिन पूर्व विपणन प्रभाग ने साक्षात्कार के संबंध में गुजरात में कुछ तार भेजे थे परन्तु उनमें से अधिकांश तार उम्मीदवारों को 10 दिन बाद प्राप्त हुए और वे भी रोमन लिपि में लिखे हुए। निदेशक, राजभाषा ने कहा कि इस संबंध में पूरा विवरण, तारों की फोटो प्रति सहित, संयुक्त सचिव (राजभाषा) और अपर सचिव, दूर संचार, श्री बी. एन. भागवत को भेजा जाए।

तारों के संबंध में चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि साधारणतः तार टेलेक्स के माध्यम से भेज देते हैं और टेलेक्स अंग्रेजी में होने की वजह से अंग्रेजी तारों की संख्या बढ़ जाती है। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों ने फिर कहा कि पिछली बैठक में भी यह बात सामने आई थी और कहा गया कि दूर-संचार विभाग से द्विभाषिक टेलेक्स मंगाया जाए। इस संबंध में विस्तार से चर्चा हुई और यह निर्णय हुआ कि दूरसंचार विभाग को टेलेक्स द्विभाषी कराने के लिए फिर से कहा जाए। अध्यक्ष ने आदेश दिया कि सभी आठ टेलेक्स द्विभाषी कराए जाएं। मुख्यालय से ही दूरसंचार विभाग को इस संबंध में लिखा जाए। सदस्य सचिव ने यह भी सुझाव दिया कि जब तक टेलेक्स द्विभाषी रूप में परिवर्तित कराए जाते हैं तब तक टेलेक्स आपरेटरों को हिंदी टाइपराइटिंग का

प्रशिक्षण दिया जाए ताकि टेलेक्स प्राप्त होने पर वे सुविधाजनक ढंग से कार्य कर सकें। सुझाव स्वीकार किया गया और निर्णय किया गया कि टेलेक्स आपरेटर को हिंदी/अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टेलेक्स मशीन चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए तथा उन्हें कार्य करने पर प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए।

अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण दिलाने के संबंध में निदेशक (राजभाषा) डॉ. गुप्त ने सुझाव दिया कि जैसा कि इफको की आंवला इकाई द्वारा किया गया है, कि उन्होंने अपना केन्द्र खोल लिया है, मुख्यालय में भी इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए और एक अंशकालिक प्रशिक्षक नियुक्त करके सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को एक साथ प्रशिक्षण दिलाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने निदेश दिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए और कार्यालय स्वयं ही प्रशिक्षण केन्द्र चलाए और सभी को हिंदी में प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि इस समय मुख्यालय में केवल 16 प्रतिशत टाइपराइटर हिंदी के हैं जबकि लक्ष्य के मुताबिक यह संख्या 60 प्रतिशत होनी चाहिए थी। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें अंग्रेजी टाइपराइटरों की संख्या कम करके उनके कुंजीपटल बदलवाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस तिमाही में कम से कम 10 अंग्रेजी टाइपराइटरों के कुंजी-पटल बदलवाकर हिंदी में परिवर्तित करवा लिए जाएं।

मुख्यालय के विभागों/अनुभागों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई जिसके दौरान वरिष्ठ प्रबंधक (का व प्र), विपणन प्रभाग ने समिति को आश्वस्त किया कि जून के अंत तक वे मूल पत्राचार की संख्या बढ़ाकर 45 प्रतिशत तक कर देंगे। समिति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शेयर अनुभाग द्वारा विगत तिमाही में हिंदी में मूल रूप से 7586 पत्र हिंदी में जारी किए गए। अन्य विभागों से भी अनुरोध किया गया कि वे अधिक से अधिक कामकाज हिंदी में करें। महाप्रबंधक (का व प्र) ने कहा कि हममें से सभी को इस बात के लिए जांच-बिंदु बनना होगा और हमें देखना होगा कि हम जो कागजात हस्ताक्षर कर रहे हैं, वह हिंदी में भी हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने स्वयं कुछ अंग्रेजी में आए परिपत्र वापस लौटा दिए तो उसके बाद उनके पास सभी परिपत्र स्वतः द्विभाषी रूप में प्रस्तुत किए जाने लगे। उन्होंने सभी सदस्यों से भी अनुरोध किया कि वे स्वयं इस बात को देखें। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम इस समय 20 लोग हैं, इस संख्या को हमें बढ़ाकर 200, 400 और हजारों में बदलना होगा तभी राजभाषा का प्रयोग बढ़ सकेगा।

संयंत्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों पर चर्चा आरंभ करते हुए राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि कलोल और कांडला संयंत्रों में पत्राचार बहुत कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि कलोल में 8 प्रतिशत और कांडला में 20 प्रतिशत पत्र-व्यवहार हिंदी में किया जा रहा है। जबकि उनका लक्ष्य अब 60 प्रतिशत हो गया है। अध्यक्ष महोदय ने प्रबंधक (कार्मिक/प्रशासन), कांडला और कलोल से पूछा कि स्थिति में कैसे सुधार लाया जा सकता है? प्रबंधक (का व प्र), कांडला ने कहा कि उनके यहां परिवर्तन विभाग का सारा कामकाज हिंदी में करने का प्रयास किया जा रहा है और यह शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने समिति को आश्वासन दिलाया कि अगली तिमाही तक हिंदी पत्राचार का प्रतिशत 30 से 35 प्रतिशत तक ले जाएंगे। कलोल इकाई के प्रतिनिधि ने अगली तिमाही के लिए 20 प्रतिशत तक का लक्ष्य रखा लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि इस सम्बंध में महाप्रबंधक, कलोल से भी बात करनी होगी। महाप्रबंधक (का व प्र) ने कहा कि वे महाप्रबंधक, कलोल से स्वयं इस बारे में चर्चा करके हल निकालेंगे। इसी प्रकार संयंत्रों में टाइपराइटरों की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए निदेशक, राजभाषा ने कहा कि कलोल, कांडला और फूलपुर संयंत्रों में टाइपराइटरों की संख्या निर्धारित प्रतिशत से कम है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली तिमाही के दौरान कांडला इकाई ने रोमन के 10 टाइपराइटर खरीदे हैं लेकिन हिंदी का केवल एक टाइपराइटर खरीदा है जबकि आदेश यह हैं कि जब तक निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, अंग्रेजी का कोई टाइपराइटर न खरीदा जाए।

प्रबंधक (का व प्र), कांडला ने कहा कि उन्होंने पुराने टाइपराइटरों के स्थान पर नए मॉडल के टाइपराइटर लिए हैं। निदेशक (राजभाषा) ने कहा कि पहले हिंदी टाइपराइटरों का लक्ष्य पूरा किया जाना चाहिए। अतः इस संबंध में यह आदेश जारी किए जाने चाहिएं कि कोई भी टाइपराइटर खरीदे जाने से पूर्व महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन)/हिंदी अनुभाग से परामर्श कर लिया जाए ताकि राजभाषा संबंधी नियमों की अवहेलना न हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में आशुलिपिकों और टाइपिस्टों की भर्ती करते समय भी इस बात को ध्यान में रखा जाए। दोनों भाषाओं का ज्ञान रखने वालों को वरीयता दी जाए। प्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन), कांडला ने बताया कि उन्हें गुजरात में हिंदी आशुलिपि का कोई प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्ति नहीं मिल रहा, इसलिए वे चाहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय किया गया कि कांडला के एक आशुलिपिक को दिल्ली अथवा बम्बई के प्रशिक्षण केन्द्र में भेजा जाए और उन्हें हिंदी आशुलिपि का 80 दिन का पूर्णकालिक प्रशिक्षण दिलाया जाए। वही आशुलिपिक बाद में कांडला इकाई में जाकर अन्य आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दे, जिसके लिए उसे मानदेय दिया जाए। इसी दौरान मानक हिंदी आशुलिपि की कुछ पुस्तकें कांडला को उपलब्ध कराई जाएं जो आशुलिपिकों में वितरित की

शेष पृष्ठ 60 पर

राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह

संघ की राजभाषा नीति के अंतर्गत राजभाषा सम्बन्धी सांविधिक एवं कानूनी व्यवस्थाओं के अनुपालन हेतु संघ के सहकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का राजभाषा विभाग निरन्तर प्रयासरत है। इस कार्य को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों एवं सदभावना द्वारा बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दृष्टि से विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि को हिन्दी में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए वर्ष 1986-87 से इंदिरा गांधी पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गई है।

23 मार्च, 1990 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में तृतीय इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता उप राष्ट्रपति महामहिम डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने की। गुजराती भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार और गांधीवादी विचारधारा के पोषक श्री गुलाब दास ब्रोकर मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन थे। श्री रमेश चन्द्र जैन सचिव, राजभाषा विभाग ने उप राष्ट्रपति जी का स्वागत करते हुए उन्हें पुष्प गुच्छा भेंट किया। तदुपरान्त श्री जैन ने मुख्य अतिथि श्री गुलाबदास ब्रोकर को शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया।

अध्यक्ष डॉ. शंकर दयाल शर्मा, मुख्य अतिथि श्री ब्रोकर तथा अतिथियों का स्वागत करते हुए श्री जैन ने सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला। उन्होंने आह्वान किया कि सरकारी कामकाज जनता की भाषा में किया जाना चाहिए, ताकि जनता और शासन के बीच की दूरी समाप्त की जा सके। संविधान निर्माताओं ने गहन सोच-विचार के बाद देश की राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करने का निर्णय लिया था। हिन्दी पूरे देश में समझी और बोली जाने वाली भाषा है और दूसरी भारतीय भाषाओं के लिए एक कड़ी का कार्य करती है। उन्होंने आगे कहा कि संघ के राज काज में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। पूर्व में अनुवाद की बैसाखी के सहारे हिन्दी आगे बढ़ रही थी लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हिन्दी में टिप्पण-आलेखन तथा मसौदे आदि मूल रूप में हिन्दी में तैयार किया जाने लगे हैं। इससे हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ा है। श्री जैन ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में काम काज हो, इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाएं शुरू की गई हैं। इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्यालयों/विभागों को पुरस्कृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त मौलिक पुस्तक लेखन के लिए भी लेखकों को पुरस्कार दिये जाते हैं ताकि हिन्दी में उच्च स्तर की तकनीकी पुस्तकें उपलब्ध हो सकें।

भारतीय भाषाओं के प्रबल पक्षधर और महात्मा गांधी जी के जन्म स्थान पोरबन्दर के निवासी मुख्य अतिथि श्री गुलाबदास ब्रोकर ने अपने उद्बोधन में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्राप्त विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने भारतीय भाषाओं और हिन्दी के बीच की समरसता को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत में अनेक भाषाएं हैं। इन सब भाषाओं में जीवन की जो अभिव्यक्ति होती है वह भारतीय जीवन की संस्कृति को उजागर करते है। शरतचन्द्र, रवीन्द्र नाथ टैगोर, प्रेमचन्द, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, शिवशंकर पिल्लै आदि की महान साहित्यक कृतियों में भारतीय जीवन की सच्ची और सार्थक अनुभूति देखने को मिलती है। भारतीय भाषाओं के लेखन में जो कुछ भी वर्णित होता है वह सब हमारा अपना है। श्री ब्रोकर ने स्पष्ट किया कि अच्छे साहित्य की पहचान यह है कि वह मानव जीवन की अनुभूतियों को साकार करें और

मूल्यवत्ता प्रदान की। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं से अनुरोध किया कि वे पुरस्कार लेने के बाद हिन्दी में काम करना न भूलें।

समारोह की सफलता के लिए गृह मंत्री श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद ने अपनी शुभकामनाएं भेजी।

भारतीयता और शालीनता की मूर्ति महामहिम उप राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने अध्यक्षीय भाषण में पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि यह पुरस्कार केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों को भी हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने राष्ट्रभाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रत्येक राष्ट्र के पास अपना चिन्तन होता है, अपनी भावनाएं होती हैं, जिसे वह अपनी भाषा में व्यक्त करता है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं होती, बल्कि उसके बोलने-वालों की संस्कृति और संस्कार भी जुड़े हुए होते हैं। भाषा जहां अपनी सांस्कृतिक विरासत से उपजी हुई होती है वहीं वह इस विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाती भी है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में तो भाषा का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जनता तभी राजकाज में सक्रिय रूप से भाग ले सकती है जबकि राजकाज ऐसी भाषा में हो जिसे वहां की जनता अच्छी तरह से समझ सके। भारत जैसे देश में जहां विभिन्न भाषा भाषी लोग रहते हैं वहां अपने देश की भाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है।

उप राष्ट्रपति जी ने देश की आजादी के बाद हिन्दी को राजभाषा बनाए जाने के बारे में स्पष्ट किया कि हिन्दी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया गया क्योंकि यह भाषा हमारे देश के सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाती थी और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली और समझी जाती थी। ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं थी जो ठीक से हिन्दी नहीं बोलते थे, लेकिन वे इसे समझ जरूर लेते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेरे कहने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि अन्य भारतीय भाषाओं से हिन्दी श्रेष्ठ है। हिन्दी तो केवल भारतीय भाषाओं को जोड़ने वाली भाषा है। हिन्दी हमारी आजादी की लड़ाई की मुख्य भाषा रही है। हिन्दी ने पूरे देश के लोगों को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। हिन्दी भाषा को अहिन्दी भाषियों ने अधिक लोकप्रिय बनाया और इसे समृद्ध भी किया। उप राष्ट्रपति जी ने स्पष्ट किया कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में अहिन्दी भाषी राष्ट्रीय नेताओं का योगदान अधिक रहा है। उन्होंने इतिहास को कुरेदते हुए बताया कि राष्ट्रीय आन्दोलन में महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व कांग्रेस का सारा कामकाज/बैठकें/समारोह अंग्रेजी में होते थे, इसलिए कांग्रेस की स्थापना के बाद काफी वर्षों तक जनता उस से सीधे नहीं जुड़ सकी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिन्दी की आवश्यकता को समझा और अपनी बात हिन्दी में कही और अन्य नेताओं को भी हिन्दी में ही भाषण देने के लिए प्रेरित किया।

महामहिम उपराष्ट्रपति ने कहा कि हिन्दी में दूसरी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की समावेश शक्ति और क्षमता पैदा करने की आवश्यकता है। अन्य भाषाओं के शब्द, मुहावरे और विचार लेकर इसे और समृद्ध बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्र की महान भाषाएं हैं और इस बात की बहुत आवश्यकता है कि सभी भाषाओं का अच्छा साहित्य हिन्दी में उपलब्ध हो। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी हिन्दी को सक्षम हिन्दी बनाने के बारे में महामहिम उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के ज्ञान और विज्ञान को आत्मसात करके आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भी हिन्दी उपयोगी होगी। इससे ज्ञान और विज्ञान को हमारे जनमानस का अंग बनाना होगा। संविधान के अनुच्छेद 351 का उल्लेख करते हुए महामहिम उप-राष्ट्रपति ने कहा कि इस अनुच्छेद का प्रचार सभी दफ्तरों में पोस्टर लगा कर किया जाना चाहिए।

प्रस्तुति : डॉ. गुरुदयाल बजाज

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री निशिकान्त महाजन ने धन्यावाद देते हुए कहा कि श्री ब्रोकर और महामहिम उप-राष्ट्रपति जी द्वारा व्यक्त विचारों से नई दिशा और चेतना मिली है जिसका लाभ विभाग द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन को सुचारु रूप से लागू करने के लिए किया जाएगा। इससे पूर्व उप-राष्ट्रपति जी ने वर्ष 1988-89 के दौरान राजभाषा हिन्दी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए कार्यालयों के अध्यक्षों को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कारों से सम्मानित किया। हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए भी चार विद्वानों को सम्मानित किया गया।

1. मंत्रालय/विभाग

पुरस्कार	मंत्रालय/विभाग	सचिव	अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति
1	2	3	4
(क) 300 की संख्या से कम स्टाफ वाले मंत्रालय/विभाग			
प्रथम	कोयला विभाग	श्री टी.यू. जियशेखरन	श्री विजय शंकर दुबे
द्वितीय	संसदीय कार्य मंत्रालय	श्री वी. एन. ढोंडियाल	श्री देवराज तिवारी
तृतीय	खान विभाग	श्री पी.के. लाहिडी	श्री विश्वेश्वर दास गुप्ता
प्रोत्साहन	पूर्ति विभाग	श्री केशव प्रकाश वर्मा	श्री केशव प्रसाद वर्मा
प्रोत्साहन	नागरिक आपूर्ति विभाग		श्रीमती सती नायर
(ख) 300 की संख्या से अधिक स्टाफ वाले मंत्रालय/विभाग			
प्रथम	खाद्य विभाग	श्री बी.बी. महाजन	श्री बी.आर. अय्यर
द्वितीय	सांख्यिकी	श्री पी.जी. मुरलीधरन	श्री मदन गोपाल सरदाना
तृतीय	रक्षा मंत्रालय	श्री बद्री नारायण अड़वी, अपर सचिव	श्री एस.पी. जाखनवाल
प्रोत्साहन	कृषि एवं सहकारिता विभाग	श्री आर.सी.ए. जैन, संयुक्त सचिव	श्री आर.सी. ए. जैन
प्रोत्साहन	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	श्री महेश प्रसाद	श्री एस एस हसूरकर

2. बैंक

पुरस्कार	बैंक का नाम	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति
1	2	3	4
प्रथम	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	श्री नोशीर माणेकशा मिस्त्री, कार्यपालन निदेशक	श्री एस. सुब्रह्मण्यम
द्वितीय	बैंक ऑफ इंडिया	डॉ. सूर्यमणि पाठक, महाप्रबन्धक	डॉ. सूर्यमणि पाठक
तृतीय	पंजाब नेशनल बैंक	श्री रशीद जिलानी	श्री दया कृष्ण गुप्त
प्रोत्साहन	भारतीय स्टेट बैंक	श्री विधान कुमार मजूमदार उप-प्रबन्ध निदेशक	डा. रवीन्द्र अग्निहोत्री
प्रोत्साहन	इलाहाबाद बैंक	श्री आर.एल. वधवा	श्री एस.एन. खन्ना
प्रोत्साहन	बैंक आफ बड़ोदा	श्री जे. एन. दौलतजादा महाप्रबन्धक	डा. सोहन शर्मा
'क' क्षेत्र के उपक्रम			
प्रथम	माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया	श्री अरुण कुमार वर्मा	श्री के.के. सिन्हा
द्वितीय	भारत रिफरेक्टरीज लिमिटेड	श्री नारायण चन्द मुखर्जी	श्री एन.एस. मुखर्जी
तृतीय	सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन	श्री आर.के. माथुर	श्री एस. मेहता
प्रोत्साहन	हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	श्री एस. राय	श्री एच.एस. पसरीचा

"ख" क्षेत्र के उपक्रम

प्रथम	भारतीय जीवन बीमा निगम	श्री एन.के. सिनकर	श्री एस.जी. दीवान
द्वितीय	नेशनल बाईसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया	श्री के. राघवन	श्री अरुण कुमार शर्मा
तृतीय	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	श्री रवि गुप्ता	श्री एस. लक्ष्मीनारायणन
प्रोत्साहन	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.	श्री एस.टी. बम्बावाले	श्री एच.एल. जुत्शी

"ग" क्षेत्र के उपक्रम

प्रथम	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	श्री यशपाल भल्ला	श्री यशपाल भल्ला
द्वितीय	राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लि.	श्री ए.के. मोहन्ता	
तृतीय	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	श्री टी.के. ए. नायर	डा. एम. शक्तिवेल
प्रोत्साहन	कोल इंडिया लिमिटेड	श्री म.प. नारायणन	श्री केशवचन्द्र नन्दक्योलियार

मौलिक पुस्तक लेखन के लिये पुरस्कार

पुरस्कार	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	पुरस्कार की राशि	पुरस्कार प्राप्तकर्ता
प्रथम	इलैक्ट्रोनिकी युद्ध कला	एयर वाइस मार्शल विश्व मोहन तिवारी	दस हजार रुपए	एयर वाइस मार्शल विश्व मोहन तिवारी
द्वितीय	राकेट एक परिचय	श्री मनीश चन्द्र उत्तम	आठ हजार रुपए	श्री मनीश चन्द्र उत्तम वरिष्ठ वैज्ञानिक महाप्रबन्धक सार केन्द्र श्री हरिकोटा
तृतीय	आधुनिक रेलपथ	स्व. श्री दलबीर सिंह ठाकुर	पांच हजार रुपए	श्रीमती ठाकुर
प्रोत्साहन	भाषा और लिपि	डा. नरेश कुमार	"	डॉ. नरेश कुमार

. . . पृष्ठ 23 का शेष

यद्यपि फिल्म की तुलना में नेपाली पत्र-पत्रिकाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर है, कि फिर भी अभी उनका वह स्तर नहीं बन पाया है जो हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का है फलस्वरूप हिन्दी पत्रिकाएं भी नेपाल में खूब पढ़ी जाती हैं और उनके माध्यम से हिन्दी का प्रचार होता है।

जहां तक शिक्षण का प्रश्न है, हिन्दी का अध्ययन एवं अध्यापन नेपाल के अनेक महाविद्यालयों में हो रहा है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय में हिन्दी के स्नातकोत्तर कक्षा तक, अध्ययन की सुविधा है। अभी तक भारत के अनेकानेक हिन्दी विद्वान नेपाल में विजिटिंग प्रोफेसर बनकर जाते रहे हैं और हिन्दी के अध्यापन का कार्य करते रहे हैं लेकिन **'अब स्थिति यह है कि स्वयं नेपाली लोग हिंदी में इतने प्रवीण हो गए हैं कि वे स्वयं स्नातकोत्तर कक्षा तक हिंदी का अध्यापन सफलतापूर्वक कर लेते हैं।**

आज नेपाली के बाद नेपाल में यदि कोई दूसरी भाषा अधिक लोकप्रिय है तो वह हिन्दी है। हिन्दी की ही एक बोली मैथिली भी वहां प्रचलित है, बहुत सारे कार्यालयों में नेपाल की अशिक्षित जनता मैथिली का ही प्रयोग करती है, मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति नेपाली के भी आदि कवि माने जाते हैं। **नेपाली के भी आदि कवि माने जाते हैं। संक्षेप में हिंदी नेपाल के अंदर उसी प्रकार प्रचलित है जिस प्रकार भारत की संस्कृति सभ्यता तथा चिंतन-पद्धति।**

डा. सुरेन्द्र प्रसाद साह
(नेपाल)

सौजन्य : विकास प्रभा अप्रैल—सितम्बर 1989

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय पुरस्कार वितरण समारोह

केन्द्रीय हिंदी निदेशालय सन् 1966 से हिंदीतर भाषी राज्यों के हिन्दी लेखकों को पुरस्कृत करता आ रहा है। राष्ट्र की भावनात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने और विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए, अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी 28 मार्च, 1990 को सोलह हिंदीतर भाषी लेखकों को रु० 5000 की धनराशि प्रशस्तिपत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

पुरस्कृत साहित्यकारों में उर्दु के श्री मदन मोहन राजेन्द्र, मलयालम के तीन साहित्यकार श्री वी० के रवीन्द्रनाथ, श्री पी० नारायण तथा श्री रमणी हरिहरन, कन्नड़ के डा. एस० एम० रामचंद्र स्वामी, पंजाबी भाषा के श्री मोहन सपरा, डोगरी के श्री ओम स्वामी तथा डा. आदर्श प्रकाश, मराठी के श्री प्रकाश भातंब्रेकर तथा सुश्री इंदिरा दीवान तेलुगु के श्री आर. श्री सिर्राजु बंगला की सुश्री आचार्य जलज भादुड़ी, उड़िया के श्री कमल लोचन, बराल, कश्मीर के श्री जगन्नाथ सिबू तथा सुश्री चंद्रकान्ता तथा मणिपुरी भाषा के आचार्य राधागोविन्द थोंडग्म आदि शामिल थे।

उक्त पुरस्कार राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार, नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम डा० शंकर दयाल शर्मा ने वितरित किए। इस अवसर पर महामहिम उपराष्ट्रपतिजी ने निदेशालय द्वारा नवीनतम प्रकाशित आठ ग्रंथों का विमोचन एव लोकार्पण भी किया। इनमें एक भारतीय एकांकी, दो व्यावहारिक लघु कोश, तथा पांच त्रिभाषा कोश, (तीन खंडों में) सम्मिलित हैं।

इस अवसर पर उप राष्ट्रपति महोदय ने निदेशालय के प्रयासों की सराहना की और संकेत रूप में भारत की सामासिक संस्कृति के विकास में निदेशालय के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बाकी सभी भाषाएं 'राष्ट्रीय' भाषाएं है, लेकिन हिन्दी हमारी संपर्क भाषा है। यह हमारी संस्कृति, परंपराओं एवं इतिहास की द्योतक है। यह हमारी आस्थाओं एवं विचारों को प्रभावित करती है। जिस प्रकार मूल से कटने पर वृक्ष मर जाता है, वैसे ही संस्कृत एवं हिन्दी हमारी आस्थाओं एवं परंपराओं की जड़ें है। इनके बिना हमारा विकास असंभव है। आज हिन्दी पूरे भारत की बचौती बन गई है। उन्होंने निदेशालय को 'भारतीय वाङ्मय' कोश तथा भारतीय वाङ्मय' का इतिहास नामक ग्रंथों के प्रकाशन का भी सुझाव दिया। उन्होंने 'कृष्ण भक्त कोश' का, जो पांच खंडो में प्रकाशित हुए है, उल्लेख करते हुए कहा कि यह कोश इस बात का प्रमाण है, कि सभी भारतीय भाषाओं में चिंतन लगभग एक सा ही है।

समारोह का शुभारंभ श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत वंदना से किया गया। उपराष्ट्रपतिजी द्वारा दीप प्रज्वलन के पश्चात् केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक डा. गंगा प्रसाद विमल ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए संविधान के अनुच्छेद 351 में, निदेशालय को सौंपे गए उत्तरदायित्वों की चर्चा की एवं संक्षेप में निदेशालय की विविध योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।

शिक्षा एवं संस्कृति राज्यमंत्री द्वारा उद्बोधन भाषण के पश्चात् डा. विरेंद्र सक्सेना ने वर्ष 1989-90 में पुरस्कार हेतु चुने गए लेखकों के नामों की घोषणा की। उनमें असमिया भाषा के डा. अमेदानंद भट्टाचार्य तथा श्री बापचंद्र महंत, तेलुगु के डा. ए एन. चंद्रशेखर, उर्दु की श्रीमती कांता ग्रोवर, कश्मीर के श्री चमनलाल सप्रू, पंजाबी के श्री चंद्रशेखर श्रीमती रशिम मलहोत्रा तथा श्री हरीश चंद्र उडिया के डा० तारिणी चरण दास चिदानंद, मलयालम के श्री पी. आर. भास्करन, नायर तथा डा. एस तंकमणि अम्मा, तमिल के डा. आर. शौरिराजन, मराठी के प्रो. शरद कणबरकर, डोगरी के श्री शिव निर्मोही, बंगाली की कुमारी सीमा राय तथा कन्नड के श्री सु. रामचंद्र आदि साहित्यकारों के नाम सम्मिलित हैं।

अंत में उड़िया के प्रख्यात कवि साहित्यकार डा. सीताकांत महापात्र ने अध्यक्षीय भाषण में सभी आगंतुकों एंव पुरस्कृत साहित्यकारों का अभिनंदन करते हुए निदेशालय के उत्तरोत्तर विकास हेतु अपनी शुभकामनाएं अर्पित की।

सफल समारोह का संचालन डा. नरेंद्र व्यास तथा धन्यवाद ज्ञापन डा. सूरजभान सिंह ने किया।

अंतिम चरण में भारतीय भाषाओं के संवर्धन में हिंदी का योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विद्वानों ने एवं पुरस्कृत लेखकों ने भाग लिया डा. प्रभाकर माचव डा. बालशौरि रेड्डी डा. प्रतिमा अस्थाना, डा. शशिप्रभा शास्त्री आदि विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए संगोष्ठी का संचालन डा. वीरेन्द्र सक्सेना ने किया।

अखिल भारतीय प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा प्रति वर्ष कई ऐसी अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रतियोगिताओं में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में देश के विभिन्न भागों से प्रतियोगी बैठते हैं। वर्ष 1989 में आयोजित प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कृत करने हेतु इस वर्ष 30 मार्च 1990 को सप्रु हाउस बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संसद सदस्य श्री भजमन बेहरा उपस्थित थे एवं समारोह की अध्यक्षता श्री रमेश चन्द्र जैन, सचिव राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार ने की।

कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वन्दना से हुई। तत्पश्चात परिषद के महामंत्री श्री सुभाष चन्द्र लखेड़ा ने मुख्य अतिथि महोदय सचिव, राजभाषा विभाग, एवं सफल प्रतियोगियों सहित उपस्थित जन समुदाय का स्वागत करते हुए कहा कि परिषद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की एक स्वैच्छिक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना है। कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने की दृष्टि से परिषद् जहां देश भर में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती हैं, वहां कार्यालयों में फाईलों पर पत्राचार टिप्पण आदि तैयार करने में सहयोग देने की दृष्टि से सहायक साहित्य भी प्रकाशित करती रही है।

राजभाषा के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में इसका प्रयोग बढ़ाया जाए। यही कारण है कि परिषद के कार्य का विस्तार अब इन क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। "विज्ञान गंगा" नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य अतिथि महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हुए महामंत्री ने कहा कि परिषद का विचार है कि जब तक विभागीय और भर्ती की विभिन्न परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी नहीं होगी तब तक हिन्दी का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में अपेक्षित गति से बढ़ा पाना संभव नहीं होगा। परिषद इस पर जोर दे रही है कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की भांति केन्द्र सरकार की सभी विभागीय और भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया जाए यह भी जरूरी है कि सन् 1967 में लोक सभा और राज्य सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प की उस धारा का पालन हो जिसके अनुसार केन्द्र सरकार की भर्ती के लिए हिन्दी या अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्य होगा जबकि आजकल केवल अंग्रेजी का अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा गया है।

परिषद की परामर्श समिति के अध्यक्ष एवं परिषद के भूतपूर्व प्रधान श्री महादेव सुब्रमणियम (सेवा निवृत सचिव, भारत सरकार ने मुख्य अतिथि श्री भजमन बेहरा श्री रमेश चन्द्र जैन, सचिव राजभाषा विभाग एवं दूर-दूर से पधारे विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत करते हुए राजभाषा के प्रचार प्रसार को तीव्र करने की आवश्यकता पर बल दिया परिषद के प्रतियोगिता मंत्री श्री प्रेम चन्द्र धस्माना ने सफल प्रतियोगियों के नामों की घोषणा करते हुए परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली इन प्रतियोगिताओं के महत्ता पर प्रकाश डाला तत्पश्चात मुख्य अतिथि महोदय ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल निम्नलिखित प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया।

आशुलिपि प्रतियोगिता

श्री हरीश चन्द बिष्ट, दिल्ली,	प्रथम
कु. निर्मला बिष्ट, दिल्ली,	द्वितीय
कु. मीना बिष्ट, दिल्ली,	तृतीय

हिन्दी टाइप प्रतियोगिता

श्री सतबीर सिंह, दिल्ली	प्रथम
श्री राम गोपाल तंवर, जबलपुर,	द्वितीय
श्री दिलीप कुमार भंवर लाल जी गोखरू, इन्दौर	तृतीय

हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता

श्री सुन्दर सिंह नेगी, बरेली	प्रथम
डा. (श्रीमती) निर्मल सिंहल, दिल्ली	द्वितीय
श्री वेद प्रकाश गुप्ता मथुरा	तृतीय,

हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता

श्री गुलाब प्रसाद प्रेमी, जबलपुर,	प्रथम
श्री आर. के. शर्मा, इलाहाबाद,	द्वितीय
श्री मुहम्मद हुसनैन, इलाहाबाद,	तृतीय

हिन्दी भाषी निबंध प्रतियोगिता

श्री आंजनेयुलु कोटा, गुन्टूर,	प्रथम
सौ वंदना सुधीर दुपल्लीकर, पुणे	द्वितीय
श्री विजय गोबिन्दराव दुसाने औरंगाबाद,	तृतीय

वैज्ञानिक तथा तकनीकी लेख प्रतियोगिता

डा. रा. दा. गौतम,	प्रथम
डा. प्रेम किशोर,	द्वितीय
श्री अनिल कुमार दुबे	तृतीय
श्री सतीश कुमार मलहोत्रा,	तृतीय

देवनागरी तार प्रतियोगिता

श्री आर. एस. अग्रवाल	प्रथम (बुकिंग कार्य)
श्री बलराम सिंह,	प्रथम (प्रेषण व पुन प्रेषण कार्य)
श्री एस. टी. वानखेडे	प्रथम (प्राप्ति कार्य)

मुख्य अतिथि श्री बेहरा ने अपने संक्षिप्त भाषण में परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राजभाषा के रूप में हिन्दी को अपनाने में किसी भी तरह का संकोच ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यद्यपि वह स्वयं उड़िया भाषी है तथापि उनकी शुरू से ही यह धारणा रही है कि हिन्दी को ही देश की सम्पर्क भाषा एवं राजभाषा होना है। राष्ट्रीय एकता के लिए भी यह जरूरी है।

अध्यक्षीय भाषण में श्री रमेश चन्द्र जैन, सचिव, राजभाषा विभाग ने विस्तार से परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं का अभिनन्दन करते हुए कहा कि सरकारी काम-काज जनता की भाषा में हो। यह सभी राष्ट्रीय नेताओं की धारणा रही है। उन्होंने परिषद से आग्रह किया कि वे विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कुछ और नए आयोजन करें ताकि सरकार के वैज्ञानिक विभागों, उपक्रमों और अनुसंधानशालाओं आदि में वैज्ञानिकों को हिन्दी में मौलिक लेखन करने की दिशा में विशेष बल मिल सके। राजभाषा के संबंध में सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए सचिव महोदय ने बताया कि भारत सरकार का यह मत रहा है कि हिन्दी के क्षेत्र में परिषद जैसी स्वैच्छिक संस्थाओं को अधिक से अधिक आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा देश एक बहुभाषी देश है, अतः हमें राजभाषा का प्रसार प्रेम एवं सद्भाव से करना होगा।

समारोह के अंत में परिषद के उप-प्रधान श्री वे० शेषन ने मुख्य अतिथि, सचिव, राजभाषा विभाग एवं उपस्थित हिन्दी प्रेमियों को धन्यवाद दिया।

.....पृष्ठ 53 का शेष

जा सकेगी। इसी प्रकार की व्यवस्था कलोल द्वारा भी की जा सकती है अथवा वे अहमदाबाद स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में भी प्रशिक्षण ले सकते हैं।

कंप्यूटर के बढ़ते हुए उपयोग और कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि सभी संयंत्रों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कुछ कर्मचारियों को हिंदी कंप्यूटर चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। सदस्य सचिव ने सुझाव दिया कि आंबला इकाई में कंप्यूटर के संबंध में संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए यदि संभव हो तो कुछ कमचारियों को वहां प्रशिक्षित किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने प्रबंधक (प्रशासन), आंबला इकाई को निदेश दिया कि वे इस संबंध में वरिष्ठ प्रबंधक (सिस्टम्स) के साथ चर्चा करके इसकी संभावना का पता लगाएं।

समिति ने उर्वरक विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रसन्नता व्यक्त की और इफ्को में भी गैर-हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए अलग से प्रोत्साहन योजना चलाने का निर्णय किया।

मुख्य प्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा) ने कहा कि उन्हें हिंदी टाइपराइटर और टाइपिस्ट की सुविधा मिल जाने पर वे किसान सेवा केन्द्रों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट हिंदी में देना आरम्भ कर देंगे। अन्य लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा छोटे-मोटे कार्य को भी वे हिंदी में तैयार करना आरंभ कर देंगे।

नकद पुरस्कर योजना पर निर्णय करने के लिए कार्यवाहक महाप्रबंधक (विपणन), श्री वाई० बी० माथुर की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई, जिसमें अन्य सदस्य होंगे, श्री बी० एम० डी० अग्रवाल, मुख्य प्रबंधक (का/औ. सं.), श्री एन० भाटिया, वरिष्ठ प्रबंधक (का०व०प्र०), विपणन प्रभाग तथा सहायक प्रबंधक (हिंदी) इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। □

कारपोरेशन बैंक का राजभाषा अधिकारी सम्मेलन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में की गई प्रगति और उसमें आने वाली कठिनाईयों की समीक्षा करने के लिए कारपोरेशन बैंक के राजभाषा अधिकारियों का सातवां सम्मेलन दिनांक 19-3-1990 को मंगलूर में आयोजित किया गया ।

व्यापार आयोजना तथा विकास विभाग, राजभाषा कक्ष के उप-महाप्रबन्धक श्री पी. के. आल्वा ने मुख्य अतिथि श्री वाय. एस. हेग्डे का स्वागत किया। उन्होंने राजभाषा अधिकारियों का स्वागत करते हुए आशा प्रकट की कि वे एकजुट होकर राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा में बैंक का नाम प्रगति की ऊंचाई तक ले जायेंगे। उन्होंने महा-प्रबन्धक (प्रशासन) श्री. के. आर. मल्या का भी स्वागत किया जिन्होंने सम्मेलन की संपूर्ण कार्रवाई में उपस्थित रहने का आश्वासन दिया।

अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक श्री वाय. एस. हेग्डे ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालयों के निष्पादन कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर जहां कुछ मदों पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, वहीं कुछ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने के लिए चिन्ता प्रगट की। उन्होंने राजभाषा अधिकारियों को बैंक की ओर से पूरा आश्वासन दिया कि राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने राजभाषा अधिकारियों को सलाह दी कि वे एकजुट होकर टीम भावना से कार्य करें और आने वाले वर्ष में राजभाषा के कार्यान्वयन में अपने बैंक का नाम ऊंचा उठाएं।

प्रभारी अधिकारी श्री नरसिंह प्रसाद यादव ने कार्य-सूची के मदों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय के निष्पादन कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। तत्पश्चात् सभी राजभाषा अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र की प्रगति एवं समस्याओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया।

महाप्रबन्धक श्री मल्या ने राजभाषा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट एवं चर्चाओं को ध्यानपूर्वक सुना और मदवार सभी प्रश्नों के सन्तोषजनक उत्तर दिए। उप-महाप्रबन्धक श्री आल्वा तथा सहायक महाप्रबन्धक श्री विजयनाथ भट्ट की उपस्थिति राजभाषा अधिकारियों से उत्साह का संचार करती रही।

राजभाषा अधिकारी श्रीमती लता एस. पई के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्मेलन समाप्त हो गया।

राजस्थान में जयशंकर प्रसाद जन्मशताब्दी समारोह

श्रीडूंगरगढ़ में 24 दिसम्बर को स्थानीय साहित्यिक संस्था राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा आयोजित जयशंकर प्रसाद जन्मशताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री हरीश भादानी ने कहा कि साहित्य परिवर्तन की युगीन धारा को अपने समग्र आवेगों के साथ प्रवाहित किए चलता है। उन्होंने कहा कि जयशंकर प्रसाद ने भारतीय इतिहास को एक नई दृष्टि प्रदान की थी, जो उनकी समग्र दृष्टि और साहित्यिक अभीष्ट को उजागर करती है।

मुख्य अतिथि श्री नंदकिशोर आचार्य ने कहा कि क्या एक रचनाकार और विशेषज्ञ की दृष्टि में फर्क नहीं रहता। अगर ऐसा है तो विशेषज्ञ को किसी भी कृतिकार के मूल्यांकन के लिए तत्कालीन समय और समाज की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को भी समझना जरूरी है। उस समय की केन्द्रीय समस्या स्वाधीनता थी, परन्तु प्रसाद ने भले ही सीधे रूप में स्वाधीनता के गीत न गाएं हों पर प्रसाद ने भारत की राजनैतिक स्वाधीनता से अधिक मानसिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक रूप से पराधीन होते जाने की वेदना को वाणी दी थी। प्रसाद ने अपनी परंपरा की तलाश ही औपनिवेशिक समाज में मुक्ति की तलाश है। श्री आचार्य ने कहा कि छायावाद के केन्द्र में कहीं न कहीं गांधीजी की मान्यताएं भी रही हैं। गांधीजी की मौलिक मान्यताओं के कारण ही छायावाद को "सत्याग्रह- युग" भी कहा गया है।

समारोह के अध्यक्ष डा. देवी प्रसाद गुप्त ने कहा कि प्रसाद का साहित्य उपक्रम केवल एक ही प्रकार का नहीं है। प्रसाद के विविध आयामी वैशिष्टय को भुलाया नहीं जा सकता। प्रसाद ने सभी भांति का साहित्य रचा। कामायनी की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि प्रसाद के साहित्यकार की चरम परिणति कामायनी में देखी जा सकती है। कामायनी केवल प्रागैतिहासिक गाथा नहीं, मानव के मनोविकास की गाथा है।

समारोह के मध्याह्न सत्र की गोष्ठी के विषय जयशंकर प्रसाद और औपनिवेशिक समाज पर एक खुली बहस रखी गई।

माखनलाल चतुर्वेदी जन्मशताब्दी संगोष्ठी

हिन्दी प्रचार-प्रसार के लिए मान्य एवं प्रतिष्ठित संस्था दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के उच्च शिक्षा और शोध संस्थान की ओर से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जन्म-शती संगोष्ठी संपन्न हुई। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, गद्यकार और कवि के रूप में प्रख्यात हैं। 22 मार्च, 90 को इस त्रिदिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन और ज्ञानपीठ पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित तेलुगु कवि और तेलुगु विश्वविद्यालय के कुलपति डा. श्री नारायण रेड्डी ने किया। उन्होंने अपने भाषण में चतुर्वेदी जी के निर्भीक और राष्ट्रीय चरित्र को रेखांकित किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डा. (श्रीमती) निर्मला जैन ने की। उन्होंने कहा कि चतुर्वेदी जी के दो रूप प्रमुख हैं भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाला कवि रूप और समाज का दिशाबोध कराने वाला पत्रकार रूप। उन्होंने चतुर्वेदी जी के लेखकीय व्यक्तित्व के व्यापक क्षेत्र को सामने रखते हुए चतुर्वेदी जी को केवल राष्ट्रीय भावना का कवि या "अनगढ़ छायावादी" कवि मानने से इन्कार किया। उन्होंने कहा कि एक विशेष श्रेणी के आलोचकों द्वारा प्रसारित इन भ्रांतियों का निराकरण तभी संभव हो सकता है जब हम उनके सर्वग्राही व्यक्तित्व को देखने का प्रयत्न तटस्थ से करें।

डा. सुवास कुमार (हैदराबाद विश्वविद्यालय), डा. किशोरी लाल व्यास (उस्मानिया विश्वविद्यालय), डा. शशि मुदिराज (हैदराबाद विश्वविद्यालय) तथा डा. इन्दु वरिशठ (उस्मानिया विश्वविद्यालय) ने अपने आलेख प्रस्तुत किए। इन आलेखों से यह भलीभांति विवेचित हुआ कि माखनलाल चतुर्वेदी के उद्भट व्यक्तित्व और रचनाकार को छायावाद के सीमित खेमे में बांध पाना संभव नहीं है और हमें ऐसी चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। उनके काव्य में छायावादी उपादान तो हैं परन्तु उनके "सांझ" "बादल" छायावादी रोमान्स से मुक्त हैं और छायावाद का सीमित नागरिक बोध भी उनमें व्यापक ग्राम संस्कार बन कर उभरा है, इस सत्र की अध्यक्षता हिन्दी संस्थान के प्रो. कृष्णकुमार शर्मा ने की।

राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में प्रो. रामन नायर (कोचीन विश्वविद्यालय), प्रो. के रामनायुडु (मद्रास), डा. इन्द्रसेन शर्मा (एन. सी. ई. आर. टी) नई दिल्ली, प्रो० निर्मला जैन (दिल्ली) के आलेखों द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि पुनर्जागरण का पूरा जोश चतुर्वेदी जी के अंतर में था। उनका यह ओज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें आंदोलित किए रहता था। भारतीय संदर्भ में चतुर्वेदी जी को देखने का अर्थ उनकी उस व्यापक दृष्टि की व्याख्या बना जो उन्हें भारत की एकता से संबद्ध करता था। डा. लीला ज्योति (हैदराबाद), डा. टी. पी. देशपांडे (नांदेड), डा. कादिर जमा आदि ने इस सत्र में तेलुगु, मराठी, उर्दू साहित्य की भारतीयता की धारणा की तुलना चतुर्वेदी जी की काव्य भूमि से करते हुए उन्हें "भारतीय आत्मा" के रूप में व्याख्यापित किया। इस सत्र की अध्यक्षता प्रो. पांडेय शशि भूषण शीतांशु ने की। काव्य भाषा चेतना के संदर्भ में डा. कादिर जमा, प्रो. कृष्णकुमार शर्मा (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, हैदराबाद), प्रो. पांडेय शशि भूषण "शीतांशु" (गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर), बालकृष्ण शर्मा "रोहिताशव" (गोवा विश्वविद्यालय) तथा डा. रमेश मेहता (दिल्ली) के आलेख महत्वपूर्ण रहे। प्रो. शर्मा ने चतुर्वेदी जी की गद्य शैली का प्रोक्तिपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया और डा. शीतांशु ने "पुष्प की अभिलाषा" की काव्य शैली का विवेचन इन आलेखों द्वारा यह तथ्य उभर कर सामने आया कि चतुर्वेदीजी की भाषाई चेतना सामान्य भाषा के निकट होते हुए भी सौंदर्य के सूक्ष्म तंतुओं की अभिव्यक्ति की क्षमता से युक्त थी। हिन्दी पत्रकारिता के संदर्भ में चतुर्वेदी जी के जागरूक पत्रकार रूप को डा. अरविन्द पांडेय (गोवा विश्वविद्यालय), श्री मुनीन्द्र जी (हैदराबाद समाचार), डा. शीलम वेंकटेश्वर राव (हैदराबाद) तथा डा. गंगाप्रसाद विमल (केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली) ने उभारा।

24 मार्च को समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक साहित्यकार डा. गंगा-प्रसाद विमल ने उच्च शिक्षा और शोध संस्थान को साधुवाद किया कि उसके एक सच्चे परन्तु उपेक्षित साहित्य-कार के पुनर्मूल्यांकन का सदप्रयास इस संगोष्ठी के माध्यम से यही सच्ची श्रद्धांजलि है। उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रो. चक्रवर्ती ने चतुर्वेदी जी के व्यक्तित्व और कृतत्व पर विश्लेषणात्मक प्रकाश डाला।

संगोष्ठी सयोजक प्रो. दिलीप सिंह ने संगोष्ठी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और संस्थान के प्रो. एवं अध्यक्ष तथा संगोष्ठी निदेशक डा. कृष्णकुमार गोस्वामी ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि दक्षिण भारत के एक केन्द्र में इस संगोष्ठी के माध्यम से चतुर्वेदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने की रस्म-अदायगी ही नहीं हुई अपितु उनके रचना संसार को व समसामयिक संदर्भों में उनकी प्रतिबद्धता और प्रासंगिकता के संदर्भ में देखा गया। इस अवसर पर 23 मार्च को काव्यसंध्या का आयोजन किया गया जिसमें डा. वेणुगोपाल, डा. विमल, डा. शीतांशु, श्री गिरीश, डा. इन्द्रसेन शर्मा आदि ने अपनी कविताओं से रसविभोर कर दिया।

हिंदी के बढ़ते चरण

"यदि भारतीय लोग कला, संस्कृति और राजनीति में एक रहना चाहते हैं तो इसका माध्यम हिंदी ही हो सकती है।"

—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

मद्रास बैंक विशेषांक

मद्रास से बाहर बैंकों में कार्यरत जितने भी हमारे मित्र हैं, सभी यह प्रश्न पूछते हैं —"क्या मद्रास नगर में राजभाषा का कार्य करते हुए आपको कोई समस्या नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती? आप किस प्रकार इन समस्याओं का सामना करते हैं?

पिछली छः बैठकों के दौरान और बैंक द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, हिन्दी दिवस प्रतियोगिताओं और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान आपने जिस लगन से काम किया है, जिस उत्साह से कर्मचारियों ने राजभाषा को अपनाया है, उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता है कि मद्रास में—खासकर बैंकों में हिन्दी के प्रति रुचि की कमी है।

हम लोग यहां हिन्दी को एक भारतीय भाषा की दृष्टि से देखते हैं, केवल राजभाषा की दृष्टि से नहीं। अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति लोगों के मन में जितना लगाव है, उससे कहीं बढ़कर हिन्दी के प्रति है। हिन्दी के राजभाषा घोषित किए जाने से पहले भी, मद्रास में ही नहीं बल्कि पूरे तमिलनाडु में हिन्दी का प्रचार-प्रसार जोरों से शुरू हो गया था और काफी लोग स्वेच्छा से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाओं में बैठकर अपना हिन्दी ज्ञान बढ़ाते रहे हैं। आज भी हर छः महीने में प्रचार सभा की प्रथम तीन परीक्षाओं में करीब 50,000 लोग बैठते हैं और उच्च परीक्षाओं में 20,000 लोग। बात केवल इतनी है कि ये सभी लोग बैंकों या केन्द्र सरकार के कार्यालयों या उपक्रमों में नौकरी नहीं पाते। इसी कारण हमें प्रशिक्षण की दिशा में काफी कुछ करना पड़ रहा है। हिन्दी शिक्षण योजना की परीक्षाओं में बैठने वालों की संख्या भी दक्षिण में ही सबसे अधिक है। इन सब बातों से यह साबित है कि मद्रास शहर में हिन्दी के पनपने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है और राजभाषा के रूप में कार्यालयों में हिन्दी को प्रयोग में लाना समस्याप्रद कार्य नहीं है।

डॉ॰ सीता कुंचितपादम
सदस्य सचिव
बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
मद्रास (तमिलनाडु)

मद्रास (बैंक)

मद्रास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 7वीं बैठक श्री वि० जे० कोठारी, सहायक महाप्रबंधक इंडियन ओवरसीज बैंक की अध्यक्षता में 7-3-1990 को संपन्न हुई। बैठक में दक्षिण क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोचीन के सहायक निदेशक डॉ. जोस आस्टिन उपस्थित थे।

सदस्या-सचिव डॉ० सीता कुंचितपादम ने समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया और पिछली बैठक से कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया :—

1. संयुक्त कार्यशाला का आयोजन 27, 28 और 29-12-1989 को हुआ। 32 कर्मचारियों ने भाग लिया।

2. सदस्य बैंकों से प्रतिनियुक्ति 12 कर्मचारियों में से 10 टंकण परीक्षा में बैठे और उत्तीर्ण हुए। आशुलिपि में 2 में से एक उत्तीर्ण हुआ।

3. अब तक आयोजित सभी कार्यशालाओं में सहभागी-सदस्यों को सहभागिता प्रमाण पत्र देने के संबंध में कार्यवाई की गई और सदस्य बैंकों से कहा गया कि वे अपने-अपने बैंक के प्रमाण पत्र संयोजक से प्राप्त कर लें।

अपने अध्यक्षीय भाषण में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि बैठक प्रयोजनमूलक होनी चाहिए यह एक ऐसा मंच है जहां पर तमिलनाडु के बैंकर्स हिन्दी के प्रयोग के संबंध में अपनी समस्याओं की चर्चा कर सकते हैं और इसका समाधान निकाल सकते हैं। संयोजक बैंक द्वारा प्रकाशित "मद्रास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति उद्भव और विकास पुस्तिका का विमोचन अध्यक्ष महोदय ने किया और इसकी पहली प्रति डॉ जोस आस्टिन ने स्वीकार की। इस पुस्तिका की एक प्रति सभी बैंकों को दी गई। डॉ. जोस आस्टिन ने बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा की और जिन बैंकों से रिपोर्टें नहीं मिली हैं उनसे रिपोर्ट तत्काल भेजने के लिए अनुरोध किया। बैठक की चर्चा में सभी सदस्यों ने सोत्साह भाग लिया और निम्नलिखित सुझाव दिए गए :—

1. समिति की तरफ से चार बैंकों द्वारा दिए गए टाइपराइटरों की सहायता से हिन्दी शिक्षण योजना के परिसर में बैंक के कर्मचारियों को हिन्दी टंकण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सहायक निदेशक श्री कश्यप ने सूचित किया कि चूंकि सरकार ने उन्हें नए टाइपराइटर उपलब्ध कराए हैं। अतः सदस्य बैंक अपने-अपने टाइपराइटर वापस ले सकते हैं। फिर भी पहले की तरफ बैंक के कर्मचारियों के लिए चार टाइपराइटर रखे जाएंगे और प्रशिक्षण जारी रखा जाएगा।

2. प्राज्ञ पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकों के न मिलने के कारण होने वाली कठिनाइयों के संबंध में कुछ बैंकों ने बताया। उन्हें केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा से संपर्क करने के लिए सुझाव दिया गया।

3. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की टंकण परीक्षा को हिन्दी शिक्षण योजना की परीक्षा के बराबर की मान्यता दी जाए।

4. राजभाषा भारती की प्रतियां मंगवाकर सभी सदस्य बैंकों को दी जाएं।

5. चूंकि बैंकों का वित्तीय वर्ष भी अप्रैल-मार्च बनाया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की शील्ड योजना भी अप्रैल-मार्च के लिए रखा जाना चाहिए।

इलाहाबाद बैंक—क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास

हिन्दी के कार्यान्वयन में प्रगति की ओर

बैंक का प्रधान कार्यालय कलकत्ता में स्थित है जहां राजभाषा विभाग सन् 1976 से कार्यरत है। क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास में सन् 1984 से राजभाषा कक्ष स्वतंत्र रूप से कार्यरत है और उसमें एक राजभाषा अधिकारी और एक लिपिक सह-टंकक है।

राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन संबंधी समय समय पर जारी भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा हमारे प्रधान कार्यालय के अनुदेशों का अनुपालन करने का प्रयत्न किया जाता रहा है।

सांविधिक अपेक्षाओं के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अनुसार सभी कागजात शतप्रतिशत हिन्दी और अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं। वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुपालन स्वरूप मूल पत्रों के 10% हिन्दी में भेजे जाते हैं। शाखाओं में भी यथासंभव 10% हिन्दी में मूल पत्र भेजे जाते हैं। इस उद्देश्य से हमारे कार्यालय तथा हमारी अधीनस्थ शाखाओं में प्रयुक्त कुछ मानक प्रपत्रों आदि को हिन्दी तथा अंग्रेजी में मुद्रित कर दिया गया है। शाखाओं/कार्यालयों में द्विभाषिक रबड़ की मोहरें प्रयुक्त की जाती हैं।

शिक्षण/प्रशिक्षण के क्षेत्र में कर्मचारियों को हिन्दी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षित कराया गया है। इस प्रकार शिक्षित कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशाला के जरिए प्रशिक्षित भी किया जाता है। अब हमारे क्षेत्र में क्रमशः 23 अधिकारी एवं 26 कर्मचारी इन कार्यशालाओं में प्रशिक्षित हैं। हिन्दी टंकन के क्षेत्र में टंककों को हिन्दी टंकन में प्रशिक्षित किया गया है।

हमारे कार्यालय में हिन्दी पुस्तकालय स्थापित है जिसमें विभिन्न विषयों पर 371 पुस्तकें हैं। जो कर्मचारी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित हैं उनमें से कई हिन्दी में कार्य करने का प्रयत्न करते हैं।

कार्यालय से "इला संगम" राजभाषा पत्रिका निकाली जाती है। इसमें हिन्दी तथा दक्षिण की चार क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका में दैनन्दिन प्रयुक्त शब्दों का चार क्षेत्रीय भाषाओं में समानान्तर शब्द देवनागरी लिपि में दिए गए हैं।

हिन्दी दिवस समारोह को विधिवत मनाया जाता है। हमारे अधीनस्थ कार्यरत शाखाओं में भी हिन्दी दिवस मनाया जाता है।

यह अत्यंत गौरव की बात है कि हमें अपनी उपलब्धियों के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय--राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से हिन्दी के कार्यान्वयन में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए वर्ष 1987-88 हेतु ट्राफी प्रदान किया गया एवं वर्ष 1988-89 हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति--मद्रास की ओर से तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त बैंक की तिरुवनंतपुरम शाखा को वर्ष 1989 हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति--त्रिवेन्द्रम की ओर से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय मद्रास—18

बैंक के स्थानीय कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग

मद्रास में अपने बैंक के स्थानीय एवं क्षेत्रीय दो कार्यालयों के अलावा, अंचल निरीक्षण केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, अंचल लेखन सामग्री कक्ष और 21 शाखाएं हैं। मद्रास में कार्यरत कर्मचारियों में से केवल 8% कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं।

अंचल राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने अपनी कई बैठकों में कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण पर गंभीर रूप से चर्चा की और कई योजनाएं बनायीं। समिति ने यह अनुभव किया कि शाखाओं में स्टाफ की कमी, काम की अधिकता और तत्परतापूर्वक ग्राहक सेवा की आवश्यकता के कारण दूरस्थित हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्रों में स्टाफ को भेजने से शाखाओं में दैनिक कामकाज सुचारू रूप से नहीं होगा। शाखाओं में प्राइवेट अध्यापक को नियुक्त करने से स्टाफ सदस्य समय का सदुपयोग कर सकते हैं और आराम से हिन्दी सीख सकते हैं। मद्रास में आलवारपेट, मैलापूर, ई. सी. स्ट्रीट साहुकारपेट, माऊंट रोड, मद्रास मुख्य, तुंगमबाक्कम, पुरसवाक्कम, अंबत्तूर, विदेशी शाखा और क्षेत्रीय कार्यालय (त. ना. 1) में बैंक द्वारा प्राइवेट अध्यापक नियुक्त किए गए। अंचल कार्यालय में राजभाषा अधिकारी स्वंय वर्ग चलाते हैं जो स्टाफ सदस्य वर्गों में उपस्थिति नहीं हो पाते हैं, वे केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रम करते हैं। मद्रास में बड़ी संख्या में स्टाफ सदस्यों ने प्रवोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षाएं पास की हैं।

अंचल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु-1) में चार वर्ष पूर्व हिन्दी पुस्तकालयों की स्थापना की गई है। हर वर्ष इन्हें प्रत्येक विद्या से संबंधित पुस्तकें खरीदकर समृद्ध किया जा रहा है। स्टाफ सदस्य इन पुस्तकालयों से पुस्तक लेकर चाव से पढ़ते हैं।

हर तिमाही में एक बार नियमित रूप से अंचल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु-1) द्वारा संयुक्त हिन्दी कार्यशाला आयोजित की जाती है। आज तक ग्यारह कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। हर साल 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस विधिवत रूप से मनाया जाता है। कार्यशालाओं और हिन्दी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में वाक, निबंध लेखन, सुन्दर लिखावट और शब्द ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। विजेताओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाते हैं। कार्यशाला के सभी प्रतिभागियों को व्याकरण पुस्तिकाएं और प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं। सभी शाखाओं/कार्यालयों में "हर रोज़ एक हिन्दी शब्द सीखिए" योजना सफलता पूर्वक लागू की जा रही है। राजभाषा अधिनियम धारा 3(3) का पूरा अनुपालन करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। अंचल कार्यालय से सभी परिपत्र द्विभाषिक रूप में जारी किए जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय तमिलनाडु-1 से सभी परिपत्र द्विभाषिक रूप में जारी करने में कठिनाई हो रही है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। अंचल कार्यालय स्थित राजभाषा कक्ष से सभी पत्र हिन्दी में या द्विभाषिक रूप में जारी किये जाते हैं। मद्रास स्थित शाखाओं/कार्यालयों में लगभग सभी रबड़ की मुहरें और लेखन सामग्री द्विभाषिक हैं। अंचल कार्यालय द्वारा कई प्रकाशन हिन्दी में निकाले गए हैं, जैसे--राजभाषा नीति दीपिका, बैंकिंग हिन्दी अभ्यास पुस्तिका, हिन्दी कार्यशाला सामग्री, प्रबोध सहायिका, प्रवीण अभ्यास पुस्तिका, बुनियादी हिन्दी व्याकरण, हर रोज़ एक हिन्दी शब्द सीखिए (1988); हररोज़ एक हिन्दी शब्द सीखिए (1989), हररोज़ एक हिन्दी शब्द सीखिए (1990), हिन्दी कार्यशाला दीपिका आदि।

बैंक आफ इंडिया

दक्षिण अंचल, मद्रास

वर्ष 1989 में राजभाषा के कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्ट

दक्षिणी अंचल में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य तथा पांडिचेरी का संघराज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए "ग" क्षेत्रों की अपनी समस्याएं हैं परन्तु दक्षिणी क्षेत्र की समस्याएं और भी बढ़ जाती है क्योंकि तमिलनाडु पर (जहां हमारी दो तिहाई शाखाएं हैं) राजभाषा नियम लागू नहीं होते। तब भी दक्षिण अंचल राजभाषा के प्रगति-पथ पर निरन्तर अग्रसर है।

कार्यसाधन ज्ञान :

जहां "क" और "ख" भाषा क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हिन्दी जानने वाले स्टाफ-सदस्यों से बैंक का कामकाज अधिकाधिक हिन्दी में करवाना है वहां पर "ग" भाषा क्षेत्र

में कार्यरत स्टाफ-सदस्यों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान दिलाना है। इस समय अंचल में कार्यसाधक ज्ञान की स्थिति निम्नप्रकार से है :—

स्टाफ-सदस्यों की संख्या		जिन्हें कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त है	जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं	जिन्हें कार्य-साधक ज्ञान दिलाना शेष है
अधिकारी	741	415	34	325
लिपिक	1653	939	66	714

प्रशिक्षण :

कार्यसाधक ज्ञान के पश्चात् दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कार्य-साधक ज्ञान-प्राप्त स्टाफ-सदस्यों को बैंकिंग का कामकाज हिन्दी में करने के लिए तैयार करना है। इस दिशा में प्रधान कार्यालय के निदेशानुसार वर्ष 1988 में तीन और वर्ष 1989 में चार हिन्दी कार्यशालायें आयोजित की जा चुकी हैं। इन कार्यशालाओं में व्याख्यान पर कम और व्यवहार पर अधिक बल दिया गया है ताकि स्टाफ-सदस्य शाखाओं में अपना कार्य हिन्दी में करने के लिए योग्य हो सकें। इन कार्य-शालाओं के माध्यम से अब तक 553 स्टाफ-सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मद्रास नगर रा. क. समिति द्वारा आयोजित अन्तर-बैंक हिन्दी कार्यशालाओं में भी स्टाफ-सदस्यों को नियुक्त किया जाता है।

जहां तक हिन्दी टंकण और आशुलिपि के प्रशिक्षण का संबंध है, बैंक ने हिन्दी शिक्षण योजना, मद्रास में एक हिन्दी टाइपराइटर रखवा दिया है और इससे हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण को गति मिलेगी। इस समय अंचल में हिन्दी प्रशिक्षित टंककों तथा आशुलिपिक संख्या क्रमशः 14 और दो है।

3. द्विभाषीकरण :

दक्षिणी अंचल में धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले दस्तावेजों को द्विभाषिक रूप से जारी करने की दिशा में एक प्रकार की दोष-रहित प्रणाली स्थापित है। आंचलिक कार्यालय में जारी होने वाले परिपत्रों को एक केन्द्रीकृत क्रमांक दिया जाता है, जिसका नियन्त्रण राजभाषा कक्ष के पास है अर्थात प्रत्येक सर्कुलर केन्द्रीकृत क्रमांक हेतु राजभाषा कक्ष के पास आता है और उसे द्विभाषी रूप में करने के पश्चात् क्रमांक देकर लौटाया जाता है। वर्ष 1989 में 280 द्वि-भाषिक सर्कुलर जारी किए जा चुके हैं।

4. राजभाषा कार्यान्वयन समितियां :

आंचलिक कार्यालय तथा दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यरत हैं। इन समितियों की बैठकों में लिये गए निर्णयों पर कृत कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाती है।

5. हिन्दी पत्राचार :

हिन्दी पत्राचार के क्षेत्र में अंचल की प्रगति उल्लेखनीय रही है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने के साथ हिन्दी में मूल पत्राचार पिछले वर्ष के लगभग 14 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है। इससे आगामी वर्ष में समूचे बैंक के इस दिशा में कार्य निष्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिये। हम निकट भविष्य में आंचलिक राजभाषा कक्ष में आशुलिपिक का पद भरने के लिये प्रयासरत हैं।

6. गृह-पत्रिका सदर्न-स्टार का प्रकाशन :

अंचल में हाल ही में गृह-पत्रिका "सदर्न-स्टार" का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है और इसमें हिन्दी खंड की भी व्यवस्था है। स्टाफ-सदस्यों से हिन्दी में प्राप्त रचनाओं की वृद्धि के साथ हिन्दी खंड का भी विस्तार किया जाएगा।

7. हिन्दी सप्ताह/हिन्दी दिवस समारोह :

अंचल में स्टाफ-सदस्यों के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतियोगितायें आयोजित करके हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह मनाया जाता है। गत वर्ष मद्रास, कोयम्बतूर, ओडनचत्रम, बैंगलोर और बेलगाम में प्रतियोगिताओं का आयोजन करके हिन्दी दिवस मनाया गया।

केनरा बैंक

अंचल कार्यालय : मद्रास

राजभाषा कार्यान्वयन : एक रिपोर्ट (सूत्रबद्ध)

1. हिन्दी प्रशिक्षण के लिए प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के लिए बैंक 1984 से हर सत्र में अपनी स्वतंत्र कक्षाएं चला रहा है।

2. हिन्दी टंकण में अब तक 26 टंकक/आशुलिपिक प्रशिक्षित, जो सरकार द्वारा निर्धारित 10% के लक्ष्य से कहीं अधिक है।

3. सभी शाखाओं/कार्यालयों को हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिका खरीदने की अनुमति।

4. सभी शाखाओं/कार्यालयों में एक बहुरंगीन "राजभाषा हिन्दी" पोस्टर प्रदर्शित।

5. नगर की शाखाओं तथा कार्यालयों में "प्रतिदिन एक शब्द सीखिए" योजना के अंतर्गत तमिल तथा रोमन लिपि तथा दोनों भाषाओं में अनुवाद सहित हिन्दी शब्दों का प्रदर्शन।

6. शाखाओं में हिन्दी प्रतिनिधियों की नियुक्ति।

7. नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन—अब तक 302 कर्मचारी/अधिकारी प्रशिक्षित।

8. राजभाषा केप्सूयल कार्यक्रम का आयोजन।

9. मासिक स्टाफ बैठकों में हिन्दी (राजभाषा कार्यान्वयन) के महत्व की चर्चा।

10. स्थानीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा कार्यान्वयन पर एक सत्र का समावेश।

11. शाखाओं/कार्यालयों के उद्घाटन/स्थानान्तरण संबंधी निमंत्रण पत्रों का त्रिभाषी मुद्रण।

12. बैंक द्वारा सुलभ करवाए जाने वाले विजिटिंग कार्ड द्विभाषी।

13. रबड़ की मोहर, नकदी टोकन तथा समस्त मुद्रित फार्म व लेखन सामग्री, द्विभाषी रूप में उपलब्ध।

14. समस्त प्रचार सामग्री द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में उपलब्ध।

15. 11 कर्मचारियों को केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुवाद कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

16. कर्मचारियों/कार्यालयों में प्रतिस्पर्धा के लिए "केनरा बैंक राजभाषा अक्षय योजना" के अधीन प्रतिवर्ष पुरस्कार देना।

17. प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित करना एवं हिन्दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

18. नगर समिति के हिन्दी दिवस संबंधी कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर भाग लेना तथा वर्ष 1988 एवं 1989 दोनों बार प्रथम पुरस्कार जीतना।

19. नाबार्ड मद्रास कार्यालय की अंतर बैंक प्रतियोगिता में वर्ष 1989 में द्वितीय पुरस्कार जीतना।

20. भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा मद्रास अंचल कार्यालय को वर्ष 1988 के लिए सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान।

21. बैंक ने नगर समिति के संयुक्त प्रशिक्षण केन्द्र के लिए एक देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध करवाया।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

आंचलिक कार्यालय, मद्रास-6

राजभाषा कार्यान्वयन प्रगति की रिपोर्ट

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान

मद्रास शहर में स्थित कुल 35 शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत 943 कर्मचारियों में से 362 कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है तथा गत वर्ष तथा इस वर्ष में 68 कर्मचारियों ने पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी प्रशिक्षण के लिए नामांकन किया है।

टंककों की स्थिति

मद्रास शहर में तैनात कुल 54 टाइपिस्टों में से 3 टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपिंग का ज्ञान है तथा इनसे हिन्दी का काम लिया जाता है। इस वर्ष भी 2 टंककों को हिन्दी की टाइपिंग प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जा रही है।

टाइपराइटरों की स्थिति

कुल 55 टाइपराइटर में से वर्तमान में एक साधारण देवनागरी का टाइपराइटर है।

इलैक्ट्रानिक उपकरण

मद्रास शहर में वर्तमान 2 द्विभाषिक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर उपलब्ध कराये गये हैं। तथा कुल 5 टैलेक्स/टेलीप्रिंटर में से मद्रास में हमने गत वर्ष में एक द्विभाषिक टेलेक्स स्थापित किया गया तथा शेष सभी 4 टेलेक्स मशीनों को द्विभाषिक रूप में बदलने के डाक एवं तार विभाग को आदेश दे दिए गए हैं।

हिन्दी में प्राप्त पत्र

हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का अनिवार्यतः हिन्दी में उत्तर दिया जाता है।

हिन्दी में पत्राचार

शाखाओं द्वारा औसत 20% पत्राचार हिन्दी/द्विभाषिक रूप में किया जाता है।

त्रिभाषिक बोर्ड

मद्रास शहर में सभी शाखाओं में त्रिभाषिक बोर्ड प्रदर्शित किए गए हैं।

हिन्दी समाचार-पत्र/पत्रिकाओं की खरीद तथा हिन्दी पुस्तकालय

आंचलिक कार्यालय में कर्मचारियों में हिन्दी का ज्ञान बढ़ाने के लिए तथा उन्हें हिन्दी में काम करने के लिए उत्साहित करने के लिए हिन्दी पत्र-पत्रिकाएं खरीदी जाती हैं तथा आंचलिक कार्यालय में हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना की गई है जिसमें हम समय-समय पर हिन्दी की पुस्तकें खरीदते हैं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति—राजभाषा शील्ड

मद्रास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयोजक इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा 1988-89 के लिए पहली बार चल राजभाषा वेजयन्ती का आयोजन किया गया। इसमें हमारे बेहतर कार्य के लिए द्वितीय स्थान मिला तथा कप और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

राजभाषा विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र

आंचलिक कार्यालय को वर्ष 1987-88 में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रशंसनीय कार्य के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण), बेंगलूर, द्वारा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया ।

हिन्दी कार्यशालाएं

हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों के लिए मद्रास में हर वर्ष अनिवार्यतः हिन्दी चार कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है ।

अन्य कार्य

कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास में दिये जाने वाले लगभग सभी 300 प्रशिक्षण सामग्रियों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है तथा उन्हें शीघ्र ही स्टेंसिल करा कर प्रशिक्षणार्थियों को द्विभाषिक रूप में उपलब्ध कराया जाएगा ।

कार्पोरेशन बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय : मद्रास

क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत 6 स्थानीय शाखाएं और 2 कार्यालय (लेखा अनुभाग एवं करेंसी चेस्ट) आते हैं । सितंबर, 1985 में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति के उपरांत राजभाषा अधिनियम 1963 एवं नियम 1976 के अनुपालन की स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है :

1. सभी शाखाओं एवं कार्यालयों में यथासंभव सारी लेखन सामग्री, फार्म पत्र शीर्ष आदि द्विभाषिक ही प्रयोग किये जा रहे हैं ।

2. 1986 में सभी शाखाओं को द्विभाषिक रबड़ मुहरें उपभोग में उपयोग लाई जा रही है ।

3. वर्ष में एक बार अधिकारी एवं लिपिक वर्ग के लिए एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई । पहले यह दो दिवसीय होती थी, लेकिन वर्ष 1988 से इसे तीन दिवसीय बनाया गया है । कार्यशाला में करीब 15 से 20 कर्मचारी सदस्य भाग लेते हैं ।

4. 1988 में सभी शाखाओं को त्रिभाषिक काउंटर प्लेटों की आपूर्ति की गई ।

5. हर वर्ष हिंदी पुस्तकालय की वार्षिक मंजूरी रु. 500 से विविध हिंदी किताबें खरीदी जाती हैं । विगत दो वर्षों से इस रकम से क्षेत्राधीन शाखाओं को रिजर्व बैंक की शब्दावली की प्रतियां आपूर्ति की गयी । हिन्दी सीखने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए अंग्रेजी-हिंदी स्वबोधिनी की प्रतियों की आपूर्ति की गई ।

6. हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है । क्षेत्र भर के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रतियोगिताएं (शाखा स्तर पर) आयोजित करायी जाती है । पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों को समारोह में आह्वानित कर पुरस्कार वितरित किये जाते हैं । इन प्रतियोगिताओं में विगत दो वर्षों से कर्मचारियों की प्रतिभागिता काफी अच्छी है ।

7. हिंदी द्विभाषिक पत्रों की प्रतिशतता बढ़ाने की दिशा में कई प्रकार के कदम उठाये गए हैं। मानक फार्म, अनुस्मारक शून्य पत्र आवरण पत्र आदि द्विभाषा में मुद्रित/चक्रमुद्रित कराये गये हैं । फलतः क्षेत्रीय कार्यालय से 17 का पत्राचार हिंदी/द्विभाषा में हो रहा है ।

8. प्रायः सभी परिपत्र द्विभाषा में जारी किये जाते हैं ।

9. सावधिक रूप में मासिक, त्रैमासिक रिपोर्ट समय पर प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत किये जाते हैं ।

10. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमतः हर तिमाही में बुलायी जाती हैं । इन बैठकों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में की गयी कार्रवाई का पुनरावलोकन और इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई पर मदवार चर्चाएं/विचार-विमर्श होता है ।

देना बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास

क्षेत्रीय कार्यालय में राजभाषा कक्ष का गठन 1983 में हुआ । तब से अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए कक्ष अपना कारोबार संभाल रहा है । राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में अनेक कदम उठाये गये हैं । कार्यान्वयन समिति, अपनी तिमाही बैठकों में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करती है, और हिन्दी को प्रगामी प्रयोग की दिशा में निर्देशन देती है ।

अपने क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग का शुरूआत नियम 3(3) से किया है । क्षेत्रीय कार्यालय से जारी किये जाने वाले सभी परिपत्र, प्रतिवेदन आदि द्विभाषित रूप में भेजे जाते हैं । हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर भी हिन्दी में ही देने की ओर अपने क्षेत्र की शाखाएं भी कोशिश कर रही है । पर हिन्दी प्रशिक्षण में अपने क्षेत्र में सभी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। क्षेत्र में अब भी 69 अधिकारियों को तथा 221 लिपिकों को हिन्दी प्रशिक्षण देना बाकी है । सभी कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने का हमारा प्रयास जारी इस कार्य में तेजी लाने के लिए हमने पत्राचार पाठ्यक्रम भी तैयार किया था पर यह योजना कर्मचारियों की प्रतिक्रिया के अभाव में विफल हो गयी ।

हिन्दी टंकण के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अभी 80 टंकक शेष है। इनको टंकण प्रशिक्षण देने में कई प्रशासनिक एवं अपरिहार्य कठिनाइयां खड़ी हो रही हैं जिनको दूर करने का अपना प्रयास जारी है ।

वैसा तो क्षेत्र की सभी शाखाओं के नाम पट्ट रबड़ की मुहरें तथा जनसंपर्क में आने वाले सारे प्रपत्र आदि द्विभाषिक किए गए हैं। हिन्दी में पत्राचार के कार्य में बढ़ोतरी हो रही है ।

अपने प्रधान कार्यालय के शिशा निर्देशन में हम अपना प्रयास जारी रखगें और हिन्दी में कार्यान्वियन में डटे रहेंगे ।

न्यू बैंक आफ इंडिया

प्रादेशिक कार्यालय, मद्रास-14

1. **प्रादेशिक कार्यालय, मद्रास में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है।** इसकी अब तक कुल 22 बैठक हो चुकी हैं ।

2. **त्रि-भाषी नाम पट्ट :** क्षेत्र की समस्त शाखाओं तथा विस्तार काउंटरों के नाम पट्ट मुख्यालय द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार हैं ।

3. **हमारे क्षेत्र की शाखाओं की काउंटर प्लेट व कर्मचारियों के नाम पट्ट :** हमारे क्षेत्र के समस्त शाखाओं के काउंटर प्लेट द्वि-भाषी/द्विभाषी हैं तथा सभी कर्मचारियों के नाम पट्ट भी त्रि-भाषी हैं ।

4. **हिन्दी कार्यशाला :** क्षेत्र के अधिकारियों तथा प्रबंधकों के लिए पहली हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। हम हमारे क्षेत्र के कर्मचारियों और अधिकारियों का हमारे स्टाफ ट्रेनिंग कालेज फरीदाबाद तथा चंडीगढ़ के समय-समय पर होने वाली हिन्दी कार्यशालाओं के लिए नामित करते हैं । अभी तक कुल 84 कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्रदान कर चुके हैं ।

5. **हिन्दी प्रशिक्षण :** चूकि हमारे क्षेत्र में दक्षिण भारत के चारों राज्य (आंध्र प्रदेश कर्णाटक, केरल व तमिलनाडु) सम्मिलित हैं इसलिए इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश कर्मचारियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ व मलयालम है, इसलिए हमने सबसे पहले मुख्य रूप से कर्मचारियों के हिन्दी के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया है । बैंक क्षेत्र के कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए हुए हैं ।

(क) **गैर-अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये :** क्षेत्र की (22 शाखाओं और 2 विस्तार काउंटर तथा प्रादेशिक कार्यालय) से हिन्दी प्रशिक्षण योजना द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम हेतु हर सत्र के लिए तमिलनाडु राज्य में स्थित बैंक की (9 शाखाओं व प्रादेशिक कार्यालय, मद्रास) दो-दो कर्मचारी तथा अन्य तीन राज्यों में स्थित शाखाओं एक-एक कर्मचारी नामित करते हैं ।

उत्तीर्ण कर्मचारियों का प्रतिशत लगभग 100% रहता है।

(ख) उन स्थानों पर जहां हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाओं का गठन नहीं किया गया है वहां के कर्मचारियों को पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु नामित करते हैं ।

(ग) **मद्रास शहर स्थित हमारी शाखाओं के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण :** मद्रास शहर स्थित हमारी शाखाओं के अधिकारियों को हिन्दी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रादेशिक कार्यालय मद्रास में निजी हिन्दी प्रशिक्षण कक्षा प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की है ।

अभी तक हमने निम्नानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया है।

प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
170	50	15

6. अभी तक क्षेत्र के तीन टाइपिस्ट/स्टेनोग्राफरों को हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण प्रदान कर चुके हैं ।

सिंडिकेट बैंक

आंचलिक कार्यालय, मद्रास

राजभाषा — प्रगति और विकास

कार्यालय में अपने कर्मचारियों को अन्य बैंकों में चलाई जाने वाली प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की कक्षाओं में भेजते थे पर अगस्त 1988 से अन्तर्सेवा हिन्दी प्रशिक्षण के अन्तर्गत अपने परिसर में कक्षायें शुरु की हैं और उन्हें राजभाषा अधिकारी ही चलाती हैं। हमारे कर्मचारी और अन्य बैंकों के कर्मचारी भी बड़ी लगन से अधिक संख्या में भर्ती हो रहे हैं और 80 प्रतिशत परिणाम हासिल किए गए हैं। इस साल से बैंकिंग प्राज्ञ की कक्षायें भी चला रही हैं ।

हिन्दी कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना बनाई है जिससे दूर स्थित स्थानीय शाखाओं को लाभ हो सकता है क्योंकि वे कक्षाओं में भर्ती नहीं हो सकते । अतः उनके लिए परीक्षा के पहले एक हफ्ते के लिए संपुट संपर्क कक्षा चलाएंगें ।

हिन्दी कार्यशालाएं:—आंचलिक कार्यालय के स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित नहीं करते क्योंकि इन्हें बंगलौर और एरणाकुलम में आयोजित किया जाता है जहां उन्मुखता और प्रयोजनमूलक हिन्दी की चार अलग-अलग (अधिकारिता और लिपकों) कार्यशालाएं चलाते हैं और उसे इसमें भाग लेने के लिए तमिलनाडु से प्रतिनियुक्ति होती है कर्मचारी इसमें जमकर भाग लेते हैं । यह कार्यान्वियन में ठोस कदम है । वर्ष 1987 से ही हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन

होने लगा है और निबन्ध वाक् और स्मृति प्रतियोगिताओं का आयोजन करने लगे हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार का वितरण करते हैं । कार्यालय में एक पुस्तकालय भी है जिसमें 100 हिंदी पुस्तकें हैं और हमारे कर्मचारी इसका पूरा लाभ उठाते हैं ।

हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में ही दिया जाता है और हमने पत्राचार की 10 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल किया है कार्मिक विभाग के नेमी फार्मों-पत्रों का द्विभाषीकरण किया है और इसी का प्रयोग करते हैं ।

पंजाब नेशनल बैंक

अंचल कार्यालय, मद्रास

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की रिपोर्ट–1989

1. **रा.भा.का. समिति:**—प्रधान कार्यालय के निदेशानुसार क्षेत्रीय अंचल कार्यालय मद्रास में हरेक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही है इन बैठकों में लिए गए निर्णयानुसार हमारे अंचल में राजभाषा की प्रगामी प्रयोग के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

2. **हिन्दी में प्रशिक्षण :** हिन्दी योजना मद्रास द्वारा चलायी जाने वाली हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाओं में मद्रास शहर के कार्यालयों/शाखाओं से (कार्यभार को ध्यान में रखते हुए) स्टाफ सदस्यों को नामित करते हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है (जनवरी से मई 89 तक सत्र के लिए):–

पाठ्यक्रम	नामित	परीक्षा में सम्मिलित	उत्तीर्ण
प्रबोध	3	3	1
प्रवीण	7	7	4
प्राज्ञ	5	5	3

दिसम्बर 1989 से चलाई गई हिन्दी प्रशिक्षण परीक्षाओं में से निम्नलिखित स्टाफ सदस्य उपस्थित हुए परिणाम की प्रतीक्षा है :–

पाठ्य क्रम	नामित	उपस्थित
प्रबोध	7	7
प्रवीण	6	5
प्राज्ञ	3	3

3. **हिन्दी टाईपिंग :**– अंचल कार्यालय से एक लिपिक ने 82 प्रतिशत अंक प्राप्तकर हिन्दी शिक्षण योजना मद्रास द्वारा जनवरी 89 में चलाई गयी हिन्दी टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ।

4. **द्विभाषी पत्राचार :**—द्विभाषिक पत्राचार के मामले में भारत सरकार द्वारा क्षेत्र "ग" के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत का लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है ।

5. **हिन्दी पुस्तकालय :**– क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास में एक हिन्दी पुस्तकालय प्रत्येक रूप से स्थापित है और प्रधान कार्यालय के निदेशानुसार सन् 1989 में हिन्दी पुस्तकें खरीदी गई ।

6. **हिन्दी कार्यशालाएं :**– सन् 1989 में लिपिक तथा अधिकारियों के लिए अलग-अलग से "ऑन-लोकेशन" स्तर पर एक हिन्दी कार्यशाला आयोजित की । इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 89 में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मद्रास द्वारा आयोजित की गई संयुक्त हिन्दी कार्यशाला में दो लिपिकों को नामित किया गया ।

7. **द्विभाषिक रबड़ की मोहरें :**– तमिलनाडु क्षेत्र की सभी शाखाओं को द्विभाषिक रबड़ की मोहरें उपलब्ध करा दी गई ।

8. **हिन्दी लेखन प्रतियोगिता :**– अंचल स्तर पर एक हिन्दी लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गयी और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए ।

9. **"प्रतिदिन एक हिन्दी शब्द सीखिए" योजना :**– हर रोज बैंकिंग शब्दावली से एक नया हिन्दी शब्द कार्यालय में लगी हुई ब्लेक बोर्ड पर लिखा जा रहा है ।

यूको बैंक

अंचलीय कार्यालय, मद्रास-1

हिन्दी संबंधित कार्यकलापों की दो वर्षीय रिपोर्ट

दो वर्ष पूर्व यूको बैंक में सूर्यग्रहण से पीड़ित हिन्दी का सूर्योदय हुआ जब नवंबर 87 में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति हुई । एक जनवरी 1988 से श्री दीक्षित ने सहायक महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण किया एवं "पार्थसारथी" रूप में "हिन्दी विजय रथ" पर सवार होकर मंजिल की ओर प्रस्थान किए । रथ का मार्ग साफ सुथरा नहीं था । हिन्दी के प्रयोग में गति लाने के लिए रथ के बजाय मोटार युक्त गाड़ी खरीदी गयी । केवल अंग्रेजी में अंकित नाम पट के बजाय त्रिभाषाओं में नम्बर प्लेट (नाम पट) तैयार कराए गये । उसके पहिए "हिन्दी कार्यशालाओं" में मरम्मत किये गये कर्मचारियों ने कार्यशालाओं में अवमूल्यन (अवज्ञा) घटाने का प्रयास किया ।

कार्यशालाओं के आयोजन से गाड़ी तेज पायी गयी और सक्रिय पायी गयी । गाड़ी सोलह शृंगार करके दुल्हन सी चमकने लगी ।

केवल गाड़ी के रख-रखाव से बात थोड़ी ही बनती है मार्ग में ऊबड़-खाबड़ प्रदेश समतल पर लाए गए । हिन्दी प्रेमी पेड़ पौधे रास्ते पर उगाये गये । एक गाड़ी से काम चल न देखकर प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ रूपी बसें कर्मचारियों सुविधा हेतु चलायी गई । अब सफर सुहाना सफर बनने लगा

मार्ग एकांगी न होकर द्विभाषिक होने से आवक-जावक गाड़ियां तेजी से चल सकीं । हर कहीं द्विभाषिक सूचनाएं ही लगायी गयीं । हिन्दी अधिकारी प्रोत्साहन रूपी टिकटें दे देकर कर्मचारियों को बसों में बिठाती जाती थीं । "टिकट" भी (यात्रियों) (परिपत्र) द्विभाषिक ही छपवाई गई । 1988 वर्ष और 1989 वर्ष में "हिन्दी दिवस स्टापिंग" पर बस रुकी । यात्री बसों से उतरे, "हिन्दी हमारी राजभाषा है " गाना गाकर आगे चले । स्टाप पर उतरकर यात्रियों ने यह निर्णय लिया कि आगे चलकर टिकिटें (फार्म आदि द्विभाषिक रूप में) खुद के जिम्मेदारी पर मुद्रित किए जाएंगें । सफर में मनोरंजन हेतु रेडियो भी लगाया गया और तेजी से हिन्दी गीत का प्रसारण शुरु किया गया ।

प्रचार व प्रसार से उत्प्रेरित यात्रियों ने एक दूसरे के हाथ बंटाते-बंटाते काफी सहयोग प्रदान किया । यहां तक कि जब ड्राइवर थक गये तो सब मिलकर "हिन्दी विजय रथ" चलाते थे । टिकट खुद आकर ले जाते थे । मगर एक बात की कमी रह गयी । वह है "कार्यक्रम विवरण पंजिका" (गृह पत्रिका) का अभाव ।

गति का जायजा लेने के लिए गाड़ी में तिमाही प्रगति रिपोर्ट रूपी स्पीडोमीटर लगायी गयी है। रफ्तार पर काबू रखने के लिए समय-समय पर नियंत्रक बैठकें आयोजित की गयीं । प्रशिक्षण पेट्रोल व डीजल युक्त गाड़ी अब तेजी से चलती नजर आती है ।

यूको बैंक का नाम चाहे अक्षरमाला के अंत में अंकित हो मगर कार्यकलापों से ज्ञात होता है कि वह किसी भी अन्य बैंक से कम नहीं है । चाहे ग्राहक सेवा हो चाहे शिकायत का निवारण हो या राजभाषा नीति का अनुपालन हर क्षेत्र में अपने नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित करने का प्रयास करता जा रहा है ।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अंचलीय कार्यालय मद्रास

यूनियन बैंक में राजभाषा

यूनियन बैंक आफ इंडिया राजभाषा कार्यान्वयन में अग्रणी बैंकों में से एक हैं, इसके अंचलीय कार्यलिय के अंतर्गत तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी राज्यों में स्थित 219 शाखाएं तथा 6 क्षेत्रीय भाषा कार्यालय कार्यरत हैं, अंचलीय कार्यालय, मद्रास में 18 फरवरी, 1982 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन हुआ । अब तक उक्त समिति की 27 बैठकें हो चुकी हैं और अंचल के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में 6 क्षेत्रीय राजभाषा समितियां तथा दो मुख्य शाखाओं में राजभाषा समितियां गठित की गई ।

अंचलीय कार्यालय, मद्रास में जून 1983 को राजभाषा कक्ष की स्थापना हुई। राजभाषा कक्ष की स्थापना के बाद से राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य में विशेष गति आई ।

हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम

कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा संचालित हिन्दी कक्षाओं में नामित किया जाता है तथा जहां ऐसे केन्द्र नहीं हैं उन्हें पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी सिखलाई जाती है, बैंक का बेंगलूर स्थित स्टाफ कालेज भी संपुट हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी अंचल के कर्मचारी नामित किए जाते हैं

हिंदी टाइपिंग तथा आशुलिपिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

सभी टाइपिस्टों तथा आशुशिपिकों को क्रम से हिन्दी टंकण व आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा संचालित हिन्दी टाइपिंग कक्षाओं में नामित किया जाता है, लेकिन जहां ऐसे केन्द्र नहीं हैं वहां निजी टाइपिंग प्रशिक्षण संस्थाओं में भी हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

बैंकिंग उन्मुख हिंदी परीक्षा

भारतीय बैंकर संस्थान की उपर्युक्त परीक्षा में बैठने के लिए भी स्टाफ सदस्यों को प्रेरित/प्रोत्साहित किया जाता हैं

हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त स्टाफ सदस्यों को क्रम से हर तिमाही में एक बार नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालायों में प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसी कार्यशालाएं केरल राज्य में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, अंचल कार्यालय ने भी दिनांक 31-20-89 को अपने सभी वरिष्ठ प्रबन्धकों (म.प्र. वेतन मान-III) के लिए एक सूचनात्मक कार्यशाला आयोजित की थी।

अंचलीय कार्यालय की प्रेरणा से 18 दिसम्बर, 1989 को मद्रास महानगर में स्थित सभी शाखाओं के शाखा-प्रबन्धकों की एक बैठक बुलाई गयी जिसमें उन्हें बैंक की राजभाषा नीति संबंधी बुनियादी जानकारी दी गई, राजभाषा नियमादि की सभी सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ राजभाषा कक्ष अपने स्टाफ सदस्यों को हिन्दी पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध कराता है, इतना ही नहीं, स्टाफ सदस्यों के हित हिन्दी में दैनिक समाचार-पत्र तथा आवधिक पत्रिकाएं भी मंगाई जाती रही हैं।

भारतीय स्टेट बैंक

स्थानीय प्रधान कार्यालय, मद्रास

हिन्दी की प्रगामी प्रयोग संबंधी रिपोर्ट

भारतीय स्टेट बैंक, मद्रास, स्थानीय प्रधान कार्यालय के अधीन तमिलनाडु एवं केरल राज्य में स्थित कार्यालय/शाखाएं आते हैं। स्थानीय प्रधान कार्यालय में राजभाषा विभाग में प्रबन्धक, एक हिन्दी अधिकारी, एक प्रधान लिपिक, दो लिपिक-टंकक, एवं एक त्रिभाषी आशुलिपिक हैं। इसके अलावा आंचलिक कार्यालय-कोयम्बत्तूर, मदुरै, मद्रास, त्रिवेन्द्रम एवं एर्णाकुलम में राजभाषा अनुभाग है जहां एक प्रभारी अधिकारी और एक हिन्दी अधिकारी तैनात हैं।

हिन्दी प्रशिक्षण

1. हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों के लाभार्थ मद्रास शहर में करीब 2 शाखाओं में हिन्दी वर्गों का आयोजन कर रहे हैं। हर सत्र में करीब 150 कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण दे रहे हैं।
2. यथासंभव अंग्रेजी के टंककों और आशुलिपिकों को, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
3. प्रयोजनशील हिन्दी पर कम से कम दो कार्यशालाएं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अलग-अलग चलायी जाती हैं। इन कार्यशालाओं से अनेक अधिकारी और लिपिक लाभांवित हुए हैं। इन कार्यशालाओं का एक उल्लेखनीय विषय यह है कि कार्यशाला के अन्त में वाक्-स्पर्धा, प्रश्न-मंच लघु-परीक्षा आदि चलाकर, उत्तम प्रतिभागियों को अच्छे-अच्छ पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं।
4. मद्रास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित कार्यशालाओं एवं प्रतिभागिताओं में अपने कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति करते हैं।
5. 6 दिन व उससे अधिक अवधि के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम में, अनिवार्य रूप से, राजभाषा नीति पर एक सत्र चला रहे हैं।
6. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा आयोजित अनुवाद के कार्यक्रमों में भी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन :

1. परिपत्र, गश्ती-पत्र, कार्यालय आदेश आदि द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं। अन्य दस्तावेजों का हिन्दी रुपांतर यथासंभव किया जा रहा है।
2. सभी लेखन-सामग्री, रजिस्टर, प्रपत्र आदि द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में मुद्रित हैं।
3. रबड़ की मुहरों का आवश्यकतानुसार द्विभाषीकरण/त्रिभाषीकरण किया गया है और उनका उपयोग भी हो रहा है।
5. सभी कार्यालयों/शाखाओं के नाम पट्ट, संकेत पट्ट, सूचना पट्ट आदि त्रिभाषिक रूप में प्रदर्शित किए गए हैं।
5. मानक, नेमी पत्रों, प्रपत्रों इत्यादि को द्विभाषी रूप में मुद्रित किया गया है।

बैंकिंग प्रक्रियात्मक साहित्य

बैंकिंग कामकाज में हिन्दी और तमिल तथा मलयालम जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग हेतु—

1. तमिल-अंग्रेजी बैंकिंग शब्दावली; और
2. मलयालम-हिन्दी-अंग्रेजी बैंकिंग शब्दावली

राजभाषा विभाग की ओर से प्रकाशित की गई हैं।

हिन्दी पुस्तकालय

कार्यालय में हिन्दी का एक पुस्तकालय है। बैंकिंग के अलावा अन्य विषयों पर भी हिन्दी पुस्तकें उपलब्ध हैं। सभी स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों के पुस्तकालय में हिन्दी पुस्तकें उपलब्ध हैं।

मद्रास आंचलिक कार्यालय, पिछले 1–1/2 वर्षों से "दक्षिण वाणी" नामक हिन्दी गृह पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। इसमें तमिल द्वारा हिन्दी सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही, बैंकिंग शब्दावली, लघु-लेख, कविताएं, प्रश्न-मंच, हास्य-चित्र (कार्टून) आदि सम्मिलित हैं। इसके अलावा "फैमली लिंक", एवं "मद्रास लिंक" नामक गृह पत्रिकाओं में भी तमिल और अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी विविध विषयों का प्रकाशन हो रहा है।

क्षेत्रीय भाषाओं का विकास

हिन्दी प्रतियोगिताओं के अलावा बैंकिंग कामकाज में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, हम प्रतियोगिताएं चलाते हैं। विजेताओं को रु० 1,000 तक के आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक

दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास

हिन्दी संबंधी गतिविधियां

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय में हिन्दी प्रचार व प्रसार से संबंधित कई गतिविधियां प्रचलन में हैं।

(1) **पत्राचार** : हिन्दी पत्राचार के संबंध में दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय की स्थिति बहुत संतोषजनक हैं। इस तिमाही मे दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास का हिंन्दी पत्र व्यवहार प्रतिशत 36 हैं जबकि "ग" क्षेत्र का लक्ष्य दस प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

(2) **धारा 3(3) का निर्वाह** : दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय में सभी लेखन सामग्री, रबर स्टैंप्स, द्विभाषिक रूप में उपलब्ध हैं और व्यवहार में लाए जाते हैं, जैसे कि हाजिरी रजिस्टर, पत्र शीर्ष आदि।

(3) **हिन्दी पुस्तकालय की व्यवस्था** : मद्रास कार्यालय में अब हिन्दी पुस्तकालय की व्यवस्था कर दी गई है। इस में संदर्भ साहित्य व अन्य शब्द कोष उपलब्ध हैं। सभी स्टाफ कर्मचारी व अधिकारीगण इसका उपयोग करते हैं।

(4) **हिन्दी पत्रों के उत्तर** : हिन्दी पत्रों के उत्तर आवश्यक रूप से हिन्दी में ही दिये जाते हैं। इस तरह राजभाषा नियम का सुचारु रूप से पालन किया जाता है।

(5) **"आज का शब्द" कार्यक्रम** : नियमित रूप से कार्यालय के प्रमुख स्थान पर एक ब्लैक बोर्ड पर प्रति दिन एक नये शब्द को लिखा जाता है। इससे सभी कर्मचारी और अधिकारियों में हिन्दी को सिखने की लगन पैदा होती हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मद्रास-34

हिन्दी के बढ़ते चरण

1. हिन्दी शिक्षण योजना

	अधिकारी	कर्मचारी
(क) क्षेत्रीय कार्यालय में स्टाफ की कुल संख्या	111	78
(ख) कार्य साधक ज्ञान रखने वालों की संख्या	54	9
(ग) प्रवीणता प्राप्त स्टाफ की संख्या	15	8

अंशकालिक हिन्दी अध्यापक की सहायता से विभागीय प्रशिक्षण जारी है। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं के बदले में आई ओ बी "प्रवीण और बैंकिंग प्राज्ञ" परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रत्येक कोर्स के लिए सप्ताह में तीन घंटों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उत्तीर्ण होने पर कर्मचारियों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किया जाता है और सेवा पत्रकों में इस आशय का इंदराज किया जाता है।

2. हिन्दी टंकण आशुलिपि प्रशिक्षण

बैंक में हिन्दी टंकण और आशुलिपि में प्रशिक्षण देने के लिए सेवाकालीन विभागीय व्यवस्था है। हिन्दी शिक्षण योजना की सुविधा का भी उपयोग किया जा रहा है।

	टंकक	आशु-लिपिक
(क) कुल संख्या	21	16
(ख) प्रशिक्षित	6	4

3. हिन्दी कार्यशालाएं

कार्यालय में वर्ष में दो कार्यशालाएं चलाई जाती हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा चलाई जानेवाली कार्यशालाओं में स्टाफ़ सदस्यों को प्रतिनियुक्त करते हैं। अब तक 25 अधिकारियों को और 9 कर्मचारियों को कार्यशालाओं में प्रशिक्षण मिल चुका है।

4. पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग

अनिवार्यत: हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। क्षेत्र "क" और "ख" में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्राचार 3% तक है। पत्राचार संबंधी लक्ष्य में वृद्धि लाने के लिए सभी अनुभागों के अधिकारियों को वैयक्तिक रूप में रुचि लेने तथा अपने दैनंदिन कार्यकलापों में हिन्दी पत्राचार को एक मुद्दे के रूप में स्वीकार करने का काफी प्रयत्न किया जा रहा है। अंग्रेजी हिन्दी शब्दावली की प्रतियां हर अनुभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई हैं।

5. जांच बिन्दुओं का अनुपालन

(क) कार्यालय आदेश और परिपत्र शतप्रतिशत द्विभाषिक रूप में ही जारी किए जाते हैं।

(ख) रबड़ की मुहरें, पीतल की मुहर, रजिस्टर, फाइलकवर, फार्म, नामपट्ट और लेखन सामग्री विभाग की हर मद द्विभाषिक रूप में हैं।

(ग) सभी प्रकार के वाउचर द्विभाषिक रूप में हैं।

(घ) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में हिन्दी अधिकारी निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं।

(च) सभी जड़वस्तुओं पर इन्वेंट्री संख्या द्विभाषिक रूप में है।

6. यांत्रिक उपकरण

बैंक में दो देवनागरी टंकण यंत्र हैं और एक इलेक्ट्रोनिक द्विभाषिक टंकण यंत्र है, जिनका निरंतर उपयोग किया जाता है।

7. पुस्तकालय एवं पत्र-पत्रिकाएं

हिन्दी पुस्तकालय में 225 किताबें हैं। ये किताबें कर्मचारियों को उधार दी जाती हैं। नवभारत टाइम्स के

अलावा विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं मंगवाई जाती हैं। कई कर्मचारी बड़ी दिलचस्पी के साथ पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ते हैं।

मद्रास नगर में स्थित सभी बैंकों के अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य लेकर सन् 1987 में अन्तर बैंक आशुभाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त बैंक को सम्मानित करने के लिए एक चल वैजयन्ती की स्थापना की गई। वैयक्तिक प्रोत्साहन देने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार क्रमशः रु. 100/— रु. 75/— और रु. 50/— की सममूल्य आकर्षक वस्तुएं विजेताओं को प्रदान की गई। लगभग 25 बैंक इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय, मद्रास-2

इन्डियन ओवरसीज़ बैंक, मद्रास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक की हैसियत से सदस्य बैंकों के सहयोग एवं योगदान से हिन्दी के प्रयोग को प्रशस्त करने में प्रयासरत है। समिति के कार्यकलापों के अतिरिक्त इण्डियन ओवरसीज़ बैंक केन्द्रीय कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति इस प्रकार है:—

मद्रास में इंडियन ओवरसीज़ बैंक का केन्द्रीय कार्यालय, एक अंचल कार्यालय और एक क्षेत्रीय कार्यालय है और बैंक की 57 शाखाएं हैं। बैंक ने राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम तथा बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाता है। बैंक में प्रयुक्त सभी रबड़ मोहरें एवं लेखन सामग्री मदें द्विभाषी हैं। बैंक के सभी कोड/मेनुअल/प्रक्रिया साहित्य सामग्री द्विभाषी हैं। **हिन्दी में पत्राचार 19% है।** हिन्दी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। बैंक हिन्दी प्रशिक्षण की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा है क्योंकि जिन स्टाफ सदस्यों को कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उनकी संख्या ज्यादा है। प्रशिक्षण में तेज़ी लाने के लिए बैंक ने बैंकिंग उन्मुक्त पत्राचार तैयार किया जिसे गृह मंत्रालय ने हिन्दी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा के समकक्ष मान्यता दी है और 500 रुपये नकद प्रोत्साहन देने के लिए आइ बी ए ने मंजूरी दी है। इस पत्राचार का नाम "आइ ओ बी प्रवीण" रखा गया है। इस पत्राचार का मुद्रण किया जा चुका है। अतः स्टाफ सदस्यों को "दो सप्ताहीय गहन पाठ्यक्रम" के ज़रिए प्रबोध स्तर का प्रशिक्षण देकर आइ ओ बी प्रवीण पाठ्यक्रम में भर्ती किया जाता है। आइ ओ बी प्रवीण परीक्षा आइ बी पी एस (Institute of Personnel Selection) आयोजित करता है। तत्पश्चात बैंकिंग प्राज्ञ के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता हैं। इस तरह बैंक अपने स्टाफ सदस्यों को हिन्दी प्रशिक्षण देने में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त की करने की ओर अग्रसर है। हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा संचालित कक्षाओं में दिलवाया जाता है। प्रशिक्षित टंकक अपने-अपने विभागों के हिन्दी परिपत्र एवं पत्र टाइप करते हैं।

राजभाषा विभाग हिन्दी में "आइ ओ बी वाणी" नामक पत्रिका निकालता है। बैंक की अन्य पत्रिकाओं में हिन्दी खंड शामिल हैं। बैंक हिन्दी में कार्य करने वाले स्टाफ सदस्यों और शाखाओं का हौसला बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं चलाता है।

1. राजभाषा शील्ड (गृह) योजना : यह योजना वर्ष 1985 से आरम्भ की गई। प्रतियोगिता की अवधि अप्रैल-मार्च है। इस योजना के तीन पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार क, ख, ग क्षेत्र और तमिलनाडु के लिए अलग-अलग हैं यानि हर क्षेत्र के लिए तीन पुरस्कार दिए जाते हैं।

2. "हिन्दी का प्रयोग : प्रोत्साहन योजना" यह योजना वर्ष 1988-89 से आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत हिन्दी में अधिकतम कार्य करने वाले स्टाफ सदस्यों को प्रशस्ति-पत्र दिए जाते हैं।

□

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मद्रास में हिंदी के बढ़ते चरण

1. **पत्राचार के लिए हिन्दी का प्रयोग :**

क. अक्तूबर से दिसम्बर तिमाही में हमारे निगम के दक्षिण क्षेत्र में 27% पत्राचार (6% केवल हिन्दी में, 21% द्विभाषी में) हुआ है। यह पत्राचार "ख" क्षेत्र में स्थित हमारे मुख्यालय से तथा "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से संबंधित है। हमारे यहां से "क" क्षेत्र को पत्र नहीं भेजे जाते हैं। यदा-कदा भेजे जाते हैं तो केवल हिन्दी में ही भेजे जाते हैं।

ख. यहां लोकेशन/विभागों में अधिकांश अंग्रेज़ी पत्रों पर भी हिन्दी में हस्ताक्षर किए जाते हैं।

ग. हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते हैं।

घ. पत्राचार के विषय में विशेषरूप से उल्लेखनीय कार्य निम्नलिखित तीन यूनिटों में हुआ है:

1. बेंगलूर इन्स्टलेशन .. 95% द्विभाषी पत्राचार
2. एरणाकुलम इन्स्टलेशन 46% द्विभाषी पत्राचार
3. न्यू ऑयल इन्स्टलेशन 86% द्विभाषी पत्राचार

2. **पत्राचार की कार्य योजना**

दक्षिण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी कार्यालयों/विभागों में कम से कम 10% पत्राचार द्विभाषी रूप में ही किया जाए।

सभी लोकेशन/विभागों द्वारा "ख" क्षेत्र में स्थित मुख्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्र केवल हिन्दी में ही भेजे जाएं।

यदा-कदा "क" क्षेत्र को जो भी पत्र भेजे जाते हैं वे सभी हिन्दी में ही भेजे जाएं।

निर्धारित प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों भाषाओं का प्रयोग। अक्तूबर से दिसम्बर तिमाही में हमने धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले 60% विभिन्न दस्तावेजों का द्विभाषीकरण किया। रोनियो मशीन को चेक प्वाइंट बना रखा है तथा सभी सामान्य आदेश द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं।

3. **भावी योजना**

धारा 3(3) के शतप्रतिशत अनुपालन के लिए और अधिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु निदेशक मंडल को प्रस्ताव भेजा गया है। मैनुअलों/प्रक्रिया साहित्य का कार्य अध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है तथा 25 मैनुअल/प्रक्रिया साहित्य द्विभाषी रूप में तैयार कर लिए गए हैं। **उपक्रम द्वारा तैयार कर लिए गए उत्पादों पर उनका नाम द्विभाषी रूप में लिखवाया/छपवाया जाता है।**

4. **सरकारी विज्ञापन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना :** दक्षिण क्षेत्र में जारी किए जाने वाले विज्ञापनों में निगम का नाम हिन्दी में भी उत्कीर्ण किया जाता है, चाहे विज्ञापन अंग्रेज़ी अथवा अन्य स्थानीय भाषाओं में क्यों न हो।

5. **देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद :** वर्तमान समय में हमारे यहां 14 प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी में उपलब्ध हैं।

6. **राजभाषा नीति के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए हिन्दी टाइपिस्टों का अनुपात निर्धारित करना :** इस संबंध में उल्लेखनीय है कि हमारे यहां मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय में हमने स्वयं अपना हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण केन्द्र गतवर्ष से प्रारंभ किया है तथा 10 कर्मचारी इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। हमारी विभिन्न लोकेशनों में भी कर्मचारी हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं/कर रहे हैं। प्राइवेट तौर पर हिंदी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने पर गत वर्ष से विशेष सुविधा प्रारंभ की है।

7. **भावी योजना :** प्रयास है कि 1993 तक सभी अंग्रेजी टाइपिस्टों को हिंदी टाइपिंग में निष्णात कर दिया जाए।

8. **हिन्दी स्टेनोग्राफी :** हमारी योजना है कि हिंदी आशुलिपि का अच्छा प्रशिक्षक मिलने पर शीघ्र ही एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाए।

प्रस्तुति : के० नीलकण्ठन

---

9. **हिन्दी प्रशिक्षण**

हमारे यहां निम्न केन्द्रों में हिंदी प्रशिक्षण का कार्य जारी है:—1. मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय, 2. तंडयारपेट इन्स्टलेशन, 3. बेंगलूर इंस्टलेशन, 4. एरणाकुलम इंस्टलेशन, 5. बेंगलूर डिविजन, 6. न्यू ऑयल इंस्टलेशन, 7. सिकन्दराबाद डिविजन।

10. हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन

दो हिंदी कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। हमारे यहां प्रत्येक वर्ष में चार हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना है।

11. हिन्दी दिवस/सप्ताह

कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हमारे सभी कार्यालयों में उत्साह और उमंग के साथ हिंदी दिवस/सप्ताह मनाया गया है। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं—निबंध, सुलेख, टंकण, वाद-विवाद, कविता पाठ, टिप्पण एवं आलेखन, क्षेत्रीय स्तर पर हिंदी सुगम संगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार वितरित किये गये।

12. राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित जांच बिन्दु

हमारे यहां निर्धारित जांच बिंदुओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

अन्त में विशिष्ट उपलब्धियों का निरूपण मैं निम्न रूप में प्रस्तुत करता हूं :

1. हिंदी शिक्षण/हिंदी टाइपिंग/हिंदी स्टेनोग्राफी के प्रशिक्षण के लिए हमने 1993 तक का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है जिसको कि अमल में लाया जा रहा है।
2. सभी लोकेशनों/विभागों द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत पत्र-व्यवहार हिंदी में अथवा द्विभाषी रूप में ही किया जाएगा।
3. हमने हिंदी के उत्तम कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित विभिन्न लोकेशनों में प्रतिस्पर्द्धा जागृत करने के लिए पांच राजभाषा रोलिंग शील्ड प्रदान करने का निर्णय लिया है। गत वर्ष यह संख्या 3 थीं।

   क. डिविजनों में प्रतिस्पर्द्धा के लिए (4 डिविजन)

   ख. इंस्टलेशनों में प्रतिस्पर्द्धा के लिए (कुल 5 इंस्टलेशन)

   ग. डिपोज में प्रतिस्पर्द्धा के लिए (कुल 12 डिपोज के लिए)

   घ. एविएशन सर्विस स्टेशन/बॉटिलिंग प्लांट/डिस्पैच यूनिट में प्रतिस्पर्द्धा के लिए (4/3/3 क्रमशः)

   च. मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय में स्थित विभागों में प्रतिस्पर्द्धा के लिए (कुल 7 विभाग)

निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ही ये शील्ड तथा पुरस्कार दिए जाते हैं।

13. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को रोलिंग शील्ड प्रदान करना

दक्षिणी क्षेत्र में विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक में छोटे निगम के वरि० अधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी के उत्तम कार्यान्वयन हेतु हमने अभी तक निम्नलिखित तीन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को राजभाषा रोलिंग शील्ड प्रदान की है :—

1. हैदराबाद-सिकंदराबाद (नगर द्वय) राजभाषा कार्यान्वयन समिति
2. मंगलूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
3. मद्रास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

उपरोक्त के अलावा हम कोचिंग/बेंगलूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी के उत्तम कार्यान्वयन हेतु शीघ्र ही राजभाषा रोलिंग शील्ड भेंट करेंगे। इन शील्डों की स्थापना से हिंदी का काम तेजी से आगे बढ़ेगा एवं प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ेगी।

14. राजभाषा निरीक्षण

चीफ डिविजनल मैनेजर, वरि. डिविजनल मैनेजर/वरि० हिंदी अधिकारी द्वारा जनवरी, 1989 से दिसंबर, 1989 तक कुल 11 राजभाषा निरीक्षण किए गए। प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा पाई गई कमियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई/की जा रही है।

□

हिंदी दिवस समारोह

राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय,
तमिलनाडु–पाण्डिचेरी–अण्डमान

तमिलनाडु, पांडिचेरी व अंडमान के मद्रास स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय में वर्ष 1989-90 के "हिंदी दिवस" समारोह के अंतर्गत निबंध व पत्र लेखन, श्रुतलेख तथा हिंदी वक्तृत्व प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। लिखित प्रतियोगिताएं 26 मार्च 90 को वक्तृत्व प्रतियोगिता मुख्य समारोह के अन्तर्गत 30 मार्च, 90 को आयोजित की गई। मुख्य समारोह में केन्द्रीय हिंदी निदेशालय (दक्षिण) मद्रास के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. किशोर वासवानी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। रा. के. को. निदेशालय के उप महानिदेशक कमोडोर पीयूष झा, नौसेना ने अध्यक्षता की।

कमांडोर पीयूष झा, नौसेना द्वारा स्वागत भाषण के उपरांत मुख्य अतिथि ने सरस्वती वन्दनार्थ प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। उपनिदेशक (प्रशिक्षण) ले. कर्नल एच एस सौन्दर राजन ने राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में निदेशालय के क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। वक्तृत्व प्रतियोगिता की समाप्ति पर अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि ने निदेशालय के अधिकारियों व कार्मिकों के प्रयासों तथा उत्साह की प्रशंसा करते हुए इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति के लिये शुभकामनाएं अर्पित कीं। पुरस्कार वितरण तथा निदेशक कर्नल आर एस सुब्रमणियन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह संपन्न हुआ।

माल डिब्बा कारखाना-गुंटुपल्ली

मालडिब्बा कारखाना, दक्षिण मध्य रेलवे, गुंटुपल्ली में दिनांक 10-4-1990 को राजभाषा सप्ताह समारोह बड़े धूम-धाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्री एस. ए. मल्लिक, मुख्य कारखाना इंजीनियर, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद मुख्य अतिथि के रूप में और श्री सुदर्शन खन्ना, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, प्रधान कार्यालय सिकंदराबाद अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता श्री के. प्रभाकर राव, उप-मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ने की।

इस बार समारोह का एक विशेष आकर्षण "हिंदी क्विज" प्रतियोगिता था। "क्विज का विषय था—"संविधान में हिंदी"। इसमें विभिन्न विभागों को मिलाकर छः यूनिट बनाए गए थे। विद्युत् शाखा को इस प्रतियोगिता में विजयी घोषित किया गया।

मुख्य समारोह रेल कला निकेतन में शुरू हुआ। प्रार्थना के उपरांत श्री के. एन. कबाड़े, कारखाना राजभाषा अधिकारी और जिला विद्युत् इंजीनियर ने मुख्य अतिथि, आमंत्रितों और सभा में उपस्थित जन-समुदाय का स्वागत किया तथा वर्ष 1989-90 के दौरान हुई प्रगति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद मुख्य अतिथि श्री कबाडेने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज पहली बार आपके कारखाने में आया हूं और आज सुबह से जो देखने और सुनने को मिला, इससे लगा कि यहां राजभाषा हिंदी की प्रगति अच्छी है।

अपने अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दक्षिण में कार्यालयों में हिंदी में कार्य हो रहा है और हिंदी के प्रति जो सकारात्मक भावना है, वह उत्तर भारत में नहीं है।

अपने परिवार में हिन्दी में बोलें, इससे हिंदी का स्वतः प्रचार-प्रसार होगा। —श्री के. ए. कबाडे

श्री सुदर्शन खन्ना, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी ने कहा कि आप हिंदी में व्याकरण की गलती के कारण काम करने से कतराते हैं। भाव ठीक रहना चाहिए, सही अभिव्यक्ति हो, तो व्याकरण की गलती अपने आप छिप जाती है, गाड़ी खुल गयी है या खुल गया इसका एक ही अर्थ है। उन्होंने रायनपाडु कारखाने में हिंदी की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और सबों से अनुरोध है कि इसे बनाए रखें। रायनपाडु कारखाने से प्रकाशित हिंदी पत्रिका "कृष्णवेणी" का उल्लेख करते हुए कहा कि अहिंदी भाषी क्षेत्र में यह कष्टकर कार्य है, लेकिन आपके यहां से इसका नियमित प्रकाशन हो रहा है जो आप सबों की प्रतिभा का परिचायक है।

श्री के. प्रभाकर राव, उप-मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ने कहा कि हमने कठिन परिस्थितियों में भी हिंदी कार्य को पूरी तत्परता से आगे बढ़ाया है। हमने कारखाने के लिए नियत आउट टर्न के लक्ष्य को पार कर लिया है और इसके साथ-साथ हिंदी कार्यान्वयन और प्रगामी प्रगति में इस रेलवे में किसी से पीछे नहीं है। कारखाने में कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए "मैन ऑफ द मन्थ" की तरह "राजभाषा कर्मवीर" मासिक नकद पुरस्कार योजना शुरू की गयी है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दिसम्बर 1988 में जहां हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 36 थी, दिसम्बर 1989 में 88 हो गयी है। उन्होंने अधिकारियों से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वे हिंदी में काम करने में आगे आएं और अपने अधीनस्थों का मार्गदर्शन करें।

मुरगांव पत्तन न्यास

मुरगांव पत्तन में हिंदी दिवस मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. ए. के. पांडे, हिंदी विभागप्रमुख, गोवा विश्वविद्यालय, गोवा थे। मुरगांव पत्तन न्यास के अध्यक्ष रियर एडमियरल आर आर. सूद, वीरचक्र नौसेना मेडल (सेवा निवृत्त) ने इस समारोह की अध्यक्षता की। डॉ. पांडे ने कहा कि आम आदमी भाषा बनाता है। मुगलों के जमाने में जो भाषा बाजारों में बोली जाती थी, बाद में यह विकसित होकर उर्दू भाषा बन गई जबकि उत्तर भारत की कई बोलियों ने विकसित हो कर हिंदी का रूप ले लिया। उन्होंने पत्तन के कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे सरकारी पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करें और व्याकरण बाद में अपने-अपने सीख सकते हैं।

सराहना और बधाई—अनेक करार (एग्रीमेंट्स) हिन्दी में भी
—सम्पादक

श्री ए. बी. गाडगिल, उप सचिव, मुरगांव पत्तन न्यास ने आरंभ में मुख्य अतिथि का परिचय कराया। उनका कहना था कि जब हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण देना, हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण देना, हिंदी परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना जैसे कई प्रकार के प्रोत्साहन सरकार अपने कर्मचारियों को दे रही है। उन्होंने चाहा कि जहां हिंदी को यथाशीघ्र प्रयोग में लाया जाए।

3. श्री जे.एल. गोयस, वस्तु प्रबंध विभाग, को इस अवसर पर सम्मानित किया गया, क्योंकि वे एक ऐसे अकेले कर्मचारी हैं जो पहली बार हिन्दी का प्रयोग पत्राचार में कर रहे हैं। प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों से उन्होंने अनुरोध किया कि वे अपने दैनिक काम में हिन्दी का प्रयोग करें।

4. हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं में विजयी निम्नलिखित कर्मचारियों को पुरस्कार दिए गए:

1. हिन्दी में टिप्पण और मसौदा लेखन :
   1. प्रथम पुरस्कार—श्री जे. एल. गोयस
   2. द्वितीय पुरस्कार—कुमारी नवल नाईक
2. हिन्दी में निबंध लेखन
   1. प्रथम पुरस्कार—श्री रामदास केलकर
   2. द्वितीय पुरस्कार—श्रीमती आशा सिंगबाल

श्री एस.ई. राव, हिन्दी अधिकारी, मुरगांव पत्तन न्यास, ने पत्तन में हिन्दी के कार्यान्वयन के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने कहा कि गोवा में मुरगांव पत्तन न्यास ही एकमात्र पहला कार्यालय है जिसने पर्सनल कंप्यूटर पर काम करने के लिए द्विभाषिक पैकज को प्राप्त किया है और इसे काम में लाया जा रहा है। श्री राव ने कहा कि अयस्क के भण्डारण के लिए भूखण्डों के आबंटन के बारे में निर्यातकों के साथ करार हिन्दी तथा अंग्रेजी में किए जा रहे हैं। इसी प्रकार पत्तन में कामकाज के लिए स्टीवीडोरिंग लाइसेंस हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में जारी किया जा रहा है तथा गृह निर्माण अग्रिम के बारे में कर्मचारियों के साथ किए जाने वाले करार हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किए जा रहे हैं।

धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए उन्होंने हिंदी आशुलिपिक श्रीमती नंदा देसाई और हिंदी अनुवादक कुमारी सबिता नायर को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। श्री अ. शेख, सर्व कार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना, दक्षिण गोवा इस समारोह के विशिष्ट अतिथि थे। श्री जे. जे. पीटर्स, उप प्रबंधक एमएमटीसी कार्यालय, वास्को और एम. एल. गुप्ता, हिंदी, प्राध्यापक भी इस समारोह में उपस्थित थे।

स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर

प्रधान कार्यालय : त्रिवेन्द्रम

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रमानुसार इस वर्ष भी, हमारे बैंक के प्रधान कार्यालय, आंचलिक कार्यालयों तथा दिल्ली और बंबई स्थित शाखाओं द्वारा "हिन्दी दिवस" मनाया गया।

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की ओर से, प्रत्येक वर्ष, "हिन्दी दिवस" के उपलक्ष्य में विविध समारोहों का भव्य आयोजन किया जाता है।

प्रधान कार्यालय, तिरुअनंतपुरम् आंचलिक कार्यालय और तिरुअनंतपुरम् नगर में स्थित शाखाओं के संयुक्त तत्वाधान में हमारे स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र के सभा-भवन में "हिन्दी दिवस" के उपलक्ष्य में 08 नवंबर 1889 को भव्य समारोह

का आयोजन किया गया। केरल हिन्दी प्रचार सभा के मंत्री श्री एम० के० वलायुधन् नायर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अध्यक्षता बैंक के महाप्रबन्धक (योजना एवं विकास)—श्री आर० आई० राघवन् ने की।

कार्यक्रम का शुभारंभ "एस बी टी कोरस" द्वारा गाए गए एक प्रार्थना-गीत से हुआ। तत्पश्चात्, हमारे राजभाषा विभाग के प्रबन्धक—श्री के० चन्द्रन ने समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि, अध्यक्ष तथा अन्य सभी व्यक्तियों के स्वागत में हार्दिक उद्गार अभिव्यक्त किए। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री राघवन ने राजभाषा के प्रचार-प्रसार में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की बहुआयामी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि बैंकिंग क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में इस बैंक के राजभाषा विभाग द्वारा गत वर्षों से किए जा रहे प्रयास अनेक बार भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा से संबद्ध संसदीय समिति आदि द्वारा सराहे गए हैं। तदनंतर, मुख्य अतिथि के कर-कमलों द्वारा "हिन्दी दिवस" के अवसर पर बैंक द्वारा आयोजित की गई विविध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार तथा हिन्दी शिक्षण डिप्लोमा परीक्षा, 1989 के रैंक होल्डर्स छात्रों को पी० जी० कामत अक्षय निधि नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। हिन्दी अधिकारी—श्री राजकुमार ने इस समारोह में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का उनकी उपस्थिति के लिए आभार प्रकट किया। "एस बी टी कोरस" द्वारा कुछ सुंदर हिन्दी गीत प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने श्रोताओं को कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रकार, राष्ट्र-गीत के समवेत स्वरों से यह भव्य समारोह संपन्न हुआ।

केन्द्रीय सरकार के संस्थानों, बैंकों और केरल हिन्दी प्रचार सभा के संयुक्त तत्वावधान में 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक राज्य-स्तर पर "हिन्दी सप्ताह समारोह 1989" का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत 18 सितंबर को वी जी टी हॉल, त्रिवेन्द्रम में आयोजित "सांस्कृतिक संध्या" हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित की गई थी। "हिन्दी सप्ताह समारोह, 1989" के सिलसिले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में हम ने सक्रिय रूप से भाग लेकर अधिकतम अंक प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान के सम्मानस्वरूप ट्रॉफी प्राप्त की।

बैंकों से संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा भी "हिन्दी दिवस" के उपलक्ष्य में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिन में बैंक के अनेक कर्मचारियों/अधिकारियों ने अत्यंत सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अधिकाधिक पुरस्कार प्राप्त किए। नगर में स्थित बैंकों के आंचलिक, मण्डलीय/क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में 1989 से स्थापित की गई ट्रॉफी, 27 अक्तूबर, 1989 को आयोजित किए गए हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर वर्ष 1988 के लिए, हमारे आंचलिक कार्यालय, त्रिवेन्द्रम को प्रदान की गई।

कोट्टयम आंचलिक कार्यालय

कोट्टयम आंचलिक कार्यालय द्वारा 14 सितंबर को "हिन्दी दिवस" मनाया गया। इस अवसर पर यहां आयोजित किए गए समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कोट्टयम के जाने-माने पत्रकार—श्री माडवना बालकृष्ण पिल्लै आमंत्रित थे। आंचलिक प्रबन्धक—श्री सूरी गोपालकृष्ण ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार भी संवितरित किए गए। पौस्त्य भाषाओं का एक प्रसिद्ध पंडित श्री वी० पी० नीलकण्ठन नायर ने भी भाषण सुनाया।

एरणाकुलम आंचलिक कार्यालय

एरणाकुलम आंचलिक कार्यालय द्वारा 20 सितंबर 1989 को "हिन्दी दिवस समारोह" आयोजित किया गया। इस सिलसिले में विभिन्न प्रतियोगिताओं का संचालन किया गया। हिन्दी विभाग, कोचिन विश्वविद्यालय के रीडर—डॉ ए. अरविन्दाक्षन इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। समारोह का उद्घाटन करते हुए हमारे विदेश विनिमय विभाग के मुख्य प्रबन्धक श्री ए० सेतुमाधवन ने राजभाषा के अध्ययन की आवश्यकता, प्रासंगिकता एवम् महत्व पर बल दिया। आंचलिक प्रबन्धक श्री जी० मोहन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु सभी स्तरों पर सक्रिय होने की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए। डॉ. ए. अरविन्दाक्षन ने अपने भाषण में सभी भाषाओं को समान आदर देने के साथ-साथ हिन्दी द्वारा सूत्रबद्ध होकर देश के एक एवम् अखण्डता को बनाए रखने की अपील की। तदनंतर, उनके कर-कमलों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी रहने वालों को पारितोष प्रदान किए गए। समारोह में स्टाफ सदस्यों ने हिन्दी गीत गाये। अंत में, हिन्दी अधिकारी श्रीमती सेलिन वर्गीस ने सबका धन्यवाद अदा किया।

कालिकट आंचलिक कार्यालय

कालिकट आंचलिक कार्यालय ने 14 सितंबर, 1989 को "हिन्दी दिवस" मनाया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में गुरूवायूरप्पन महाविद्यालय के हिन्दी प्राध्यापक—डॉ. के० पी० सत्यनाथन् नायर विशेष रूप से निमंत्रित थे और अध्यक्ष के रूप में आंचलिक प्रबन्धक—श्री डी नरसिहन् उपस्थित हुए। "हिन्दी दिवस" के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिनके विजेताओं को इस अवसर पर पुरस्कार बांटे गए। हिन्दी अधिकारी—डॉ. कुलदीप सिह चौहान ने उपस्थित सज्जनों का धन्यवाद किया।

नई दिल्ली शाखाएं

बैंक की दिल्ली स्थित शाखाओं द्वारा 4 सितंबर से 10 सितंबर तक "हिन्दी सप्ताह" का आयोजन किया गया। बैंक की स्थानीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में

14 सितंबर 1989 को करौलबाग शाखा परिसर में "हिन्दी दिवस" के संबंध में एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाप्रबन्धक (परिचालन)--श्री एस० श्रीनिवासन् समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। तदुपरांत, श्री के० राजू के धन्यवाद-ज्ञापन के साथ यह समारोह संपन्न हुआ।

बम्बई शाखाएं

हमारे बैंक की बंबई स्थित शाखाओं द्वारा 23 सितंबर 1969 को "हिन्दी दिवस" मनाया गया। उस दिन, बंबई मुख्य शाखा में आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती सुधा श्रीवास्तव, उप निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार विशेष अतिथि थी। उन्होंने हिन्दी दिवस समारोह के सिलसिले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए।

इंडियन बैंक एर्णाकुलम

दिनांक 17–18 अप्रैल, 1990 को अधिकारियों के लिए और 19–20 अप्रैल, 1990 को कर्मचारियों के लिए अंचल प्रशिक्षण केन्द्र, एर्णाकुलम में दो अलग हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इनमें आठ अधिकारी तथा छः कर्मचारी क्रमशः कार्यशालाओं में उपस्थित हुए।

श्री चेरियन वर्गीस, अंचल प्रबन्धक, अंचल कार्यालय एर्णाकुलम ने अधिकारियों की हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन किया और प्रतिभागियों को सलाह दी कि वे हिन्दी भाषा सीखें ताकि सरकारी मार्गदर्शी सूत्रों का अनुपालन आसान हो सकें।

श्री कुंणु क्षेत्रीय प्रबन्धक, एर्णाकुलम ने द्वितीय हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन किया और शाखा स्तर पर हिन्दी का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से करने की सलाह दी है। हिन्दी की बढ़ती महत्ता के बारे में भी सूचना दी है। स्पाइसेस बोर्ड, कार्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के राजभाषा अधिकारी संकाय ने सहायता प्रदान की।

श्री पी. भास्करन नायर, मुख्य अधिकारी ने समापन समारोह के दौरान प्रतिभागियों से हिन्दी कार्यशाला के बारे में प्रतिक्रिया की पूछताछ की। इस कार्यशाला में राजभाषा नीति/नियमों अधिनियम, बैंकिंग शब्दावली, हिन्दी में टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, पत्राचार, राजभाषा शील्ड, हिन्दी की परीक्षाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इन दो कार्यशालाओं का संचालन श्री टी.एस.वी. प्रसाद, राजभाषा अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर ने किया।

आंध्र बैंक, बेंगलूर

आन्ध्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर द्वारा राजभाषा सम्बन्धी आदेशों के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक शाखा में संपर्क अधिकारी/लिपिकों (हिन्दी) को वर्ष 1987 में नामित किया गया था। शाखा स्तर पर इन्हें नामित करने के बाद बेंगलूर क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन में काफी उपलब्धियां हुई हैं। शाखा स्तर पर हिन्दी के प्रयोग को सफल बनाने हेतु पहली बार यह एक दिवसीय सम्मेलन क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर में बुलाया गया।

श्री के. एस. शेट्टी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, आन्ध्र बैंक ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इससे पहले श्री शेख जाफर साहेब, राजभाषा अधिकारी ने सम्मेलन के कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया।

श्री शेट्टी ने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के आदेशों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी के कार्यान्वयन में काफी प्रगति हुई है। शाखाओं की समीक्षा से पता चलता है कि वर्ष 1987 से बेंगलूर क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन में लगातार वृद्धि होती जा रही है।

श्री डी. राम मोहन राव बेंगलूर क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर प्रसन्न हुए।

शाखाओं की समीक्षा के बाद निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ और प्रतिभागियों ने अपने अमूल्य सुझाव दिए।

1. शाखा स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन- समस्याएं और समाधान।
2. विवरणियां और वाउचरों की सूची, जिनमें हिन्दी का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है।
3. शाखा स्तर पर हिन्दी के सफल प्रयोग के लिए किस तरह की प्रोत्साहन योजनाएं होनी चाहिए।

श्री के. एस. शेट्टी क्षेत्रीय प्रबन्धक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ उपरोक्त सम्मेलन समाप्त हुआ।

बेंगलूर क्षेत्र का हिन्दी पत्राचार

(दिनांक 1-4-89 से 31-12-1989 तक)

	कुल पत्र	हिन्दी पत्र	प्रतिशत
1. बेलगांव	699	342	48.92 प्रतिशत
2. बल्लारी	950	463	48.73 ,,

चित्र समाचार-II

हिंदी अधिकारियों के लिए कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए इंडियन बैंक के उप महाप्रबंधक श्री चेरियन वर्गीस पृ० 80

प्रतिभागियों के मध्य विरजमान मुख्य अतिथि श्रीमती सी. ई. जीनी का स्वागत करते हुए अधीक्षण अभियंता (पृ. 91)

नई दिल्ली : कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए महानिदेशक वाइस एडमिरल ही. जानसन तथा अन्य अधिकारीगण। मंच पर एकदम बाएं हैं—श्री मणिराम, निदेशक (राजभाषा) (पृ. 95)

बलसाड़ : संबोधित करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक श्री के. वी. शानबाग तथा अन्य (पृ. 94)

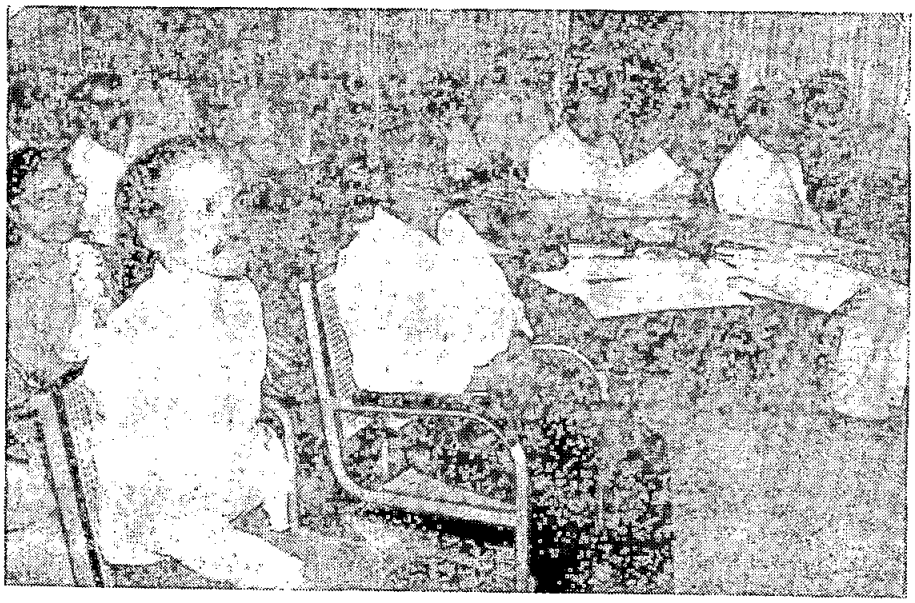

आंध्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर में राजभाषा कार्यान्वयन के सूत्रधार श्री शेख जाफर साहब (बाएं से दूसरे) अन्य प्रतिभागियों के साथ (पृ. 80)

उद्घाटन भाषण देते हुए उप महाप्रबंधक श्री पी. के. आल्वा। उनके दाएं हैं श्री नर. जे. पाडगांवकर तथा बाएं श्री नरसिंह प्रसाद यादव (पृ. 92)

कार्यक्रम एक झलक (पृ. 78)

नेवासा : उद्घाटन करती हुई हिंदी शिक्षण योजना की उप-निदेशक श्रीमती पंडया तथा अन्य (पृ. 93)

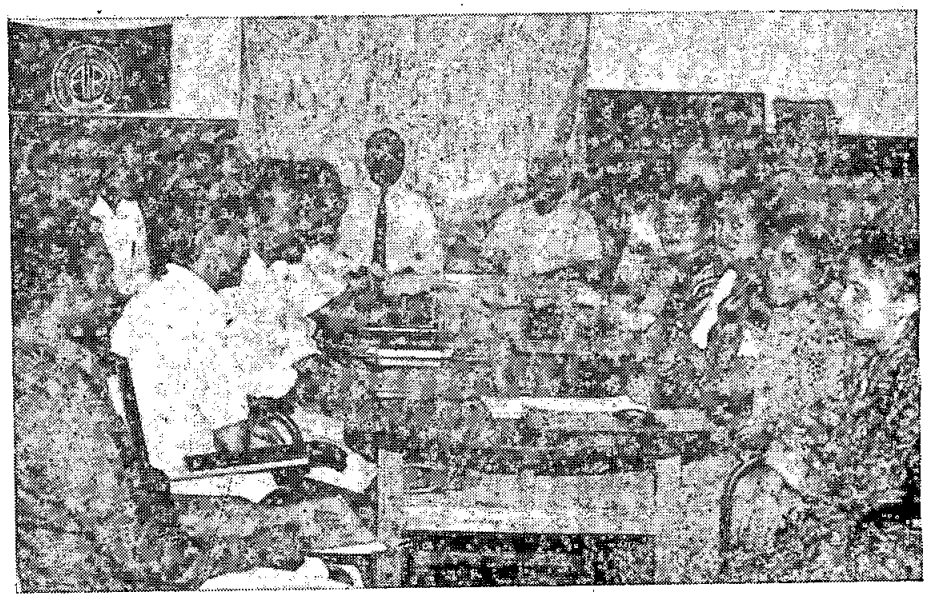

धारवाड : आकाशवाणी केंद्र में कार्यशाला समापन समारोह में प्रतिभागियों के मध्य में अधीक्षण अभियंता श्री के. तांडवसायी तथा केन्द्र निदेशक श्री सी. राजगोपाल (पृ. 94)

अजमेर : कारखाना यूनिट की पत्रिका 'वाणी विलास' के 'कार्यालय विशेषांक' का विमोचन करते हुए महाप्रबंधक श्री के. सुब्रह्मण्यन (मध्य में) तथा अन्य (पृ. 99)

रांची : हिंदी दिवस समारोह का एक दृश्य (पृ. 95)

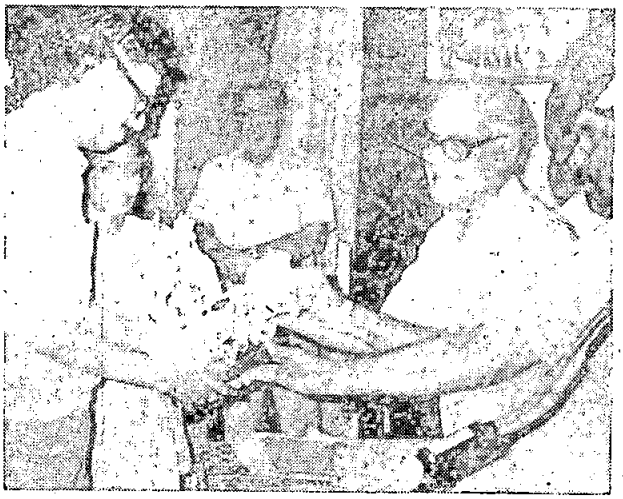

निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में हिंदी दिवस पर पुरस्कार वितरण समारोह की एक झलक पृ. (90)

मुख्य अतिथि—'हिंदी मिलाप' के संपादक श्री युद्धवीर (मध्य में) का स्वागत करते हुए श्री श्रीराम वर्मा तथा अन्य (पृ. 95)

	कुल पत्र	हिन्दी पत्र	प्रतिशत
3 केन्टोनमेंट	1570	83	5.28 प्रतिशत
4 चामराजपेट	474	230	48.52 ,,
5. कूकटाउन	1070	175	16.35 ,,
6 दावणगेरे	336	51	15.17 ,,
7. गांधी नगर	3192	2651	83.05 ,,
8. गंगावती	668	346	51.79 ,,
9. गुलबर्गा	599	203	33.88 ,,
10. होसपेट	666	280	42.04 ,,
11. हुबली	2252	132	61.36 ,,
12. इन्दिरा नगर	500	124	24.80 ,,
13. जयनगर	648	107	16.51 ,,
14. मंगलूर	794	450	56.67 ,,
15. मैसूर	511	132	25.83 ,,
16. एन आर. रोड	695	82	11.79 ,,
17. रायचूर	991	457	46.11 ,,
18. राजाजी नगर	608	374	61.51 ,,
19. शिमोगा	597	88	14.74 ,,
20. केलिकट	1558	1002	64.31 ,,
21. एरणाकुलम	1046	138	13.19 ,,
22. मुटटाकाड	676	131	19.37 ,,
23. पालघाट	3475	3189	91.76 ,,
24. कोइलान	3961	1361	34.36 ,
25. त्रिवेंद्रम	668	128	19.16 ,,
26. क्षेत्रीय कार्यालय	9946	4736	47.61 ,,
जोड़	39150	18705	47.77 ,,

क्षेत्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों का हिन्दी पत्राचार

दिनांक 01-04-89 से 31-12-89

क्रम संख्या	विभाग का नाम	कुल पत्र	हिन्दी पत्र	प्रतिशत
1.	राजभाषा कक्ष	789	789	100%
2.	बैंकिंग परिचालन विभाग	1076	607	56.41%
3.	टी पी पी एण्ड एस एस ए	1407	592	42.07%
4.	ग्राम यो व वि वि	1085	755	69.58%
5.	वैसे व व्या विवि	1765	1301	73.71%

क्रम सं०	विभाग का नाम	कुल पत्र	हिन्दी पत्र	प्रतिशत
6.	लघु उद्योग	1331	247	18.55%
7.	स्टाफ	1810	52	2.87%
8	निरीक्षण	158	111	70.25%
9.	क्रेडिट कार्ड	370	195	52.70%
10	जन संपर्क विभाग	155	87	56.12%
	जोड़	9946	4736	47.61%

परिचालन क्षेत्र में हिन्दी में किया गया कार्य

(दिनांक 1-4-89 से 31-12-1989 तक)

	प्रतिशत
1. पासबुक भरना	18.69%
2. लेजर व बहियों में प्रविष्टियां	16.82%
3. वाउचर तैयार करना	13.04%
4. ड्राफ्ट	5.11%
5. चैक/बैंक द्वारा जारी भुगतान पर्ची भुगतान आदेश	7.25%
6. जमा रसीदें	9.86%
7. विवरणियां	27.06%

आंध्र बैंक निजामाबाद

क्षेत्रीय कार्यालय ने दिनांक 14-09-89 से दिनांक 28-09-89 तक राजभाषा पखवाड़े के रूप में मनाया।

दिनांक 08-09-89 को क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री जी. चलमय्या की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय के सभी कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक की कार्यसूची में केवल दो ही विषय थे--(1) कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना पर विचार (2) राजभाषा पखवाड़े व अंतिम दिन "पूरे देश के लिए एक भाषा की आवश्यकता" विषयक संगोष्ठी व सांस्कृतिक कार्यक्रम का जोरदार आयोजन। बैठक में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री जी. चलमय्या ने सभी कर्मचारियों को राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्राप्त वार्षिक कार्य योजना 1989-90 का परिचय दिया तथा सभी कर्मचारियों से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरा-पूरा सहयोग देने की अपील की। उसके बाद दिनांक 14-09-89, हिन्दी दिवस से आयोजित किए जाने वाले पखवाड़े की चर्चा की। उसके बाद राजभाषा अधिकारी श्री केशर सिह ने राजभाषा पखवाड़े व अंतिम दिवस के कार्यक्रम की पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डाला। सर्व सम्मति से एक आयोजन समिति गठित की गई और पूरे पखवाड़े भर के कार्यक्रमों पर गहराई से विचार विमर्श किया गया। पखवाड़े का कार्यक्रम इस प्रकार रहा :—

केंद्रीय कार्यालय निजामाबाद

दिनांक 14-9-1989 को क्षेत्रीय कार्यालय में सभी कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता आंचलिक प्रबन्धक, श्री एम. ताण्डव कृष्ण राव, सहायक महाप्रबन्धक ने की। सर्वप्रथम राजभाषा अधिकारी की श्री केशर सिह ने राजभाषा पखवाड़ा आयोजित करने का उद्देश्य स्पष्ट किया उसके बाद पखवाड़े भर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी दी। क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री जी. चलमय्या भारत सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पखवाड़े भर सभी कर्मचारी निम्नलिखित कार्य केवल हिन्दी में ही सम्पन्न करेंगे :—

(1) उपस्थिति पंजिका में हिन्दी में हस्ताक्षर;
(2) यात्रा भत्ता बिल व छुट्टी आवेदन पत्र हिन्दी में;

(3) टिप्पण व आलेखन में हिन्दी का प्रयोग; व

(4) पासबुक/लिजरों में ग्राहकों के नाम आदि।

उसके बाद अध्यक्षीय भाषण देते हुए श्री ताण्डव कृष्ण राव, सहायक महाप्रबन्धक ने कहा कि आज ही के दिन 40 साल पहले संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी, इसीलिए 14 सितम्बर को "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने पखवाड़े में रखी गई विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कर्मचारियों का आह्वान किया। इस अवसर पर आंचलिक प्रबन्धक ने निजामाबाद क्षेत्रीय कार्यालय में किए जा रहे हिन्दी कार्यान्वयन पर काफी संतोष व्यक्त किया और कहा कि वरंगल अंचल में प्रभावी हिन्दी अनुपालन का श्रेय अधिकतर निजामाबाद क्षेत्र को ही जाता है।

इस अवसर पर क्षेत्र की त्रैमासिक गृह पत्रिका "उपलब्धि" के चौथे अंक का विमोचन भी श्री ताण्डव कृष्ण राव जी ने किया।

राजभाषा—वाक् प्रतियोगिता

दिनांक 20-09-89 को राजभाषा वाक् प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका विषय था "पूरे राष्ट्र के लिए एक भाषा की आवश्यकता"। इस कार्यक्रम में अनेक कर्मचारियों ने भाग लिया।

श्री पी. किशन, लिपिक, निजामाबाद, कु. जी. शेषकुमारी, लिपिक क्षेत्र. का. तथा श्री पी.वी. रवि कुमार लिपिक, निजामाबाद क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे।

राजभाषा—प्रतिदिन एक हिन्दी शब्द सीखिए योजनान्तर्गत स्मृति परीक्षा

यह प्रतियोगिता भी दिनांक 20-09-89 को ही की गई और इसमें 11 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन कर्मचारियों में से कु. ई. पार्वती, कु. के. कृष्णकुमारी व श्री के.वी. सांबशिव राव तीनों को समान अंक मिले और तीनों प्रथम रहे। श्री एस.एस.जे. सोमयाजुलु, अधिकारी को सान्त्वना पुरस्कार दिया गया।

राजभाषा निबंध प्रतियोगिता

राजभाषा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 21-09-89 को किया गया जिसका विषय था "बैंक राष्ट्रीयकरण के दो दशक—एक समीक्षा"। प्रतियोगिता में श्री पी. किशन, कु. जी. शेष कुमारी व एस. एस. जे. सोमयाजुलु क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे।

राजभाषा क्विज़

राजभाषा क्विज दिनांक 22-09-89 को आयोजित किया गया। इसमें 9 कर्मचारियों ने भाग लिया। इन कर्मचारियों को 'क', 'ख' व 'ग' तीन समूहों में बांटा गया। समूह "क" जिसमें निम्न तीन प्रतिभागी थे, प्रथम आया।

1. श्री एस.एस.जे. सोमयाजुलु,
2. कु. के. कृष्ण कुमारी,
3. श्रीमती आर. विजय लक्ष्मी।

हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह

दिनांक 28-09-89 को आयोजित समारोह में क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जो. चलमय्या, हिन्दी विद्वान श्री शोभनाथ सिंह व श्री बाल कृष्ण पंडित प्रमुख वक्ता थे। राजभाषा अधिकारी श्री वी. मुरली ने केन्द्रीय कार्यालय का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम का संचालन बड़ा बाजार प्रबंधक श्रीमती सुचेता नारायण व राजभाषा अधिकारी श्री केशर सिंह ने किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिये निजामाबाद की "स्वर तरंगिणि" आर्केस्ट्रा पार्टी को आमंत्रित किया गया था।

आन्ध्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय निजामाबाद की ओर से मुख्य अतिथि, समाध्यक्ष, प्रमुख वक्ताओं आदि का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जी. चलमय्या ने कहा कि बैंक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने के लिये हिन्दी कार्यशालाओं के माध्यम से गहन प्रशिक्षण दे रहा है। प्राथमिक कार्यशालाएं पूरी कर ली गई हैं और अब उन्नत कार्यशालाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने क्षेत्र द्वारा सम्पन्न किये जा रहे अनेक कार्यों की जानकारी दी और कहा कि हमारे क्षेत्र का अधिकतर आंतरिक कार्य हिन्दी में सम्पन्न किया जा रहा है। हम केन्द्रीय कार्यालय द्वारा रखे गये सभी लक्ष्यों को सफलता पूर्वक प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने जन समुदाय से अनुरोध किया कि आज आवश्यकता है कि हम पूरे राष्ट्र के लिये एक समान भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाएं।

इसके बाद क्षेत्र के राजभाषा अधिकारी श्री केशर सिंह ने संगोष्ठी की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दिनांक 14-09-89 से दिनांक 28-09-89 तक आयोजित राजभाषा पखवाड़े में राजभाषा वाक् प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, स्मृति परीक्षा, राजभाषा क्विज़ आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं और पखवाड़े के दौरान कार्य हिन्दी में करने का प्रयत्न किया गया है। श्री केशर सिंह ने बैंक द्वारा हिन्दी में कार्यों का ब्यौरा दिया और मंच से निजामाबाद नगर के व्यापारियों, हिन्दी प्रेमियों, शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों, बीमा कम्परियों के अधिकारियों व अन्य सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि आन्ध्र बैंक ने निजामाबाद में हिन्दी अनुपालन में पहल की

है, सभी हिन्दी के प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिये आगे आएं। तद्उपरान्त प्रमुख वक्ता श्री शोभनाथ सिंह ने अपना सारगर्भित भाषण दिया और सिद्ध किया कि भारत जैसे राष्ट्र के लिए एक भाषा की परम आवश्यकता है और वह भाषा और कोई नहीं बल्कि हिन्दी ही है ।

केन्द्रीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री बी. मुरली ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि बैंकों के लिये हिन्दी में कार्य करना बहुत आसान है । यहां पर मुख्यतः अंकों का प्रयोग होता है जो हिन्दी-अंग्रेजी दोनों में समान हैं । उन्होंने देवनागरी लिपि को अति वैज्ञानिक व हिन्दी भाषा को अति सरल बताते हुए कहा कि यदि हम रुचि लें तो बिना अधिक परिश्रम किए कार्यालयीन भाषा सीख सकते हैं ।

अंत में, समापन करते हुए सभाध्यक्ष श्री श्यामसुन्दर जाजू ने कहा कि आन्ध्रा बैंक ने हिन्दी प्रयोग बढ़ाकर एक अति सराहनीय कार्य किया है और दूसरे बैंकों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है ।

इसके बाद मुख्य अतिथि श्री मीना जी ने सफलतम प्रतिभागियों को बैंक की ओर से पुरस्कारों से सम्मानित किया और उनका तालियों की गड़गड़ाहट से जनसमूह ने उत्साह वर्द्धन किया । क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जी. चलमय्या जी ने पखवाड़े में विभिन्न प्रतियोगिताओं में निर्णायकों की भूमिका निभाने वाले हिन्दी प्रवक्ताओं का बैंक की ओर से सम्मान किया ।

हिंदुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन, लि. विशाख

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार मई 1, 1988 से प्रत्येक महीने का प्रथम कार्य दिवस "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया जा रहा है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड—विशाखा टर्मिनल में मार्च 1, 1990 को "हिन्दी दिवस समारोह" का आयोजन हुआ।

1. राष्ट्रीय एकता
2. मादक औषध सेवन
3. नारी के लिए नौकरी वरदान या शाप

हिन्दी दिवस समारोह में डा. एस. बशीर हिन्दी अधिकारी ने श्री एन. के. पुरी, मुख्य संस्थापक-प्रबंधक, हिन्दी सम्पर्क अधिकारी – श्री के. एस. सूदन, उप-प्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि, 'राजभाषा के प्रयोग-प्रसार की दिशा में प्रतियोगिताओं का आयोजन, एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो अहिन्दी भाषी कर्मियों में हिन्दी के प्रति अभिरूचि और उत्साह वर्धन की प्रेरणा स्त्रोत बनकर, अपनी सार्थकता सिद्ध करने में सक्षम रहेगी।

श्री एन. के. पुरी ने अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा और राष्ट्र भाषा की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि – "कोई देश, विदेशी भाषा द्वारा न उन्नति कर सकता है और न अपनी राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति कर सकता है।" हिन्दी को जनमानस की भाषा का स्थान दिलाने में हिन्दी प्रेमियों को अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करना है। आशा है कि राजभाषा हिन्दी, हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी कर्मचारियों तथा अधिकारियों का प्यार पाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति में आलोक स्तंभ की भूमिका निभायेगी।

श्री के. एस. दिन ने अपने सरस भाषण में कहा कि— हिन्दी गतिशील एवं विवेकशील प्रकृति की भाषा है। यह जनता की भाषा है, संपर्क भाषा के रूप में जनभाषा कहलाने वाली हिन्दी को भारतीय संविधान में "राजभाषा" का स्थान दिया गया। अपने दैनिक सरकारी कार्यों में राजभाषा का प्रयोग करना, इसका प्रचार प्रसार करना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है। हिन्दी के प्रति प्रेम तथा अभिरूचि व्यक्त करते हुए प्रतिभागियों में से श्री जी. सत्यनारायण, श्री वी. वी. बी. एस. मूर्ति तथा श्री पी. जे. टैटस ने भी विचार व्यक्त किए।

अंत में श्री पुरी ने निबंध प्रतियोगिता के निम्नलिखित विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए।

1. श्री पी. जे. टैटस	प्रथम पुरस्कार
2. श्री सी. ललित कुमार	द्वितीय पुरस्कार
3. श्री ए. के. एन. शर्मा	तृतीय पुरस्कार
4. श्री के. एस. सूदन	सांत्वना पुरस्कार
5. श्री जी. सत्यनारायना	सांत्वना पुरस्कार

श्री वाई. त्रिनाथ कुमार ने धन्यवाद व्यक्त किया।

हैदराबाद 14 फरवरी दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एस. टी. सी.) शाखा कार्यालय हैदराबाद ने राजभाषा सप्ताह समापन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री युद्धवीर सम्पादक दैनिक हिन्दी मिलाप थे। सर्वप्रथम श्री के. एम. मोहन प्रभारी हिन्दी अधिकारी ने अभिवादन भाषण पढ़ा। तत्पश्चात शाखा प्रबन्धक श्री श्रीराम वर्मा ने श्री युद्धवीर जी का स्वागत करते हुए अपने शाखा कार्यालय के हिन्दी की प्रगति के बारे में प्रकाश डाला। श्री वर्मा ने कहा कि मई में उन्होंने इस शाखा का कार्यभार सम्भाला था और तब से हिन्दी की इतनी प्रगति हुई है उतनी पिछले पांच वर्षों में भी नहीं हुई । अब इस शाखा में सभी कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति काफी रूचि बढ़ गई है। श्री वर्मा ने बताया कि बहुत छोटा कार्यालय होने के बावजूद भी हमने अपने कार्यालय में हिन्दी पुस्तकालय की

स्थापना की है और हिन्दी समाचार पत्र पत्रिकाएं भी नियमित रूप में मंगाए जा रहे हैं। जिससे कर्मचारियों को हिन्दी के प्रति और अधिक प्रोत्साहन करने में सहायता मिली ।

जुलाई, 1989 में इस कार्यालय का संसदीय राजभाषा समिति ने निरीक्षण किया था। समिति ने भी हमारे कार्य को संतोषजनक पाया। श्री वर्मा ने यह भी कहा कि इस कार्यालय में प्रथम बार हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया है। जिसमें सभी कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों ने बहुत ही उत्साह से भाग लिया। इस अवसर पर हिन्दी निबन्ध कविता, पाठ, नोटिंग ड्राफ्टिंग एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था।

श्री युद्धवीर जी ने विजेता कर्मचारियों एवं उनके बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर श्री युद्धवीर जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है दक्षिण भारत में स्थित इस कार्यालय ने श्री वर्मा की देख-रेख में जो राजभाषा के क्षेत्र में प्रगति की है वह बहुत प्रशंसनीय है, उन्होंने यह भी कहा कि राजभाषा हिन्दी को अपनाना देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। राजभाषा से ही देश जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि राजभाषा इसीलिए नहीं अपनानी चाहिए कि इससे कर्मचारियों की पदोन्नति में सहायता मिलेगी। दरअसल, एक भारतीय का कर्त्तव्य है कि वह देश की एकता व अखण्डता बनाए रखने में हिन्दी को एक लिंक भाषा के रूप में प्रयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि भाषा के नाम पर देश की एकता व अखण्डता बनाए रखने में हिन्दी को एक लिंक भाषा के रूप में प्रयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि भाषा के नाम पर देश को तोड़ा नहीं जा सकता।

उन्होंने यह भी कहा कि अन्य भारतीय भाषाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हिन्दी, परन्तु हिन्दी लिंक भाषा के रूप में अपना विशेष स्थान रखती है इसीलिए आप सबको अपने कार्यालय का अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करना चाहिए।

कार्यक्रम का संचालन श्री बी. वेंकटराम प्रबन्ध (वित्त) ने किया और अन्त में श्री वी. वी. एस. अवधानी, सहायक प्रबन्धक (वित्त) ने सभी का धन्यवाद किया।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (हैकेप), हैदराबाद

11-12-89 से 15-12-89 तक इस कार्यालय में निम्नलिखित विविध प्रतियोगिताओं के साथ हिन्दी सप्ताह मनाया गया, इन प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों के विवरण निम्न प्रकार हैं। इन सफल प्रतिभागियों को दि. 15-12-89 परिमंडल परिसर में आयोजित एक विशेष सभा में श्री सी.आर. रामचन्द्रन, सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, हैदराबाद द्वारा पुरस्कृत किया गया :—

क्रम सं.	प्रतियोगिताओं के नाम	सफल प्रतिभागी	पुरस्कार
1	2	3	4
1	हिन्दी सप्ताह में हिन्दी म सर्वाधिक काम करना	1. श्रीमती सी. कृपारानी	(प्रथम)
		2. श्रीमती वी. जानकी	(द्वितीय) तथा
		3. श्रीमती वाई. वी. उमा महेश्वरी	(तृतीय)
2	हिन्दी निबंध :	1. श्रीमती ललीता कंधारकर	(प्रथम)
		2. श्रीमती प्रेमा बालकृष्णन	(प्रथम)
		3. श्री टी.एस.जी. वेंकटेश्वर राव	(प्रथम) तथा
		4. श्रीमती पारुल पटेल (परिमंडल कार्यालय)	(द्वितीय)
3.	हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन	1. श्रीमती पार्वती अनंतनारायण	(प्रथम)
		2. कु. नीता राघवन	(प्रथम)
		3. श्रीमती प्रेमा बालकृष्णन	(प्रथम)
		4. श्री टी.एस.जी. वेंकटेश्वर राव	(प्रथम) तथा
		5. श्रीमती ललिता कंधारकर	(द्वितीय)
4.	हिन्दी वाक् :	1. श्री पा.जी. नादगांकर	(प्रथम) तथा
		2. श्री वी. पी. स्वामी	(द्वितीय)
5.	हिन्दी टंकण :	1. श्रीमती वी. जानकी	(प्रथम)
		2. श्री जे. कान्ताराव	(द्वितीय)
		3. श्री टी.एस.जी. वेंकटेश्वर राव	(तृतीय)

1	2	3	4
6.	हिन्दी सुलेख :	1. श्री पी. जी. नांदगोंकर	(प्रथम)
		2. श्रीमती पार्वती अनंतनारायणन	(द्वितीय)
		3. कु. ए. सुनीता	(तृतीय) तथा
		4. श्री एन.के. मूर्ती	(तृतीय)

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क भुवनेश्वर

मुख्यालय भुवनेश्वर में हिन्दी सप्ताह (14-9-89 से 20-9-89 तक) के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हैं:—

14-9-89 हिन्दी दिवस एवं हिन्दी सप्ताह उद्घाटन समारोह तथा काव्य-गोष्ठी का आयोजन

14-9-89 वाद-विवाद प्रतियोगिता विषय "ईश्वर है"

1. श्री के.ए. अहमदी प्रथम
2. श्री एस.के. साहु द्वितीय
3. श्री के.आर. मेट्ला तृतीय

15-9-89 निबन्ध प्रतियोगिता निबन्ध के विषय :—

1. सम्पर्कीभाषा और हिन्दी
2. शान्तिदूत जवाहर लाल नेहरु
3. उड़ीसा का आर्थिक विकास

परिणाम

1. श्री विष्णु चरण महापात्र प्रथम
2. श्री सुरेश कुमार पाणिग्रही द्वितीय
3. श्री खालिद अहमद तृतीय

18-9 89 **टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता**

1. श्री सुरेश कुमार पाणिग्रही प्रथम
2. श्री विष्णु चरण महापात्र द्वितीय
3. श्री सुयोग्य कुमार साहु तृतीय

19-9-89 प्रश्न मंच

1. श्री एस.के. साहु प्रथम
2. श्री बी.सी. सुहन्ती द्वितीय
3. श्री के.ए.अहमदी तृतीय

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में विजेताओं को हिन्दी सप्ताह समापन समारोह (दिनांक 20-9-89) में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में नकद धन राशि के पुरस्कार प्रदान किए गए।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, चण्डीगढ़

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उत्तर पश्चिमी सर्कल, चण्डीगढ़ में दिनांक 14 सितम्बर, 1989 को वार्षिक हिन्दी दिवस अत्यन्त हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें सर्कल के अधीनस्थ चण्डीगढ़, अम्बाला, देहरादून, मसूरी और जम्मू स्थित सभी यूनिटों/आरेखण कार्यालयों के अधिकारियों/कार्यालयों ने भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता ले. कर्नल बलदेव सिंह राजल, निदेशक (उपस) ने की और मुख्य अतिथि थे पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफसर वीरेन्द्र मेहन्दीरत्ता।

ले. कर्नल राजल ने कहा कि "मेरा आप सब से विनम्र अनुरोध है कि हम सब हिन्दी को बढ़ाने के लिए अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाएं तथा प्रतिस्पर्धा की भावना से उत्साह के साथ हिन्दी का प्रयोग आरम्भ करें, जिससे हिन्दी के लिए उचित वातावरण बन सके क्योंकि भाषा से लोगों के दिलों में घर किया जा सकता है और देश की एकता को और भी मजबूत किया जा सकता है।

इसी उपलक्ष्य में आज से उ.प.स.का. के सी 1 अनुभाग को "हिन्दी अनुभाग" घोषित कर दिया गया है। अब इस अनुभाग द्वारा सारा पत्राचार केवल हिन्दी में ही किया जाएगा।

उद्घोषक श्री बलबीर चन्द शर्मा ने श्रीमती सरोज डोगरा, हिन्दी अनुवादक को वर्ष 1988-89 की हिन्दी रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा। संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट इस प्रकार है :

उत्तर पश्चिमी सर्कल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में वर्ष 1988-89 की हिन्दी गतिविधियां इस प्रकार से हैं। जैसाकि चण्डीगढ़ "ख" क्षेत्र में आता है, अतः हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जाते हैं। इस सर्कल के अधीनस्थ अम्बाला स्थित संख्या 42 पार्टी को हिन्दी यूनिट घोषित किया गया है। वहां अधिकांश कार्य हिन्दी में ही किया जाता है क्योंकि सर्कल में 80% से अधिक लोगों को हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान है। अतः कार्यालय राजपत्र में अधिसूचित है। सरकारी विज्ञापन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। इस वर्ष दो द्विभाषी (अंग्रेजी-हिन्दी) टाइपराइटर खरीदे गए।

हिन्दी को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कार्यालय के लिए विभिन्न पोस्टर बनवाए गए और प्रत्येक सप्ताह का पहला दिन अर्थात् **"सोमवार" हिन्दी दिवस घोषित किया गया है।** इस दिन सभी कार्यालयों में अधिकाधिक काम हिन्दी में ही किया जाता है।

इस वर्ष सर्कल ने हिमाचल प्रदेश के सभी अतिरिक्त विभागीय (Extra Departmental) **मानचित्र हिन्दी में ही बनाए हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के अन्य हिन्दी में ही बनाने की परियोजना है।**

श्री धर्मपाल गौतम, सहायक निदेशक हिन्दी शिक्षण योजना ने "भारत सरकार की राजभाषा नीति" पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि प्रो. मेहन्दीरत्ता ने हिन्दी को समृद्ध बनाने हेतु इसे मन से अपनाने पर बल दिया और कहा कि इस कार्य में अन्य भाषाओं का सहयोग भी निस्संकोच लिया जाना चाहिए।

मुख्य अतिथि प्रो. मेहन्दीरत्ता ने हिन्दी प्रतियोगिताओं में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार वितरित किए :–

टिप्पणी तथा मसौदा लेखन एवं तकनीकी और प्रशासनिक शब्दावली प्रतियोगिता

प्रथम श्री रोशन लाल शर्मा, उ.प.स. का.
द्वितीय श्री अमर नाथ गुप्ता, उ.प.स. का.

श्रुत लेखन प्रतियोगिता

प्रथम श्री बिजेन्द्र सिंह, उ.प.स.का.

द्वितीय श्री बलविन्द्र सिंह, सं. 3 पार्टी

निबन्ध लेखन प्रतियोगिता

प्रथम श्री जी. एस. भोगल सं. 56 पार्टी

द्वितीय श्री कृष्ण कुमार सं. 3 पार्टी

हिन्दी टंकण प्रतियोगिता

प्रथम श्री बिजेन्द्र सिंह, उ.प.स.का.

द्वितीय श्री बलविन्द्र सिंह, 3 पार्टी

सुलेख प्रतियोगिता

प्रथम श्री चिन्ता राम, सं. 57 पार्टी

द्वितीय श्री जीत सिंह सं. 56 पार्टी

हिन्दी सप्ताह के दौरान हिन्दी में प्रेषित पत्र

उ.प.सं. का. के सभी कार्यालयों में से इन दो यूनिटों ने सबसे अधिक पत्र हिन्दी में भेजे। जिनके प्रभारी अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया।

प्रथम सं. 9 आ. का., ले. कर्नल सुरजीत सिंह निशान, अधीक्षक सर्वेक्षक द्वितीय सं. 57 पार्टी श्री तरसेम लाल शर्मा, अधीक्षक सर्वेक्षक।

हिन्दी में अधिकतम काम करने वाले कर्मचारियों में से निम्नलिखित दो कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

1. श्रीमती गीता सूद, उ. श्रे. लि., सं. 9 आ. का.

2. श्री लखपति राम, मानचित्रकार, डि. 1, सं. 9 आ. का.

हिन्दी कविता पाठ-प्रतियोगिता

श्रीमती जसवन्त कौर, उ. श्रे. लि., उपसका.

श्री अनिल कुमार डोगरा, मानचित्रकार ग्रेड-4 सं. 9 आ. का.

श्री शिव कुमार मण्डल, मानचित्रकार, ग्रेड-2 सं. 17 आ. का.

पुरस्कार वितरण के उपरान्त श्री सुरेन्द्र मोहन पाल प्रभारी अधिकारी सं. 42 पार्टी ने मुख्य अतिथि एवं सभी अधिकारियों का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस समारोह / आयोजन को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया। इस संबंध में उन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री धर्मपाल गौतम एवं श्रीमती नीलम बजाज, हिन्दी प्राध्यापक के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस समारोह को सफल बनाने में अथक प्रयत्न किए।

वड़ोदरा रेल मण्डल

"हिन्दी में कामकाज करने योग्य बनने के लिए कर्मचारियों को चाहिये कि अभ्यास और प्रयोग के द्वारा वे हिन्दी का अधिकाधिक ज्ञान हासिल करें। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अंग्रेजी का ज्ञान हासिल किया"—इस कथन के द्वारा मण्डल रेल प्रबन्धक श्री गोविन्द बल्लभ ने उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर सरकारी कामकाज की विभिन्न मदों में उसका प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया।

वडोदरा मण्डल पर 26-2-90 से 2-3-90 तक आयोजित हिन्दी सप्ताह में कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिन में 122 कर्मचारियों/अधिकारियों ने भाग लिया। हिन्दी प्रयोग एवं प्रगति की मण्डल के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को जानकारी हो सके, इस हेतु मण्डल कार्यालय में हिन्दी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मण्डल रेल प्रबन्धक ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रगति का अवलोकन करते हुए उपयुक्त प्रसंगों में उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को हिन्दी प्रयोग के बारे में उपयोगी सलाह दी।

2-3-90 को समापन समारोह किया गया। मण्डल रेल प्रबन्धक श्री गोविन्द वल्लभ ने समारोह की अध्यक्षता की। उप मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यभार सम्हाल रहे अपर मंडल रेल प्रबन्धक श्री बी. एस. नागराजा राव ने कहा कि व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से अपनी बात अधिक सरलतापूर्वक कह पाता है। इससे उसकी प्रतिभा की भी परख हो जाती है। देश के किसी कोने में इस प्रकार हिन्दी माध्यम से बातचीत कर काम निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेशों के मुताबिक हम सभी को सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग आगे बढ़ाना चाहिए। वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री गजेन्द्र चतुर्वेदी ने हिन्दी सप्ताह के आयोजन के उद्देश्य एवं महत्त्व पर प्रकाश डाला। अपने सरल, सुबोध एवं प्रेरक उद्बोधन में अध्यक्ष एवं मण्डल रेल प्रबन्धक ने बतलाया कि हमें केवल मानसिक रूप से स्वयं को तैयार करना है। हम यदि इतना कर लें तो फिर हिन्दी माध्यम से कार्य करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि अभ्यास और प्रयोग के द्वारा ही भाषा का ज्ञान सम्भव है, उससे बचने से नहीं। अतः निरन्तर अभ्यास और प्रयोग के द्वारा हिन्दी भाषा का भी उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए जैसे अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया था।

विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतियोगियों को मण्डल रेल प्रबन्धक ने नकद पुरस्कार एवं प्रशस्तिपत्र प्रदान किए। इस अवसर पर एक विवरणिका निकाली गई। विवरणिका का विमोचन भी मण्डल रेल प्रबन्धक ने किया।

केंद्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, इलाहाबाद

समाहर्तालय में 15 सितम्बर, 1989 को हिन्दी दिवस-समारोह का आयोजन श्री एम.एस. कंवल, समाहर्ता की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर विभागीय पत्रिका "त्रिवेणी" के तीसरे अंक की प्रति श्री अरुण कुमार मिश्र, अपर समाहर्ता (का./स्था.) एवं राजभाषा अधिकारी ने समाहर्ता महोदय को भेंट की।

कार्यक्रम की शुरूआत कु. ममता चटर्जी, कार्यालय अधीक्षक के सरस्वती वंदना "वर दे वीणा वादिनी वर दे" से हुई।

पुरस्कार वितरण :—1 अप्रैल, 88 से 31 मार्च, 89 की अवधि में हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने वाले 60 अधिकारियों/कर्मचारियों को 13,900 रुपय की राशि समाहर्ता महोदय ने नकद पुरस्कार के रूप में वितरित की। नकद पुरस्कार योजना में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस अवसर पर प्रशंसापत्र भी वितरित किये गये।

शील्ड/कप का वितरण :—समाहर्ता महोदय द्वारा हिन्दी में सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए सीमाशुल्क कार्यालय, गोरखपुर को शील्ड एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, गोरखपुर व इलाहाबाद को दो विशेष पुरस्कार प्रदान किये गये।

समाहर्ता महोदय ने इस अवसर पर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार के आदेशानुसार शत-प्रतिशत काम हिन्दी में हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे समाहर्तालय में लगभग 70 से 73 प्रतिशत तक कार्य केवल हिन्दी में हो रहा है। समस्या हमारे सामने सबसे बड़ी यह है कि जो भी सेन्ट्रल एक्साइज मैनुएल, टैरिफ आदि में हैं वे सभी अंग्रेजी में

उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से हिन्दी में शत प्रतिशत काम हो पाना फिलहाल आसान नहीं लग रहा है। नोटिफिकेशन इत्यादि ला-मिनिस्ट्री से पहले अंग्रेजी में और बाद में हिन्दी में जारी होते हैं, यदि ये सभी नोटिफिकेशन एवं सूचियां पहले हिन्दी में और बाद में उसका अनुवाद अंग्रेजी में हो तो हमारे लिए यह शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि मैनुअल आदि हिन्दी में भेजे जायें एवं अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में मानकर प्रयोग में लाया जाये। हम अपनी कठिनाई भारत सरकार को बता रहे हैं कि इसका समाधान हो। बेहतर हो कि हिन्दी भाषी प्रदेशों के कार्यालयों में हिन्दी क्षेत्र के रहने वाले अधिकारियों की तैनाती की जाये, इससे सरकारी कामकाज में आसानी होगी।

भाषण प्रतियोगिता :

इस अवसर पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को क्रमशः 151 रु. एवं 101 रु. के नकद पुरस्कार प्रदान किये गये।

अहिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता

इस अवसर पर अहिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसका विषय था-"राजभाषा हिन्दी और समस्यायें" प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

केन्द्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क समाहर्तालय मेरठ

दिनांक 14 एवं 15 सितम्बर, 1989 को सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय के मेरठ स्थित मुख्यालय कार्यालय के रायल होटल मेरठ कैंण्ट स्थित प्रशिक्षण स्कूल में एक द्विदिवसीय पूर्णकालिक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्रीयुत शिबन किशन धर, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मेरठ ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री शिबन किशन धर समाहर्ता ने बताया कि मेरठ समाहर्तालय का सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार हिन्दीभाषी क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है तथा मेरठ समाहर्तालय के समस्त अधीनस्थ मण्डल कार्यालयों (मण्डल नोएडा को छोड़कर) को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भी किया जा चुका है। फिर भी यहां का इतना कार्य हिन्दी के माध्यम से नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। उन्होंने अन्त में, सभी को निदेश दिए कि वे अपना अधिकाधिक सरकारी कामकाज राजभाषा के माध्यम से करना आरम्भ करें ताकि राजभाषा को ठोस आधार प्रदान किए जा सके।

तदुपरान्त दिनांक 18-9-1989 को मुख्यालय कार्यालय मेरठ में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को हिन्दी टाइप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया। इस हिन्दी टाइप प्रतियोगिता में कुल 9 कर्मचारियों ने भाग लिया।

समाहर्तालय के निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्नवर्णित पुरस्कार प्रदान किए गए:—

1. श्री हरीश चन्द्र शर्मा, मुख्यालय कार्यालय, मेरठ।	प्रथम	300 रु.
2. श्री अजय शर्मा, आशुलिपिक, मुख्यालय कार्यालय, मेरठ।	द्वितीय	200 रु.
3. श्री प्रेमचन्द, आशुलिपिक मुख्यालय कार्यालय, मेरठ।	तृतीय	100 रु.

दिनांक 19-12-89 को समाहर्तालय स्तर पर एक हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गयी जिसमें समाहर्तालय के भिन्न भिन्न कार्यालयों में कार्यरत 9 कर्मचारियों ने भाग लिया। इनमें से एक राजपत्रित अधिकारी ने भी भाग लिया। निबन्ध प्रतियोगिता में निम्नलिखित को पुरस्कार प्रदान किए गए।

1. श्री दर्शन लाल, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज बड़ौत।	प्रथम	300 रु.
2. श्री हरिओम प्रकाश अग्रवाल, उ. का. अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मण्डल मुजफ्फरनगर।	द्वितीय	200 रु.
3. श्रीमती स्वर्णलता भाटिया, उ. का. अधीक्षक, मुख्यालय कार्यालय, मेरठ।	तृतीय	100 रु.

इसके उपरान्त दिनांक 21-9-1989 को मुख्यालय कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें प्रत्येक प्रतियोगिता में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

दिनांक 21-9-1989 को इस हिन्दी सप्ताह का समापन करते हुए श्री शिबन किशन धर, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मेरठ ने उपस्थित अधिकारियों का बताया कि जिस प्रकार उन्होंने दिनांक 14 से 21 तक चले इस हिन्दी सप्ताह में अधिकाधिक सरकारी कामकाज राजभाषा के माध्यम से किया है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि वे उसी उत्साह के साथ आगे भी अधिकाधिक मात्रा में अपना सरकारी कामकाज राजभाषा के माध्यम से करेंगे। इसी अवसर पर समाहर्ता महोदय ने सर्वाधिक कार्य हिंदी में करने वाले कार्यालय को एक चल शील्ड देने की भी घोषणा की तथा हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार देने का निर्णय भी लिया गया।

कार्यालय मुख्य नियंत्रक

सरकारी अफीम एवं अलकालायड कारखाने,

ग्वालियर

कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होने के कारण पृथक रूप से हिन्दी सप्ताह का आयोजन संभव नहीं हो सका। अतः कार्यालय नारकोटिक्स आयुक्त के साथ संयुक्त

रूप से हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया—

1. हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता
2. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता
3. सुन्दर लेखन प्रतियोगिता

उक्त प्रतियोगिताओं में इस कार्यालय के कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार भी प्राप्त किए।

इस कार्यालय के अधीनस्थ नीमच एवं गाजीपुर स्थित महाप्रबन्धकों के कार्यालयों में भी राजभाषा सप्ताह भली-भांति सम्पन्न हुआ। गाजीपुर में आयोजित प्रतियोगिताएं और उनके परिणाम निम्नानुसार हैं

1. वादविवाद प्रतियोगिता—

प्रथम	कोई नहीं
द्वितीय	श्री ओम प्रकाश तथा श्री राजेंद्रनाथ यादव
तृतीय	श्री के. एन. राय तथा श्री राधेश्याम मिश्रा
सांत्वना	श्रीचन्द्रधर विश्वकर्मा तथा श्री जयराम सिंह यादव

2. कविता प्रतियोगिता—

प्रथम	श्री हरिओम प्रकाश श्रीवास्तव श्री मनोजपुरी
द्वितीय	श्री कृष्णदयाल, श्री पी. के. भटनागर
तृतीय	श्री बी. डी. दीक्षित, श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा
सांत्वना	श्री राजनाथ

उक्त समारोह का संचालन श्री बंशीलाल वर्मा ने किया जिसके लिए उन्हें विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।

निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली

14 सितम्बर, 1989 को भारत निर्वाचन आयोग के सम्मेलन कक्ष में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया। इसकी अध्यक्षता निर्वाचन आयोग के उप-निर्वाचन आयुक्त डा. आर. पी. भल्ला ने की और मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. वी. एस. पेरिशास्त्री, जिन्होंने विजयी प्रतियागियों का आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए। श्री पेरिशास्त्री ने आयोजन की सफलता पर बधाई दी। श्री पेरिशास्त्री ने एक अप्रील जारी की कि आयोग में अधिक से अधिक काम हिंदी में किया जाए। जिन प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं:—

(क) हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता

1. श्री वासदेव अरोड़ा	प्रथम
2. श्रीमती शशि बाला	द्वितीय
3. श्री सते सिंह	तृतीय

(ख) हिन्दी नोटिंग और ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता

हिंदी भाषी

1. श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव	प्रथम
2. श्री राम चन्द्र	द्वितीय

अहिन्दी भाषी

1. श्री तपस कुमार	प्रथम
2. श्री एस. के. मित्रा	द्वितीय
3. श्री गोतम दास गुप्ता	प्रोत्साहन

3. हिन्दी वाक् प्रतियोगिता

हिन्दी भाषी

श्री हरिसिंह बैसोया	प्रथम

अहिन्दी भाषी

1. श्री तपस कुमार	प्रथम
2. श्री एस. के. मित्रा	प्रोत्साहन

इस अवसर पर हिन्दी प्रश्न मंच का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगियों से वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा अधिनियम व नियमों के अलावा हिंदी से संबंधित अन्य प्रश्न भी पूछे गए। इनमें तीन टीमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय रहीं, वे इस प्रकार हैं :—

(क) गौतमदास गुप्ता श्रीमती बलजीत कौर	प्रथम
(ख) श्री हरि सिंह बैसोया श्री वीरेन्द्र कुमार	द्वितीय
(ग) श्री एस. के मित्रा श्री मनोहर लाल नागी	तृतीय

इसी अवसर पर हिंदी कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मचारियों को भी प्रमाण-पत्र, **वर्ष में सर्वाधिक हिंदी नोटिंग और ड्राफ्टिंग का कार्य करने वाले श्री एम. एल. दुग्गल, सहायक तथा श्री हरि सिंह बैसोया, सहायक को क्रमशः 500 रु. व 300 रु. दिए गए।**

इस अवसर पर आयोग के सचिव श्री बलवन्त सिंह ने "आयोग में हिंदी" विषय पर अपना सारगर्भित भाषण दिया। कार्यक्रम का संचालन श्री जीत सिंह, सहायक निदेशक (राज-भाषा) ने किया। इसकी रिपोर्ट टी. वी. पर दिखाई गई।

हिंदी कार्यशालाएं

हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कं० उदकमंडलम

कम्पनी के प्रधान कार्यालय में मार्च 1990 के तीसरे हफ्ते आयोजित हिन्दी कार्यशाला का श्री एस.वी. कृष्णन, उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक ने उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में हिन्दी लेखन और टिप्पणी का अभ्यास कराया जाएगा और यह ज्ञान कार्यालय में दैनिक कार्य हिन्दी में करने में बहुत लाभदायक होगा। हिन्दी अधिकारी श्रीमती पी.एस. चांदनी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि हिन्दी कार्यशाला को रुचिकर बनाने के लिये आलेखन और टिप्पण के साथ बोलचाल की हिन्दी तथा हिन्दी क्विज भी इस कार्यशाला के कार्यक्रम में शामिल किये गये हैं। हिन्दी सहायक श्री एस. बालाजी ने धन्यवाद समर्पित किया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य डा. एन. गोपालकृष्णन, डा. अजीत वालिया और श्रीमती पी.एस. चांदनी ने बोलचाल की हिन्दी, हिन्दी क्विज, आलेखन और टिप्पण, सरकार की राजभाषा नीति पर चर्चा, अनुवाद आदि कार्यक्रमों का संचालन किया।

आकाशवाणी शिलांग

आकाशवाणी शिलांग में दिनांक 5 फरवरी, 1990 से एक सप्ताह के लिये हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पूर्वोत्तर सेवा व आकाशवाणी शिलांग के हिन्दी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त लगभग 32 कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी में टिप्पण/आलेखन का गहन प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला में हिन्दी शिक्षण योजना शिलांग के प्राध्यापक श्री एम.एस. रावत और श्री कृष्ण महेश मिश्र ने प्रशिक्षण दिया।

> **हिंदी भाषा विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में से एक है।**
>
> **—श्रीमती (डॉ. सी.ई. जोनी)**

कार्यशाला का उद्घाटन केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, शिलांग की केन्द्र प्रभारी श्रीमती सी. ई. जीनी ने किया। उद्घाटन भाषण में डा. जीनी ने कहा कि हिन्दी भाषा विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में से एक है। वैज्ञानिकता की दृष्टि से तो देवनागरी लिपि संसार की सर्वोत्कृष्ट लिपि है। यह भाषा इतनी सरल है कि कोई भी भाषा-भाषी इसे आसानी से थोड़े समय में ही सीख सकता है। उन्होंने कहा कि जिन भारतीय भाषाओं का मूल संस्कृत में नहीं है, उन भाषाओं को बोलने वाले लोग भी इसे बड़े चाव से बोलते देखे गए हैं। उन्होंने मिजोरम तथा नागालैंड के दूरदराज इलाकों का जिक्र करते हुए कहा है कि वहां कम पढ़े-लिखे लोग भी अपने सार्वजनिक जीवन में हिन्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषण के अन्त में उन्होंने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों खासतौर से आकाशवाणी और दूरदर्शन कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे राष्ट्रभाषा को राजभाषा के के रूप में अपने दैनिक कामकाज में प्रयोग करके इसका प्रचार-प्रसार करें।

कार्यशाला का आयोजन व संयोजन आकाशवाणी शिलांग के हिन्दी अनुवादक श्री रवीन्द्र कुमार सिंह ने किया। कार्यशाला का समापन श्री सुरेन्द्र चन्द्र मिश्र अधीक्षण अभियंता द्वारा संपन्न हुआ। श्री मिश्र ने कार्यशाला में प्रशिक्षित कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे भविष्य में अपान अधिकतम काम-काज हिन्दी में ही करें, तभी इस कार्यशाला का उद्देश्य पूरा हो सकता है। सहायक केन्द्र निदेशक श्रीमती स्वीटी डिगडो ने अपने संक्षिप्त भाषण में सभी कर्मचारियो से हिन्दी सीखने व इसके प्रयोग पर बल दिया। रेडियो काश्मीर से स्थानान्तरण हो कर आये हिन्दी कार्यक्रम निष्पादक डा. रफीक मशूदी ने भी अपने विचार रखे।

आन्ध्र बैंक, कालिकट (केरल)

दि. 7-11-89 से 8-11-89 तक आन्ध्र बैंक, कालिकट शाखा ने दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में केरल राज्य में स्थित आन्ध्र बैंक की सभी शाखाओं से कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन कालिकट के आयकर आयुक्त श्री बी. वेणुगोपाल ने किया। उन्होंने राजभाषा हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डाला और इस दिशा में आन्ध्र बैंक द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।

दो दिन तक कार्यशाला का संचालन करने के लिये आन्ध्र बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर से श्री शेख जाफर साहेब, राजभाषा अधिकारी पधारे।

कार्यशाला के अन्त में सहभागियों के लिये लिखित परीक्षा आयोजित की गयी और निम्नलिखित कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किये गये :—

प्रथम—ए.एस. जोसफ—कालिकट शाखा
द्वितीय—पी. रामचन्द्रन— „ „
तृतीय—दिवाकरन आरबन— „ „

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बेंगलूर

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में राजभाषा नीति के अनुपालन के विषय में उल्लेखनीय प्रगति लाने की दृष्टि से कंपनी के कारपोरेट आफिस द्वारा त्रिदिवसीय (5,6 और 7 फरवरी) कार्यशाला का आयोजन बेंगलूर में किया गया। इसमें आई टी आई तथा अन्य सरकारी उपक्रमों और बैंकों के कार्यपालक और कर्मचारी शामिल हुए।

श्री राधाकांत शर्मा, राजभाषा सचिव और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिये अल्पकालीन योजनाओं की जगह दीर्घकालीन कार्यक्रम अपनाए जायेंगे। भाषा के उपयोग के महत्व पर विचार व्यक्त करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि पूरे देश को एक कड़ी में जोड़ने का काम भाषा के माध्यम से ही संभव है। देश का अपना व्यक्तित्व होता है और विदेशी भाषा के माध्यम से न तो चिंतन में मौलिकता रहती है और न देश का विकास और प्रगति ही संभव है। प्रतिभागियों से आपने अपील की कि वे निर्भय होकर अपने काम-काज में सरल व बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें। सभी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपनाने से ही भाषा का सहज विकास होगा और यह समृद्ध होगी। उन का सुझाव था कि गृहपत्रिकाओं में हिंदी खण्ड भी हो और हिंदी के पदों को सामान्य मैनेजमेंट संवर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। श्री शर्मा ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में राजभाषा विभाग की ओर से पूरी सहायता व सहयोग हमेशा उपलब्ध है।

संस्थान के अपर निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), श्री मदन लाल गुप्त ने राजाभाषा विषयक सांविधिक स्थिति की जानकारी देते हुए इस ओर आई टी आई के योगदान की चर्चा की। श्री गुप्त ने समापन समारोह के अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित किया तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किये।

श्री एस.ए. अताउल्ला, अपर महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने मुख्य अतिथि, गणमान्य प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों व उपस्थित सभी सज्जनों को धन्यवाद दिया।

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय, मंगलूर

दिनांक 29-1-1990 को अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए व्यापार आयोजना तथा विकास विभाग के उप महाप्रबंधक श्री पी.के. आल्वा ने बताया कि हिन्दी हमारी राजभाषा है और भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार हमें अपने बैंक के दैनन्दिन कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करना आवश्यक है। उन्होंने आगे बताया की इस प्रकार की कार्य शालाओं के आयोजन से हिन्दी में कामकाज करने वालों को गति मिलती है। प्रधान कार्यालय में राजभाषा कक्ष के विभागाध्यक्ष होने के नाते श्री आल्वा ने बैंकिग प्रभाग, वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक की तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में उच्च अधिकारियों द्वारा बैंकवार प्रगति की समीक्षा का भी विस्तारपूर्वक जिक्र किया और प्रतिभागी अधिकारियों को उसकी जानकारी दी।

31 जनवरी, 1990 को समापन समारोह के मुख्य अतिथि परिसर क्रय एवं अनुरक्षण विभाग के सहायक महाप्रबंधक श्री विजयनाथ भट्ट ने कहा कि कार्यशाला अपने शाब्दिक रूप में स्पष्ट है। अतः यहां विचार-विनिमय, चर्चा-परिचर्चा, समूह चर्चा आदि के माध्यम से अपेक्षित ज्ञान का अर्जन करना ही कार्यशाला का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रतिभागी अधिकारियों की भूमिका बड़ी सक्रिय रही हैं और उन्होंने इन दिनों में बहुत कुछ सीखा है जिसे वे वापस अपने विभागों में लौटकर कार्यान्वित करेंगे।

इन तीन दिनों के विभिन्न सत्रों में पढ़ाए गए विषयों के आधार पर लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इसमें उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले निम्नलिखित तीन अधिकारियों को सम्मानित किया गया।

प्रथम : श्री सुधीर प्रधान

द्वितीय : श्रीमती नलिनी वी.पै.

तृतीय : श्री रामनाथ किणि

प्रधान कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री नरसिंह प्रसाद यादव एवं श्रीमती लता एस. पई के अलावा कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, बलमट्टा, मंगलूर की संकाय सदस्या सुश्री बी.एन. शकुन्तला, सिंडिकेट बैंक कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, मंगलूर के संकाय सदस्य श्री संजीव मूर्ति तथा सिंडिकेट बैंक, अंचल कार्यालय की राजभाषा अधिकारी श्रीमती शोभा बी. ने विविध विषयों पर सत्र लेकर कार्यशाला को सफल बनाया।

विकास आयुक्त लोहा और इस्पात, कलकत्ता

कार्यालय के हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त तथा प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी में अपना सरकारी कामकाज करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 13-3-90 को चतुर्थ तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात ने कार्यशालाओं के आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और आशा व्यक्त की कि यह कार्यशाला इसमें भाग लेने वाले कर्मचारियों के लिए काफी सहायक सिद्ध होगी। उक्त कार्यशाला तीन दिनों

तक चली जिसमें इस कार्यालय एवं इसके कलकत्ता, कानपुर तथा हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को देवनागरी में तार, कार्यालयों के हिन्दी नाम, नेमी कार्यालय टिप्पणियां नामक पुस्तकें प्रदान की गई ताकि वे अपने दिन-प्रतिदिन के सरकारी कार्य में उनकी सहायता ले सकें।

समापन समारोह दिनांक 15-3-90 को श्री बी.के. दत्ता औद्योगिक सलाहकार, की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसमें श्री अवधेश कुमार राय, प्राध्यापक हिन्दी विभाग, विद्यासागर कालेज, कलकत्ता एवं श्री अनिल शुक्ल, प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, उमेश चन्द्र कालेज, कलकत्ता क्रमशः मुख्य अतिथि एवं प्रधान वक्ता के रूप में उपस्थित थे ।

सर्वप्रथम, हिन्दी कार्यशाला में सफलतापूर्वक भाग लेने वाले कर्मचारियों को श्री अवधेश कुमार राय ने प्रमाण-पत्र वितरित करते हुए हिन्दी भाषा एवं इसके साहित्य के विकास में बंगाल के मनीषियों के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने हिन्दी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन एवं विकास पर भी बल दिया।

बाद में श्री अमल चंद्र विश्वास, संयुक्त विकास आयुक्त ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में इस कार्यालय की अग्रणी भूमिका की चर्चा करते हुए सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वे टिप्पण एवं प्रारूप आदि लिखने में बेझिझक हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं तथा इस विषय में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा नहीं है ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

जम्मू में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों व उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने तथा उनकी झिझक को दूर करने और अभिरुचि पैदा करने की दृष्टि से 7-8 मार्च, 1990 को दो दिवसीय संयुक्त प्रथम हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जम्मू के विभिन्न कार्यालयों से 28 कर्मचारियों/अधिकारियों ने भाग लिया।

उद्घाटन करते हुए समिति के अध्यक्ष श्री वी. के. भांडारकर भा.र.ले.से., रक्षा लेखा नियंत्रक, उत्तरी कमान ने कार्यशाला की सफलता की कामना की।

कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों को समेकित प्रशासन शब्दावली की प्रतियां भी वितरित की गई। कार्यशाला का समापन भी अध्यक्ष श्री भांडारकर ने किया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से बातचीत की और कार्यशाला में प्राप्त उनके रोचक अनुभवों के बारे में भी पूछा। समिति के सचिव श्री प्रेम बहादुर सिंह ने धन्यवाद दिया।

मौसम विभाग, पुणे

मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसंधान) के कार्यालय द्वारा विभाग के पुणे स्थित सभी अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी कामकाज में अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण देने के लिए 12 से 16 मार्च, 1990 तक पांच दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

हिंदी शिक्षण योजना की सहायक निदेशिका डॉ. श्रीमती आंशुमती दुनाखे ने राजभाषा संबंधी नीति पर व्याख्यान दिया। इस कार्यालय में पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग के चारों कार्यालयों से एक अधिकारी और 15 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा अधिकारियों और कर्मचारियों ने व्याख्यान दिए।

समापन के अवसर पर श्री व्ही. पी. काम्बले, उपमहानिदेशक ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को [illegible] करते हुए यह आशा व्यक्त की कि वे अपना कामकाज अब सरलता से हिन्दी में कर सकेंगे तथा वे भविष्य में ज्यादा से ज्यादा तकनीकी कार्य हिंदी में करें।

नेवासा (महाराष्ट्र) में हिन्दी कार्यशाला

अहमदनगर जिले के नेवासा नगर के स्थानीय श्री ज्ञानेश्वर महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के सहयोग से दि. 4 मार्च, 1990 के एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें अहमदनगर जिले के डाक-तार, दूरभाष क्रेन्द्र, क्रेन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क, वाहन अनुसंधान तथा विकास स्थापन, राष्ट्रीयकृत बैंकों:– बैंक आफ महाराष्ट्र, बैंक आफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दि ओरिएण्टल इंशुरेंस कं. के लगभग अस्सी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्रीमती इंदिरा पंड्या, उप निदेशक (पश्चिम), हिंदी शिक्षण योजना, (बम्बई) ने कहा कि कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग का संकल्प करने से ही हिंदी वास्तविक रूप में राजभाषा का पद ग्रहण करेगी। हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉ. शहाबुद्दीन शेख ने कहा कि अंग्रेजों के चले जाने पर भी अंग्रजी भाषा का वर्चस्व भारतीयता पर हावी होना, वास्तव में चिंता का विषय है। राष्ट्रभाषा हिंदी में भारत की सभी भाषाओं को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता है, वह एक सरस, सरल व मधुर भाषा है : अपने अध्यक्षीय भाषण में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री र. कि. आगले ने कहा कि हिंदी के प्रचार में अत्यंत आवश्यक है। संकल्प के अभाव में हिन्दी के प्रचार, प्रसार व व्यवहार में गतिशीलता असम्भव है।

श्रीमती लक्ष्मी नारायण अभ्यकरपुणे द्वारा कर्मचारियों को 'आवेदन, कार्यालय की कार्यपद्धति तथा पत्राचार का स्वरूप' के संदर्भ में विस्तृत मार्गदर्शन कराया गया। 'पारिभाषिक शब्दावली

तथा कार्यालयीन अनुवाद को रामकृष्ण तिवारी, राजभाषा अधिकारी, बैंक आफ़ महाराष्ट्र, पुणे द्वारा समझाया गया। समापन समारोह में प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किये गए।

देना बैंक, बलसाड़

देना बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय बलसाड ने अपने क्षेत्र के लिपिकों के लिए 18 और 19 अप्रैल, 1990 को ग्रामीण सेवा केन्द्र, बलसाड़ कार्यालय के परिसर में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें 14 लिपिकों ने भाग लिया।

18 अप्रैल, 1990 को कार्यशाला का उद्घाटन स्थानीय कॉलेज के प्रो. शशिकांत कांट्रेक्टर ने किया। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा केवल देश को एकता के लिए ही आवश्यक नहीं, अपितु राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं भारतीय भाषाओं के गौरव के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबंधक श्री के. वी. शानभाग ने की और कार्यक्रम का संचालन ग्रा. से. के., बलसाड़ के प्रबंधक श्री भूपेन्द्र नायक ने किया।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागपुर

नागपुर विमान क्षेत्र में 5 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन 19 से 23 मार्च, 1990 को किया गया। उद्घाटन करते हुए श्री सुशील कुमार, संचार नियंत्रक ने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। कार्यशाला में 24 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में विभागीय प्रशिक्षकों के अतिरिक्त, हिन्दी शिक्षण योजना, नागपुर के डॉ. राकेश कुमार, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के श्री श्यामचरण शुक्ल तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स के श्री जनार्दन पांडे, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली से पधारे श्री मंगतराम धस्माना, ने भी कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया।

दिनांक 23-2-90 को समापन समारोह हुआ जिसमें प्रशिक्षणार्थियों ने हिंदी के प्रति समर्पित स्वर-रचित कविता का पाठ किया जिसमें श्री सूर्यभान की कविता बहुत सराही गई।

क्षेत्रीय संचार नियंत्रक श्री बी. डी. गारेकर ने विमानपत्तन, प्राधिकरण में हिन्दी के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि हिन्दी हमारी राजभाषा ही नहीं, हमारी भारतीयता की पहचान है जिसकी समृद्धि और विकास का दायित्व केवल हिंदी भाषियों का ही नहीं बल्कि प्रत्येक भारत-वासी का है। सभी उपस्थित व्यक्तियों के प्रति तथा श्री पारसनाथ सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ संचार अधिकारी के विशिष्ट सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।

आकाशवाणी, धारवाड़

केन्द्र/कार्यालय में चार दिवसीय हिंदी कार्यशाला दिनांक 26-2-90 से 1-3-90 तक आयोजित की गई। इस में केन्द्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा, हुबली धारवाड़ स्थित केन्द्रीय कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों के 15 कर्मचारियों ने भी भाग लिया।

दिनांक 26-2-90 को कार्यशाला का उद्घाटन केन्द्र के अधीक्षक अभियंता श्री के. तांडवसायी ने सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया।

इन चार दिनों में राजभाषा नीति, टिप्पण-आलेखन, वर्तनी आदि विभिन्न विषयों पर सर्वश्री जगदीशलाल, एम. ए. हुंडेकर, बी. के. वानखेडे, डॉ. एम. जे पटेल, हर्षमोहन सिंह, श्रीमती के एच. नदाफ आदि ने व्याख्यान दिए तथा अभ्यास करवाया।

दिनांक 1-3-90 को कार्यशाला का समापन समारोह हुआ। श्री सी० राजगोपलन, केन्द्र निदेशक ने कार्यशाला के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है। हिन्दी में काम करने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना चाहिये। केन्द्र निदेशक ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये।

इसी प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों के लिए दिनांक 3-5-90 से 5-5-90 तक तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस में 20 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के दौरान उनकी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन समस्याओं के व्यावहारिक उपायों से उन्हें अवगत कराया गया। राजभाषा संबंधी सरकार की नीति तथा नियमों की जानकारी देते हुए शब्दावली, भाषा का व्यावहारिक स्वरूप, हिंदी में पत्र तथा तार के प्रारूप आदि विषयों की चर्चा तथा अभ्यास करवाया गया। कार्यशाला के संस्थान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रति भागियों ने आश्वासन दिया कि कार्यशालाओं में प्राप्त जानकारी और अभ्यास का पूरा-पूरा उपयोग करेंगे और कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने का यथासंभव प्रयास करेंगे।

कार्यशाला का सफल संचालन श्री जवाहर कर्नावट (हिन्दी अधिकारी) ने किया, श्रीमती सुधा जावा (प्रबंधक) राजभाषा तथा कु० पारुल शाह ने सत्र लेने में अपना सम्पूर्ण योगदान दिया।

विजया बैंक, अहमदाबाद

अहमदाबाद प्रभाग में उन शाखा-प्रबंधकों के लिए दो दिन की हिन्दी-कार्यशाला आयोजित की गई, जिन्होंने प्रभाग में इससे पहले आयोजित हिन्दी-कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था। अलकापुरी (बड़ौदा) शाखा सहित 15 शाखाओं के प्रबंधकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। यह हिन्दी-कार्यशाला बड़ौदा में 16 और 17 फरवरी को आयोजित की गई।

16 फरवरी को कार्यशाला का उद्घाटन, महाराज सियाजीराव विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के रीडर डॉ. वंशीधर शर्मा ने किया। अपने वक्तव्य में डॉ. शर्मा ने स्वतंत्र भारत के 4 स्तम्भों का उल्लेख किया—1. संविधान, 2. राष्ट्रध्वज, 3. राष्ट्रगीत, और 4. राष्ट्रभाषा तथा कहा कि इनमें से एक भी स्तम्भ कमजोर होने से राष्ट्र की बुनियाद कमजोर होती है जो अंततः राष्ट्र के लिए अहितकर होती है उन्होंने बैंकों में हिंदी के प्रयोग का इसलिए भी अनिवार्य बताया क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक, देश के अधिकतम लोगों के आर्थिक उत्थान की सशक्त भूमिका निभा रहे हैं।

कार्यशाला की अध्यक्षता, प्रभागीय प्रबंधक श्री लक्ष्मीकांत हेगड़े ने की। उन्होंने बैंक में हिंदी के प्रयोग के बढ़ते हुए महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि शाखा-प्रबंधकों को अगर हिंदी थोड़ी कम भी आती हो तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी भूमिका यह है कि वे हिंदी में काम कराएं तथा शाखा से अधिकाधिक पत्राचार हिंदी में होना सुनिश्चित करें।

17 तारीख को समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता, अलकापुरी शाखा के प्रभागीय प्रबंधक श्री दिनकर शेट्टी ने की। सभी प्रतिनिधि शाखा-प्रबंधकों ने स्वीकार किया कि वे हिंदी-कार्यशाला से अत्यंत लाभान्वित हुए हैं और वायदा किया कि वे मार्च तिमाही में ही अधिकतम कार्य और पत्राचार अपनी शाखाओं से हिंदी में कर लेंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कार्यशाला में उन्हें इतना पर्याप्त मार्गदर्शन मिला है कि वे यह वचन देने में खुद को समर्थ महसूस कर रहे हैं।

अध्यक्ष श्री दिनकर शेट्टी ने शाखा-प्रबंधकों के इस वचन की सराहना करते हुए संतोष व्यक्त किया कि दो दिन की हिंदी-कार्यशाला हमारे शाखा-प्रबंधकों में इतना आत्म विश्वास पैदा कर सकी है। इससे निश्चय ही कार्यशाला की सार्थकता सिद्ध हुई है। उन्होंने आग्रह किया कि शाखा में जाने के बाद शाखा-प्रबंधक अपने वचन का पूरा करने के लिए ठोस उपाय कर। उन्होंने सभी सहभागी शाखा-प्रबंधकों को उनकी सहभागिता के लिए धन्यवाद पत्र भी प्रदान किये।

राजभाषाधिकारी श्री भुवनचन्द्र ने आभार व्यक्त करके कार्यशाला के समापन की घोषणा की।

आकाशवाणी, रांची

आकाशवाणी केन्द्र रांची में 28 व 29 दिसंबर 1989 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यालय में हिंदी को व्यावहारिक रूप में अपनाने तथा राजभाषा से संबंधित नियमों के अनुरूप हिंदी कार्यान्वयन में गति लाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन महत्वपूर्ण समझा गया। केन्द्र के अधीक्षण अभियंता श्री नरेन्द्र नाथ अग्रवाल ने इसका उद्घाटन किया।

कार्यशाला में चार प्रासंगिक विषयों—संविधान में हिंदी का स्थान, हिंदी में टिप्पणी/प्रारूप हिंदी लेखन की सामान्य अशुद्धियां तथा हिंदी में पारिभाषिक शब्द पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

आकाशवाणी, रांची के श्री ज्ञानेन्द्र किशोर प्रसाद के अतिरिक्त अन्य स्थानीय कार्यालयों के हिंदी अधिकारी सर्वश्री जगतानन्द (मेकन) एवं कुशेश्वर ठाकुर (सी.एम.पी.डी.आई.) भी व्याख्याता के रूप में शामिल हुए।

कार्यक्रमों की समाप्ति के बाद केन्द्र निदेशक श्री रामेश्वर नाथ मांझी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

बैंक आफ इंडिया, आगरा

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 19 से 21 फरवरी 1990 तक आगरा एवं गाजियाबाद क्षेत्रों के अधिकारियों हेतु तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन के कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री अविनाश राजे ने की तथा मुख्य अतिथि थे राजाबलवंत सिंह कालेज के अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष श्री आर पी तिवारी। डॉ. तिवारी ने कहा कि "साहित्य की भावना एक है, भाषा भले ही अलग हो परन्तु भाषा की एकरूपता ही राष्ट्र की एक रूपता है। अंग्रेजी के शब्दों में सांस्कृतिक भावना का अभाव है। हमें अपनी भाषा पर अभिमान होना चाहिए। हिन्दी की सांस्कृतिक सम्पन्नता भी अपने आप में एक मिसाल है।"

अध्यक्षीय भाषण में क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री अविनाश राजे ने इस बात पर बल दिया कि हमें सरल और सटीक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और हिन्दी के कामकाजी स्वरूप को अपनाना चाहिए।

कार्यशाला के समापन सत्र में आयोजित हिन्दी परीक्षा में श्री वी. एल. अग्रवाल अधिकारी शाखा कन्यौज को प्रथम, श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव, अधिकारी शाखा जागीर को द्वितीय, तथा श्री के. के. अग्निहोत्री, अधिकारी शाखा सौरिख को तृतीय पुरस्कार से क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री अविनाश राजे ने सम्मानित किया और सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे अपनी शाखाओं में लौटकर अपने कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें। कार्यशाला का संचालन तथा संयोजन श्री संजीव पाठक ने किया।

तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली

तटरक्षक के वर्दीधारी तथा सिविलियन अफसरों को सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराने एवं हिन्दी के प्रयोग की गति बढ़ाने के उद्देश्य से तटरक्षक मुख्यालय नई दिल्ली में दिनांक 29 मार्च, 90 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस में कमोडोर डी आई जी रैंक तक के वरिष्ठ अफसरों सहित 16 अफसरों ने भाग लिया।

तटरक्षक महानिदेशक, वाइस एडमिरल ही. जॉनसन ने उद्घाटन करते हुए आशा व्यक्त की कि कार्यशाला में भाग लेने वाले अफसर आने वाले दिनों में हिन्दी का व्यापक प्रयोग करके कार्यशाला की सफलता का सबूत देंगे।

कार्यशाला में श्री मणिराम, निदेशक (रा.भा.) रक्षा मंत्रालय, तथा प्रोफेसर सूरजभान सिंह, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष ने राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों तथा विभिन्न प्रोत्साहन पुरस्कारों के विषय में चर्चा की।

अन्त में कमोडोर, भा. नौ. (सेवानिवृत्त) जे. पी. कारनियरो, डी आई जी ने आशा व्यक्त की कि अफसरान तटरक्षक महानिदेशक की इच्छानुरूप इस कार्यशाला का पूरा-पूरा लाभ उठाएंगे।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में

राजभाषा प्रतियोगिता

प्राधिकरण के सभी कार्यालयों के बीच प्रतिवर्ष एक "राजभाषा प्रतियोगिता" आयोजित करने का निर्णय लिया गया। प्रतियोगिता केलेण्डर वर्ष के लिए हो। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले निदेशालयों/कार्यालयों को क्रमशः शील्ड, ट्रॉफी और कप दिए जाएं।

प्रतियोगिता के लिए समस्त प्राधिकरण को निम्नलिखित चार समूहों में बांटा गया है :—

(क) मुख्यालय के विभिन्न निदेशालय।

(ख) मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय

(ग) मध्यम आकार के फील्ड संगठन (जहां कर्मचारियों की संख्या 100 से अधिक है).

(घ) लघु आकार के फील्ड संगठन (जहां कर्मचारियों की संख्या 100 से कम है)

राजभाषा में किए गए कार्य का मूल्यांकन अंकों के आधार पर होता है। हिन्दी में पत्राचार, देवनागरी में यांत्रिक सुविधाएं व राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन पर अधिक जोर दिया जाता है। इस प्रकार वर्ष 1988 के दौरान किए गए कार्य का मूल्यांकन किया गया और मुख्यालय की 5-12-1989 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में विभिन्न प्रतियोगी निदेशालयों/कार्यालयों को निम्नलिखित पुरस्कार वितरित किए गए।

पुरस्कारों का वितरण प्राधिकरण के अध्यक्ष, एयर मार्शल चं.शा. राजे ने किया। इस अवसर पर मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के साथ-साथ राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय,) सार्वजनिक उद्यम कार्यालय व नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन निदेशालय का प्रथम पुरस्कार श्री ओम प्रकाश जैन, उप निदेशक प्रशासन, कार्मिक निदेशालय का द्वितीय पुरस्कार श्री वेद प्रकाश, उप निदेशक कार्मिक तथा विमानक्षेत्र एवं विमानमार्ग (योजना) निदेशालय का तृतीय पुरस्कार श्री कुल भूषण खन्ना, उप निदेशक ने ग्रहण किया।

मुख्य क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच हुई प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार श्री केदार नाथ बहल, समन्वय निदेशक, कलकत्ता क्षेत्र, द्वितीय पुरस्कार श्री प्रेमनाथ, कार्यपालक निदेशक, दिल्ली क्षेत्र व तृतीय पुरस्कार नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद की ओर से श्री के. रामालिंगम्, उप निदेशक, ना.वि.प्र. कक्ष ने ग्रहण किया। मध्यम आकार के फील्ड कार्यालयों में द्वितीय पुरस्कार अहमदाबाद विमान क्षेत्र के श्री एन.के. त्रिपाठी, निदेशक विमानपत्तन व तृतीय पुरस्कार पटना विमानक्षेत्र की ओर से समन्वय निदेशक, कलकत्ता क्षेत्र ने ग्रहण किया। लघु आकार के फील्ड कार्यालयों में ललितपुर विमान क्षेत्र के लिए द्वितीय पुरस्कार श्री आर.एस. जसवाल, विमानक्षेत्र अधिकारी ने प्राप्त किया।

अध्यक्ष एयर मार्शल राजे ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता प्राधिकरण में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के कामकाज में हिन्दी को हर प्रकार से प्रोत्साहित किया जाएगा और हिन्दी में काम करने वालों को निरन्तर अपने काम में वृद्धि करते रहना चाहिए।

राजभाषा विभाग के उप सचिव (कार्यान्वयन) श्री भगवान दास पटैरया ने योजना की सराहना की और कहा कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रयास अनुकरणीय है। उन्होंने आशा प्रकट की यदि यही क्रम चलता रहा तो प्राधिकरण राजभाषा के प्रयोग में शीघ्र अपना विशिष्ट स्थान बना लेगा।

देवनागरी में नवीनतम तकनीकी सुविधाएं

"वीनस" द्विभाषी प्रकाशक

मैं. सोफ्टवेयर रिसर्च ग्रुप ने एक द्विभाषी डैस्क-टाप प्रकाशन सोफ्टवेयर "वीनस" बनाया है। इस पैकेज की मुख्य विशेषताएं हैं, कुंजीपटल से सीधे पाठ भरना, टाइपराइटर या ध्वन्यात्मक कुंजीपटल, पृष्ठ के मार्जिन, कालम और पंक्तियों का निर्धारण, पृष्ठ का डिजाइन और पाठ के फार्मेटिंग की सुविधाएं तथा विभिन्न आकारों और रैलियों के अक्षर। इसमें उपलब्ध भाषाएं हैं--हिन्दी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु। इस पैकेज में लाइनें, खाने, विशेष चिह्न और बार्डर आदि बनाने की सुविधाएं भी शामिल । इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें:—मै. सोफ्टवेयर रिसर्च ग्रुप, 35/3/ए, दूसरी मंजिल, लैंगफोर्ड रोड, बेंगलूर-560025 फोन 233276

लिप्यन्तरण पैकेज

जिस्ट प्लग-इन-कार्ड और जिस्ट टर्मिनल की सहायता से पर्सनल कंप्यूटरों और अन्य कंप्यूटर प्रणालियों पर भारतीय भाषाओं में आंकड़ों का संसाधन संभव है। फिर भी जिन उपभोक्ताओं ने अपने यहां ये उपकरण लगाए हैं उनके लिए वर्तमान आंकड़ों के द्विभाषीकरण अर्थात् आंकड़ों को द्विभाषी रूप में पुनः भरने की समस्या बनी हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए तकनीकी कक्ष ने जिस्ट प्लग-इन-कार्ड युक्त आई बी एम पर्सनल कंप्यूटरों और जिस्ट टर्मिनलों से युक्त "जीनिक्स" पर आधारित प्रणालियों के लिए एक सोफ्टवेयर पैकेज तैयार किया है जो वर्तमान आंकड़ों को लगभग 85-90 प्रतिशत शुद्धता के साथ भारतीय भाषाओं में परिवर्तित कर सकता है। यह पैकेज निम्नलिखित पते पर निःशुल्क उपलब्ध है:—

निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, 8वीं मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003, फोन 362386, 362371

जिस्ट कार्ड और टर्मिनल

मै. नेशनल इफोर्मेशन टैक्नोलॉजी लि. ने भी जिस्ट टैक्नोलॉजी पर आधारित प्लग-इन-कार्ड और टर्मिनल का उत्पादन आरम्भ कर दिया है। इनके बार में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें।

मै. नेशनल इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी लि०, 4 पी.टी.आई. बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन 388138, 386621-23

मल्टीलाईन डिस्पले टाइपराइटर

मै. गोदरेज ने भी एस द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों का निर्माण प्रारम्भ किया है जिनमें पाठ की 4-5 लाइनें एक साथ दिखाई जाती हैं। इन टाइपराइटरों के विभिन्न माडलों में बड़ी मात्रा में संग्रह की क्षमता, फ्लोपी डिस्क के प्रयोग से सहायक संग्रह और सामान्य आकार के दृश्यपटलों से संपर्क की सुविधा उपलब्ध है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें।

मै. गोदरज एंड वायस मै.क.प्रा.लि. गोदरज भवन, ओखला, नई दिल्ली 110065 फोन 6830348, 6830738

"एम एल वर्क्स" द्विभाषी शब्दसंसाधक

मै. किर्लोस्कर ने आई.बी.एम. पर्सनल कंप्यूटरों के लिए एक द्विभाषी शब्दसंसाधक पैकेज "एम.एल. वर्क्स" बनाया है जो अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी या कन्नड़ में भी काम करता है। इस शब्द संसाधक में शब्दसंसाधन की सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ-साथ खड़ी और लेटी रेखाएं खीचने और गणित की क्षमता भी उपलब्ध है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें।

मै. किर्लोस्कर कंप्यूटर सर्विसेज पो. बाक्स न. 5570, मालेस्वरम् वैस्ट, बंगलौर-560055 फोन 322280, 322082, 322583

बी बी सी/एस सी एल माइक्रो कंप्यूटरों के लिए भारतीय लिपियों की सुविधा

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने एक "रोम" चिप का विकास किया है, जिसका प्रयोग करके बी बी सी/एस सी एल माइक्रो कंप्यूटरों पर भारतीय भाषाओं के माध्यम

से एप्लीकेशन सोफ्टवेयर का विकास किया जा सकता है, भारतीय लिपियां अंग्रेजी की तरह पाठ तथा ग्राफिक्स दोनों ही रूपों में दर्शाई जा सकती है। मशीन की लगभग सारी सुविधाएं जैसे, रंग, पाठ और ग्राफिक विण्डो की रचना, नए अक्षर बनाने, वैरिएबल्स का प्रयोग ग्राफिक चित्रों का निर्माण, एनीमेशन आदि इस सुविधा की सहायता से भारतीय लिपियों के साथ भी काम करती है, प्रत्येक रोम चिप में 4 भारतीय लिपियां आ सकती हैं। उपलब्ध लिपियां है, हिन्दी, कन्नड़ तमिल और तेलगु। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानसगगोक्षी, मैसूर-570006 (कर्नाटक)

याद रहे—केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों (मंत्रालयो, विभागों उपक्रमों, बैंकों आदि) में केवल (हिन्दी-अंग्रेजी) इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर ही लगाए जाने हैं। (राजभाषा विभाग का दिनांक 15 जून, 1987 का कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/20/87-रा.भा. (त.क.)

अगर आपके पास इस विषय पर कोई अन्य जानकारी है तो कृपया इस पते पर सूचित करें-निदेशक (तकनीकी), तकनीकी कक्ष, राजभाषा विभाग, 8वां तल, बी ब्लाक, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003. फोन 362386, 362371

जीवन विद्या ट्रस्ट

जीवन विद्या, ट्रस्ट, बम्बई में पंजीकृत एक स्वायत्त एवं लाभ-निरपेक्ष कल्याणकारी संस्था है, जिसकी स्थापना कतिपय उत्साही जीवन बीमा अभिकर्ताओं के दृढ़ संकल्प एवं प्रयासों से सम्भव हुई है।

उल्लेखनीय है **कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से जीवन बीमा के क्षेत्र में शिक्षण-प्रशिक्षण की सम्पूर्ण भारत में यह पहली संस्था है** जिसे जीवन बीमा निगम समर्पित अभिकर्ताओं, सुविज्ञ प्रशिक्षकों तथा प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग प्राप्त हैं

परिप्रेक्ष्य एवं उद्देश्य

विगत कुछ वर्षों में सामाजिक-आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप विनियोग अवसरों में वृद्धि व विविधता के परिणामस्वरूप जीवन बीमा एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी, दक्षतापूर्ण व व्यावसायिकता प्रधान क्षेत्र होता जा रहा है। आत्म-विश्वास, लगन एवं स्वप्रेरणा द्वारा ही बीमा अभिकर्ता विक्रय के उच्चतर आयामों की प्राप्ति करके स्वयं के साथ-साथ समाज को भी भौतिक दृष्टि से लाभान्वित कर आत्म-संतुष्टि एवं जन-कल्याण के उत्कृष्ट उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है।

क्या आप प्रतिस्पर्धा व व्यावायिकता के इसयुग में वास्तव में महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट बनना चाहते हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा प्रवर्तित

हिन्दी भाषा में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली इस प्रथम संस्था के पाठ्य-क्रम की उपयोगिता को स्वीकारते हुए जीवन बीमा निगम ने अपने क्षेत्रीय (Zonal) व मण्डल (Divisional कार्यालयों के माध्यम से अभिकर्ताओं को प्रवर्तित करने का निश्चय किया है।

प्रशिक्षार्थी को आने-जाने का खर्च स्वयं वहन करना होगा। ऐसे अभिकर्ताओं को भी जो व्यक्तिगत स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, इस संस्थान में प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश संख्या को 40 से 50 के मध्य सीमित रखा गया है।

पाठ्यक्रम शुल्क

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री का कुल शुल्क मात्र रु. 850/—है।

भोजन एवं आवास व्यवस्था

संस्थान द्वारा बहुत कम मूल्य पर सुविधाजनक आवास एवं उत्कृष्ट भोजन की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए लगभग रु. 750/—देय होंगे।

प्रवेश हेतु पात्रता

(1) एस.एस.सी. परीक्षा में उत्तीर्ण व तीन वर्ष का न्यूनतम अनुभव-स्नातक व न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव (2) क्लब सदस्य (3) इसके अलावा उन अभिकर्ताओं को भी प्रवेश दिया जा सकता है जिन्हें प्रवेश समिति योग्य समझेगी अथवा जिसे निगम अधिकृत कर देगा। अब तक संस्थान द्वारा सफलतापूर्वक सम्पन्न सात प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 192 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

जीवन बीमा व विपणन डिप्लोमा

सफल प्रशिक्षणार्थियों को जीवन बीमा प्रबन्ध व विपणन डिप्लोमा की उपाधि दी जाती है।

सम्पर्क क्षेत्र

श्री एच. एम. जन, अध्यक्ष
80-ए, डॉ. एम.बी. वैल्कर स्ट्रीट
जैन भवन, बम्बई-400002.

फोन कार्यालय : 252409
निवास-381253

श्री बाबूलाल तातला, सचिव
सोमानी बिल्डिंग, मयंक सिनेमा के पीछे, संसार चन्द्र लिंक रोड जयपुर-322101.

फोन कार्यालय : 63720-79307
निवास :—62689
तार : बीमा एजेन्ट

समाचार दर्शन

अंग्रेजी छोड़ें, हिन्दी अपनाएं

—देवी लाल

उप प्रधान मंत्री श्री देवी लाल ने पूर्वांचल के दौरे के अवसर पर डौनई पोलो विद्या भवन के छात्रों को सम्बोधित करते हुए अंग्रेजी की बजाए हिन्दी को लोकप्रिय बनाए जाने पर जोर देते हुए कहा : "यदि एक रूसी, अंग्रेजी भलीभांति जानते हुए भी , रूसी बोलता है और फ्रांस के प्रधान मंत्री ने, अपने भारत के दौरे में अपनी ही भाषा में भाषण दिया तो एक भारतीय को अपनी भाषा हिन्दी बोलने में गर्व क्यों नहीं होना चाहिए जोकि उसकी अपनी भाषा है ?"

—दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स
(9-4-90) से साभार

□

अजमेर कारखाना मे हिन्दी प्रदर्शनी

महाप्रबन्धक श्री कृ० सुब्रहमणियम ने दिनांक 7-3-90 को मु० का० प्र० रोहतगी एवं मं रे प्र श्री सिन्हा के साथ अजमेर कारखाना में हिन्दी सप्ताह के अंतर्गत आयोजित राजभाषा प्रदर्शनी का उद्घाटन और पुरस्कार वितरण के साथ कारखाना राजभाषा पत्रिका "वाणी विलास" के कार्यालय-विशेषांक का विमोचन भी किया।

□

स्कूलों में अनिवार्य केवल हिन्दी होनी चाहिए

—बनारसीदास गुप्त

चण्डीगढ़ (संतोष तिवारी), 7 जून, श्री गुप्त ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे सरकारी कामकाज में हिन्दी के इस्तेमाल का जो आदेश जारी किया, उसकी भी प्रशासनिक क्षेत्रों में काफी चर्चा है। इस प्रकार वह हिन्दी प्रदेशों के उन मुख्यमंत्रियों की पंक्ति में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अपने यहां हिन्दी को उसका सही स्थान दिलाने का निश्चय किया है। बातचीत में श्री गुप्त ने कहा कि वह इस आदेश में पूरी तरह दृढ़ हैं और हर कीमत पर इसे लागू कराकर रहेंगे। लेकिन यदि बड़े अधिकारियों ने रुकावट डालने की कोशिश की तो ? उन्होंने निस्संकोच कहा, 'अगर उनकी नौकरी करनी है तो आदेश पर अमल करना ही पड़ेगा।' मुख्यमंत्री ने कहा, 'यह वहम है कि सरकारी काम अंग्रेजी के बिना चल ही नहीं सकता। हिन्दी तो बहुत ही सक्षम भाषा है। फिर भी वह हमारी राष्ट्रभाषा और हरियाणा की राजभाषा भी है।' उन्होंने कहा कि जब पंजाब में पंजाबी में, तमिलनाडु में तमिल में और आंध्र प्रदेश में तेलुगु में काम हो सकता है तो फिर हरियाणा में हिन्दी में काम क्यों नहीं हो सकता।

वह इस पर भी आजकल विचार कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों के साक्षात्कार से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। एक अन्य सवाल पर उन्होंने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करने के बारे में वह शीघ्र ही मंत्रि-मंडलीय सहयोगियों, अधिकारियों और आयोग के सदस्यों से विचार विमर्श करेंगे। अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए श्री गुप्त ने कहा, 'हम अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा के विरूद्ध नहीं हैं। अगर कोई चाहे तो अंग्रेजी, फ्रेंच या चीनी भाषा भी पढ़ सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि स्कूल में अनिवार्य केवल हिन्दी होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि जब वह 1969 में विधान सभाध्यक्ष बने थे तो विधान सभा की पूरी कार्यवाही हिन्दी में चलाता था और अपनी सभी व्यवस्थाएं उन्होंने हिन्दी में दी थीं। इसी प्रकार जब वह 1975 में मुख्यमंत्री बने तो सरकारी कामकाज में हिन्दी लागू कर दी थी, जिसके अच्छे नतीजे सामने आए थे।

सौजन्य : दैनिक हिन्दुस्तान

□

भोपाल में राजभाषा पुरस्कार वितरण

भोपाल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा दि. 22 जनवरी 1990 को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के सभागृह में आयोजित वार्षिक समारोह कार्यक्रम में बैंक आफ महाराष्ट्र के अंचल को वर्ष 1989 के सर्वोत्तम हिन्दी

कामकाज पर राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। यह शील्ड भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली, सचिव श्री आर के शर्मा ने अधोहस्ताक्षरी को प्रदान की। इसी तरह की समान स्तर की बैजयंतियां अन्य चार बैंकों को भी दी गई।

इनके अलावा हिन्दी में पूरा बैंकिंग कामकाज करने पर द्वय अधिकारियों श्री देवदत्त शर्मा, सुरक्षा एवं विपणन अधिकारी अंचल कार्यालय, भोपाल और श्री शरद इंगले, कृषि अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को श्रेशस्ति प्रदान किये गये।

पारादीप में नेहरू जन्म शताब्दी समारोह

पारादीप नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के द्वारा गत वर्ष नेहरू जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। विख्यात लेखक डॉ० महीपसिंह, राजभाषा विभाग के निदेशक (अनुसंधान) डॉ० महेश चन्द्र गुप्त और राजभाषा विभाग (पूर्वी क्षेत्र) के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री० सिद्धिनाथ झा इस समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित थे। इस अवसर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के द्वारा कर्मचारियों, स्कूल के विद्यार्थियों और महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विजेताओं को समिति के द्वारा नगद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। विभिन्न स्कूलों और महिला क्लबों के द्वारा पत्तन न्यास के सामुदायिक केन्द्र में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। श्री. प्रसन्न कुमार मिश्र, अध्यक्ष, पारादीप पत्तन न्यास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। डॉ. एच. बी. प्रधान सहायक समाहर्ता सीमाशुल्क विभाग ने धन्यवाद दिया।

समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न करने का श्रेय श्री. एस. के. पटनायक आई. ए. एस सचिव पारादीप पत्तन न्यास एवं सदस्य सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को रहा।

हिन्दी पुस्तक प्रदर्शनी

बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा चंडीगढ़ के तत्वावधान में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी बैंकों द्वारा एक संयुक्त पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय चंडीगढ़ में किया गया।

पुस्तक प्रदर्शनी के लिए एक उपसमिति का गठन किया गया है हम सहर्ष सूचित करते हैं कि उपसमिति में निम्नलिखित 5 बैंकों को सम्मिलित किया गया है :

1. भारतीय स्टेट बैंक (संयोजक)
2. पंजाब नेशनल बैंक (सदस्य)
3. केनरा बैंक (सदस्य)
4. पंजाब एण्ड सिंध बैंक (सदस्य)
5. यूको बैंक (सदस्य)

उपसमिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पुस्तक प्रदर्शनी प्रातः 10 बजे से सायंकाल 6 बजे तक चली। प्रदर्शनी का उद्घाटन भारतीय स्टेट बैंक मुख्य महाप्रबंधक श्री जी. एच. देवलालकर द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में 12 बैंकों ने भाग लिया।

केनरा बैंक द्वारा लगाए गए स्टाल का अवलोकन करते हुए श्री देवलालकर ने कहा :

"केनरा बैंक इस क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निबाह रहा है मैं आशा करता हूं कि केनरा बैंक द्वारा हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में ली गई रुचि का दूसरे बैंकों पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।"

विशेष उल्लेखनीय

सभी बैंकों ने अपने स्टाल में अपने आन्तरिक प्रकाशन के साथ साथ विभिन्न प्रकाशकों की पुस्तकें भी प्रदर्शित की थी किन्तु केनरा बैंक के केवल आन्तरिक मौलिक प्रकाशन ही प्रदर्शित किए गए थे। जिसकी सभी ने भूरिभूरि सराहना की। इस पर टिप्पणी करते हुए श्री देवलालकर ने कहा :

"दूसरों से सुन्दर चीजें उधार लेकर तो सभी अपना घर साज लेते हैं किन्तु केवल अपनी ही मौलिक चीजों के प्रदर्शन का अपना अलग ही महत्व होता है। इसके लिए दूसरे बैंकों को चाहिए कि वे भी केनरा बैंक का अनुसरण करें।

इस अवसर पर केनरा बैंक की गृह पत्रिका की प्रति श्री एस. सी. गौड़ ने श्री जी. एच. देवलालकर को भेंट की। पुस्तक प्रदर्शनी अत्याधिक सफल एवं कारगार सिद्ध हुई। विभिन्न कार्यालयों के लगभग 3000 कर्मचारियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। □

राजभाषा पत्रिका "स्रावन्ती" का विमोचन

आयुध निर्माणी कानपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रकाशित राजभाषा पत्रिका "स्रावन्ती" के द्वितीय पुष्प का विमोचन समारोह एवं राजभाषा कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित हिन्दी निबन्ध, हिन्दी टंकण, वाद-विवाद एवं काव्य पाठ प्रतियोगिताओं में सफल कर्मचारियों/प्रतियोगिओं को पुरस्कृत करने हेतु पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 1 दिसम्बर, 1989 को निर्माणी के जलपान-गृह में सम्पन्न हुआ।

समारोह का उद्घाटन एवं पत्रिका का विमोचन निर्माणी के महाप्रबन्धक श्री रामचन्द्रन राममूर्ति ने किया। श्री पी. आर. राव, अपर महाप्रबन्धक एवं अध्यक्ष/राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने अध्यक्षता की। श्री सुरेश कुमार कुलश्रेष्ठ, राजभाषा अधिकारी ने मुख्य अतिथि एवं आगन्तुकों का स्वागत किया और समारोह के संयोजक श्री प्रेम सरन ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

हिन्दी अंतरराष्ट्रीय जगत में तेजी से स्थान बना रही है ।

आगरा के लोकप्रिय हिन्दी दैनिक अमर उजाला के स्वर्गीय सम्पादक श्री अनिल अग्रवाल ने अपनी मृत्यु से तीन दिन पूर्व हिन्दुस्तान को दी गई अपनी अंतिम भेंटवार्ता में कहा था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अभी तक मान्यता न मिलने की बात कहने वाले लोग कूप मण्डूक के समान हैं। मैं अमरीका, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य व पश्चिमी एशिया, रूस, अफ्रीका तथा यूरोपीय देशों के भ्रमण के उपरांत अपने निजी अनुभव एवं जानकारी के आधार पर दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दी हमारी अपेक्षा से अधिक अंतरराष्ट्रीय जगत में बड़ी तेजी से अपना स्थान बनाती जा रही है।

हिन्दी भाषा के अध्ययन और उसके व्याकरणीय ज्ञान के लिए विश्व के प्रत्येक देश के भाषाविद अति उत्सुकता से रूचि ले रहे हैं। विश्व का कोई देश अब हिन्दी के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। विश्व के सभी देशों, विशेषकर अति विकसित अमरीकी एवं यूरोपीय देशों में भारतीय संस्कृति के प्रति अत्यधिक रूझान है और भारतीय संस्कृति के पूर्ण ज्ञान के लिए हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसलिये विदेशों में लाखों की संख्या में लोगों ने हिन्दी पढ़ना शुरू कर दिया है। इसके बेसिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी सिखाने का कार्य दुनिया की सभी सरकारों के शिक्षा विभागों ने शुरू कर दिया है।

स्वर्गीय अनिल अग्रवाल ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि विश्व के सभी देशों के प्रबुद्ध निवासी यह भलीभांति जानते हैं कि हिन्दी विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्रीय देश, 80 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत की राष्ट्रभाषा है। विश्व के सभी समझदार, राजनयिक, विद्वान, वैज्ञानिक, उद्यमी श्रमिक नेता तथा सांस्कृतिक क्षेत्रीय रंगकर्मी हृदय से स्वीकार, करते हैं कि मूलरूप से शांति और विश्व मानव कल्याण में विश्वास रखने वाला महान देश भारत एक न एक दिन विश्व के सभी देशों की भयाक्रांत जनता के लिए शांतिदूत के रूप में उभरकर आएगा। हिन्दी के विकास और अंतरराष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में उसकी स्थापना के लिए विदेशियों की ऐसी धारणा एक शुभ लक्षण माना जाना चाहिए।

श्री अनिल अग्रवाल ने कहा था कि विदेशों से हिन्दी के पत्रकारों और साहित्यकारों को अति प्यारभरे सम्मान के साथ देखा जाता है। कई देशों के पत्रकार व राजनयिक तो भारत के पत्रकारों तथा राजनयिकों को अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी में अपनी बात कहते हुए देखते सुनते हैं तो उनका उत्सकतापूर्ण प्रश्न होता है कि ऐसे अंग्रेजी प्रेमी भारतीय क्या अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी का ज्ञान नहीं रखते हैं अथवा उन्हें अपनी राष्ट्रभाषा में बातचीत करते हुए हीनत्व की भावना का अनुभव होता है जिससे कि वे विदेशी भाषा अंग्रेजी बोलने में बजाय लज्जित होने के गौरव अनुभव करते हैं।

हिन्दी के कट्टर समर्थक किन्तु अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता युवा पत्रकार श्री अनिल अग्रवाल की मान्यता थी कि हिन्दी भाषी क्षेत्र के कट्टरपंथी हिन्दी रचनाकारों व वक्ताओं की संकीर्णता के कारण हिन्दी का प्रसार अवरुद्ध हुआ है। हिन्दी तो निरंतर प्रवाहित होने वाली पवित्र भागीरथी के समान है जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को स्नान का पुण्य लाभ लेने का अधिकार है। हिन्दी को देश की भाषा बनाने के लिए भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को यथासंभव अपनाना होगा और जनभाषा के रूप में विकसित करने के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं रूपी नदियों के प्रवाह को विशाल भागीरथी हिन्दी में संगमित करना होगा। श्री अनिल का पक्का विश्वास था कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा व जनभाषा बनाने का श्रेय दक्षिण भारत की जनता और वहां के विद्वानों को ही जाने वाला है। वे ही दक्षिण के विद्वान संत शिरोमणि शंकराचार्य व महाप्रभु बल्लभाचार्य आदि बनकर दक्षिण से हिन्दी प्रचार प्रसार की गंगा को उत्तर भारत के हिन्दी भाषियों के घर-घर में पहुचाने का कार्य सम्पादित करेंगे।

दैनिक हिन्दुस्तान : 1.10.89 से साभार

□

सीधी भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता में ढील

केन्द्रीय सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं में न केवल सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प दिया जाए अपितु अंग्रेजी भाषा के अनिवार्य प्रश्न के विकल्प में भी हिन्दी भाषा का भी एक प्रश्न पत्र रखा जाए। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली ने बैंकिंग सेवा भर्ती मण्डल जयपुर से भी निवेदन किया था। उसके सचिव ने परिषद् के नाम अपने 20-4-1990 के पत्रांक बी एस आर बी/263 द्वारा निम्नप्रकार से सूचित किया है:—

यह आवश्यक समझा गया है कि बैंकों में नियुक्त किए जाने वाले लिपिकों को अंग्रेजी भाषा का अपेक्षित न्यूनतम स्तर का ज्ञान हो। इसलिए, अंग्रेजी भाषा का प्रश्न पत्र केवल उत्तीर्ण करना आवश्यक है। उसके प्राप्तांक परीक्षार्थियों की योग्यता सूची के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किए जाते।

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (दिल्ली) ने भी प्रबन्ध में प्रशिक्षणार्थियों/परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता में जैसा कि बोर्ड के रोजगार समाचार-पत्र के 5 मई, 1990 के अंक में छपे विज्ञापन में स्पष्ट किया है,—अंग्रेजी भाषा की परीक्षा तथा वर्णनात्मक परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अन्य प्रश्न पत्रों के परिणाम के आधार पर मैरिट सूची बनाई जाएगी।

शेष पृष्ठ 104 पर

राजभाषा प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना

भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

संसदीय राजभाषा समिति तथा जल संसाधन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसरण में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने सिंचाई विषयों पर पुस्तकें मूलतः हिन्दी में लिखने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एक पुरस्कार योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित है :

उद्देश्य

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लेखकों को प्रोत्साहन देना है जो सिंचाई सम्बद्ध विषयों पर पुस्तक मूलतः हिन्दी में लिखें। इसके लिए इन विषयों पर मूलतः हिन्दी में लिखने वाले सर्वोत्तम लेखकों को पुरस्कार दिए जाएंगे।

पात्रता

3. पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिए जाएंगे। इसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्मचारी भी भाग ले सकेंगे।

विषय

4. हर वर्ष निम्नलिखित सिंचाई से सम्बद्ध शाखाओं में हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों पर पुरस्कार दिए जाएंगे :

1. फसलों के लिए जल की आवश्यकता 2. सिंचाई के साधन 3. जल प्रबन्ध 9. लिफ्ट सिंचाई 5. भारत के जल स्रोत 6. नदी इंजीनियरी 7. सतही जल तथा भूमिगत जल का संयुक्त अपयोग 8. मृदा संरक्षण 9. जल संसाधन विकास 10. जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा प्रेक्षण 11. भूजल संसाधनों का मूल्यांकन 12. जल जमाव तथा जल निकास 13. जलाशय आयोजना 14. जलाशय तलछट 15. कमान क्षेत्र विकास 16. लघु सिंचाई 17. नदी घाटी सिंचाई योजनाएं 18. नदी बेसिन जल संसाधन आयोजना 19 बाढ़ नियंत्रण और 20. सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना—एक व्यापक सर्वेक्षण।

टिप्पणी : तत्संबंधी अन्य विषयों पर लिखी गई, जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है, पुस्तक पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वह पुस्तकें मूलतः सिंचाई से संबंधित हों।

5. इसमें शर्त यह होगी कि सरकार की संविदा के अनुसार अथवा, किसी सरकारी योजना के अन्तर्गत लिखी जाने वाली पुस्तकें पुरस्कार की पात्र नहीं होंगी।

6. यह भी शर्त है कि परिस्थितियों को देखते हुए यदि मूल्यांकन समिति किसी वर्ष किसी सिंचाई विषय पर लिखी गई तीन से अधिक पुस्तकों को पुरस्कार के लिए सिफारिश करती हैं तो भारत सरकार उस विषय की तीन से अधिक पुस्तकों को पुरस्कार दे सकती है।

7. पुस्तक का लेखक, चाहे पुस्तक पाण्डुलिपि हो या पहले से छपी हुई, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की जाने वाली तारीख तक सचिव, जल संसाधन मंत्रालय श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को उसकी 10 प्रतियां देगा।

8 पुरस्कारों की राशि

प्रथम पुरस्कार 5 हजार रुपए

द्वितीय ,, 3 हजार ,,

तृतीय ,, 2 हजार ,,

विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया, सहायक निदेशक (राजभाषा) जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली से सम्पर्क स्थापित करें।

अखिल भारतीय हिन्दी प्रतियोगिताएं—1990

भारत सरकार के अनुदान से केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्स वाई. 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023, द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी प्रतियोगिताएं-1990 की समय सारणी :

नाम प्रतियोगिता	आयोजन तिथि	पात्रता	पुरस्कार
अखिल भारतीय 26वीं हिन्दी निबन्ध	16, 17 जुलाई 90 सोमवार मंगलवार	केवल अहिन्दी भाषी कर्मचारी	प्रथम 101 रुपये, द्वितीय 71 रुपये, तृतीय 51 रुपये तथा प्रोत्साहन हिन्दीतर भाषी व हिन्दी भाषी क्षेत्र के लिए अलग-अलग पुरस्कार/चलशील्ड।

1	2	3	4
25वीं हिन्दी व्यवहार	1-8-90 से 30-9-90 तक (दो महीने)	कोई भी कर्मचारी	प्रथम पुरस्कार 351 रुपये, चलशील्ड पदक द्वितीय 251 रुपये पदक, तृतीय 201 रुपये कई प्रोत्साहन पुरस्कार व पदक ।
देवनागरी तार प्रतियोगिता	1-8-90 से 31-8-90 तक (एक माह)	कोई भी कर्मचारी	प्रथम 101 रुपये, द्वितीय 51 रुपये, तृतीय 31 रुपये बुकिंग प्रेषण और प्राप्ति वर्ग में अलग-अलग पुरस्कार व कई प्रोत्साहन के पुरस्कार ।
31वीं हिन्दी टाइपिंग	9,10-9-90 रविवार–सोमवार	कोई भी व्यक्ति	प्रथम 251 रुपये पदक, चलशील्ड, द्वितीय 201 पदक, तृतीय 151 रुपये महिला पुरस्कार 101 एवं 101, 51, 31 के कई पुरस्कार केन्द्र/राज्य स्तर पर ।
29वीं हिन्दी आशुलिपि	9-9-90 रविवार	कोई भी व्यक्ति	प्रथम पुरस्कार 501 रुपये, पदक, चलशील्ड, द्वितीय 351, तृतीय 201 रुपये 10 गति पुरस्कार।
उच्चगति आशुलिपि	नवम्बर में सुविधानुसार किसी भी तिथि को		निश्चित तिथि बाद में सूचित की जायेगी ।
25वीं हिन्दी टिप्पण	15-10-90 सोमवार	कोई भी	प्रथम 151 तथा पदक द्वितीय 101, तृतीय 71 रुपये कई प्रोत्साहन तथा हिन्दीतर भाषियों के लिए अलग-अलग ।
हिन्दी वाक्	नवम्बर 90 में किसी दिन स्थानीय सुविधा के अनुसार	केवल अहिन्दी भाषी	शाखा स्तर पर प्रतियोगिता की संख्या के अनुपात में।
12वीं वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिन्दी लेख	1-9-89 से 31-8-90 तक की अवधि में लिखे लेखों के आधार पर	कोई भी व्यक्ति	प्रथम 500 रुपये, द्वितीय 250 रुपये, तृतीय 150 रुपये एवं अन्य ।

(लेख प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30-9-90)

विशेष 1. कर्मचारी का तात्पर्य केन्द्र सरकार या उसके नियंत्रण की कंपनी, निगम उद्यम, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि के कर्मचारी तथा अधिकारी हैं ।

2. केन्द्र स्थापित करने के लिए कम से कम 5 कर्मचारी होने आवश्यक हैं।

3. प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए अलग-अलग पृष्ठ पर कार्मिकों के नाम भेजें और प्रत्येक पृष्ठ पर केन्द्र का नाम भी लिखने का कष्ट करें।

प्रेमचन्द घस्माना
प्रतियोगिता मंत्री

संस्कृत प्रेमी श्री गुलाम दस्तगीर अब्बास अली

आज जबकि साम्प्रदायिक बुखार जोरों पर है, भाषा, वेशभूषा, एवं पूजा पद्धति के झगड़ों पर मनुष्य-मनुष्य के खून का प्यासा हो रहा हो। परन्तु फिर भी इस संसार में सत्य को जानने वाले कुछ विद्वान् अभी विद्यमान हैं। श्री पं. गुलाम दस्तगीर अब्बास अली बिराजदार, मुम्बई निवासी हैं जो अपने धर्म का सही अनुसरण तो करते ही हैं, साथ दूसरे धर्मों का भी समभाव आदर करते हैं। यही कारण है कि वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ शुद्ध भाषा संस्कृत के अत्याधिक प्रेमी भी हैं। इसी स्नेह का उदाहरण उन्होंने अपनी पुत्री कु. ग्यासुन्निसा (ज्ञासु-निशा) के विवाह का "निमंत्रण पत्र' संस्कृत में छपवा कर दिया है तथा भारत के हिन्दू समाज को जगाने का प्रयास किया है तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा तथा अपने मुल्क के ज्ञानहीन पुरुषों को अच्छा झटका भी दिया है। श्री गुलाम दस्तगीर द्वारा संस्कृत भाषा में छपवाए गए अपनी बेटी के विवाह के निमंत्रण पत्र की फोटो प्रति —डा. भाई परमजीत सिंह

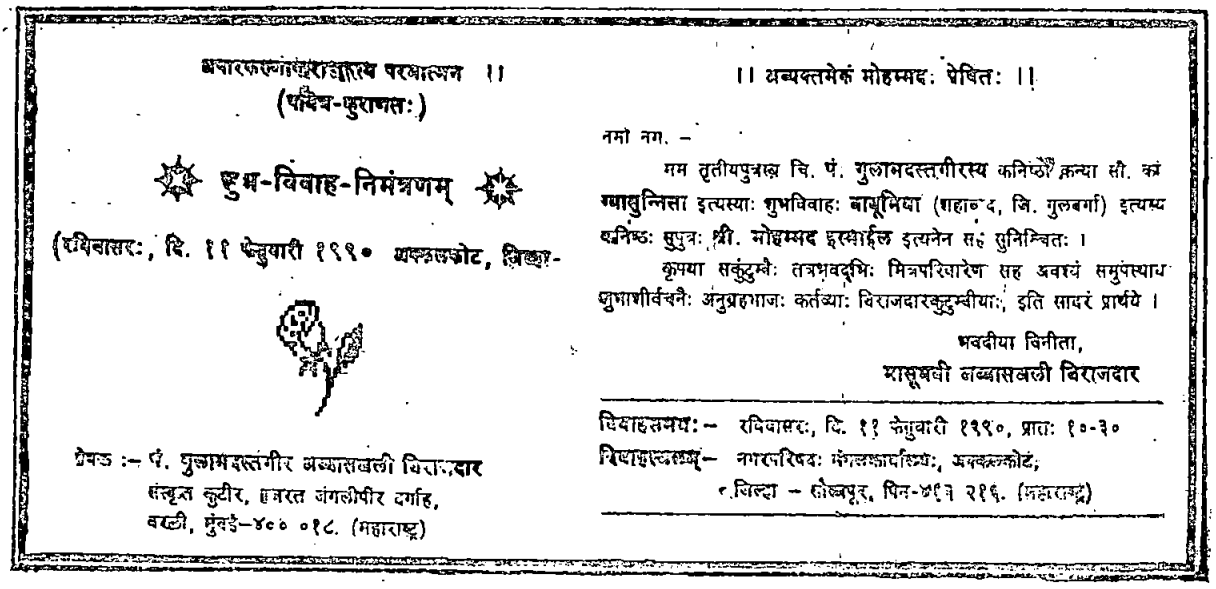

अचारफलानुरागात्तस्य परमात्मन ॥
(वेद-पुराणतः)

शुभ-विवाह-निमंत्रणम्

(रविवासरः, दि. ११ फेब्रुवारी १९९० अक्कलकोट, जिल्हा-

प्रेषक :- पं. गुलामदस्तगीर अब्बासअली बिराजदार
संस्कृत कुटीर, हजरत जंगलीपीर दर्गाह,
वरळी, मुंबई-४०० ०१८. (महाराष्ट्र)

॥ अव्यक्तमेकं मोहम्मदः प्रेषितः ॥

नमो नमः –

मम तृतीयपुत्रस्य चि. पं. गुलामदस्तगीरस्य कनिष्ठौ कन्या सौ. कुं ग्यासुन्निसा इत्यस्याः शुभविवाहः बाबूमिया (गहाण्ड, जि. गुलबर्गा) इत्यस्य कनिष्ठः सुपुत्रः श्री. मोहम्मद इस्माईल इत्यनेन सह सुनिश्चितः।

कृपया सकुटुम्बैः तत्रभवद्भिः मित्रपरिवारेण सह अवश्यं समुपस्थाय शुभाशीर्वचनैः अनुग्रहभाजः कर्तव्याः बिराजदारकुटुम्बीयाः, इति सादरं प्रार्थये।

भवदीया विनीता,
मासूमबी अब्बासअली बिराजदार

विवाहसमयः – रविवासरः, दि. ११ फेब्रुवारी १९९०, प्रातः १०-३०
विवाहस्थलम् – नगरपरिषदः मंगलकार्यालयः, अक्कलकोटः,
जिल्हा – सोलापूर, पिन-४१३ २१६. (महाराष्ट्र)

सौजन्य : पंजा (बकेसरी 25-3-90)

पृष्ठ 101 का शेष

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि उक्त बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों ने अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता के विषय में एक बीच का मार्ग अपनाया है। अतः अनुरोध है कि जब तक अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को हटाए जाने के हमारे प्रयत्न पूर्णतः सफल न हों तब तक जिन-जिन केन्द्रीय सरकार की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय है, उनमें वर्तमान परिस्थितियों में बीच के मार्ग को अपनाए जाने के लिए प्रयत्न किए जाएं।

केनरा बैंक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेंगलूर का निरीक्षण

दिनांक 5-2-90 को भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के सचिव श्री राधा कान्त शर्मा केनरा बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालय बेंगलूर में हिन्दी कार्य देखने हेतु पधारे। प्रशिक्षण महाविद्यालय की तरफ से तैयार किए गए पाठ्य सामग्री को देखकर श्री शर्मा ने संतोष व्यक्त किया। प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित होने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। नए कार्यपालक निदेशक श्री के० लक्ष्मीनारायणन् ने भी मार्गदर्शन किया।

श्री एच० जी० सोमश्वर राव ने प्रशिक्षण महाविद्यालयों में हो रही राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियों के बारे में प्रकाश डाला। श्री आर० एस० एल० प्रभु ने बैंक की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। तदुपरान्त श्री शर्मा ने केनरा बैंक व उनकी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में हो रही राजभाषा हिन्दी के काम की प्रशंसा की और अधिकाधिक कार्यक्रम हिन्दी में चलाने हेतु कहा गया। अंत में श्री एम० एम० किणी, मंडल प्रबन्धक ने आभार प्रदर्शन किया।

पुस्तक समीक्षा

हिमालय दर्शन

लेखक : स्वामी तपोवन महाराज
अनुवादक : डा. सुधांशु चतुर्वेदी
मूल्य : 100 पृष्ठ : 276
प्रकाशक : विद्या प्रकाशन मंदिर,
168,1 दरियागंज, नई दिल्ली - 2

भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक परिवेश में हिमालय पर्वत की एक अनुपम स्थिति है। हिमालय की पर्वत श्रंखला भारत की उत्तरी सीमाओं पर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सीमाएं निश्चित करती हैं। भारत के पौराणिक एवं ऐतिहासिक ग्रन्थों में हिमा य की एक अद्वितीय भूमिका रही है। वानप्रस्थ जीवन के उपरांत सन्यास लेने पर भारतीयों का रूप अधिकतर हिमालय की ही ओर होता था।

हिमालय के क्षेत्रों पर हिन्दी भाषा में आधुनिक काल में अधिक ग्रन्थ नहीं लिखे गए तथा स्वैन हैडिन की "ट्रांस हिमालयाज" या ज्यौसेप टुकी की तिब्बत पर पुस्तक की कोटि की हिन्दी में वर्तमान काल में शायद ही कोई पुस्तक लिखी गई हो। आमतौर पर हिमालय के क्षेत्रों में यात्री उसके प्राकृतिक सौन्दर्य तथा भौगोलिक स्थिति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखकर अपनी ऐतिहासिक जिज्ञासा की तुष्टि करने का यत्न करते हैं। परन्तु इस अलौकिक वैभव का भारत के सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए बहुत कम लोगों ने वर्णन किया है। इस दृष्टि से स्वामी तपोवनम् महाराज के मलयालम भाषा में लिखे मूल ग्रन्थ "हिमगिरि बिहार" का हिन्दी अनुवाद इस शून्य की पूर्ति करता है। स्वामी तपोवनम् महाराज केरल राज्य के पालघाट नगर में रहते थे। तथा जीवन-यापन के लिए पत्रकार के रूप में नाम कमा चुके हैं। ईश्वरीय प्रेरणा से उन्होंने सन् 1923 में सन्यास ले लिया और ऋषिकेश व उत्तरकाशी में अपना शेष जीवन बिताया।

पुस्तक मूलतः 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में उत्तराखण्ड, दूसरे भाग में नेपाल, तिब्बत एवं कश्मीर तथा तीसरे भाग में लद्दाख कैलाश पर्वत, मानसरोवर, गौमुख तक की यात्रा का वृतान्त है। एक आम यात्री के लिए स्थान विशेष मानचित्र पर अंकित बिन्दु या विभिन्न प्रकार के भूस्वरूप में परिवेष्ठित एक स्थल मात्र होता है, परन्तु स्वामी तपोवन महाराज के लिए वह मात्र दृश्य नहीं, बल्कि एक संपूर्ण परम्परा का जीवन्त स्वरूप है। उदाहरण के लिए पशुपति नाथ मंदिर का वर्णन करते समय जहां लेखक ने मन्दिर के सौन्दर्य स्थापत्य व वर्तमान सामाजिक परिवेश का वर्णन किया है, वही पर यह भी बताया गया है कि यह मंदिर हिन्दु व बौद्ध धर्मों के ग्रन्थों के मुताबिक कितना महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तक में स्थान-स्थान पर भारत की सदियों से विरासत में मिली ज्ञान गंगा के अनमोल मोती भी बिखराए गए हैं।

अनूदित कृति के साथ आम तौर पर समस्या यह रहती है कि अनुवादक शब्दानुवाद एवं भावानुवाद के चक्कर में पड़कर दोनों के साथ ही अन्याय कर बैठता है जिससे जहां एक ओर भाषा का प्रभाव अवरुद्ध होता है वहां उसके दूसरी ओर अर्थ भी दुरुह एवं कठिन बन जाते हैं। सुधांशु चतुर्वेदी ने अनुवाद करते समय पुस्तक की आत्मा को अक्षुण्ण रखा है। जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। जिन पाठकों को हिन्दु धर्म में भारत के अतीत के दर्शन होते हैं और जिनके लिए हिमालय केवल जिज्ञासा क्षेत्र मात्र नहीं बल्कि उनके विश्वास का प्रतीक भी है उनके लिए इस पुस्तक का पढ़ना आवश्यक है। देवभूमि हिमालय पर हिन्दी में इस प्रकार के ग्रन्थों के अभाव को यदि हिमालय दर्शन नाम का यह ग्रंथ पूरा कर सके तो वह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पुस्तक का गेटअप ठीक है तथा यह पुस्तक प्राचीन व अर्वाचीन भारत के आध्यात्मिक एवं वैचारिक विवेचन में एक सा सहयोग देने की सामर्थ्य रखती है।

श्रीमती माला प्रकाश,
जे-68, साकेत, नई दिल्ली-17

जारी पृष्ठ 123 पर

आदेश-अनुदेश

राजभाषा नीति

सं. 12015/34/87 रा. भा. (तक)

भारत सरकार/गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग (तकनीकी कक्ष)

नई दिल्ली 29 मार्च, 1990

संकल्प

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 (1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी, सरकारी कार्यालयों में देवनागरी में यांत्रिक सुविधाओं के प्रयोग के संबंध में सिफारिशें करते हुए समिति ने अपना द्वितीय प्रतिवेदन जुलाई 1987 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इसे 29 मार्च, 1988 को लोक सभा में एवं 30 मार्च, 1988 को राज्य के पटल पर रखा गया। इसकी प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गई। चूंकि सिफारिशों का संबंध विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में होने वाले कामकाज से हैं, अतः इस संबंध में उनसे भी राय ली गई। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप से या कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी का राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अनुसार आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है :

(1) समिति ने यह सिफारिश की है कि (क) 1990 तक "क" क्षेत्र स्थित कार्यालयों में कम से कम 90% "ख" क्षेत्र स्थित कार्यालयों में 66-2/3% और "ग" क्षेत्र स्थित कार्यालयों में 25% टाईपराईटर देवनागरी के होने चाहिए यह बात साधारण टाईपराईटर के अतिरिक्त पिन प्वाईंट बुलेटिन और पोर्टेबिल बिजली चालित टाईपराईटरों पर भी लागू होती है (ख) यह भी सुनिश्चत किया जाना चाहिए कि प्रत्येक कार्यालय में देवनागरी का कम से कम एक टाईपराईटर अवश्य हो और इसके अतिरिक्त टाईपराईटरों की खरीद ऊपर वर्णित विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित प्रस्तावित प्रतिशत के अनुसार की जानी चाहिए।

समिति की सिफारिश का इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि 1994-95 के अन्त तक समिति द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदेश राजभाषा विभाग द्वारा निकाले जाए, इन आदेशों में समिति की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग के आदेशों की पुनरावृद्धि की जाये कि प्रत्येक कार्यालय में कम से कम देवनागरी का एक टाइपराइटर अवश्य हो और वर्तमान देवनागरी टाईपराईटरों में प्रत्येक वर्ष लगभग 20% वृद्धि करते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष 1994-95 के अन्त तक समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाए इसी के अनुसार प्रत्येक वर्ष हिन्दी आशुलिपि तथा देवनागरी टाईपिंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह लक्ष्य राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम भी परिलक्षित किये जाये।

(2) टाईपराईटरों के बारे में समिति ने सिफारिश की है कि

(क) इलैक्ट्रानिक टाईपराईटरों के अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि केवल देवनागरी के इलैक्ट्रानिक टाईपराईटरों का भी देश में निर्माण शीघ्रातिशीघ्र हो सके और उपलब्ध होने पर इन टाईपराईटरों को "क" तथा "ख" क्षेत्रस्थित कार्यालयों द्वारा की जाने वाली मांग को शीघ्र पूरा किया जा सके। इसके निर्माण तथा प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के टाईपराईटर पर उत्पाद शुल्क में विशेष रियायत दें।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है इसके कार्यान्वयन के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग और उद्योग मंत्रालय आवश्यक कारवाई करें।

(ख) यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब तक केवल देवनागरी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक सभी कार्यालय केवल वहीं इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदें जिनमें रोमर के साथ-साथ देवनागरी टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो।

राजभाषा विभाग द्वारा 15 जून, 1987 को यह आदेश जारी किया जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में केवल द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर ही खरीदे जाएं, समिति की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग द्वारा इन आदेशों को दोहराते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाये कि जब तक केवल देवनागरी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक सभी कार्यालय केवल वही इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदें जिनमें रोमन के साथ-साथ देवनागरी टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो।

(3) हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों की सेवाओं का हिन्दी के काम के लिए पूरा उठाय जाए।

राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाए कि सभी विभागादि देवनागरी टंकण व आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का हिन्दी के काम में समुचित उपयोग करें तथा जहा उनकी संख्या के अनुरूप टाइपराइटर उपलब्ध नहीं हैं, वहां तुरन्त देवनागरी टाइपराइटर खरीदे जाएं तथ यदि कोई अन्य कारण हैं, जिससे प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का हिन्दी के काम में उपयोग नहीं हो पा रहा हो तो उन कारणों को तुरन्त हटाया जाये,

(ख) जिन कर्मचारियों को अभी तक हिन्दी टाइपिंग अथवा हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हैं, उन्हें एक समयबद्ध योजना के अनुसार 1990 के अंत तक इसमें प्रशिक्षित कराया जाए ताकि आवश्यकतानुसार वे हिन्दी में टाइपिंग तथा आशुलिपि का कार्य कर सकें।

सिफारिश के इस भाग को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि समयबद्ध योजना के अनुसार 1994–95 के अन्त तक हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान में शेष रहे लगभग सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षित किया जाये। इसके लिए प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम में हिन्दी आशुलिपिकों तथा देवनागरी टाइपिस्टों के लक्ष्यों में प्रायः 20% वृद्धि की जानी अपेक्षित होगी।

(4) समिति ने यह सिफारिश की है कि हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए इस समय इस प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधाएं अत्यन्त सीमित है। विशेषकर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में तो इनका प्रायः सर्वथा अभाव ही है, जहां-जहां भी निजी संस्थाओं में इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है वहां हिन्दी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए। यदि ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र अधिक नहीं खोले जा सकते हो तो संबंधित कर्मचारियों को कुछ समय के हुए प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा जाना चाहिए।

समिति की सिफारिश मान ली गई है तथा इसके लिए केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान तुरन्त निम्नलिखित कदम उठाये :—

(क) इस समय विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए बची कार्मिक शक्ति तथा उनके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का सर्वेक्षण ,

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षण विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्णकालिक तथा अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना ,

(ग) जहां संभव हो, राज्य सरकार अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवाना।

(घ) कुछ चुने हुए केन्द्रों में पूर्णकालिक प्रशिक्षण व्यवस्था तथा वहां पर वाहन प्रशिक्षण के क्रैश कोर्सों का आयोजन।

इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सूचित करे कि ऐसे स्थानों पर, जहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि उनके लिए पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं और जहां पर स्वैच्छिक संस्थाओं आदि द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है, वहां सरकारी कर्मचारियों का हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण निजी संस्थानों, जैसे प्राइवेट कमर्शियल इंस्टीच्यूट में कराये जाने की स्वीकृति तथा इस प्रशिक्षण पर कर्मचारियों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित कार्यालय द्वारा की जाए, साथ ही सभी कार्यालयों के लिए कहा जाए कि प्रत्येक कार्यालय में कम-से-कम एक टंकक हिन्दी में प्रशिक्षित अवश्य हो, जहां कहीं आवश्यक तथा संभव हो इस प्रकार के प्रशिक्षित टंकक को

अन्य अप्रशिक्षित कर्मचारियों को हिन्दी के टंकण के प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किया जाए और यह अतिरिक्त कार्य करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उन्हें कुछ मानदेय भी नियमानुसार दिया जाए,

(5) समिति ने यह सिफारिश की है कि :—

(क) हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि के पाठ्यक्रम का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और इनमें अद्यतन तकनीकी विकास को देखते हुए गुणात्मक सुधार किया जाना चाहिए ताकि ये टाइपिस्ट इलैक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रानिक टाइप-राइटरों पर भी सुविधापूर्वक कार्य कर सकें।

यह सिफारिश मान ली गई है इस सिफारिश के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान कुछ चुने हुए केन्द्रों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये, जिसमें इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जाये। शुरू में यह प्रशिक्षण केवल उन्हीं कार्यालयों के टाइपिस्टों को दिया जाए, जहां पर कम-से-कम एक इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर उपलब्ध है अथवा जहां इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदने का निर्णय लिया गया हो। इसके अतिरिक्त जहां-जहां द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर उपलब्ध हों, वहां संबंधित कंपनियों द्वारा भी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर पर काम करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदने वाले कार्यालयों द्वारा इस संबंध में कंपनियों से अनुरोध किया जाए।

(ख) इसी प्रकार टैलेक्स तथा टेलीप्रिंटर के भी समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिएं।

यह सिफारिश मान ली गई है इसके कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम दूरसंचार विभाग तथा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जाएं और इसके लिए समयबद्ध योजना शीघ्र बनाकर कार्यान्वित की जाए,।

(6) पतालेखी मशीनों के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में ब्राडमा पतालेखी मशीन के साथ देवनागरी एम्बोसिंग मशीनें लगाई जायें।

यह सिफारिश मान ली गई है। इस सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाए। चूंकि 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में भी कई बड़े-बड़े कार्यालयों ऐसे हैं, जिनमें काफी पत्र-व्यवहार 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों से होता है। अतः ऐसे कार्यालयों में भी द्विभाषी पतालेखी मशीनों का प्रावधान होना चाहिए इसलिए आदेशों की परिधि में 'ग' क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाए।

(ख) इन मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

पतालेखी मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान होना चाहिए ऐसे कर्मचारियों को पतालेखी मशीन पर हिन्दी भाषा में काम करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए पतालेखी मशीन कंपनियों से अनुरोध किया जाए।

(7) टेलीप्रिंटर/टैलेक्स के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि

(क) 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों में जहां केवल रोमन टेलीप्रिंटर लगे हुए हैं वहां उनके साथ-साथ देवनागरी टेलीप्रिंटर जून, 1988 तक लगाए जाने चाहिएं।

यह सिफारिश संशोधन के साथ स्वीकार की गई है। चूंकि अब द्विभाषी इलैक्ट्रानिकी टैलेक्स मशीन का विकास हो चुका है और इन मशीनों का व्यावसायिक उत्पादन भी हो रहा है। उचित यही रहेगा कि रोमन टेलीप्रिंटरों को द्विभाषी मशीनों से बदल दिया जाए।

(ख) इसके साथ-साथ देवनागरी तथा रोमन के द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर और टैलेक्स के विकास में भी तेजी लाई जानी चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके विकास में तनिक भी विलम्ब नहीं किया जाए और उनके परीक्षण सफल होने के बाद वर्तमान रोमन इलैक्ट्रानिक टैलीप्रिंटरों की बजाए द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर स्थापित किए जाएं, यह कार्य वर्ष 1988 के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए।

यह सिफारिश भी संशोधन के साथ स्वीकार की गई है। द्विभाषी टैलेक्स मशीन के विकास का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और वर्तमान रोमन इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की बजाय द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टैलेक्स मशीनें वर्ष 1988 के अन्त तक लगाने की समय सीमा भी पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसलिए दूरसंचार विभाग अंग्रेजी-देवनागरी द्विभाषी टैलेक्स मशीनों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करे और यह सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी कार्यालयों में अगले लगभग तीन वर्षों में अर्थात 30-9-1993 तक सभी टेलीप्रिंटर/टैलेक्स द्विभाषी हों। इसके लिए दूरसंचार विभाग एक समयबद्ध योजना बनाये ताकि जहां एक ओर शीघ्रताशीघ्र द्विभाषी टैलेक्स मशीनें कार्यालयों में उपलब्ध हों, वहां दूसरी ओर उन पर मुख्यतया देवनागरी में ही काम किया जाये।

(ग) टेलीप्रिंटर प्रचालकों को हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए।

टेलीप्रिंटरों के प्रचालकों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने की सिफारिश मान ली गई है। दूरसंचार विभाग टैलेक्स प्रचालकों के हिन्दी प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध करे। इसके लिए भी वह

एक समयबद्ध योजना बना कर कार्यान्वित करे। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में भी टैक्लेस प्रचालकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(8) समिति ने यह सिफारिश की है कि देवनागरी लिपि में कार्य करने में सक्षम कंप्यूटर प्रणालियों और शब्द संसाधक आदि खरीदने में सरकार द्वारा कड़ाई से कार्य किया जाना चाहिए और इस संबंध में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए, इस विषय में राजभाषा विभाग द्वारा उच्चतम स्तर पर निगरानी रखी जानी चाहिए इस सिलसिले में, भी मंत्रालयों, आदि से प्रति तिमाही रिपोर्ट मंगाई जाए कि उन्होंने किस प्रकार की कंप्यूटर प्रणालियां आदि लगाई हैं।

समिति की इस सिफारिश के कार्यान्वियन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय में दिनांक 31-8-1987 को जारी किए गए आदेश की पुनरावृत्ति की जाए और सभी विभागों से अनुरोध किया जाए कि वे इस विषय में कड़ाई से काम लें। हालांकि राजभाषा नीति के प्रगामी प्रयोग के विषय में निर्धारित तिमाही प्रगति रिपोर्ट में कम्प्यूटर प्रणाली आदि के विषय में पहले से सूचना उपलब्ध रहती है, तथापि समिति की सिफारिश को मानते हुए राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय में एक सर्वेक्षण किया जाए तथा इस सर्वेक्षण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए।

(9) समिति ने यह सिफारिश की है कि इलेक्ट्रानिकी विभाग में एक संगठन स्थापित किया जाना चाहिए जो विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रानिकी यांत्रिक सुविधाओं में हिन्दी के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर उनके निर्माण और विकास के बारे में भी सरकार को सिफारिश कर सकेगा। इस प्रकार के यंत्रों के निर्माण और विकास तेजी लाने के लिए सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में क्या-क्या किया जा सकता है, इसका पता भी लगा सकता है।

समिति की सिफारिश मान ली गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग कम्प्यूटर विकास प्रभाग में एक विशेष सैल बनाए, जो कि विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रानिकी, यांत्रिकीय सुविधाओं में हिन्दी के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर उनके निर्माण और विकास के बारे में भी सरकार को सिफारिश की तथा इस प्रकार के यंत्रों के निर्माण और विकास में तेजी लाने के लिए सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में क्या-क्या किया जा सकता है, इसका पता भी लगाए। इलैक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में एक कार्यदल भी गठित करे, जिसमें राजभाषा विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि भी हों। यह कार्यदल इन दो मुद्दों पर विचार-विमर्श करके एक वर्ष के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिस पर इलेक्ट्रानिकी विभाग के कम्प्यूटर विकास प्रभाग का विशेष सैल कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए तथा राजभाषा विभाग निरन्तर तालमेल रखे।

(10) समिति ने यह सिफारिश की है कि देवनागरी में कम्प्यूटर प्रणालियों के लिए हार्डवेयर तथा सोफ्टवेयर का निर्माण और विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ऐसा सोफ्टवेयर तैयार किया जाए जिससे केवल देवनागरी में प्रोसैसिंग किया जा सके।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है, इलेक्ट्रानिकी विभाग इस बात की सुनिश्चित करे कि देवनागरी कम्प्यूटर प्रणाली के लिए हार्डवेयर तथा सोफ्टवेयर का विकास और निर्माण प्राथमिकता के आधार पर भारतीय भाषाओं के लिए टैक्नालाजी विकास निगम की योजना शीघ्र कार्यान्वित की जाए और यह कार्य एक निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न किया जाए।

(11) समिति ने यह सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम (कलास) में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इसके लिए स्कूलों में कम्प्यूटर के माध्यम से हिन्दी तथा हिन्दी के माध्यम से अन्य विषयों की शिक्षा के बारे में आवश्यक सोफ्टवेयर का विकास भी अग्रता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के संबंध में प्रचार सामग्री तथा परिचय पुस्तिकाएं हिन्दी में उपलब्ध कराई जाएं। इस कार्यक्रम में लगाए गए सभी कम्प्यूटरों पर हिन्दी के सोफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए।

समिति की सिफारिश मान ली गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग समय योजना के अनुसार काम करे।

(12) हिन्दी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। अन्य भारतीय भाषाओं की भी यही विशेषता है। इसलिए समिति की यह सिफारिश है कि ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास और निर्माण किया जाए जिससे कम्प्यूटर द्वारा केवल बोलने पर ही संदेश रिकार्ड कर लिया जाए, अर्थात् कम्प्यूटर में 'इनपुट' के लिए देवनागरी अथवा रोमन लिपि के कुंजीपटल पर टाइप करने की आवश्यकता न हो और केवल मौखिक उच्चारण में ही उसमें अपेक्षित सामग्री भरी जा सकती हो। इसके लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग को आवश्यक कदम उठाने चाहिएं और शीघ्र कार्य करना चाहिए।

समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और इसके कार्यान्वयन के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग एक समयबद्ध योजना बनाए जिसमें मौखिक अच्चारण द्वारा हिन्दी में निर्देश कम्प्यूटर में डालने के लिए अनुसंधान आदि किया जाए।

(13) समिति ने यह सिफारिश की है कि या तो लाइन प्रिंटर के स्थान पर आधुनिकतम लेजर प्रिंटर लगा दिए जाएं जिनमें देवनागरी मुद्रण सम्भव है अथवा देवनागरी के लाइन प्रिंटर का विकास करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

देवनागरी में उच्च गत के लाइन प्रिंटरों की देश में शीघ्र उपलब्ध करवाने के विषय में समिति की सिफारिश मान ली गई है तथा लेक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में शोध कार्य, विकास तथा निर्माण बढ़ावा दें। इलेक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में राजभाषा विभाग को समय-समय पर अवगत कराए तथा राजभाषा विभाग इलेक्ट्रानिकी विभाग प्राप्त सूचना बैंकों तथा अन्य संस्थाओं को उपलब्ध कराए, ताकि विभिन्न संस्थान हिन्दी माध्यम से काम करने की क्षमता वाले अद्यतन प्रिंटर आदि अपने यहां लगवा सकें।

(14) समिति ने यह सिफारिश की है कि कम्प्यूटरों का प्रचुर मात्रा में उपयोग करने वाले कार्यालय जैसे बैंक, रेलें, एयरलाइन्स, रक्षा संगठन आदि यह सुनिश्चित करें कि उनको अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हिन्दी में सॉफ्टवयर का विकास तथा निर्माण अग्रता के आधार पर किया जाए।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग इस विषय में इलेक्ट्रानिकी विभाग से अद्यतन जानकारी प्राप्त करके सभी सरकारी कार्यालयों तथा संस्थाओं को इस विषय में अवगत कराए तथा उनसे साफ्टवयर विकास की लक्ष्य-बद्ध योजना बनाने के निर्देश दे।

(15) कम्प्यूटरों में देवनागरी टर्मिनल लगाए जाने के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि

(क) जिन कम्प्यूटरों में केवल रोमन में कार्य करने की सुविधा है, वहां देवनागरी टर्मिनल भी तत्काल लगाए जाने चाहिएं।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। कम्प्यूटरों में 'जिस्ट' टर्मिनल या कार्ड लगाए जाने के विषय में राजभाषा विभाग अद्यतन तकनीक के बाप में सभी सरकारी कार्यालयों को सूचित करे तथा उनसे वर्तमान रोमन कम्प्यूटरों में जिस्ट प्रणाली या कार्ड आदि लगाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करे।

(ख) जिन विभागों में ऐसे पुराने कम्प्यूटर हैं जिनमें तकनीकी कारणों द्विभाषी सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती उन्हें नवीनतम द्विभाषी कम्प्यूटरों में बदलना ही लागत की दृष्टि से अधिक जानकारी होगा।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा इस विभाग द्वारा इस सिफारिश की सभी सरकारी कार्यालयों के ध्यान में लाया जाए और उन्हें इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा जाए।

(16) समिति ने यह सिफारिश की है कि

(क) इलेक्ट्रानिकी विभाग को केवल ऐसे कम्प्यूटरों की व्यवस्था के लिए स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए जिन पर हिन्दी में प्रासेसिंग और प्रिंटिंग की सुविधा हो।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग विचार करे तथा आवश्यक कार्रवाई करें।

(ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग को यह भी देखना चाहिए कि उन्होंने अन्य विभागों को जो कम्प्यूटर उपलब्ध कराए हैं उनमें देवनागरी टर्मिनल उपलब्ध हैं या नहीं। जहां-जहां ऐसे टर्मिनल नहीं लगाए गए हैं, वहां देवनागरी टर्मिनल और हिन्दी मुद्रण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (योजना आयोग) समिति की इस सिफारिश को कार्यान्वित करे ताकि उनके द्वारा अन्य विभागों को उपलब्ध कराए गए कम्प्यूटरों में देवनागरी टर्मिनल जोड़ने और हिन्दी मुद्रण की व्यवस्था की जाए।

(ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग को कम्प्यूटर से संबंधित पुस्तकें भी मूल रूप से हिन्दी में प्रकाशित करा के उन सभी विभागों/कार्यालयों को भेजनी चाहिएं जहां उनके द्वारा कम्प्यूटर लगाए गए।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र इलेक्ट्रानिकी विभाग से सम्पर्क स्थापित करे तथा समिति की इस सिफारिश को कार्यान्वित करे ताकि कम्प्यूटरों से संबंधित पुस्तकें मूल रूप में हिन्दी में प्रकाशित करा कर उन सभी विभागों/मंत्रालयों आदि को भेजी जा सकें जहां उनके द्वारा कम्प्यूटर लगाए गए हैं।

(17) समिति ने यह सिफारिश की है कि तकनीकी प्रकार के अथवा सरल प्रकार के अनुवाद कार्य के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग करने की कोशिश की जानी चाहिए।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग कम्प्यूटर द्वारा अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं से हिन्दी तथा अन्य भारती भाषाओं में अनुवाद संबंधी प्रोजैक्ट बना कर शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करें।

(18) समिति ने यह सिफारिश की है कि एक व्यावहारिक कम्प्यूटर शब्दावली तैयार की जानी चाहिए जो छोटे आकार की हो और जिसकी कीमत काफी कम हो। इसके अतिरिक्त इसका समय-समय पर पुन मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधान के कारण जो शब्द प्रचलित हों वे भी इसमें जोड़े जा सकें।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने व्यावहारिक कम्प्यूटर शब्दावली तैयार कर ली है और इस विषय पर पुस्तक छप भी चुकी है। अतः समिति की यह सिफारिश कार्यान्वित की जा चुकी है। तथापि समिति की इस सिफारिश के दूसरे हिस्से पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग विषय में यथा समय कार्रवाई करे।

(19) समिति ने यह सिफारिश की है कि शब्द-संसाधक और इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों के कुंजीपटलों पर देवनागरी वर्ण भी उत्कीर्ण किए जाने चाहिएं। आदेश देने की कुंजियों पर भी देवनागरी में आदेश उत्तीर्ण करने के बारे में निर्माता फर्मों को आदेश दिए जाने चाहिएं।

इस सिफारिश पर उद्योग मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करे तथा राजभाषा विभाग स्वयं भी कम्प्यूटरों के कुंजीपटल आदि बनाने वाली कम्पनियों को इस विषय में लिखें। इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग सभी विभागों को यह निर्देश भी दे कि वे केवल वही कम्प्यूटर आदि खरीदें, जिनके कुंजीपटल पर सभी आदेश द्विभाषी रूप में उत्कीर्ण किए गए हो।

(20) केवल द्विभाषी उपकरण लगाए जाने के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि :

(क) सभी कार्यालय तथा उपक्रम केवल रोमन के कम्प्यूटर, शब्द-संसाधक, टेलीप्रिंटर आदि न खरीद कर देवनागरी में कार्य करने की सुविधा वाले उपकरण ही स्थापित करे।

सरकारी कार्यालयों में केवल ऐसे कम्प्यूटर, शब्द-संसाधक, टेलीप्रिंटर आदि स्थापित किए जाएं, जिनमें देवनागरी में कार्य करने की सुविधाएं उपलब्ध हों। इस प्रकार के आदेश पहले ही दिनांक 30 मई, 1985 को जारी कर दिए गए थे। इन आदेशों की पुनरावृत्ति की जाए।

(ख) कम्प्यूटर, शब्द-संसाधक आदि की खरीद के लिए जांच बिन्दु इलेक्ट्रानिकी विभाग को बनाया जाए।

समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि कंप्यूटर तथा शब्द-संसाधक आदि की खरीद के लिए जांच बिन्दु प्रत्येक विभाग का प्रशासन प्रभाग तथा इसमें किसी प्रकार की छूट देने के लिए जांच बिन्दु राजभाषा विभाग रहेगा।

(ग) टेलेक्स/टेलीप्रिंटर की खरीद के विषय में जांच बिन्दु दूरसंचार विभाग को बनाया जाए।

समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। दूरसंचार इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करे।

(21) समिति ने यह सिफारिश की है कि विभिन्न सरकारी विभागों में किए जाने वाले एक ही प्रकार के कार्य जैसे वेतन बिल आदि हिन्दी में बनाने के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा आवश्यक सोफ्टवेयर तैयार किया जाना चाहिए जिससे कम्प्यूटर द्वारा हिन्दी में कार्य करने के लिए सभी विभागों को सुविधा हो।

समिति की सिफारिश मान ली गई है। इसके लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र आवश्यक कार्रवाई करे।

(22) समिति ने यह सिफारिश की है कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि द्विभाषी रूप में कार्य कर सकने वाले उपकरण जिनमें कंप्यूटर आदि शामिल हैं, अपेक्षतया सस्ते उपलब्ध हो सकें और किसी भी दशा में उनका मूल्य केवल रोमन में कार्य कर सकने वाली मशीनों से अधिक न हो

समिति की सिफारिश मान ली गई है। इलैक्ट्रानिकी विभाग इस विषय में उत्पाद शुल्क आदि में रियायत करवा कर ऐसी व्यवस्था करें कि द्विभाषी कंप्यूटरों आदि का मूल्य किसी भी हालत में केवल रोमन में कार्य कर सकने वाली मशीनों से अधिक न हो।

(23) समिति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा विभाग का इस प्रकार से पुनर्गठन किया जाए जिससे कि राजभाषा नीति के सुचारू अनुपालन के लिए किसी प्रकार की कठिनाई न हो राजभाषा विभाग को पूरी तरह से सशक्त और साधन सम्पन्न बनाया जाए

समिति की सिफारिश मान ली गई है

(24) समिति ने यह सिफारिश की है कि तार प्रणाली के लिए देवनागरी सोफ्टवेयर का निर्माण इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लि. हैदराबाद द्वारा तुरन्त किया जाए ताकि इसके अभाव में देवनागरी तारें भेजने में कोई कठिनाई न हो

यह सिफारिश मान ली गई है दूरसंचार विभाग इसके कार्यान्वियन के लिए तुरंत कार्रवाई करे

(25) समिति ने यह सिफारिश की है कि चूंकि तार भी पत्राचार का ही एक रूप है इसलिए राजभाषा नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा राज्य सरकारों और उनके कार्यालयों तथा अन्य व्यक्तियों आदि को तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित अधिसूचित कार्यालयों को सभी सरकारी तार केवल देवनागरी में ही भेजे जाएं

समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि जहां-जहां देवनागरी में तार भेजने की सुविधा उपलब्ध है, वहां स्थित कार्यालयों से सभी तार राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिन्दी में ही भिजवाए जायें

(26) समिति ने यह सिफारिश की है कि कंप्यूटरों के देवनागरी कुंजीपटल का मानकीकरण 1987 के अंत तक सम्पन्न कर लिया जाना चाहिए।

समिति की सिफारिश पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है।

(27) प्रोत्साहनों के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि

(क) अंग्रेजी टाइपिंग और आशुलिपि जानने वालों को हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि सीखने पर और रोमन के साथ-साथ हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि का कार्य करने पर विशेष प्रोत्साहन क्रमशः 20/- रु. एवं 30/- रु. प्रतिमास दिया जाता है जो कि अत्यन्त न्यून और अनाकर्षक है, इसे बढ़ाकर क्रमशः 100/- रु. और 200/- रु. कर दिया जाना चाहिए।

(ख) टेलीप्रिंटर तथा कंप्यूटर प्रचालकों को भी दोनों भाषाओं में काम करने के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना चाहिए और यह विशेष प्रोत्साहन कुल समयावधि यथा पांच वर्ष तक ही दिया जाना चाहिए ताकि इस दौरान कर्मचारी को दोनों भाषाओं में काम करने का अनुभव प्राप्त हो जाए।

रोमन के साथ-साथ हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि का कार्य करने पर विशेष प्रोत्साहन क्रमशः 20/- रु. एवं 30/- रु. से बढ़ाकर 40/- रु. और 60/- रु. कर दिया गया है इस आशय के आदेश 16-7-1987 को जारी किये गये थे। राजभाषा विभाग, समिति की इस सिफारिश के अनुरूप, प्रोत्साहन की राशि बढ़ाने का मामला पुनः वित्त मंत्रालय को भेजे तथा कंप्यूटर और टैलेक्स आपरेटरों को भी इस आदेश की परिधि में लाया जाए। समिति की इस सिफारिश पर कि इस प्रकार का प्रोत्साहन कुछ समयावधि यथा पांच वर्ष तक ही दिया जाना चाहिए, पांच वर्ष के पश्चात् पुनः विचार किया जाए।

(28) समिति ने यह सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत सरकार के सभी प्रकाशन द्विभाषी रूप में साथ-साथ ही निकाले जाएं, यह आवश्यक है कि सभी सरकारी मुद्रणालयों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के मुद्रण कार्य की सुचारु व्यवस्था उपलब्ध हो और हिन्दी के मुद्रण कार्य का स्तर अंग्रेजी के मुद्रण कार्य से किसी भी प्रकार से कम न हो यह भी आवश्यक है कि मुद्रण कार्य में लगे हुए अधिकारियों जैसे—कम्पोजीटरों, प्रूफरीडरों आदि को हिन्दी भाषा में कार्य करने का अपेक्षित प्रशिक्षण अथवा अनुभव प्राप्त हो।

समिति की यह सिफारिश मान ली गई है। मुद्रण निदेशालय इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई करे।

(29) राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में एक निश्चित प्रतिशत के देवनागरी टाइपराइटर खरीदने और प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध कराने तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों पर कार्य करने में सक्षम इलैक्ट्रानिक यंत्रों/उपकरणों आदि की खरीद के बारे में आदेश जारी किए गए हैं किन्तु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा उपक्रमों आदि द्वारा समुचित अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है जिससे कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग की गति अवरुद्ध हुई है और अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ावा मिला है इस संबंध में समिति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा नियमों के नियम 12 के अनुसार जिन विभागाध्यक्षों ने इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों का समुचित रूप से अनुपालन नहीं किया है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

समिति की सिफारिश मान ली गई है इसके कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा सभी कार्यालयों का ध्यान समिति की सिफारिश की ओर दिलाया जाए तथा राजभाषा विभाग द्वारा इस बारे में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा जाए।

(30) समिति ने यह सिफारिश की है कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में जहां द्विभाषी यंत्र लगाए जाएं वहां न यंत्रों का राजभाषा संबंधी नियमों के अनुसार मुख्यतः हिन्दी में कार्य करने के लिए ही प्रयोग किया जाए इसके लिए मजबूत और कारगर जांच बिन्दु बनाए जाएं तथा इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया जाए।

"क" तथा "ख" क्षेत्रों में जहां द्विभाषी यंत्र लगाए जाएं वहां उन यंत्रों का राजभाषा संबंधी नियमों के अनुसार मुख्यतः हिन्दी में कार्य करने के लिए ही प्रयोग करने, इसके लिए मजबूत और कारगर जांच बिन्दु बनाई जाने तथा इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान किए जाने के बारे में समिति की सिफारिश मान ली गई है तथा इस विषय में राजभाषा विभाग निर्देश जारी करे।

निशि कान्त महाजन
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

□

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के तीसरे खंड से लिया गया उद्धरण – अठारहवां अध्याय :

सिफारिशें

18.1 संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने और उस पर सिफारिशों सहित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने का दायित्व इस समिति को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा 3 के अंतर्गत सौंपा गया है। समिति इससे पूर्व प्रतिवेदन के दो खण्ड राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर चुकी है। प्रथम खण्ड में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था तथा उससे जुड़े हुए अन्य मुद्दों जैसे हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, अनुवाद कार्य के लिए

सक्षम उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और विकसित देशों की भाषाओं में नित नए उपलब्ध होने वाले अद्यतन ज्ञान—विज्ञान के सीधे हिन्दी में अनुवाद संबंधी संगठन की स्थापना और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उपक्रमों आदि के कोड, मैनुअलों, फार्मों और प्रक्रिया साहित्य तथा प्रशिक्षण संबंधी साहित्य के हिन्दी अनुवाद के बारे में चर्चा की गई थी। केन्द्र सरकार के कामकाज में सुदृढ़ अनुवाद व्यवस्था के बाद समुचित यांत्रिक व्यवस्था एक मूलभूत आवश्यकता है जिसे ध्यान में रखते हुए समिति के प्रतिवेदन का दूसरा खण्ड प्रस्तुत किया गया। सरकारी कामकाज करने के लिए नवीनतम यांत्रिक सुविधाएं अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिएं ताकि उनके अभाव में हिन्दी में काम करने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। इसलिए दूसरे खण्ड में कार्यालयीय कामकाज में यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता और उपयोगिता और उनमें देवनागरी लिपि की व्यवस्था, उन पर कार्यरत कार्मिक-शक्ति की उपलब्धता तथा प्रशिक्षण और विभिन्न उपकरणों के संबंध में उत्पादन एवं संभरण व्यवस्था आदि की चर्चा की गई। भारत के संविधान की अपेक्षाओं, राजभाषा आयोग की सिफारिशों और उन पर पंत समिति की टिप्पणियों, राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियमों के अनुसार संघ की वर्तमान राजभाषा नीति के अनुसरण में कुछ कार्य केवल हिन्दी में, कुछ केवल अंग्रेजी में और कुछ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किए जाने अपेक्षित हैं। फिर भी संविधान में किए गए उपबन्धों के अनुसार राजभाषा के रूप में हिन्दी का केवल विकास किया जाना है अपितु इसका कार्यालयों में उत्तरोत्तर प्रयोग इस प्रकार से बढ़ाया जाना है कि अन्ततोगत्वा सभी कार्य मुख्य रूप से हिन्दी में ही होने लगें और केवल अंग्रेजी अथवा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में केवल वही कार्य किए जाएं जो किसी विशेष विधि द्वारा निर्धारित हों। अंग्रेजी का प्रयोग संबंधित कानून के विशेष उपबन्धों का अनुपालन करने तक ही सीमित रखा जाए। वास्तव में राजभाषा नियमों के अनुपालन के उद्देश्य से विभिन्न कार्यालयों के लिए समुचित अनुवाद व्यवस्था एवं यांत्रिक व्यवस्था मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये वे साधन हैं जिनका समुचित प्रयोग करके हिन्दी में सरकारी कामकाज बढ़ाया जा सकता है। किन्तु इस समिति की तीनों उप-समितियों द्वारा अनेक मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों, संस्थानों आदि के निरीक्षणों तथा गणमान्य व्यक्तियों के साथ चर्चा के दौरान यह बात उभर कर सामने आई है कि सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान अथवा प्रवीणता, जैसा भी आवश्यक हो, प्राप्त हो और उन्हें अपना कार्य मूल रूप से हिन्दी में संपन्न करने के लिए आवश्यक अभ्यास एवं प्रशिक्षण उपलब्ध हो। जब तक केन्द्र सरकार के वर्तमान कार्मिकों को हिन्दी भाषा का अपेक्षित स्तर का ज्ञान न हो और भविष्य में केन्द्र सरकार की नौकरी में आने वालों को भी तुरन्त हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध न हों और उनका प्रशिक्षण शुरू से ही हिन्दी माध्यम से न हो, केन्द्र सरकार के कार्यालयों में मूल रूप से हिन्दी में काम करने में कठिनाई महसूस होती रहेगी। इस पृष्ठभूमि में समिति ने अपने प्रतिवेदन के वर्तमान खण्ड में देश-विदेश के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिन्दी की शिक्षा तथा हिन्दी माध्यम से अन्य विषयों की शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के फलस्वरूप एवं हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लगी हुई स्वयंसेवी संस्थाओं तथा केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों के परिप्रेक्ष्य में हिन्दी शिक्षण संबंधी वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा की है जिससे यह पता लग सके कि सेवा में आने से पूर्व हिन्दी की शिक्षा के लिए किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार की सेवा में भर्ती होने के बाद अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के उद्देश्य से जो व्यवस्थाएं केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी शिक्षण योजना और अन्य विभागों और उपक्रमों द्वारा की गई व्यवस्थाओं तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सेवाकालीन हिन्दी शिक्षण की वर्तमान स्थिति तथा इस बारे में भावी कार्यक्रमों के संबंध में मंत्रालयवार समीक्षा करते हुए समिति ने पूर्ववर्ती अध्यायों में अपने विचार प्रकट किए हैं। समिति ने यह देखने का प्रयास भी किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा सीधी भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों और अन्य विभागीय परीक्षाओं में तथा विभिन्न पदों पर नियुक्ति संबंधी भर्ती नियमों में हिन्दी अथवा अंग्रेजी की अनिवार्यता आदि के बारे में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रचलन कहां तक हो रहा है। इन संस्थानों में प्रशिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध पाठ्य-सामग्री और प्रशिक्षकों आदि की उपलब्धता की रक्षा व्यवस्था है और उसे किस प्रकार से सुधारा जाना चाहिए जिससे कि राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने अपने प्रतिवेदन के पिछले दो खण्डों में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी चाही थी और इस संबंध में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के सचिव से मौखिक साक्ष्य के दौरान चर्चा भी की थी क्योंकि समिति का यह मत है कि समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारिशों पर अपेक्षित कार्रवाई समिति द्वारा सुझाई गई कालसीमा को ध्यान में रखते हुए अग्रता के आधार पर और प्रभावी ढंग से की जानी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में अब हम अपनी सिफारिशें अगले पैराग्राफों में कर रहे हैं।

18.2 इस समय भी केन्द्र सरकार तथा इसके उपक्रमों, संस्थानों आदि में कार्यरत बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को अभी हिन्दी का अपेक्षित ज्ञान नहीं दिया जा सका है जिसके लिए न केवल हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत उपलब्ध तथा अन्य प्रकार की विभागीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना वांछनीय है बल्कि यह भी आवश्यक है कि हिन्दी का प्रशिक्षण लेने के लिए वर्तमान प्रोत्साहन व्यवस्था को कुछ समय और चालू रखा जाए तथा इसे अधिक आकर्षक भी बनाया जाए जिससे अधिकाधिक कर्मचारी अपना प्रशिक्षण शीघ्र पूरा कर लें। निजी प्रयत्नों से, पत्राचार द्वारा या स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रशिक्षण पाकर हिन्दी शिक्षण योजना की परीक्षाएं पास करने वाले कर्मचारियों को एक-मुश्त पुरस्कार की राशि दुगनी कर दी जानी चाहिए ताकि पर्याप्त संख्या में कर्मचारी इन व्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुए हिन्दी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकृष्ट हो सके। समिति यह भी महसूस करती है कि हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहनी चाहिए और उनमें आवश्यकतानुसार सुधार किए जाने चाहिएं ताकि इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद संबंधित कर्मचारी कार्यालयों में अपना कार्य सुगमतापूर्वक हिन्दी में कर सकें। कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के कार्यक्रमों की गति बढ़ाने की आवश्यकता है और इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए इनके रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर किया जाना चाहिए। एक ओर जहां उपलब्ध व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना आवश्यक है वहीं दूसरी ओर इन सुविधाओं को आवश्यकतानुसार देश के कोने-कोने तक पहुंचाया जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में समिति यह अनुभव करती है कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए बचे हुए वर्तमान कर्मचारियों का हिन्दी का प्रशिक्षण अधिक से अधिक अगले दो वर्ष में अर्थात् 1990 के अंत तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार "ग" क्षेत्र में मंत्रालयों के सम्बद्ध कार्यालयों और मंत्रालयों के सीधे नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों, संस्थानों आदि के मुख्यालयों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण इसी अवधि के दौरान पूरा कर लिया जाना चाहिए। "ग" क्षेत्र स्थित अन्य कार्यालयों में प्रशिक्षण कार्य अधिक से अधिक अगले 5 वर्षों में अर्थात् सन् 1993 के अन्त तक पूरा करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिससे कि नए भर्ती होने वाले कर्मचारी जब अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भेजे जाएं तो वे ऐसा प्रशिक्षण हिन्दी माध्यम से ही लें। इससे पहले ही वे अपने-अपने प्रशिक्षण केन्द्रों में हिन्दी का समुचित ज्ञान प्राप्त करें। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में ऐसी व्यवस्था न होने की स्थिति में राजभाषा विभाग इनके प्रशिक्षण की शुरू से ही व्यवस्था करे। यह प्रशिक्षण कार्य पूर्णकालिक होना चाहिए। बचे हुए कर्मचारियों को समयबद्ध रीति से हिन्दी का प्रशिक्षण कराने के लिए यह आवश्यक होगा कि सरकार द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना के नए प्रशिक्षण केन्द्र, विशेषकर "ग" क्षेत्र में, तुरन्त खोले जाएं। जहां कोई कार्यालय मुख्य नगर से काफी दूर है वहां भी ऐसे केन्द्र होने चाहिएं ताकि उस कार्यालय के कर्मचारियों को उसका लाभ मिल सके। नए केन्द्र खोलने के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या में ढील भी दी जानी चाहिए। हिन्दी पढ़ाने वाले प्राध्यापकों की कमी को देखते हुए यह भी आवश्यक होगा कि "ख" तथा "ग" क्षेत्रों में कार्य करने वाले हिन्दी प्राध्यापकों के लिए अतिरिक्त वित्तीय आकर्षण उपलब्ध कराए जाएं और निर्धारित योग्यता अथवा आयु सीमा में आवश्यकतानुसार ढील देकर हिन्दी प्राध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों को तुरन्त भरा जाए। हिन्दी शिक्षण के लिए स्थापित अंशकालिक केन्द्रों के लिए नियुक्त अंशकालिक प्राध्यापकों के लिए निर्धारित मानदेय की दरों में भी समय-समय पर समुचित वृद्धि की जानी चाहिए ताकि इसके लिए योग्य उम्मीदवार मिल सकें। हिन्दी प्राध्यापकों के नए पद सृजित करने के लिए आवश्यकतानुसार निर्धारित प्रतिमानों में ढील देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण की वर्तमान अंशकालिक व्यवस्था को पूर्णकालिक व्यवस्था में बदला जाए और प्रशिक्षण पर भेजे गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के दौरान उनके स्थान पर स्थाना की नियुक्ति करने की सुविधा प्रदान की जाए। इस संबंध में समिति ने यह भी पाया है कि अप्रशिक्षित कर्मचारियों के रोस्टर रखे जाने के सरकार के निर्देश के बावजूद अनेक कार्यालयों में रोस्टर रखे जाने की पद्धति नहीं अपनाई गई है जिसके कारण उन्हें प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों की संख्या बताने व उन्हें समयबद्ध रूप से नामित करने में कठिनाई आती है। इस निर्देश के समुचित पालन की व्यवस्था की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार के कार्यालयों में भी दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को द्रुत गति से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हिन्दी सीखने के बाद कर्मचारी हिंदी में काम करे और अभ्यास के अभाव में उसकी हिन्दी के काम के प्रति रूचि क्षीण न होने पाए। हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित करना भी बहुत आवश्यक है। विभिन्न कार्यालयों में ऐसा वातावरण तैयार किया जाना अपेक्षित है जिससे कि कर्मचारी हिन्दी सीखने के बाद स्वयंमेव अपने कामकाज में उसका उपयोग करने के लिए आकृष्ट हों। इसके लिए पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन भी कुछ निर्धारित अवधि के लिए दिए ही जाने चाहिएं साथ ही उन्हें पर्याप्त मात्रा में समुचित संदर्भ एवं सहायक साहित्य भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कार्यालयों में हिन्दी पुस्तकें और संदर्भ साहित्य आदि प्रचुर मात्रा में होने चाहिएं। सभी संगठनों के मुख्यालयों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जो कि विभागीय तथा गैर-विभागी सहायक संदर्भ साहित्य हिन्दी में तैयार करवाए और अपने सभी कार्यालयों में पर्याप्त मात्रा में इनका वितरण

सुनिश्चित करे। यह व्यवस्था प्रशिक्षण संस्थानों के लिए हिन्दी की प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने की व्यवस्था के अंग के रूप में भी हो सकती है।

18.3 इस समय औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों को राष्ट्रपति के दिनांक 27-4-1960 के आदेश के पैरा 5 के अनुसार सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण अनिवार्यता से छूट प्राप्त है। ऐसा उस समय की परिस्थितियों को देखकर किया गया था और इस विचार से भी कि इन कर्मचारियों को लिखने-पढ़ने का अधिक काम नहीं करना पड़ता और यदि करना भी पड़ता हो तो उसके लिए अंग्रेजी का ज्ञान पर्याप्त है। किसी औद्योगिक संस्थान में भी अनेकों अधिकारियों और कर्मचारियों को कुछ-न-कुछ लिखने पढ़ने का काम करना पड़ता है। यद्यपि राजभाषा विभाग के दिनांक 4-9-1975 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक आधार पर प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था है तथापि इन संस्थानों के ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए जिन्हें लिखने पढ़ने का कार्य करना पड़ता है, हिन्दी प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। वस्तुतः हिन्दी प्रशिक्षण से छूट कर्मचारियों के किसी वर्ग को न देकर व्यक्तिशः रूप में ही दी जानी चाहिए जिसका निर्णय संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा राजभाषा विभाग से परामर्श करके किया जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों से यदि अंग्रेजी के ज्ञान की अपेक्षा की गई हो तो उनके लिए हिन्दी का ज्ञान भी उतना ही उपादेय माना जाना चाहिए।

18.4 हिन्दी के प्रचार और प्रसार में कार्यरत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को, जो अन्य विविध कार्यों के साथ-साथ हिन्दी के पठन-पाठन का प्रबन्ध भी करती है, इस कार्य के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन एवं अनुदान दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी भी उठाते हैं। समिति को दी गई जानकारी के अनुसार भाषा शिक्षण के अतिरिक्त अनेक संस्थाएं हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण का कार्य भी प्रारम्भ करने की इच्छुक है। इस क्षेत्र में भी वैज्ञानिक प्रयासों के परिणामस्वरूप कई प्रकार के टाइपराइटर और शब्द-संसाधक, कम्प्यूटर और टलीप्रिंटर इत्यादि विकसित हो गए हैं और इनकी सहायता से हिन्दी के शिक्षण संबंधी कार्य के कार्यान्वयन में बहुत वृद्धि हो सकती है। लेकिन स्वयंसेवी संस्थाओं ने धनाभाव के कारण इन उपकरणों को खरीदने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। अपने सीमित आय स्रोतों और अनुदान की राशि निश्चित कार्यों के लिए अपर्याप्त होने के कारण यह संस्थाएं वैज्ञानिक प्रगति के साथ-साथ अपने स्तर को ऊंचा कर पाने और समर्थन बनाए रखने में असमर्थ रही हैं। अतः इस दृष्टि से इन्हें दिए जा रहे अनुदान की राशि उपयुक्त रूप से बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वे अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षण में प्रयुक्त हो रहे आधुनिक उपकरणों जैसे टेपरिकार्डर, लिंगुआफोन, टेप, कम्प्यूटर इत्यादि को आसानी से खरीद सकें। यांत्रिक उपकरणों की खरीद के लिए इन्हें विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा संचालित प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ स्तर के समकक्ष हों तथा पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिए उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक परामर्श तथा सहायता प्रदान की जानी चाहिए यदि ये संस्थाएं ऐसे स्थानों पर हिन्दी के शिक्षण केन्द्र खोले जहां काफी संख्या में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी इनका लाभ उठाने की स्थिति में हों तो उन्हें इसके लिए विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए और इस दृष्टि से केन्द्र सरकार के हिन्दी के प्रशिक्षण के लिए बचे हुए कर्मचारियों को स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भी यथावश्यक प्रशिक्षण दिलाने के लिए एक सम्बन्धित कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा हिन्दी शिक्षण-प्रशिक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए, उनकी पाठ्यपुस्तकों, प्रकाशनों, भवन-निर्माण आदि के लिए यथावश्यक समुचित अनुदान दिया जाना चाहिए और यह दायित्व केन्द्र सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी अपेक्षित है कि जो संस्थाएं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण के लिए उन स्थानों पर, जहां कि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, अपने केन्द्र या शिक्षण कक्षाएं खोलकर इस कार्य में अपना योगदान देने के लिए आगे आएं, उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष अनुदान देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इन संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उपक्रमों तथा संस्थानों आदि के कर्मचारियों को वे सभी प्रोत्साहन उपलब्ध होने चाहिएं जो कि उनको हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत संचालित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर अन्यथा प्राप्त होते हैं। अच्छा तो यह होगा कि इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र ही एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए जो इनके कार्यों तथा समस्याओं आदि का मूल्यांकन करके एक सुनिश्चित समन्वित कार्यक्रम तैयार करे और इन्हें दिए जाने वाले अनुदान के लिए नए और उदार मानदण्ड निर्धारित करें।

18.5 शिक्षा विभाग के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग का विस्तार किया जाना चाहिए और इसके विभिन्न पाठ्यक्रमों की बढ़ती हुई लोकप्रियता तथा छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न भागों में निदेशालय द्वारा अध्ययन केन्द्र भी स्थापित किए जाने चाहिए। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में जो शर्तें रखी गई हैं वे अनावश्यक प्रतीत होती हैं। देश-विदेश में सभी स्थानों पर सभी कर्मचारियों को इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाना चाहिए। राजभाषा हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार के हित

में यह भी आवश्यक है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा चलाए जा रहे पत्राचार पाठ्यक्रमों में शिक्षण संविधान की अष्टम सूची में अलिखित सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम में ही हो ताकि देश में सभी भाषा-भाषियों को इस सुविधा का लाभ मिल सकें। इसी प्रकार विदेश में रहने वालों के लिए यह पाठ्यक्रम अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, चीनी, जर्मन, फ्रेंच, रुसी और स्पेनिश आदि में भी चलाए जाएं ताकि भारत के विदेश स्थित कार्यालयों में कार्य करने वाले विदेशी नागरिक और अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। राजभाषा विभाग द्वारा स्थापित केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान तथा इसकी प्रस्तावित शाखाओं को सुदृढ़ बनाना भी सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के हित में हैं। नए भर्ती होने वाले ऐसे सभी कर्मचारी जिन्हें हिन्दी में शिक्षित किया जाना अपेक्षित है। अपना कार्यभार सम्भालने से पहले आदि हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त कर ले तो समस्या केवल प्रशिक्षण के लिए इस समय पहले से बचे हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने तक ही सिमित रह जाएगी। अतः सरकार को यथाशीघ्र इस संस्थान के अधिकाधिक सुदृढ़ीकरण के लिए उपाय करने चाहिएं ताकि यह अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम हो सके। सरकार को यह भी चाहिए कि वह सभी प्रशिक्षण संस्थानों में जहां दीर्घ अवधि के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं वहां हिन्दी को एक विषय के रुप में पढ़ाने की तत्काल व्यवस्था करे। जिन प्रशिक्षण संस्थानों में यह व्यवस्था पहले से विद्यमान है उसे सुदृढ़ करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इन संस्थानों को अपेक्षित अतिरिक्त पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति अविलम्ब प्रदान की जानी चाहिए। जहां जहां विभिन्न विभागों अथवा उपक्रमों आदि ने हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने के लिए अपनी विभागीय व्यवस्था की है उसे भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि सभी कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान कराने का कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न हो सके। ऐसी विभागीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इन कार्यालयों अथवा उपक्रमों को अपेक्षित पदों के सृजन और उन्हें भरने के लिए यथा कर्मचारियों को पुस्तकें आदि उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। अन्य मंत्रालय/विभाग भी अपने अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि में आवश्यकतानुसार विभागीय व्यवस्था करें। जिससे हिन्दी शिक्षण के लिए शेष बचे कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जा सके।

18.6 समिति के समक्ष विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने साक्ष्य के दौरान आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा हिन्दी पाठों के प्रसारण की उपयोगिता को एक स्वर से स्वीकार किया है। समिति यह आशा व्यक्त करती है कि सरकार इस ओर अधिक ध्यान देगी तथा इन भाषा पाठों के प्रसारणों की अवधि तथा आवृत्ति में वृद्धि करेगी। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन से भी हिन्दी पाठ प्रसारित किये जाने चाहिए।

18.7 पिछले कुछ वर्षों से सरकार भारत के राजभाषा विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के कार्यालयों आदि के कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रमों में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को अपने कामकाज में हिन्दी के प्रयोग का अभ्यास कराने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने का सुझाव दिया जाता रहा है। इस समिति की तीनों उपसमितियां ने अपने निरीक्षणों के दौरान यह अनुभव किया है कि इस प्रकार की कार्यशालाएं चलाने से अपेक्षित लाभ हुआ है और हिन्दी में मूलरूप से कार्य करने की कर्मचारियों की झिझक दूर हो रही है। अतः समिति का मत है कि सभी कार्यालयों द्वारा ऐसी कार्यशालाएं इस ढंग से आयोजित की जाएं जिससे कि उन सभी कर्मचारियों को जिन्हें हिन्दी का ज्ञान है और जो अब तक ऐसी कार्यशालाओं में नहीं भेजे गए हों वे भी इनमें भाग ले सकें। समिति का यह भी विचार है कि अगले 5 वर्षों तक ऐसी कार्यशालाओं का नियमपूर्वक आयोजन किया जाना चाहिए जिसका उद्देश्य यह हो कि प्रत्येक हिन्दी जानने वाले कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार इनमें भाग लेकर हिन्दी में मूल रूप से काम करने का अभ्यास करने का अवसर मिल सके।

18.8 चूंकि हिन्दी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है इसलिए संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि देश में सभी क्षेत्रों में सभी स्थानों पर हिन्दी के पठन-पाठन का समुचित प्रबन्ध हो ताकि केन्द्र सरकार की नौकरियों में आने से पूर्व भावी कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान भी उपलब्ध हो। केन्द्र सरकार को वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए सुनिश्चित करना चाहिए कि देश भर में सभी जगह विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई हिन्दी में भी करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध हो। जहां एक ओर सरकार का यह दायित्व है कि वह देश के प्रत्येक नागरिक को राजभाषा हिन्दी सीखने का अवसर उपलब्ध कराए वहीं दूसरी ओर प्रत्येक विद्यार्थी का भी, भले ही यह विद्यालय का हो या विश्वविद्यालय का, यह अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है, कि वह हिन्दी भाषा को अपनी शिक्षा में स्थान दे। देश में ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। अपेक्षित है कि शिक्षा के किसी भी स्तर पर, आरम्भिक शिक्षा से उच्चतम शिक्षा तक, हिन्दी के अथवा हिन्दी माध्यम से पठन-पाठन के मार्ग में कोई बाधा नहीं हो।

18.9 संसद द्वारा दिसम्बर, 1967 में पारित राजभाषा संकल्प में, जिसे 13 जनवरी, 1968 को प्रकाशित किया गया था, यह कहा गया था कि देश में एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा

राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। इस प्रयोजन से हिन्दी भाषी क्षेत्रों में, हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत में की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के अध्ययन के लिए इस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वियन के लिए उपाय किए जा रहे हैं और समय-समय पर समीक्षा करके इसके कार्यान्वयन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयत्न होते रहे हैं। परन्तु, फिर भी इन प्रयासों के यथेष्ट परिणाम नहीं निकले हैं और न ही अभी तक सभी राज्यों में इस सूत्र के कार्यान्वियन में एकरुपता आ पाई है। अतः समिति चाहेगी कि इस कार्य के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जाए और सरकार उसके अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठोस कदम उठाए।

18.10 संविधान में हिन्दी को संघ सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किए हुए इतना समय व्यतीत होने के बावजूद अभी तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अनेक परीक्षाओं यथा इंजीनियरी सेवा परीक्षा, भारतीय वन सेवा परीक्षा, भारतीय अर्थ/सांख्यिकी सेवा परीक्षा तथा इस प्रकार की अन्य परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अभी तक हिन्दी माध्यम का विकल्प नहीं दिया गया है। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने जो कारण बताए हैं वे वास्तव युक्तियुक्त नहीं हैं और समिति को मान्य नहीं हैं। चूंकि इस समय भी अनेक विश्वविद्यालयों में विज्ञान इंजीनियरी तथा अन्य तकनीकी विषयों की पढ़ाई हिन्दी माध्यम से ही रही है और आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी माध्यम रखने से इन विश्वविद्यालयों के स्नातकों को भारत सरकार की सेवाओं से वंचित रखना और अनेक छात्रों को अप्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी माध्यम से शिक्षा लेने के लिए निरूत्साहित करना उनके प्रति अन्याय है। समिति को प्रसन्नता होगी यदि इन परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं का विकल्प भी शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके। किन्तु यदि अन्य भाषाओं के लिए तुरन्त व्यवस्था न की जा सकती हो तो भी तुरन्त राजभाषा हिन्दी का विकल्प देकर शुरूआत की जानी चाहिए ताकि उन विद्यार्थियों को अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त किया जा सके जो अपनी उच्चस्तर की इंजीनियरी एवं तकनीकी शिक्षा हिन्दी माध्यम से ले रहे हैं अथवा लेना चाहें। संघ लोक सेवा आयोग का यह कहना कि इंजीनियरी सेवा परीक्षा में उत्तर देने के लिए हिन्दी का विकल्प सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में इंजीनियरी विषयों में परीक्षार्थियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग की प्रवृत्ति को देखकर दिया जाएगा समिति को मान्य नहीं है क्योंकि इंजीनियरी सेवा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार और सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में इंजीनियरी विषयों को लेने वाले उम्मीदवार एक ही होते हैं और यह स्वाभाविक है कि वे सिविल सेवा परीक्षा में भी अंग्रेजी का विकल्प ही लें क्योंकि इंजीनियरी सेवा परीक्षा में अनिवार्य रूप से केवल अंग्रेजी में ही उत्तर दिए जाने अपेक्षित हैं। इसलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि इंजीनियरी सेवा परीक्षा तथा इस प्रकार ही अन्य परीक्षाओं में उम्मीदवारों को हिन्दी का विकल्प तुरन्त उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि भारतीय वन सेवा की परीक्षा के लिए हिन्दी माध्यम का विकल्प प्रदान किया जाए किन्तु आयोग ने अभी तक इस मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की है विभिन्न सेवाओं से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा मांग होने पर भी संघ लोक सेवा आयोग/कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प उपलब्ध न कराना न्यायसंगत नहीं है। न केवल लिखित परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को हिन्दी माध्यम से उत्तर देने का विकल्प तुरन्त प्रदान किया जाना चाहिए बल्कि उन प्रश्न पत्रों को भी अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी भाषा में तैयार किया जाना अनवार्य होना चाहिए जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं में प्रयोग में लाए जाते हैं। इससे हिन्दी माध्यम से पढ़े हुए परीक्षार्थी भी इन प्रश्नपत्रों के प्रश्नों को भली प्रकार समक्षकर उनका उत्तर दे सकेंगे। समिति का यह भी मत है कि न केवल संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षाओं में उत्तर देने के लिए हिन्दी माध्यम का विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए बल्कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उनके उपक्रमों तथा संस्थानों आदि के अन्य भर्ती अभिकरणों द्वारा भी सभी सीधी भर्ती की परीक्षाओं तथा पन्दोन्नति आदि के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में, चाहे वे तकनीकी पदों के लिए हों अथवा गैर तकनीकी पदों के लिए हों, उम्मीदवारों को उत्तर देने के लिए हिन्दी माध्यम का विकल्प तुरन्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

18.11 विभिन्न पदों के लिए जहां भर्ती केवल साक्षात्कार के माध्यम से की जाती है अथवा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के माध्यम से, वहां भी साक्षात्कारों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वे उम्मीदवार भी जो कि विद्यालयों अथवा महाविद्यालयों से हिन्दी माध्यम से पढ़कर आते हैं अथवा जो ग्रामीण क्षेत्रों से या समाज के कमजोर वर्गों से आते हैं उनमें अपनी योग्यता का ठीक प्रकार से प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि भर्ती संबंधी विज्ञापनों और

विवरण-पत्रों, तथा साक्षात्कारों के लिए जो नियंत्रण पत्र उम्मीदवार को भेजे जाएं वे हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हों और उनमें न केवल यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाए कि उम्मीदवार साक्षात्कार में हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है बल्कि उसे लिखित रूप में यह सूचना देने को भी कहा जाए कि वह किस भाषा का माध्यम अपनाना चाहता है ताकि चयन बोर्ड द्वारा उसका साक्षात्कार उसी भाषा में लिया जाए। साक्षात्कार लेने वाले चयन बोर्डों का गठन भी इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उनके सदस्यों को हिन्दी का भी ज्ञान हो।

18.12 संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग और कुछ इस प्रकार के अन्य भर्ती संगठनों ने कुछ परीक्षाओं में सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र को अनिवार्य निर्धारित किया हुआ है। वह संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1958 की भावना और भाषा के एकदम विपरीत है। जैसा कि राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी के अगामी प्रयोग संबंधी जारी किए जा रहे वार्षिक कार्यक्रमों में समय-समय पर पत्राचार आदि के लक्ष्य निर्धारित किए जाते रहे हैं, "क" और "ख" क्षेत्रों में सरकारी कामकाज अधिकाधिक हिन्दी में किया जाना अपेक्षित है और "ग" क्षत्र में भी हिन्दी में सरकारी कामकाज को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस परिपेक्ष्य में यह उचित नहीं है कि भर्ती के समय भावी कर्मचारियों से सामान्य अंग्रेजी के पश्न पत्र को अनिवार्य रूप से पास करने की अपेक्षा की जाए। संसद के संदर्भाधीन संकल्प की पृष्ठभूमि में समिति का यह निश्चित मत है कि उसमें व्यक्त की गई भावना का सम्मान करते हुए अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को हटाकर उसके स्थान पर अंग्रेजी अथवा हिन्दी में से किसी एक भाषा के प्रश्न पत्र को उम्मीदवार की इच्छा के अनुसार अनिवार्य किया जाए।

18.13 इस समय भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, भारतीय पश चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली और इस प्रकार के अन्य संस्थानों में न केवल शिक्षण-प्रशिक्षण का माध्यम ही अंग्रेजी है बल्कि इनके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों में भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं का माध्यम भी केवल अंग्रेजी है। इनमें से कई पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों से केवल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (10+2 कक्षा पास) में विज्ञान और गणित के विषयों की परीक्षा ली जाती है और कई पाठ्यक्रमों में विज्ञान स्नातक उम्मीदवार होते हैं। उच्चतर माध्यमिक तथा स्नातक स्तर पर अनेक विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम से पढ़े हुए उम्मीदवारों के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और इस प्रकार के अन्य अनुसंधान संस्थानों में भर्ती के लिए द्वार बन्द करना न्यायसंगत नहीं है। समिति का मत है कि ऐसे संस्थानों में जो कि किसी न किसी रूप में भारत सरकार के नियंत्रणाधीन हैं भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में तुरन्त हिन्दी माध्यम का विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां जो भी विद्यार्थी हिन्दी माध्यम पढ़ना चाहे उन्हें हिन्दी माध्यम शिक्षण-प्रशिक्षण दिया जा सके। इसी प्रकार समिति का यह मत है कि आयुर्विज्ञान की शिक्षा भी निकट भविष्य में हिन्दी माध्यम से प्रारम्भ करने के लिए अभी से गम्भीर प्रयत्न किया जाना चाहिए और इसके लिये पाठ्य-सामग्री और संदर्भ साहित्य का हिन्दी में निर्माण मूल रूप से तथा अनुवाद द्वारा शीघ्रातिशीघ्र कराया जाना चाहिए। इस संबंध में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए।

18.14 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने तथा अपने सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों और संस्थानों आदि के विभिन्न पदों के लिय बनाए गए भर्ती नियमों के संबंध में बताई गई स्थिति के विवेचन से प्रतीत होना है कि अनेक पदों के लिए भर्ती के समय अंग्रेजी के ज्ञान की अनिवार्यता निर्धारित की गई है जिसके लिये संबंधित मंत्रालय/विभाग आमतौर पर कोई औचित्य अथवा युक्तियुक्त स्पष्टीकरण, समिति द्वारा चाहे जाने पर भी, नहीं दे सके। ऐसा शायद इसलिए है कि संबंधित भर्ती नियमों में काफी समय से और शुरू से ही ऐसा प्रावधान शामिल रहा है। कहीं-कहीं पर मंत्रालयों/विभागों ने यह भी कहा है कि ऐसा प्रावधान उन पदों से अपेक्षित अत्यन्त महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अथवा तकनीकी प्रकृति के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। समिति का यह मत है कि वास्तव में सभी पद ऐसे नहीं हैं जिनके लिए अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य रखा जाए। जिन कर्मचारियों को भर्ती के समय केवल हिन्दी का ज्ञान हो वे भी इन पदों संबंधित अपने कार्यों और कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से सम्पन्न कर सकते हैं। संसद द्वारा पारित राजभाषा में संकल्प, 1968 के अनुसार उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए किसी ऐसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोनों, जैसी कि स्थिति है, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किसी एक का ज्ञान अपेक्षित है। समिति महसूस करती है कि विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये अंग्रेजी के ज्ञान की अनिवार्यता के संबंध में आमतौर पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है और पहले से चले आ रहे नियमों का पुनरीक्षण करके यह सुनिश्चित भी नहीं किया गया है कि संसद के संकल्प के अनुरूप अपेक्षित परिवर्तन किए जाएं। इस परिस्थिति में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बन्ध

और अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों और संस्थानों आदि के सभी पदों के भर्ती नियमों की पुनः समीक्षा की जानी चाहिये ताकि यदि उनमें भर्ती के समय अंग्रेजी के ज्ञान की अनिवार्यता युक्ति-युक्त न समझी जाए तो उसे हटा दिया जाये और वह सुनिश्चित किया जाये कि उन पदों को छोड़कर जिनके लिये विशेष रूप से केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों का ज्ञान अनिवार्य रखना आवश्यक हो, सभी पदों की पात्रता के लिये हिन्दी अथवा अंग्रेजी का ज्ञान उम्मीदवार की इच्छानुसार परखा जाये। इसके अतिरिक्त चूंकि हिन्दी राजभाषा है और इसका ज्ञान कर्मचारियों को सेवा में भर्ती के बाद अनिवार्य रूप से लेना ही है इसलिये भर्ती नियमों में यह प्रावधान जहां पहले से ऐसा प्रावधान नहीं है, जोड़ा जाना चाहिये कि भर्ती के बाद कर्मचारी को परिवीक्षा अवधि में हिन्दी का निर्धारित स्तर का ज्ञान प्राप्त करना होगा। यह आवश्यक है कि सभी पदों के भर्ती नियमों की एक बार इस पुष्टि से समीक्षा की जाये कि क्या भर्ती के समय अंग्रेजी का अथवा हिन्दी का अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान निर्धारित करना आवश्यक है या नहीं। जहां किसी पद विशेष के लिये किसी विशेष भाषा का ज्ञान अनिवार्य करना आवश्यक न हो वहां हिन्दी अथवा अंग्रेजी के ज्ञान का विकल्प प्रत्याशी को उपलब्ध होना चाहिये और भर्ती के समय हिन्दी का ज्ञान न होने पर उस परिवीक्षा अवधि के दौरान अर्जित करने का प्रावधान किया जाना चाहिये।

18.15 केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थानों आदि के नियंत्रणाधीन प्रशिक्षण संस्थानों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का प्रशिक्षण हिन्दी माध्यम से दिया जाना आवश्यक है। इस संबंध में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दिनांक 11-11-1987 के कार्यालय ज्ञापन में की गई व्यवस्थाओं को तुरन्त लागू करना आवश्यक है। वास्तव में यह आदेश एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में है। समिति का यह मत है कि सभी प्रकार का प्रशिक्षण चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, हिन्दी माध्यम से ही सम्पन्न होना चाहिये ताकि हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण लेने के बाद कर्मचारियों के लिये हिन्दी में ही मूल कार्य करना सुविधाजनक हो। कम से कम "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों में यह व्यवस्था तुरन्त लागू की जानी चाहिये। यदि इन प्रशिक्षण संस्थानों में आने वाले कुछ कर्मचारियों को हिन्दी का अपेक्षित स्तर का ज्ञान न हो तो उन्हें वहां प्रशिक्षण के लिये हिन्दी का ज्ञान प्राप्त होने के बाद भेजा जाये। इसके अतिरिक्त यदि नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान न हो और उन्हें सेवा के शुरू में ही प्रशिक्षण लेना हो तो उनके लिये पहले हिन्दी के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये। जहां दीर्घावधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं वहां संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में ही हिन्दी का गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिये ताकि हिन्दी न जानने वाले नये कर्मचारीगण हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकें। इसके अतिरिक्त जहां जहां भी संभव हो वहां और विशेषकर 15 दिन या इससे अधिक की अवधि के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सरकार की राजभाषा नीति और इस संबंध में जारी किये गये नियमों, आदेशों, आदि की जानकारी भी करा दी जानी चाहिये। कुछ विभागों ने समिति को सूचित किया है कि अभी हिन्दी में पर्याप्त प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध न होने के कारण कुछ विशेष पाठ्यक्रमों को हिन्दी माध्यम से तुरन्त चलाना कठिन है। इस संबंध में समिति अपने प्रतिवेदन के पहले खण्ड में की गई इस सिफारिश को पुनः दोहराना चाहेगी कि प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री का अनुवाद शीघ्र कर लिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त मूल रूप से भी हिन्दी में विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी जानी चाहिये जो कि प्रशिक्षण में काम आ सकें। अनेक मंत्रालयों/विभागों ने अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित तकनीकी विषयों पर मूल रूप से पुस्तकें लिखने अथवा अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद के लिये कई प्रोत्साहन योजनायें चालू की हैं। इसके फलस्वरूप कई पुस्तकें लिखी गई हो अथवा लिखी जा रही हैं जिनमें से कुछ अधिकारियों द्वारा लिखी जा रही हैं और कुछ अन्य लोगों के निजी प्रयत्नों द्वारा। समिति का मत है कि इन प्रोत्साहन योजनाओं को अधिक उदार और आकर्षक बनाया जाना चाहिये और जिन मंत्रालयों/विभागों ने ऐसी योजनायें शुरू नहीं की हैं उन्हें अभी इस प्रकार योजनायें चलानी चाहियें। विशेष रूप से प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिससे कि वे अपने विषय से संबंधित पुस्तकें हिन्दी में भी लिखने लगें अथवा अनुवाद करने का प्रयास करके अपेक्षित पाठ्य-सामग्री तथा संदर्भ साहित्य का निर्माण कर सके। इस संबंध में केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालयों के सेवा निवृत्त सक्षम अधिकारियों तथा प्राध्यापकों के दीर्घ अनुभव और योग्यता का लाभ उठाते हुए उन्हें भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ताकि वे भी कुछ चुने हुए विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में पुस्तकें लिख सकें। जैसे-जैसे हिन्दी पुस्तकों तथा अन्य पाठ्य सामग्री की मांग बढ़ेगी अनेक लेखक और प्रकाशक आगे आयेंगे और कुछ ही समय में हिन्दी में उच्चस्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक पुस्तकों का तथाकथित अभाव भी दूर होने लगेगा। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने यह कठिनाई भी व्यक्त की है कुछ मैनुअल आदि रूसी या अन्य विदेशी भाषाओं में हैं जिनका पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है और बाद में उसका पुनः हिन्दी में अनुवाद करना पड़ता है। इस मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे विदेशी भाषा विद्यालय में विदेशी भाषाओं से सीधे हिन्दी में अनुवाद करने का प्रशिक्षण देने का

प्रबंध किया जाना चाहिये जिससे इस समस्या का समाधान करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत जिन प्रशिक्षकों को हिन्दी का अपेक्षित स्तर का ज्ञान नहीं है उन्हें हिन्दी सिखाने का प्रबंध किया जाना चाहिये। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रबंध राजभाषा विभाग द्वारा किया जा सकता है। "क" तथा तथा "ख" क्षेत्र में कार्यरत हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को कुछ समय के लिये यदि "ग" क्षेत्र में भी प्रशिक्षण हिन्दी माध्यम से देने के लिये भेजा जाये तो "ग" क्षेत्र में भी प्रशिक्षण केन्द्रों में हिन्दी माध्यम का उपयोग करना सुविधाजनक हो जायेगा। ऐसे प्रशिक्षकों को "ग" क्षेत्र में कार्य करने की अवधि के दौरान विशेष एवं आकर्षक वेतन दिया जाना चाहिये।

18.16 समिति ने नोट किया है कि समिति के प्रतिवेदन के पहले और दूसरे खण्ड की प्रस्तुति के बाद उसे छपवाने, संसद के पटल पर रखवाने, राज्य सरकारों को भिजवाने तथा उसमें की गई सिफारिशों के अनुरूप कार्रवाई करने में काफी समय लग गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इन खण्डों में कतिपय सिफारिशों में जहां कुछ कार्यों के लिये समय-सीमा निर्धारित करने के बारे में भी समिति ने सिफारिश की थी उन पर समय रहते कार्रवाई नहीं हो सकी। समिति चाहेगी कि इसके प्रतिवेदन के विभिन्न खण्डों में दी गई सिफ़ारिशों पर अधिकांश अपेक्षित कार्रवाई की जाये जिससे कि संघ की राजभाषा नीति के सुचारू एवं प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि समिति ने अपने प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में यह सिफारिश की थी कि भारत सरकार के राजभाषा विभाग को सशक्त और साधन सम्पन्न बनाया जाना चाहिये ताकि न केवल समिति के प्रतिवेदन पर समुचित तथा शीघ्र कार्रवाई की जा सके बल्कि राजभाषा नीति के सुचारू अनुपालन को भी सुनिश्चित किया जा सके। समिति अपनी यह सिफारिश दोहराना चाहेगी।

□

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का दिनांक 16-5-1990 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 12024/4/90–रा. भा. (ख–2)

विषय : – देवनागरी में पते लिखने, बिल बनाने आदि में मशीनों का प्रयोग।

उपर्युक्त विषय पर सभी मन्त्रालयों/विभागों का ध्यान राजभाषा विभाग के दिनांक 16-16-76 के का.ज्ञा.सं. 12015/9/76–रा.भा. (ख) की ओर दिलाया जाता है जिसमें अनुरोध किया गया था कि मन्त्रालयों/विभाग पते लिखने, बिल बनाने आदि जैसे कार्यों के लिए हिन्दी एम्बोसिंग मशीनों का प्रबन्ध करें। संसदीय राजभाषा समिति ने भी अपनी रिपोर्ट के खण्ड-2 में यह सिफारिश की है कि—"क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में पतालेखी मशीनों के साथ देवनागरी एम्बोसिंग मशीनें लगाई जाएं। अतः मन्त्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि :—

(1) "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में पतालेखी मशीन के साथ देवनागरी एम्बोसिंग मशीनें लगाई जाएं और चूंकि "ग" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में भी कई बड़े-बड़े कार्यालय ऐसे हैं जिनमें काफी पत्र-व्यवहार "क" तथा "ख" क्षेत्रों के कार्यालयों से होता है अतः "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में भी द्विभाषी पतालेखी मशीनों का प्रावधान किया जाए।

(2) इन मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। पतालेखी मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अतः ऐसे कर्मचारियों को, पता-मशीनों पर हिन्दी भाषा में काम करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए पतालेखी मशीन कम्पनियों से अनुरोध किया जाए।

सभी मन्त्रालय/विभाग कृपया इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करें और अपने अधीनस्थ/सम्बद्ध/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि को भी आवश्यक निदेश देकर इन सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी अवगत कराएं।

□

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनांक 14-5-1990 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 12027/121/89–रा.भा. (ख–2)

विषय : — नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं उपक्रमों आदि में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु देश के प्रमुख नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों, इसमें कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान भाग लें तथा ये बैठकें पूरी तैयारी के साथ आयोजित हों इस उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यालय ज्ञापन जारी किए गए। इस सन्दर्भ में दिनांक 20 दिसम्बर 1989 का का.ज्ञा.सं. 12024/6/89–रा. भा. (ख-2) उल्लेखनीय है जिसके अन्तर्गत इन बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लेने तथा बैठकों को सुचारू रूप से आयोजित करने का उल्लेख है।

2. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से हों तथा इसमें राजभाषा विभाग के अधिकारी नियमित रूप से भाग ले सकें, इस विषय पर इस विभाग में गम्भीरता से विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि इस उद्देश्य हेतु इन बैठकों के आयोजन

के लिए विभाग द्वारा एक कैलेन्डर बना कर सभी समितियों को भेज दिया जाए। तदानुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें आयोजित करने के सम्बन्ध में एक कैलेन्डर तैयार किया गया है जिसकी प्रति इस आशय से संलग्न है कि बैठकों को यथासम्भव निर्धारित माह में किसी कार्यदिवस को आयोजित करें। अनुरोध है कि बैठक की तिथि कम से कम एक मास पहले निर्धारित करके, इसकी सूचना, राजभाषा विभाग एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय तथा नगर स्थित सभी कार्यालयों आदि के प्रशासनिक प्रधानों को समय रहते भिजवा दें जिससे कि सभी अधिकारी बैठकों में नियमित रूप से भाग ले सकें। इससे [illegible] अधिकांश बैठकों में राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अधिकारी भाग ले सकेंगे एवं यथासम्भव राजभाषा विभाग के उपसचिव या इससे ऊपर के अधिकारी वर्ष में होने वाली दो बैठकों में से कम से कम एक बैठक में भाग ले सकेंगे।

3. कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की पावती भेजने का कष्ट करें।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें आयोजित करवाने हेतु प्रस्तावित केलेण्डर

अप्रल/अक्तूबर	मई/नवम्बर	जून/दिसम्बर	जुलाई/जनवरी	अगस्त/फरवरी	सितम्बर/मार्च
1. कलकत्ता (कार्यालय)	21. कलकत्ता (बैंक)	41. कलकत्ता (उपक्रम)	61. पोर्ट-ब्लेयर	81. पटना (कार्यालय)	101. पटना (बैंक)
2. दुर्गापुर	22. बर्नपुर-आसनसोल	42. धनबाद	62. बोकारो	82. रांची	102. भुवनेश्वर
3. मुजफ्फरपुर	23. ईटानगर	43. पाराद्वीप	63. इम्फाल	83. गुवाहाटी	103. गान्तोक
4. आईजोल	24. सिलचर	44. शिलांग	63. अगरतल्ला	84. दीमापुर	104. कोहिमा
5. बम्बई (कार्यालय)	25. बम्बई (उपक्रम)	45. बम्बई (बैंक)	65. नासिक	85. औरंगाबाद	105. अमरावती
6. नागपुर (कार्यालय)	26. नागपुर (बैंक)	46. पुणे (कार्यालय)	66. पुणे (बैंक)	86. राजकोट	106. भावनगर
7. अहमदाबाद (कार्यालय)	27. अहमदाबाद (बैंक)	47. बड़ौदा (कार्यालय)	67. बड़ौदा (बैंक)	87. सूरत	107. काण्डला
8. चन्द्रपुर	28. इन्दौर (कार्यालय)	48. अकोला	68. इन्दौर (बैंक)	88. गोवा	108. रतलाम
9. ग्वालियर	29. रायपुर	49. देवास	69. भोपाल (कार्यालय)	89. भोपाल (बैंक)	109. अजमेर
10. जबलपुर (कार्यालय)	30. जबलपुर (बैंक)	50. उदयपुर	70. कोटा	90. जयपुर (कार्यालय)	110. जयपुर (बैंक)
11. जोधपुर	31. चंडीगढ़ (कार्यालय)	51. बीकानेर	71. चंडीगढ़ (बैंक)	91. रोहतक	111. अम्बाला
12. हिसार	32. फरीदाबाद	52. करनाल	72. जालन्धर	92. लुधियाना	112. अमृतसर
13. पटियाला	33. गाजियाबाद	53. अलीगढ़	73. आगरा	93. इज्जतनगर	113. झांसी
14. कानपुर (कार्यालय)	34. कानपुर (बैंक)	54. इलाहाबाद (कार्यालय)	74. इलाहाबाद (बैंक)	94. लखनऊ (कार्यालय)	114. लखनऊ (बैंक)
15. गोरखपुर	35. मेरठ	55. देहरादून	75. मथुरा	95. वाराणसी	115. शिमला
16. श्रीनगर	36. बैंगलूर (कार्यालय)	56. जम्मू	76. बेंगलूर (बैंक)	96. हैदराबाद (कार्यालय)	316. हैदराबाद (बैंक)
17. मंगलूर	37. मैसूर	57. हुबली	77. विशाखापत्तनम	97. विजयवाड़ा	117. बेलगांव
18. अनन्तपुर	38. कोचीन (कार्यालय)	58. गुन्टूर	78. तिरुपति	98. कोचीन (बैंक)	118. वारंगल
19. कालीकट	39. त्रिरुवेल्लूर	59. त्रिवेन्द्रम (कार्यालय)	79. त्रिवेन्द्रम (बैंक)	99. कोयम्बटूर	119. सालेम
20. मद्रास (कार्यालय)	40. मद्रास (बैंक)	60. कण्णूर	80. पांडिचेरी	100. तिरुचिरापल्ली	120. मदुरै

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का दिनांक 2-4-90 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/1/85 – रा. भा. (घ)

विषय : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सेवाकालीन हिन्दी शिक्षण की अनिवार्यता ।

उपर्युक्त विषय पर मुझे इस विभाग के दिनांक 30-5-88 समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें विभाग द्वारा दी गई स्थिति और उसके विषय में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर स्पष्टीकरण करते हुए राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित दिनांक 10-3-89 के कार्यालय ज्ञापन के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है :—

(1) क्या तीसरी भाषा वाले किसी कर्मचारी द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होने पर भी उसे पुनः प्राज्ञ प्रशिक्षण देना होगा ?

(2) क्या हिन्दी का अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि अर्थात 30-5-1988 से दिया जाना है या उसे पूर्व प्रभावित व्यक्तियों को भी दिया जाना है ?

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग द्वारा ज्ञापन के स्पष्टीकरण बिन्दु 2 और 5 को निम्न प्रकार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :—

सन्देह	स्पष्टीकरण
2. तीसरी भाषा वाले किसी कर्मचारी द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान घोषित करने पर भी क्या उसे पुनः प्राज्ञ का प्रशिक्षण देना होगा।	कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/1/85 रा.भा. (घ) दिनांक 30-5-1988 के अनुसार ऐसे किसी भी कर्मचारी को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के अनुसार मैट्रिक पास (हिन्दी) में नहीं माना जाएगा जिसने हिन्दी को मैट्रिक में तीसरी भाषा के रूप में लिया है। परन्तु यदि ऐसा कर्मचारी नियम 10(3)(ख) के प्रावधान के अनुसार यह निर्धारित प्रपत्र में घोषणा करता है कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसे कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त मान लिया जायेगा और उसे हिन्दी का प्राज्ञ प्रशिक्षण लेना अनिवार्य नहीं होगा।
5. हिन्दी का अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से दिया जाना है अथवा पूर्व प्रभावित व्यक्तियों को भी हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है।	जैसाकि क्रम संख्या 3 पर बताया जा चुका है कि कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तिथि अर्थात् 30-5-1988 से लागू माना जाए। अतः यह प्रावधान उन पूर्व प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अहिन्दी भाषी राज्यों से हिन्दी तीसरी भाषा के रूप में लेकर मैट्रिक पास की है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का दिनांक 9–2–1990 का कार्यालय ज्ञापन सं. 14012/12/89 – रा. भा. (ग)

विषय : — हिन्दी आशुलिपिकों तथा हिन्दी टाइपिस्टों का अनुपात—वर्ष 1990-91 के लिए ।

राजभाषा विभाग के 20 अगस्त, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14012/7/87–रा.भा. (ग) में ये निदेश दिए गए थे कि "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों में आशुलिपिकों के कुल पदों में से कम से कम 25% पदों पर हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिक उपलब्ध कराए जाएं। "क" क्षेत्र में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या कम्पनी या बैंक आदि के कार्यालयों में आशुलिपिकों के कुल पदों में से कम से कम 5% पदों पर हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिक रखने के निदेश दिए गए थे। "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या कम्पनी या बैंक आदि के कार्यालयों में आशुलिपिकों के पदों पर कम से कम 25% हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिक नियुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। 28 जनवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14012/7/87–रा.भा. (ग) द्वारा "ग" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपिकों के 10% पदों पर हिन्दी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिक रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

2. इस विभाग के 1 फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या सं०/12/140/14/87–रा.भा. (ग) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कुल टाइपिस्टों में से हिन्दी टाइपिस्टों का अनुपात निम्न प्रकार निर्धारित किया गया था :—

(क) "क" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों तथा विभागों के मुख्यालयों के लिए 25%
(ख) "क" क्षेत्र में स्थित शेष कार्यालयों के लिए 50%
(ग) "ख" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों के लिए 25%
(घ) "ग" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों के लिए 10%

3. केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 27 जुलाई, 1989 को हुई बैठक में की गई सिफारिश पर विचार करने

के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1990–91 के लिए हिन्दी आशुलिपिक तथा हिन्दी टाइपिस्ट, का अनुपात निम्न प्रकार निर्धारित कर दिया जाए :—

(क) "क" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों तथा विभागों के मुख्यालयों के लिए 30%
(ख) "क" क्षेत्र में स्थित शेष कार्यालयों के लिए 30%
(ग) "ख" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों के लिए 30%
(घ) "ग" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों के लिए 12%

4. यह भी निर्णय लिया गया है कि जब तक हिन्दी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिक किसी कार्यालय में उपर्युक्त अनुपात के अनुसार नहीं हो जाते तब तक नई भर्ती में यदि हिन्दी आशुलिपि जानने वाले उम्मीदवार उपलब्ध हों तो केवल हिन्दी आशुलिपिक के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों को ही आशुलिपिक पद पर नियुक्त किया जाए। ऊपर निर्धारित लक्ष्य 31 मार्च, 1991 तक पूरा कर लिया जाए। यदि किसी कार्यालय में निर्धारित लक्ष्य से अधिक हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों की आवश्यकता हो तो इस अनुपात से अधिक भी हिन्दी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिकों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। उपरोक्त निर्धारित अनुपात पूरा हो जाने के बाद भी अंग्रेजी आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि का और अंग्रेजी टाइपिस्टों को हिन्दी टाइप प्रशिक्षण दिया जाता रहेगा।

5. केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रायलयों तथा विभागों से अनुरोध है कि इन निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और अपने सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि से भी इन निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करें।

6. इस विषय में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें। □

(पृष्ठ 105 का शेष)

देखे सत्तर शरद बसंत

देखें सत्तर शरद बसंत

लेखक : राकेश गुप्त

मूल्य : 250—पृ. 670

प्रकाशक : ग्रंथायन, सर्वोदय नगर, सासनी गेट, अलीगढ़ – 202001

प्रस्तुत कृति विद्वान् लेखक वयोवृद्ध डा. राकेश गुप्त (छैल विहारी लाल ग्रुप) की आप बीती है। डा. राकेश गुप्त की इस सिद्धान्त पर विशेष पकड़ है। एक आदर्श अध्यापक के रूप में श्री राकेश ने दिल्ली, प्रयाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालयों से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य क महाविद्यालयों में भी कार्य किया है। कुमाऊं, विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य के साथ डीन, कला संकाय का दायित्व भी बखूबी निभाया। पूरे सेवा काल में अध्यापन कार्य के अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने वाले डा. राकेश गुप्त को कई बार लफड़ों में उलझने की नौबत आई है। उन्होंने अपनी प्रस्तुत आत्मकथा में कई बार व्यवस्था के विरूद्ध तीखी शब्दावली में अपना आक्रोश प्रकट किया है।

श्री बाल चन्द श्रीवास्तव के शब्दों में—'राकेश जी को गुस्सा क्यों आता है?—इस आत्मकथा में उसका रहस्य मिलेगा।" आत्मकथा ही एक ऐसी विधा है, जिसमें लेखक खुलकर अपनी बात कह सकता है। प्रस्तुत कृति में लेखक ने अनुभूत—दुःख, सुख, हर्ष, विवाद, मान अपमान, आशा-निराशा आदि का मनोरंजक ववेचन प्रस्तुत किया है। रोचक शैली युक्त घटना क्रम पाठक को मंत्रमुग्ध किए रहते हैं।

—गुरू